लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 51 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 28 जुलाई, 1989/6 श्रावण, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
36	7	"गुरुदास कग्मत" के स्थान पर "गुरुदास कामत" पढ़िये ।
95	नीचे से 6	"श्रीकांत डिगाल" के स्थान पर "राधाकांत डिगाल" पढ़िये ।
114	1	शीर्षक में "धूम्रपान" के स्थान पर "धूम्रपान" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 51, चौवहवां सत्र, 1989/1911 (शक)

अंक 9, शुक्रवार, 28 जुलाई, 1989/6 श्रावण, 1911 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	... ...	1—29
*तारांकित प्रश्न संख्या : 166, 169, 171, 172, 181 और 165	...	1—27
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	... ...	29—130
*तारांकित प्रश्न संख्या : 174, 175, 176 और 178 से 180	...	29—32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1628, 1630, 1633 से 1637, 1639, 1640, 1643 से 1645, 1648, 1649, 1652, 1654 से 1659, 1661, 1663, 1664, 1666 से 1670, 1672 से 1675, 1677 से 1680, 1682 से 1687, 1689 से 1694, 1696 से 1715, 1723, 1728 से 1742, 1745, 1750 से 1752, 1755 से 1763, 1767 से 1770, 1773 से 1777, 1779 से 1781, 1783 से 1792, 1795 से 1800, 1804 से 1808, 1810, 1811, 1816 से 1819, 1822, 1823, 1827, 1831, 1832, 1834 से 1841, 1845, 1847 और 1851	...	32—130

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय			पृष्ठ
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	...	...	131—135
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	...	135—140
याचिका समिति	...	...	141
13वां प्रतिवेदन			
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति		...	141
प्रतिवेदन और साक्ष्य			
सभा का कार्य	...	...	141—145
कार्य-मंत्रणा समिति	...	...	145
73वां प्रतिवेदन			
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक	...	...	146—187
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्रीमती प्रभावती गुप्त	...	...	146—148
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण	...	...	148—151
श्री डाल चन्द्र जैन	...	...	151—153
श्रीमती बसवराजेश्वरी	...	...	153—156
श्री चिरंजी लाल शर्मा	...	...	156—158
श्री आशुतोष लाहा	...	...	158—161
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	...	...	161—162
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	...	162—164
श्री एन० टोम्बी सिंह	...	...	164—166
श्री बृजमोहन महन्ती	...	...	166—168
श्री ए० चार्ल्स	...	...	168—171
श्री नन्दलाल चौधरी	...	...	171
श्री शंकर लाल	...	...	172—173
श्री माणिकराव होडल्या गावित	...	...	173
श्री शांति धारीवाल	...	...	173—174

विषय पृष्ठ

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... ... 174—176

श्री केयूर भूषण ... ... 176—177

श्री एडुआर्डो फैलीरो ... ... 177—186

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री एडुआर्डो फैलीरो 186

उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक 187—189

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बी० शंकरानन्द ... ... 187—188

श्री अजीज कुरेशी ... ... 188—189

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ... ... 189—190

67वां प्रतिवेदन

जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किए जाने के उपायों के बारे में संकल्प ... 190—203

श्री शांताराम नायक ... ... 190—192

श्री रफीक आलम ... ... 192—196

डा० कृपासिन्धु भोई 196- 202

प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के बारे में संकल्प ... 203—218

डा० गौरी शंकर राजहंस ... ... 203—208

श्री शांताराम नायक ... ... 208—211

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ... ... 211—215

श्री महावीर प्रसाद यादव ... ... 215—218

लोक सभा

शुक्रवार, 28 जुलाई, 1989/ 6 श्रावण, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रौद्योगिकी तथा पूंजीगत सामान का आयात करने के लिए विश्व बैंक से ऋण

[हिन्दी]

*166. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी तथा पूंजीगत सामान का आयात करने के लिये विश्व बैंक से ऋण लेने हेतु सरकार विचार-विमर्श कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि के ऋण की आवश्यकता है;

(ग) क्या विश्व बैंक ऋण देने के लिये सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) एक औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास परियोजना के लिये 20 करोड़ डालर के एक ऋण के वास्ते विश्व बैंक के साथ 11 और 17 जुलाई, 1989 के बीच चर्चा की गई थी। तथापि, ऋण के सम्बन्ध में बैंक के निदेशक बोर्ड की स्वीकृति अभी प्राप्त होनी शेष है।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि वह हमारे देश के औद्योगिक विकास के संबंध में अत्यन्त गम्भीर और सतर्क है। किन्तु क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं जहां से ऋण प्राप्त किये जाने हैं या प्रौद्योगिकी का आयात किया जाना है तथा इसका इस्तेमाल किस प्रकार होगा तथा देश के भीतर इसका प्रयोग कब किया जाएगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, ऋण किसी देश विशेष से प्राप्त नहीं किया जाना है। यह ऋण विश्व बैंक से लिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया यह 200 मिलियन डालर होगा। इस

ऋण का उद्देश्य हमारे उद्योगों को आधुनिक बनाना, लागत कम करना तथा कार्यकुशलता बढ़ाना है। इस ऋण का प्रयोजन भी वही है जो आम तौर पर बाहर से प्राप्त किये जाने वाले ऋण का होता है अर्थात अपनी आत्मनिर्भरता में सुधार करना तथा उसे मजबूत बनाना तथा सुधार तथा उन्नयन द्वारा हमारी स्वदेशी प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाना है।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : महोदय इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1976 में प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना नामक एक योजना आरम्भ या स्थपित की थी। उद्देश्य वही था जो मंत्री महोदय ने अभी बताया। क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना जो 1976 में कतिपय उपबन्धों के अन्तर्गत आरम्भ की गई थी, इसने देश में स्थित उद्योगों के विकास और फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के लिये सराहनीय कार्य किया है या नहीं? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना से विदेशों से प्रौद्योगिकी का आयात करने या ऋण प्राप्त करने में कोई बाधा आई है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ऋण प्राप्त होने से ही पहले हम अभी यह घोषणा नहीं कर सकते कि उसका इस्तेमाल किस प्रकार होगा? किन्तु फिर भी इस समय हम केवल यही कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल तकनीकी विकास कोष के वित्तपोषण के लिये किया जाएगा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : हमने ऋण की मात्रा निर्धारित की है। किन्तु मैं वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस ऋण की शर्तें क्या हैं तथा वह कौन से क्षेत्र हैं जिन में ऋण की सहायता से प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाया जाना है? मैं उन क्षेत्रों तथा ऋण की शर्तों के संबन्ध में जानना चाहता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जिन क्षेत्रों में इस ऋण का इस्तेमाल होगा तथा ऋण के प्रयोजन के संबंध में मैंने पहले ही बताया है। जहां तक ऋण की शर्तों का संबंध हैं, मोटे तौर पर मैं यही कह सकता हूं कि यह ऋण आसान शर्तों पर है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर केन्द्रीय ऋण

*169. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर 1 अप्रैल, 1989 को कितना केन्द्रीय ऋण था;

(ख) इनमें से प्रत्येक द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय ऋण पर कितना ब्याज अदा किया गया और वर्ष 1989-90 के दौरान कितने ब्याज की अदायगी का अनुमान है;

(ग) केन्द्रीय ऋण और अनुदानों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य सरकार को वर्ष 1988-89 को कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ और 1989-90 के दौरान कुल कितना राजस्व प्राप्त होगा; और

(घ) राज्य-वार और वर्ष-वार कुल राजस्व में से कितने प्रतिशत राशि ऋणों की अदायगी में निकल जाती है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गड़वी) : (क) 1 अप्रैल, 1989 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों तथा साथ ही संघ राज्य क्षेत्रों की ओर बकाया केन्द्रीय ऋणों की कुल राशि 56312.07 करोड़ रुपए थी।

(ख) से (घ) ये सूचनाएं क्रमशः विवरण-1 विवरण-2 और विवरण-3 में दी गई हैं जिन्हें सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण-1

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988-89 (सं०अ०) के दौरान केन्द्रीय ऋणों पर दिया गया ब्याज	1989-90 (ब०अ०)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	229.60	263.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.59	15.81
3.	असम	184.02	224.58
4.	बिहार	313.51	345.89
5.	गोवा	39.56	37.17
6.	गुजरात	258.51	308.29
7.	हरियाणा	93.26	109.47
8.	हिमाचल प्रदेश	32.14	42.12
9.	जम्मू व कश्मीर	142.86	144.01
10.	कर्नाटक	171.00	194.84
11.	केरल	125.43	135.77
12.	मध्य प्रदेश	207.57	246.67
13.	महाराष्ट्र	451.37	537.73
14.	मणिपुर	9.80	10.14
15.	मेघालय	6.51	8.45
16.	मिजोरम	9.94	14.25
17.	नागालैंड	9.96	10.75
18.	उड़ीसा	131.17	151.52
19.	पंजाब	119.78	114.26
20.	राजस्थान	205.81	221.85

1	2	3	4
21.	सिक्किम	3.03	3.61
22.	तमिलनाडु	179.54	182.46
23.	त्रिपुरा	7.96	9.28
24.	उत्तर प्रदेश	493.00	626.13
25.	पश्चिम बंगाल	337.72	387.53
26.	पांडिचेरी	10.69	13.06
	जोड़	3781.33	4359.25

विवरण-2

(करोड़ रु० में)

क्र०सं०	राज्य	1988-89			1989-90		
		केन्द्रीय अनुदानों को छोड़कर राजस्व प्राप्ति	केन्द्रीय ऋणों को छोड़कर पूंजी-प्राप्ति	केन्द्रीय ऋणों एवं अनुदानों को छोड़कर कुल प्राप्ति या (का० 2+3)	केन्द्रीय अनुदानों को छोड़कर राजस्व प्राप्ति	केन्द्रीय ऋणों को छोड़कर पूंजी प्राप्ति	केन्द्रीय ऋणों तथा अनु-दानों को छोड़कर कुल प्राप्ति (का०4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3768 86	401.28	4170.14	3947.14	728.86	4676.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	113.71	7.44	121.15	98.57	1[illegible].98	109.55
3.	असम	788.75	586.94	1375.69	884.41	539.15	1423.56
4.	बिहार	2918.94	260.65	3179.59	3194.43	313.61	3508.04

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गोवा	152.59	14.10	166.69	151.35	18.09	169.44
6.	गुजरात	2671.71	1013.90	3685.61	2889.96	401.33	3291.29
7.	हरियाणा	1304.44	186.29	1490.73	1480.21	425.48	1905.69
8.	हिमाचल प्रदेश	370.06	76.95	447.01	359.26	69.79	429.05
9.	जम्मू व कश्मीर	466.54	159.27	625.81	496.99	107.01	604.00
10.	कर्नाटक	2670.65	934.09	3604.74	3026.87	964.65	3991.52
11.	केरल	1648.14	944.96	2593.10	1787.87	474.54	2262.41
12.	मध्य प्रदेश	2854.52	1060.59	3915.11	3122.69	933.45	4056.14
13.	महाराष्ट्र	5553.13	745.57	6298.70	6195.04	1646.78	7841.82
14.	मणिपुर	139.38	13.53	152.91	114.46	14.91	129.37
15.	मेघालय	124.03	27.48	151.51	103.89	29.55	133.44
16.	मिजोरम	96.26	4.17	100.43	87.40	7.62	95.02
17.	नागालैंड	151.33	25.48	176.81	128.42	25.13	153.55
18.	उड़ीसा	1105.53	898.32	2003.85	1259.16	909.58	2168.74
19.	पंजाब	1355.88	393.80	1749.88	1627.95	1073.89	2701.84
20.	राजस्थान	1717.63	1540.93	3258.56	1984.76	756.30	2741.06

1	2	2	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	5 .82	8.71	61.53	44.89	7.78	52.67
22.	तमिलनाडु	2961.66	1313.19	4274.85	3465.67	733.25	4198.92
23.	त्रिपुरा	153.99	17.73	171.72	137.06	19.80	156.86
24.	उत्तर प्रदेश	4333.46	1764.85	6098.31	4964.67	1558.58	6523.25
25.	पश्चिम बंगाल	2649.99	532.41	3182.40	3116.61	765.11	3881.72
	जोड़	40124.00	12932.63	53056.63	44669.78	12535.22	57204.95

विवरण-3

(करोड़ रु० में)

		ऋण चुकाना			1988-89	
		मूल की अदायगी	ब्याज की अदायगी	कुल (2+3)	केन्द्रीय ऋणों और अनुदानों को छोड़कर कुल प्राप्ति	*कालम 4, कालम 5, का कितना प्रतिशत है।
	1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	205.42	229.60	435.02	4170.14	10.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.90	7.59	25.49	121.15	21.04

1		2	3	4	5	6
3.	असम	212.21	184.02	396.23	1375.59	28.80
4.	बिहार	261.51	313.51	575.02	3179.59	18.08
5.	गोवा	36.04	39.56	75.60	166.69	45.35
6.	गुजरात	204.92	258.51	463.43	3685.61	12.57
7.	हरियाणा	112.59	93.26	205.85	1490.73	13.81
8.	हिमाचल प्रदेश	23.63	32.14	55.77	447.01	12.48
9.	जम्मू व कश्मीर	78.79	142.86	221.65	625.81	35.42
10.	कर्नाटक	176.35	171.00	347.35	3604.74	9.64
11.	केरल	168.1[illegible]	125.43	293.58	2593.10	11.32
12.	मध्य प्रदेश	180.06	207.57	387.63	3915.11	9.90
13.	महाराष्ट्र	238.81	4[illegible].37	682.18	6298.70	10.83
14.	मणिपुर	13.20	9.80	23.00	1[illegible]2.91	15.04
15.	मेघालय	14.74	6.51	21.25	151.51	14.03
16.	मिजोरम	10.92	9.94	20.86	100.43	20.77
17.	नागालैंड	14.39	9.98	24.3[illegible]	176.81	13.77
18.	उड़ीसा	114.65	131.17	245.82	2003.85	12.27

	1	2	3	4	5	6
19.	पंजाब	137.15	119.78	256.93	1749.68	14.68
20.	राजस्थान	211.47	205.81	417.28	3258.56	12.81
21.	सिक्किम	2.19	3.03	5.22	61.53	8.48
22.	तमिलनाडु	172.56	179.54	352.10	4274.85	8.24
23.	त्रिपुरा	8.11	7.96	16 07	171.72	9.36
24.	उत्तर प्रदेश	386.40	493.00	879.40	6098.31	14.42
25.	पश्चिम बंगाल	303.81	337.72	641.53	3182.40	20.16
	जोड़	3297.97	3770.64	7068.61	53056.63	13.32

* केन्द्रीय ऋणों और अग्रिमों को छोड़कर कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ऋण चुकाना।

(करोड़ रुपयों में)

क्र०सं०		ऋण चुकाना			1989-90	*कालम
		मूल की अदायगी	ब्याज की अदायगी	कुल (2)+(3)	केन्द्रीय ऋणों तथा केन्द्रीय अनुदानों के अलावा कुल प्राप्तियां	कालम (4) (5) का कितना प्रतिशत है।
	1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	219.12	263.67	482.79	4676.00	10.22

1	2	3	4	5	6
2. अरुणाचल प्रदेश	18.75	15.81	34.56	109.55	31.55
3. असम	237.43	224.58	462.01	1423.56	32.45
4. बिहार	282.58	345.89	628.47	3508.04	17.92
5. गोवा	40.67	37.17	77.84	169.44	45.94
6. गुजरात	212.92	308.29	521.21	3291.29	15.84
7. हरियाणा	92.28	109.47	201.75	1905.69	10.59
8. हिमाचल प्रदेश	25.98	42.12	68.10	429.05	15.87
9. जम्मू व कश्मीर	116.33	144.01	260.34	604.00	43.10
10. कर्नाटक	191.31	194.84	386.15	3991.52	9.67
11. केरल	158.35	135.77	294.12	2262.41	13.00
12. मध्य प्रदेश	174.73	246.67	421.40	4056.14	10.39
13. महाराष्ट्र	245.89	537 73	783.62	7841.82	9.99
14. मणिपुर	13.81	10.14	23.95	129.37	18.51
15. मेघालय	14.24	8.45	22.69	133.44	17.00
16. मिजोरम	10.00	14.25	24.25	95.02	25.52
17. नागालैंड	15.77	10.75	26.52	153.55	17.27
18. उड़ीसा	132.10	151.52	383.62	2168.74	13.08

1		2	3	4	5	6
19.	पंजाब	149.40	114.26	263.66	2701.84	9.76
20.	राजस्थान	163.23	221.85	385.08	2741.06	14.05
21.	सिक्किम	2.61	3.61	6.22	52.67	11.81
22.	तमिलनाडु	185.36	182.46	367.82	4198.92	8.76
23.	त्रिपुरा	8.95	9.28	18 23	156.86	11.62
24.	उत्तर प्रदेश	472.98	626.13	1099.11	6523.25	16.85
25.	पश्चिम बंगाल	268.93	387.53	656.46	3881.72	16.91
		3453.72	4346.25	7799.97	57204.95	13.64

*केन्द्रीय ऋणों तथा अनुदानों को छोड़कर कुल प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ऋण चुकाना।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, दिए गए उत्तर तथा सभा पटल पर रखे गए विवरण से जो तस्वीर उभरती है वह गम्भीर चिन्ता का विषय है। कुल केन्द्रीय ऋण 56,000 करोड़ रुपए से अधिक है तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 1988-89 में कुल प्राप्तियाँ, राजस्व तथा पूंजी लेखा 53,000 करोड़ रुपए से थोड़ी अधिक तथा 1989-90 में इनके 57,000 करोड़ रुपए से थोड़ी अधिक होने की आशा है। इस प्रकार मोटे तौर पर स्थिति यह है कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर उनकी एक वर्ष की कुल आय के बराबर कर्ज है। महोदय यह एक अत्यन्त गम्भीर स्थिति है। मैं माननीय मंत्री महोदय से 1 अप्रैल, 1989 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार ब्यौरा जानना चाहता हूं। यदि वह चाहें तो इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। किन्तु इस समय मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि यह बकाया कितनी अवधि में इकट्ठा हुआ है। इस अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल कितने अनुदान दिए गए? तथा इन ऋणों पर देय ब्याज की दर क्या है?

श्री बी० के० गढ़वी : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्नों को जोड़ दिया है जहां तक राज्य-वार ब्यौरे का संबंध है···

अध्यक्ष महोदय : वह राजनयिक रहे हैं, वह जानते है कि ऐसा कैसे किया जाए।

श्री बी० के० गढ़वी : बेशक क्योंकि वह भारतीय विदेश सेवा में रह चुके हैं जहां तक 31मार्च, 1989 की राज्य-वार बकाया ऋणों की स्थिति का संबंध है वह इस प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश	3341.09 करोड़ रुपए
अरुणाचल प्रदेश	327.10 करोड़ रुपए

क्या मैं सभी राज्यों के लिए बताऊं?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री बी० के० गढ़वी : 1984 में इन सभी ऋणों को एक साथ मिला दिया गया। योजना संबंधी, लघु बचतों संबंधी तथा अन्य कई प्रकार के ऋण हैं। ब्याज की दर अलग-अलग रकमों पर भिन्न है। किन्तु कमोवेश यह 9.75 प्रतिशत या कई बार उससे कुछ अधिक है वित्त आयोग की सिफारिश से ऋणों का पुनः निर्धारण भी किया जा रहा है। किसी राज्य विशेष की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऋण माफ भी किए जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि राज्यों के खजाने पर ऋणों का बोझ थोड़ा ज्यादा है किन्तु वह इसलिए है कि राज्यों को भी संसाधन जुटाने में अपनी भूमिका निभानी होती है राज्य द्वारा अपने संसाधन न जुटा पाने का एक कारण यह है कि उनके सरकारी उपक्रमों का योगदान आशाओं के अनुरूप नहीं है हम बहुत चाहते हैं और हम राज्यों को भी यह बात जता रहे हैं कि साधनों का विस्तार करने में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है अब मुझे विश्वास है कि राज्यों को भी इस स्थिति की जानकारी है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैंने इसी अवधि अर्थात 1984 से 1989 के दौरान दिए गए कुल अनुदान के बारे में भी पूछा है।

श्री बी० के० गढ़वी : जहां तक उस अवधि के अनुदानों का संबंध है, मुझे खेद है कि मेरे पास शायद इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि दो प्रकार के राज्य हैं—असम और जम्मू-कश्मीर जैसे विशेष प्रकार के राज्य तथा दूसरे सामान्य वर्ग के राज्य। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि मुझे कुछ राज्यों की चिन्ता है विशेषकर वह राज्य जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले अनुदान और ऋण के अनुपात की चिन्ता है।

मैं अब अन्य दो विवरणों की बात करता हूं। मेरा विचार है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से जो ऋण लेती है उसके अलावा वह लोक ऋण भी जुटाती है। वाणिज्यिक स्रोतों से ऋण लेती है। वह भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट भी करती है। इन सभी ऋणों पर इन्हें ब्याज के रूप में कुछ राशि अदा करनी पड़ती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी बताया केन्द्रीय ऋण पर उन्हें 9.75 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या यह दर अधिक नहीं है।

आखिर बार जब उन्होंने मुझे राजनयिक कहा है तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि सभी ऋणी देश हमेशा ही यह दलील देते है कि, विकसित देशों से लिए गए ऋण की ब्याज दर इस स्तर से काफी कम होनी चाहिए। यह केवल 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत होनी चाहिए जो केवल ऋण प्रभार के रूप में लिया जाए। हमारे अपने देश में हमें कम भाग्यशाली राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रति उसी प्रकार सहानुभूति रखनी चाहिए जैसी कि हम विकासशील देशों के लिए विकसित देशों से उम्मीद रखते हैं।

मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि जैसाकि विवरण 2 और 3 में बताया गया है ऋण सेवा प्रभार बहुत से राज्यों में कुल प्राप्तियों के चिन्ताजनक अनुपात में पहुंच चुका है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा जहां यह अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा जम्मू और कश्मीर तथा मिजोरम के संबंध में 20 प्रतिशत की सुरक्षित सीमा पार कर चुका है। मेरा राज्य बिहार भी कोई बहुत पीछे नहीं है; एक या दो वर्ष में यह सुरक्षित सीमा पार कर जाएगा। यह इस समय 18% के आसपास है। अरुणाचल प्रदेश के मामले में यह 31.5 प्रतिशत पर पहुंच चुका है, असम के मामले में 32.5 प्रतिशत तथा गोवा के मामले में 46 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर के मामले में यह 43 प्रतिशत है। आप जरा सोचिए कि राजस्व प्राप्तियों के रूप में वसूल किए गए 100 रुपए में से 43 रुपए अकेले केन्द्रीय सरकार को अदा करने पड़ते हैं, इस बात का तो कोई जिक्र नहीं है कि अन्य कर्जों पर कितनी राशि देनी पड़ती है। इस प्रकार तो राज्य पूरी तरह से दीवालिया हो जाएंगे।

इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय मुझे बताएं कि कुल कर्जों के संबंध में न केवल केन्द्रीय सरकार ने ऋणों के संबंध में—केन्द्रीय सरकार के दिमाग में क्या उपाय हैं ताकि 20 प्रतिशत की सुरक्षित सीमा पार कर चुके राज्यों को वित्तीय दिवालियापन से बचाया जा सके?

श्री बी० के० गड़वी : मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां तक ऋण सेवा अनुपात का संबंध है, कुछ राज्यों में यह थोड़ा अधिक है। किन्तु औसत रूप से यह 13.64 प्रतिशत बैठता है। किन्तु कुछ राज्यों का यह अनुपात अधिक है।

किन्तु इसे कम करने के उद्देश्य से यह उचित नहीं होगा कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों पर निर्भर रहें क्योंकि वित्त आयोग बार-बार प्रत्येक राज्य की वित्तीय स्थिति देख रहा है तथा वह ऋणों का पुनः निर्धारित करके तथा उन्हें माफ करके कुछ राहत देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इस बात की तुलना करना कि विकासशील देशों को विकसित देशों से रियायती दरों पर ऋण मिलना चाहिए, तर्कसंगत दलील नहीं है क्योंकि हम एक ही देश के अंग है। केन्द्रीय सरकार स्वयं एक विकासशील देश है। हम स्वयं बहुत ऊंची दरों पर ऋण ले रहे हैं और राज्यों को रियायती दरों पर दे रहे हैं।

हाल ही में, राज्यों को लघु बचतों पर 13 प्रतिशत तथा अन्यों पर 9.75 प्रतिशत देने पड़े। हमारे कर्जों पर ब्याज की दर 13 प्रतिशत से 15 प्रतिशत है। विदेशी कर्ज जो हमें रुपए के रूप में मिल रहे हैं, उन पर भी ब्याज दर बहुत अधिक है।

अत: मैंने यह निवेदन करना है कि राज्यों को भी अपने वित्तीय मामलों के प्रबन्ध में अपने उत्तरदायित्व की पूरी तरह अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी इसके बारे में बहुत ही उद्यमी होना पड़ेगा। उन्हें भी उनके बारे में बहुत ही तत्पर होना पड़ेगा और उन्हें अपने वित्तीय साधनों का बेहतर तरीके से प्रबन्ध करना चाहिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : बिल्कुल यही अपेक्षा देश और वित्तीय संस्थाएं कर सकती हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : केन्द्र क्या करता है ? आप केन्द्र के दृष्टिकोण को व्यक्त कीजिए।

श्री राम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अभी-अभी यह उल्लेख किया है कि यहां दो श्रेणियों के राज्य हैं। एक विशेष श्रेणी है और दूसरी सामान्य श्रेणी है, असम तथा जम्मू और कश्मीर विशेष श्रेणी में हैं। ऐसे भी कुछ राज्य हैं जोकि लगातार दैवी विपत्तियों का सामना करते रहे हैं और राजस्थान उनमें से एक है। राजस्थान ने भारी ऋण लिये है और राज्य की वित्तीय स्थिति आज बहुत ही शोचनीय है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री सभा को यह आश्वासन देंगे कि राजस्थान सरकार ने दैवी विपत्तियों के लिए जो ऋण लिए हैं, उन्हें बट्टे खाते डाल दिया जाएगा ?

श्री बी० के० गढ़वी : महोदय, मैं समझता हूं कि कुछ राज्यों में अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से और अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से सूखा और अकाल जैसी दैवी विपत्तियां आती रहती हैं। राजस्थान का एक भाग ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहा है। लेकिन माननीय सदस्य को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि जब हम उनके स्रोतों में वृद्धि करने पर विचार करते हैं, तब हम वहां स्रोतों में वृद्धि की संभावनाओं तथा क्षमता पर भी विचार करते हैं। अत: जब वहां पर गंभीर सूखा अथवा अकाल पड़ता है, तो उसके लिए अलग तंत्र है जिनके द्वारा हम राज्यों की सहायता करने का प्रयास करते हैं. हमारा केन्द्रीय दल वहां जाएगा, वे वहां पर नुकसान का अनुमान लगाएंगे और तब हम उन्हें राहत आदि देते हैं। उन्हें इसके साथ नहीं जोड़ा जाता क्योंकि यह योजना पक्ष की तरफ है। हम योजना पक्ष के स्रोतों को जिनमें राज्यों के घाटे में वृद्धि होती है, जहां तक संभव हो सकता है अधिक-से-अधिक पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहां तक ऋणों को बट्टे खाते डालने का संबंध है, इससे पूर्व वित्त आयोग ने कुछ राज्यों में ऐसा किया है। हम भी राज्यों की ऋण ग्रस्तता के बारे में वित आयोग को यह मामला भेज रहे हैं और वित्त आयोग इस बात का पता लगाएगा कि कितनी राहत दी जा सकती है। मुझे आशा है कि दूसरा प्रतिवेदन जो आएगा उसमें राज्य के इन पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि वित्त आयोग को विचार के लिए भेजे गए मामलों में यह भी एक विषय है।

श्री पी० कुलनवईवेलू : महोदय, विवरण संख्या 2 में यह बताया गया है कि तमिलनाडु के लिए पूंजी प्राप्तियां 1313.19 करोड़ रुपए थीं जिसमें वर्ष 1988-89 के केन्द्रीय ऋण शामिल नहीं हैं। जबकि वर्ष 1989-90 के लिए इसे 733.25 करोड़ रुपए बताया गया है। अत: पूंजी प्राप्तियों में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कमी कर दी गई है। मेरा निवेदन यह है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने, जैसे ही 28 जनवरी को मुख्य मंत्री को पद संभाला, उन्होंने यह बताया था कि खजाना खाली था और अन्न भण्डार भी खाली था। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकार वित्तीय दिवालियेपन के संकट में है और क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार से ऋण के लिए कहा है ? हाल ही में, उन्होंने गैर-राजपत्रित

सरकारी कर्मचारियों के लिए 400 करोड़ रुपए की घोषणा की है, यह धनराशि उनको दी जा रही धनराशि के अलावा है। जब राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत ही बुरी है और जब वहां वित्तीय दिवालियापन है, तो वह किस प्रकार इसकी घोषणा कर सकते हैं ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस तथ्य को केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाया गया है अथवा नहीं ?

श्री बी० के० गढ़वी : माननीय सदस्य ने केन्द्रीय ऋणों और अनुदानों को छोड़कर पूंजी प्राप्तियों के बीच तुलना की है। यह एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि वर्ष 1989 में यह धनराशि कम होकर 733.25 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इससे राज्य की पूंजी प्राप्तियों के लिए अपनी क्षमता का पता चलता है और इससे राज्य के राजकोषीय तंत्र के उनके प्रबन्ध के बारे में भी पता चलता है। जहां तक राज्यों का संबंध है, जैसाकि आप जानते हैं, हमारा संघीय ढांचा है और यदि कोई राज्य अपव्ययता का सहारा ले रहा है तब हमारे लिए कुछ भी कहना बहुत ही कठिन है। मैं तमिलनाडु अथवा किसी अन्य राज्य की कोई निन्दा नहीं कर रहा हूं। लेकिन कभी-कभी हम देखते हैं कि राज्य बहुत ही चालू लोकप्रिय उपाय अपनाते हैं और उससे वे अपव्ययता का सहारा लेते हैं। हम चाहते हैं कि उनमें बेहतर सूझबूझ की भावना आए ताकि वित्तीय ढांचा असन्तुलित न होने पाए।

उद्यमियों को बैंक ऋण

*171. श्री सोमनाथ रथ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने उद्यमियों को ऋण दिये गये;

(ख) आवेदन-पत्र प्राप्ति के पश्चात् ये ऋण देने में औसतन कितना समय लिया गया; और

(ग) उद्यमियों द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने और उनको ऋण प्राप्त होने के बीच लगने वाले समय को कम करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। फिर भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के संबंध में उपलब्ध ऋण कर्ता खातों की संख्या से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :—

	ऋणकर्ता खातों की संख्या (लाखों में)	बकाया राशि (करोड़ रुपये)
दिसम्बर 1986	261.57	23811
दिसम्बर 1987	297.88	27810
दिसम्बर 1988	330.97	32564

(आंकड़े अनन्तिम)

पत तीन वर्षों के दौरान सभी श्रेणियों के ऋणकर्ताओं के नाम सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल बकाया अग्रिमों की राशि नीचे दी गई है :—

	(करोड़ रुपए)
दिसम्बर 1986	56,780
दिसम्बर 1987	63,522
दिसम्बर 1988	76,205

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के सभी ऋण प्रस्तावों को निबटाने के लिए बैंकों को समय अनुशासन का कड़ाई से पालन करना होता है। ये मार्गनिर्देश बैंकों को ये आदेश देते हैं कि 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा के सभी आवेदन पत्र प्राप्ति की तारीख से दो हफ्तों के अन्दर-अन्दर और 25,000/- रुपए से अधिक की ऋण सीमा के आवेदन पत्र 8 से 9 हफ्तों के अन्दर-अन्दर निपटाए जाने चाहिएं। बैंकों के निदेशक मंडलों को भी स्थिति की आवधिक समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं।

श्री सोमनाथ रथ : मेरा प्रश्न भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने उद्यमियों को ऋण दिए गए, के बारे में था। इसके बजाय उत्तर दिसम्बर, 1988 को ऋणी खातों की संख्या के बारे में दिया गया है। इस तरह के खातों की संख्या 330.97 लाख थी और बकाया राशि 32,564 करोड़ रुपये थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल बकाया अग्रिमों की राशि दिसम्बर, 1988 को 70,205 करोड़ थी। उद्यमियों को दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों को राजसहायता के साथ जोड़ दिया जाता है और ये कम ब्याज पर दिये जाते हैं और ये ऋण चरणबद्ध तरीके से दिए जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऋणों की जांच करने के लिए कोई एजेंसी है जो प्रथम चरण में दिए गए ऋणों के व्यय की जांच करे और जो ऋणों की दूसरी किस्त देने से पहले यह सुनिश्चित कर सके कि प्रथम चरण में जो ऋण दिया गया था उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह ऋण मंजूर किया गया था। यदि हां, तो इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं और इन उद्यमियों को समय पर राजसहायता किस तरह बेहतर तरीके से दी जा सकती है ताकि उद्योग समय पर स्थापित हो सकें और यह भी देखा जा सके कि उनके लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अपने मूल प्रश्न में माननीय सदस्य उद्यमियों की संख्या जानना चाहते थे। मैंने उत्तर में कहा है कि उद्यमियों की संख्या उपलब्ध नहीं है। खातों की संख्या उपलब्ध है। वह यह जानना चाहते हैं कि केवल खातों की संख्या उपलब्ध क्यों है। उसका कारण यह है कि एक उद्यमी एक से अधिक खाता रख सकता है। इसीलिए वास्तव में बैंकों के लिए खातों की संख्या अधिक महत्वपूर्ण है और खातों की संख्या तथा बकाया धनराशि देने का भी यही कारण है।

माननीय सदस्य का ऋणों और राजसहायता के वितरण तथा ऋण के उपयोग किए जाने में देरी के बारे में चिन्ता करना ठीक ही है। अक्तूबर में, मैंने रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके समय-सीमा का उल्लेख करके इन अनुदेशों को फिर से दोहराया था जिसके अन्दर इन ऋणों को अवश्य वितरित किया जाए। बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे ऋण के लिए दिए गए आवेदन पत्रों को प्राप्ति की तारीख सहित पावती जारी करने की प्रथा अपनाएं और आवेदन पत्र की प्राप्ति के बाद यदि आवश्यक समझा जाए तो चर्चा, स्पष्टीकरण आदि के लिए एक निश्चित तारीख इंगित करनी होगी। मामलों के समय पर निपटान के लिए निगरानी रखने हेतु बैंकों से उपयुक्त प्रणाली शुरू करने के लिए

कहा गया है। क्षेत्रीय प्रबन्धक हर महीने मामलों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा लघु उद्योगों के लिए ऋण संबंधी प्रस्ताव, जिन पर उनकी प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों के अन्दर निर्णय नहीं लिया जा सका उनके बारे में समीक्षा करने और उनके बारे में प्रभावकारी अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए शीघ्र ही निदेशक बोर्ड को उनकी सूचना देनी होगी। क्षेत्रीय प्रबन्धकों से यह भी अपेक्षित है कि वे प्रमुख शाखाओं का इस प्रकार से दौरा करें कि एक अधिकारी तीन महीने में एक बार प्रत्येक प्रमुख शाखा का दौरा करे। देरी के संबंध में सदस्य की चिन्ता सही है। मैंने स्वयं संसद सदस्यों से चर्चा की है और चर्चा करने पर उनसे यह जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें देरी होती है। हमने अनुदेश जारी किए हैं। हमने बैंकों से इन अनुदेशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए भी कहा है और मुझे आशा है कि स्थिति में सुधार होगा।

श्री सोमनाथ रथ : क्या ऋण की दूसरी किस्त मंजूर करने से पहले क्या ऐसी कोई जांच की जाती है कि क्या दिए गए ऋण का उचित उपयोग किया गया है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : न केवल छोटे ऋणों के मामलों में बल्कि राजसहायता से ऋणों के लिए भी हमेशा जांच की जाती है। बैंक ऋणों में यह मूलभूत बात है कि बैंक सबसे पहले यह जाँच करें कि ऋण का सही उपयोग किया गया है अथवा नहीं। बैंक संबंधी प्रत्येक कामकाज में यह एक मूल बात है। ऐसा करना उनका कर्तव्य है। यदि आप ऐसा कोई मामला जानते हैं जिसमें यह नहीं किया गया है तो हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे।

श्री सोमनाथ रथ : माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि समय बद्धता को लागू करने के लिए कुछ मार्गनिर्देश हैं। उन्होंने उत्तर में इसके बारे में भी उल्लेख किया है। परन्तु उद्यमियों को समय पर ऋण नहीं मिल पाता है। और कीमत के बढ़ने से उद्योग या तो उठ नहीं पाते हैं या रुग्ण हो जाते हैं। यह अब आम बात हो गई है।

क्या मंत्री महोदय इस मुद्दे का निरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन करेंगे और सभा को यह जानकारी देंगे कि इस संबंध में क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें दी गई बकाया राशि 76,205 करोड़ रुपये है। अत: इस राशि की वसूली के लिए तथा उद्योग के ठीक ढंग से सही समय पर चलाने के लिए ताकि यह रुग्ण न हो जाए, क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ? उद्यमियों का ध्यान तो ऋण की राजसहायता वाले हिस्से तथा जो ऋण वे लेते हैं उसके ऊपर लगने वाले कम ब्याज पर रहता है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : माननीय सदस्य ने बकाया धनराशि के बारे में उल्लेख किया है लेकिन इसमें कुछ गलतफहमी है कि बकाया धनराशि का अर्थ है, वह धनराशि जिसकी अदायगी नहीं करनी है। बकाया राशि तथा अतिदेय राशि में बहुत साफ तथा स्पष्ट अन्तर है। एक बकाया राशि वह राशि है जिसका भुगतान नहीं किया गया है लेकिन वह देय हो गई है परन्तु ऐसा नहीं है कि इस राशि का भुगतान नहीं करना है।

उद्यमी के भुगतान का समय हो गया हो या नहीं हुआ हो। अत: इस आंकड़े से नकारात्मक रूप में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

तथापि, पहली बात यह है कि माननीय सदस्य की उद्योग को पूंजी के वितरण में इस विलम्ब के बारे में चिन्ता ठीक है, दूसरे उद्योग को अपर्याप्त धनराशि दी जा रही है। यदि एक व्यक्ति अमुक राशि की मांग करता है यदि वह अमुक राशि उद्योग विशेष के लिए वास्तव में आवश्यक है तो उस धनराशि से कम देने पर निश्चित रूप से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और वस्तुत: इससे उद्योग

असक्षम हो जाएगा और बीमार पड़ जाएगा। यदि हम इन सब पहलुओं पर ध्यान दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमित रूप से बैंकों के कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखी है।

हाल ही में हमने एक बहुत ही नवीन उपाय शुरू किया है और वह यह है कि पहली बार जिला स्तर पर बैंकों के कामकाज पर समीक्षा संबंधी बैठकों में संसद सदस्यों को आमन्त्रित किया जाएगा। अत: सभी संसद सदस्यों को यह देखने का अवसर मिलेगा कि निचले स्तर पर क्या हो रहा है और वे इस संबंध में सुझाव दे पाएंगे। मैं समझता हूं कि यह एक नई बात है और बहुत फायदेमंद है।

[हिन्दी]

डा० प्रभात कुमार मिश्र : अध्यक्ष जी, देश में कृषकों को और ग्रामीण लोगों को सहायता देने के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है और गांव के कृषक या गांव के रहने वाले लोग छोटे-छोटे ऋण के लिए आवेदन देते हैं जिसको कि छोटे-छोटे तकनीकी कारणों से रिजेक्ट कर दिया जाता है और उन्हें वह लाभ नहीं मिल पाता है। उनके ऋण जो होते हैं वह पांच हजार या दस हजार के अन्तर्गत होते हैं। जो गांव में रहकर अपना जीवन-यापन करना चाहते हैं। तो क्या ऐसे विषय माननीय मंत्री जी के पास पहुंचे हैं उनको सहायता देने के लिए, क्योंकि जब तक उसका राजनैतिक दबाव न पड़े तब तक गांव वालों को ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके लिए सरकार कोई उपाय कर रही है और क्या उपाय कर रही है।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, जहां तक छोटे ऋणों की बात है हमने इसके लिए 15 दिन का समय रखा है जिसमें उन्हें ऋण मंजूर करना चाहिए या ऋण देने का निर्णय लेना चाहिए। बैंक से जिस बात की जरूरत होती है उसमें से एक तो यह है कि जब कोई व्यक्ति बैंक के पास जाता है तो उसे इस बात की पावती दी जानी चाहिए कि आवेदन फलां दिन दिया गया और पावती में वह तारीख भी दर्शायी जानी चाहिए जिस पर उसे ऋण के संबंध में अंतिम निर्णय दे दिया जाएगा ताकि उसे बार-बार नहीं जाना पड़े। जहां तक 25,000 रुपये तक के छोटे ऋणों का सवाल है यह कार्य 15 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। परन्तु जहां तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आवेदनों की बात है उन्हें तब तक रद्द नहीं किया जाना चाहिए जब तक उन्हें वरिष्ठ व्यक्ति का आरम्भिक अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता है। वे स्वयं ही उसे मंजूर कर सकते हैं लेकिन इसे तब तक रद्द नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने इस पर गौर नहीं किया हो और इस कार्यवाही का वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया हो। जहां तक अन्यों की बात है, जो व्यक्ति अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबद्ध भी नहीं है, उनके मामले के रद्द होने पर यह मामला रद्द होने के बाद पुन: वरिष्ठ अधिकारी के पास जाना चाहिए और यह जांच करना उसका काम है कि इसे रद्द करना तर्कसंगत है या नहीं।

दूसरे, हाल ही में हमने पुन: एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है और वजह से 4 प्रतिशत की दर से दिये जाने वाले छोटे ऋणों के संबंध में हमने पूंजीगत विवेश के लिए 1500 रुपये तक दी जाने वाली चल पूंजी तथा शेष राशि जो कि कुल 6500 रुपये तक हो सकती है के बीच अन्तर रखा था। चल पूंजी के लिए 1500 रुपये, हो सकता है, पर्याप्त नहीं हों। इसीलिए हमने कहा था कि यह अधिकार शाखा प्रबन्धक या उस अधिकारी को दिया जाता है जो इससे सम्बद्ध हो ताकि वह इसमें और अधिक नरमी से पेश आये और यदि आवश्यक हुआ तो चल पूंजी के लिए 6500 रुपये की उच्चतम सीमा तक 1500 रुपये से ज्यादा भी दिए जा सकते हैं जिससे यह कार्य और व्यवहार्य बन सके। यह

कमजोर वर्गों को सहायता देने का तथा उन्हें और आगे आर्थिक सहारा देने का एक प्रमुख कदम भी है।

[हिन्दी]

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, जो 76 हजार की आउटस्टेंडिंग है, यह डिफाल्ट है, यह बात ठीक है लेकिन इसमें स्माल स्केल सैक्टर कितने हैं और बड़े घराने कितने हैं ? साथ ही साथ जो स्टैंडिंग हैं, केस बाई केस कितने लोगों के आपने ब्याज माफ करने के कारण रि-सैट्लिंग किया है और अब आउट स्टैंडिंग दिखा रहे हैं ? समय की जो पाबन्दी आपने लगाई हैं यह बैंक ने रीजन वाइज ऐसा कोई किया है इसमें रिजैक्शन, डिफाल्ड के केसेज की परसैंटेज कितनी है ? हमारा अनुभव यह है कि वे रिजैक्ट भी करते नहीं और सैंक्शन भी नहीं करते और कुछ क्वैरीज करते रहते हैं तहसीलदार, पट्टेदार हर जगह खाली बातें पूछते रहते हैं,। रिजैक्शन और एप्रूवल वे जानते नहीं है। आपने कहा है ठीक है कि चक्कर काटने की जरूरत नहीं लेकिन माहौल ऐसा है कि उसके बिना काम बनता नहीं है। यह जो मौनेटिरंग है जो लोन सैंक्शन है इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे, जिसके कारण लोगों को थोड़ी सुविधा हो सकती है ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय माननीय सदस्य जिन आंकड़ों की जानकारी चाहते हैं जैसे लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों द्वारा देय धन राशि, वे इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं इन्हें एकत्र करके माननीय सदस्य को दे दूंगा। उन्होंने एक प्रश्न उठाया है — कि कभी-कभी लोगों को कैसे तंग किया जाता है-और मैं इस वक्तव्य को पूरी तरह मानने के लिए तैयार नहीं हूं लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है मैं तो कहना चाहूंगा कि जब मैं माननीय संसद सदस्यों से मिला तो उन्होंने यह मुद्दा उठाया था डी० आई० सी० यह लाभ दिलाने के लिए कुछ लोगों का अनुमोदन करती है लेकिन जब वे बैंक जाते हैं तो संसद सदस्यों के अनुसार, कभी-कभी बैंक वास्तव में उनकी बात नहीं मानते हैं और इस संबन्ध में उनका अपना ही अनुमान होता है उन्होंने पाया है कि एक जगह से सारे कार्य का निपटान वाली बात इस योजना में लायी जानी चाहिए अत: डी० आई०सी० द्वारा निर्णय लेने से पहले बैंकों को जांच करने का समय दिया जाना चाहिए। डी० आई० सी० की बैठक में बैंक शामिल होंगे डी० आई० सी० द्वारा लिया गया फैसला अन्तिम होगा। हम इस पर कार्य कर रहे हैं और हमने इसकी सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक को की है। हम इस मामले में उनकी सहमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

भारत आस्ट्रेलिया व्यापार

[हिन्दी]

*172. **श्री मदन पांडे†** :

श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार बढाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के बीच किन-किन वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) इसके फलस्वरूप भारत को कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) आस्ट्रेलिया से भारत में कोयला, ऊन तथा खनन मशीनरी और उपकरण के आयात बढ़ने की संभावना है जबकि भारत से इन्जीनियरी उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर ,वस्त्र और परिधान, मसाले, रसायन और अन्य मदों का निर्यात अगले वर्षों में बढ़ने की सम्भावना है।

(घ) अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जन के सही आंकड़े नहीं दिए जा सकते।

विवरण

(ख) भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए, अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे है :—

(1) आस्ट्रेलिया में भारत के साथ व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर सैमिनार आयोजित करना।

(2) भारत—आस्ट्रेलिया संयुक्त व्यापार परिषद की नियमित बैठकों के जरिए भारतीय और आस्ट्रेलिया के व्यापारियों में संबन्ध बढ़ाना।

(3) आस्ट्रेलिया में हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अधिक भागीदारी।

(4) आस्ट्रेलिया सरकार की विपणन सलाहकार सेवा की सहायता से आस्ट्रेलिया में अनन्य रूप से भारतीय उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित करना।

(5) आस्ट्रेलिया में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन।

(6) आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की फरवरी 1989 में मात्रा के दौरान दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं - रेलवे, दूर-संचार तथा रियायती वित्तव्यवस्था। इन क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, संयुक्त उद्यमों की स्थापना भी शामिल है।

(7) आस्ट्रेलिया के साथ एक संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की स्थापना। यह आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सम्बन्ध मजबूत करने के उपायों पर विचार करेगा, विशेषकर वाणिज्यिक, आर्थिक वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग आदि

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे : अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश के साथ व्यापार संवर्धन का जो प्रयास किया गया है, वह स्वागत योग्य है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अगर हमने इस

तरफ कदम बढ़ाया है तो साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों के साथ भी आपका ध्यान जाना चाहिए, जहां हमारे व्यापार संवर्धन के लिए ज्यादा स्कोप है ।

इस सम्बन्ध में मेरा प्रथम प्रश्न है कि दोनों देशों के बीच एक बार आपने बातचीत करके तय कर दिया लेकिन इसकी प्रक्रिया निरन्तर जारी रखने के लिए क्या आपने किसी तंत्र का गठन किया है, जैसे संयुक्त आयोग या कोई दूसरी चीज ? जिसकी बैठक समय-समय पर होती रहे और उसके द्वारा आगे क्या सम्भावनाएं हैं, उनको खोजा जा सके और अब तक जिन सम्भावनाओं को हमने सोचा था वह कहां तक पूरी हुई हैं, उसके ऊपर विचार किया जा सके। यदि हां, तो ऐसे आयोग का गठन किस प्रकार हुआ है, उसके उद्देश्य किस तरह से रखे गए हैं, उनका सम्पूर्ण विवरण क्या है ? कृपया उसको रखें।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मान्यवर, यह बात सही है कि आस्ट्रेलिया के साथ भारत के वाणिज्यिक व्यापार संबंध पहले से आगे और अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। जहां तक दोनों देशों के वाणिज्यिक व्यापार को सुलझाने के लिए मकेनिज्म होना चाहिए, पहले यह दोनों देशों के बीच जोइण्ट ट्रेड कमेटी लेविल पर था लेकिन हमारे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी आस्ट्रेलिया गए, उनके निमन्त्रण पर और उनके प्रधान मन्त्री हमारे देश में इस साल के शुरूआत में पहुंचे तो इसके बाद आस्ट्रेलिया भारत के बीच संयुक्त आयोग शुरू हो गया, जिसको हम जोइण्ट कमीशन कहते हैं। उसकी पहली बैठक कैनबरा में कल शुरू हुई, जहां दिनेश सिंह जी मौजूद हैं, बैठक अभी चल रही है। कल केनबरा से पहले दिन की बैठक के बाद हमें जो संदेश मिला है उसमें खुशखबरी यह है कि भारत का आस्ट्रेलिया के साथ वाणिज्यिक व्यापार 1992 तक, मतलब तीन वर्ष में 1.2 बिलियन डालर अमेरिकी की रकम तक हो जाएगा। इतनी बड़ी रकम का व्यापार दोनों देशों के बीच होगा, यह सम्बन्ध तय हो गया है।

एक और खुशखबरी यह है कि आस्ट्रेलिया खुद ही दुनिया को कई जगह पर अब तक आयरन और भेजता था लेकिन अब हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि आस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट, जो कि आस्ट्रेलिया की मेन लाइन से थोड़ा दूर है, से जो जहाज पारादीप में आते थे, उनका सामान लेकर और वापसी में खाली जाते थे हमारे यहां एम० एम० टी० सी० ने तय कर लिया कि आज से तीन-चार महीने के अन्दर पारादीप कोस्ट से वे एम्पटी वैसल्स हमारा आयरन और आस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट की स्टील मिल में यूज करने के लिए हिन्दुस्तान से ले जाएंगे।

श्री मदन पांडे : अध्यक्ष महोदय, मेरा द्वितीय सप्लीमेंटरी यह है कि जो तजुर्बा, जो अनुभव हमारे मन्त्री जी ने अभी आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार वार्ता का हमको बताया है, वह बड़ा उत्साहित करने वाला है और इसको देखते हुए अगल-बगल के देश, जैसे न्यूजीलैंड, थाईलैंड, फिलीपाइन्स और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे इस तरह के छोटे और बड़े कण्ट्री, जो अर्धविकसित हैं या विकास की तरफ अपनी निगाह लगाए हुए हैं, भारतवर्ष उनके साथ अच्छी तरह से व्यापार की सम्भावनाओं को बढ़ा सकता है ? क्या उसके लिए भी कोई प्रयास करने का विचार सरकार के विचाराधीन है ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जी, हां।

श्री मदन पांडे : केवल जी, हां ?

अध्यक्ष महोदय : कितना स्पष्ट उत्तर है।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि भारत और आस्ट्रेलिया के मध्य इस समय कुल कितने रुपये का व्यापार होता है ? अभी-अभी माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि हमारे प्रधान मंत्री ने 1986 में आस्ट्रेलिया का दौरा किया और दोनों देशों के मध्य व्यापार के एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। वक्तव्य में यह भी कहा गया कि आस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री ने फरवरी, 1989 में भारत का दौरा किया था और दोनों देशों ने रेल, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने यह भी बताया कि कैनबरा में इस समय एक सम्मेलन चल रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय भारत और आस्ट्रेलिया के बीच कुल कितने रुपये का व्यापार होता है और क्या कैनबरा में संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग में इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है और क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है ? यदि हां, तो विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, आपके जरिये मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यदि आप भारत-आस्ट्रेलिया व्यापार को देखें तो पता चलेगा कि यह ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय से शुरू हुआ लेकिन भारत और आस्ट्रेलिया के मध्य सरकारी तौर पर वास्तविक व्यापार समझौते पर आजादी के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। इसके पश्चात दोनों देशों के मध्य संयुक्त व्यापार समिति के तत्वाधान में व्यापार शुरू हुआ, जिसमें व्यापार और प्रौद्योगिकीय पहलुओं पर प्रत्येक स्तर पर बारीकी से विचार किया गया। तत्पश्चात निजी स्तर पर हमारी एक संयुक्त व्यापार परिषद बनी थी। हमारे प्रधान मन्त्री के आस्ट्रेलिया के पहले दौरे के दौरान और आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री के भारत आने से पहले एक संयुक्त व्यापार परिषद बनाई गई और इसने काम करना शुरू किया। यहां यह उल्लेख करना अच्छा है कि जब आस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री महामहिम श्री हॉक भारत आये तो उन्होने संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक में भी भाग लिया तथा भारतीय व्यापार के प्रति वैसी ही रुचि दिखाई जैसे कि हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव जी ने आस्ट्रेलिया के व्यापार के प्रति दिखाई थी। उसके बाद एक संयुक्त आयोग बनाया गया था। संयुक्त आयोग की पहली बैठक कल कैनबरा में हुई। जो संदेश मुझे कल शाम हमारे उच्चायोग के जरिए कैनबरा से मिला है वह यह है कि समझौते के अन्तिम भाग पर आज हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसलिए मैं एकदम ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि क्या समझौते पर दोनों व्यापार मन्त्रियों के हस्ताक्षर हो गए हैं। परन्तु मैं आशापूर्वक माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि व्यापार कारोबार को दोगुना करने के लिए 1992 तक 1.2 अरब अमेरिकी डालर के व्यापार हेतु एक समझौते की परिकल्पना की गई है और सम्भवत: इस सम्बन्ध में आज कैनबरा में कोई सरकारी घोषणा की जाएगी। 1988-89 के व्यापार कारोबार के अन्तरिम आंकड़ों से स्पष्ट है कि 266.04 करोड़ रुपये का निर्यात तथा 700 करोड़ रुपये से अधिक का आयात हुआ। इस प्रकार स्पष्ट रूप से व्यापार संतुलन आस्ट्रेलिया के पक्ष में है। इसलिए हम यह पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि निर्यात में किन वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है ताकि कोकिंग कोल, जिसके लिए हम अधिकांशत: आस्ट्रेलिया पर निर्भर रहते हैं, के आयात को संतुलित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे जिससे रेलवे जैसे कुछ क्षेत्रों का पता चलता है। 15 अक्तूबर, 1986 को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, आस्ट्रेलिया ने भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस ज्ञापन का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है और मिशनों, विशेषज्ञों और शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान भी इसमें सम्मिलित है ताकि अनुसंधान के क्षेत्र में विचार-विमर्श किया जा सके। ये ऐसे व्यापक क्षेत्र हैं जिनमें हम अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं।

जहां तक हमारे निर्यात का सम्बन्ध है, हम मुख्यतः मशीनरी, परिवहन उपकरण, रासायनिक पदार्थों तथा अन्य सम्बद्ध उत्पादों पर निर्भर हैं तथा हमारा आयात मुख्य रूप से कोकिंग कोल और कच्चे ऊन तक सीमित है। ये क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हम अनुभव करते हैं कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार और बढ़ाया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आज जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे उससे भारत-आस्ट्रेलिया व्यापार के लिए नई सम्भावनाएं पैदा होंगी।

चाय का निर्यात

*181. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल†** :

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1987 से 30 जून, 1989 तक विभिन्न देशों को देशवार-वर्षवार कितने मूल्य की तथा कितनी चाय निर्यात की गई;

(ख) प्रत्येक देश से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) चाय निर्यातकों को इस समय क्या-क्या सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए गए हैं और क्या सरकार का भविष्य में उन्हें और अधिक प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ङ) घटिया और मिलावटी किस्म की चाय का निर्यात न हो सके, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, भारत से किए गए चाय निर्यात से वर्ष 1987-88 के दौरान 621.72 करोड़ रुपये (अनन्तिम) और वर्ष 1988-89 के दौरान 644.26 करोड़ रुपये (अनुमानित) की समग्र विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। अप्रैल-मई, 1989 की अवधि के लिए चाय का निर्यात मूल्य अनन्तिम तौर पर 59.60 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है जबकि विगत वर्ष की उसी अवधि के लिए यह 57.09 करोड़ रुपये था। वर्ष 1987 से जून, 1989 तक की अवधि के दौरान कुछ प्रमुख देशों को चाय की निर्यात मात्रा नीचे दी गई है :—

(मात्रा—मिलि० किग्रा०)
(आ०—जारी लाइसेंस)

देश का नाम	1987	1988	1989 (जन—जून)
1	2	3	4
ब्रिटेन	24.63	26.52	1.61
पोलैंड	10.32	9.48	4.39

1	2	3	4
सोवियत रूस	91.08	95.76	33.03
संयुक्त राज्य अमरीका	2.49	2.92	0.98
ईराक	2.15	12.52	2.85
ए० आर० ई० (मिस्र अरब गणराज्य)	8.37	14.91	6.66
इरान	28.11	11.77	1.24

(ग) और (घ) सरकार समय-समय पर निर्यातकों को गुणावगुण आधार पर सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दे रही है। भारतीय चायों के निर्यात बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय आरम्भ किए गए उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. ब्राण्ड संवर्धन के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण हेतु निर्यातकों को सहायता।
2. मूल्यवर्धित चायों के लिए व्यापक-संवर्धन से एक राष्ट्रीय अभियान में परिवर्तन करना।
3. चाय थैलियों, पैकेट चाय/चाय कैंडियों, तैयार चाय और तुरन्त तैयार होने वाली काली चाय पर नकद मुआवजा सहायता स्वीकृत की गई है।
4. अन्य किस्मों की चाय को दार्जिलिंग चाय कहकर उनकी गलत ब्रांडिंग को रोकने के उद्देश्य से दार्जिलिंग चाय के लिए प्रतीक चिह्न या लोगो आरम्भ किया गया है।
5. चाय थैलियों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।
6. चाय विनिर्माण में प्रयुक्त फिल्टर कागज पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
7. पैकेट चाय के निर्यात पर उत्पाद शुल्क की छूट।
8. विदेशों में अलग-अलग कम्पनियों द्वारा विज्ञापन एवं संवर्धन हेतु एफ० ओ० बी० वसूली के 10% भाग लेने की व्यवस्था हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।
9. 1.5 करोड़ रु० तक वार्षिक कारोबार वाले लघु स्तर के पैकेट निर्माता व्यापारियों को उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गई है।
10. बांड के अन्तर्गत चाय के निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है।

(ङ) घरेलू अथवा निर्यात प्रयोजन हेतु किसी भी बिक्री योग्य चाय में मिलावट को नियंत्रित करना, खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार, मूलतः विभिन्न राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

इसके अतिरिक्त, चाय बोर्ड घटिया स्तर की चाय अथवा चाय अपशेष को चाय में मिलावट कर किसी भी दुरुपयोग की रोकथाम करने के उद्देश्य से चाय अपशेष (नियंत्रण) आदेश, 1959 के उपबन्धों का क्रियान्वयन करता है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : महोदय, पोलैंड और सोवियत संघ के साथ व्यापार भारतीय मुद्रा में होता है। इसलिए मैं यह नहीं जानता कि हम इन देशों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। साथ ही पोलैंड और इरान के साथ हमारे व्यापार में तेजी से कमी आ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ देश व्यापार में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार दूसरे देशों के साथ किस प्रकार चाय के व्यापार में वृद्धि करने के लिए विचार कर रही है ताकि हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता कर सकें। आपने अनेक छूटें दी हैं परन्तु साथ ही आप 1.5 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार के छोटे पैमाने पर चाय पैक करने वालों के बारे में पुनः विचार कर रहे हैं। यह सीमा बढ़ायी जा सकती है ताकि लाभ की गुंजाइश अधिक हो और वे निर्यात कर सकें। चाय निर्यातकों को सभी रियायतें देने के बाद आप प्रति किलोग्राम के हिसाब से कुल राजसहायता की गणना करें और यह सुनिश्चित करें कि चाय निर्यात बाजार में किस प्रकार स्थिरता लायी जाए ताकि चाय बागान मजदूर को नुकसान न हो और उत्पादन में वृद्धि हो सके।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : चाय निर्यात की समूची प्रक्रिया इन बातों पर निर्भर करती है—

(क) उत्पादकता तथा देश का उत्पादन (ख) स्वदेशी बाजार में पूर्ति और मांग का अनुपात (ग) निर्यात के लिए बचत तथा बाजार की तलाश।

माननीय सदस्य ने रुपयों में निर्यात तथा दुर्लभ मुद्रा अर्जित करने के क्षेत्र में होने वाले लाभ पर चिन्ता व्यक्त की है और पूछा है क्या हम छोटे पैकिटों की सीमा बढ़ा सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यद्यपि भारत विश्व में बढ़िया चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है—मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में सर्वोत्तम किस्म की चाय पैदा होती है जो विश्व में कहीं नहीं होती है—लेकिन फिर भी आज हमारे सामने यह कठिनाई है कि स्वदेशी मांग बढ़ रही है परन्तु निर्यात के लिए बचत तथा समान उत्पादन में अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। यही तथ्य है। तथ्य यह है कि यद्यपि 1951 से लेकर 1986 तक हमारी उत्पादकता में 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा बागान के क्षेत्र में भी 28 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन फिर भी स्वदेशी खपत में तेज रफ्तार से वृद्धि हो रही है। इस वर्ष हमने 700 मिलियन किलोग्राम से अधिक उत्पादन का अनुमान लगाया था जबकि हमारी जानकारी के अनुसार 470 मिलियन किलोग्राम की स्वदेशी बाजार में ही खपत होगी। हमारे पास करीब 200 मिलियन किलोग्राम या इससे अधिक शेष रह जायेगी। उसमें काली सी०टी०सी० चाय भी है।

सोवियत संघ हमारा नियमित बाजार है। हम उस क्षेत्र से बाहर आना नहीं चाहते क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि भारतीय चाय के लिए सोवियत बाजार स्थायी और नियमित है। इसलिए अधिक-से-अधिक चाय वहां भेजी जानी चाहिए। यदि चाय वास्तव में पैकेट में बन्द की जाती है और बाजार तलाश करके निर्यात की जाती है तो हम 18 प्रतिशत सी० सी० एस० देते हैं। समस्या यह है—इसमें उन्हें राजसहायता या नकद मुकावजा सम्मिलित नहीं किया जायेगा जहां अनेक राज्य सरकारें अपनी छोटे पैमाने की इकाइयों को पंजीकृत नहीं करा रही हैं। हमने प्रावधान किया है कि यदि छोटे पैमाने की पैकिंग इकाई होगी तो उसे भी उत्पाद शुल्क से छूट दी जायेगी। नयी समस्या यह है कि अनेक राज्य सरकारें उन इकाइयों को पंजीकृत नहीं करा रही हैं। हम इसका समाधान कर रहे हैं। जहां तक नये बाजार का पता लगाने का संबंध है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमने नये बाजार खोज लिए हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अच्छी किस्म की चाय के लिए पश्चिमी जर्मनी अब सबसे अच्छा बाजार है जबकि सम्पूर्ण यूरोप सामान्यतः अन्य प्रकार की चाय पसंद करता है। परन्तु संयुक्त राज्य अमरीका में खुशबूदार, जो बहुत घटिया किस्म की है, चाय पसन्द की जाती है, जिसका भारत

कभी निर्यात नहीं करता है । हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में केवल गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिता कर रहे हैं क्योंकि इसी से भारत को बेहतर दाम मिल सकते हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि आपने मेरे प्रश्न के जवाब के भाग ङ में अपने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम और घटिया किस्म की चाय के दुरुपयोग का उल्लेख किया है। मैं नहीं जानता कि आपने कितने मामले दर्ज किये हैं । हमें विदेशी मुद्रा अर्जन के बारे में मामले प्राप्त हो रहे हैं। सरकार चाय का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है परन्तु साथ ही क्या मंत्री महोदय सभा को बता सकते हैं कि दूसरे ऐसे कौन से कृषि उत्पाद हैं जिनसे विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है ताकि चाय के बदले अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात किया जा सके। ऐसा करके हम अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सकें तो भविष्य में स्वदेशी खपत के कारण विदेशी मुद्रा का नुकसान नहीं होगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जहां तक अपमिश्रण का संबंध है, यह सच है कि कभी-कभी हमें मिलावटी चाय के निर्यात के बारे में बताया जाता है। हमने कुछ मामले पकड़े भी हैं। परन्तु वास्तविक समस्या यह है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बिक्री की चाय में, चाहे वह स्वदेशी खपत के लिए हो या निर्यात के लिए, मिलावट रोकने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। यह वस्तुतः उनकी जिम्मेदारी है।

अन्त में चाय के लिए इस प्रकार नियंत्रित प्रबन्ध किये गये हैं । बहुत दिनों से यह प्रक्रिया है कि अन्य वस्तुओं की तरह जिनके लिए नियमित निरीक्षण एजेंसी अर्थात एक नियमित निरीक्षण एजेंसी बनायी गयी है, चाय के लिए ऐसी व्यवस्था क्रेता और विक्रेता के बीच सर्वेक्षक के माध्यम से की गयी है बशर्ते कि खरीददार संतुष्ट हो। यदि मैं भारत या इंग्लैंड से चाय खरीदता हूं तो एक विशेष पार्टी के माध्यम से खरीदनी पड़ेगी—अनेक बार अपने या उनके द्वारा नियुक्ति सर्वेक्षक के माध्यम से खरीदनी पड़ती है बशर्ते कि मुझे संतुष्ट होना चाहिए।

किस्म इतनी बढ़िया है कि स्वदेशी बाजार के अलावा इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आती और स्वदेशी बाजार पर राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभाग की पूरी निगरानी होती है। परन्तु वस्तुतः यह राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में है।

जहां तक चाय के बदले अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात का संबंध है, मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इसके लिए तर्क न करें क्योंकि चाय की भारत को आवश्यकता है। मेरे विचार से यदि हम आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकें तो भारत के लिए बड़ी कठिनाई हो सकती है तथा स्वदेशी बाजार में भी पूर्ति नहीं की जा सकेगी।

इसकी खपत बढ़ रही है क्योंकि साधारण लोगों, निर्धन लोगों का यही एक पेय है। इसलिए, हम इस प्रकार की कोई योजना नहीं बना रहे, बल्कि इसके विपरीत राज्य सरकारों की मदद से चाय उगाने वाले क्षेत्रों का विस्तार करने की हमारी महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए हम अपनी ओर से भी काफी सहायता देंगे। हमें इस दिशा में सफलता मिल रही है।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि उनके उत्तर के आंकड़ों से यह पता चलता है कि हमारी चाय का आयात करने वाले कुछ देशों द्वारा आयात की मात्रा घट रही है। इसका क्या कारण है ? क्या यह सच है कि मिलावट तथा चाय की गिरती हुई क्वालिटी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी चाय बहुत अधिक पसन्द नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रही है कि इस प्रकार की मिलावट न की जाए तथा क्वालिटी का ह्रास न हो ?

इसके अलावा क्या मैं यह जान सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी दार्जिलिंग चाय बहुत पसन्द की जाती है। क्या यह सच है कि हमारे देश के नीलगिरी जैसे कुछ क्षेत्रों में अच्छी किस्म की चाय उगाने की संभावनाएं हैं ? क्या इस पहलू का सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सूचित करना चाहता हूं कि घटिया किस्म होने के कारण भारतीय चाय का बाजार समाप्त होता जा रहा है। बल्कि इसके विपरीत, भारतीय चाय की किस्म इतनी अच्छी है कि कीनिया चाय और श्रीलंका चाय जिनकी किस्म बहुत घटिया है, विश्व भर में साधारण उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए किसी भी कीमत पर बाजार पर कब्जा कर रहे हैं। इसीलिए हमने अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर एक अत्यन्त संगत स्थिति अपनाई है कि हम केवल अच्छी किस्म की चाय का ही निर्यात करेंगे। पश्चिम जर्मनी में इसके परिणाम प्राप्त होने आरम्भ हो गए हैं। आप पश्चिम जर्मनी में घटिया किस्म की चाय नहीं बेच सकते। इसीलिए कीनिया मैदान छोड़ रहा है। उनके डिपार्टमेन्टल स्टोर्स पर मुख्यत: भारतीय चाय ही बिक रही है। इंग्लैंड में भी हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जापान में एक नई प्रथा आरम्भ हो गई है। कुछ अन्य देशों, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता द्वारा घटिया किस्म की चाय बहुत ही सस्ते दामों पर दी जा रही है। भारत इस स्तर पर कभी स्पर्धा करना नहीं चाहेगा। यदि हमारा माल थोड़ा कम भी बिकता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कीमत और किस्म में कभी समझौता नहीं करेंगे।

दूसरे, दार्जिलिंग चाय का उत्पादन सीमित मात्रा में होता है। इसे सम्पूर्ण विश्व में सबसे ऊंचे दाम मिलते हैं। दार्जिलिंग का चिन्ह पूरे देश का प्रतिनिधि है। इसीलिए कोई भी देश अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, हमारे चिन्ह के बिना दार्जिलिंग चाय के नाम से कोई घटिया चाय नहीं बेच सकता। यह एक अन्य कदम है जो उठाया गया है। अन्त में हमने नीलगिरी तथा अन्य क्षेत्र जिससे माननीय सदस्य संबन्ध रखते हैं अर्थात् उड़ीसा में कालाहांडी जिसे लोग सूखा प्रवण क्षेत्र मानते हैं, में अपनी चाय उत्पादन में कई नई व्यवस्थाएं की है। हम उस क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक चाय का उत्पादन करने में सफल रहे हैं; और उड़ीसा में पिछले वर्ष चाय की अपनी पहली फसल दी है; हमने नीलामी में वह चाय बेची। इस प्रकार हमारी स्थिति सुधर रही है।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि क्वालिटी अभियान जोर पकड़ता है तो भारत के अतिरिक्त विश्व में कोई भी देश अच्छी क्वालिटी की चाय सप्लाई नहीं कर सकता। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची समाप्त हो गई है। अब मैं इसे फिर से ले रहा हूं। श्री कुमारमंगलम।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : प्रश्न संख्या 165

विदेशी सहायता

*165. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1989 के टाइम्स आफ इण्डिया में "इंडिया कैन नो लांगर बैंक आन एड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सहायता संघ की बैठक में भारत के समग्र विकास की आवश्यकता और रियायती स्तरों पर विदेशी सहायता को जारी रखने की निरन्तर आवश्यकता का समर्थन किया गया था।

सरकार घरेलू प्रयासों के जरिए संसाधन जुटाने को विदेशी उधारों के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं मानती और सरकार ने विदेशी वित्तपोषण को उत्तरोत्तर कम करने की आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत से उपाय किए है। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं : तेल तथा प्राकृतिक गैस के स्वदेशी अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाना, प्रमुख क्षेत्रों में सुचारू आयात प्रतिस्थापन और बेहतर निर्यात कार्य-निष्पादन प्राप्त करना।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भुगतान शेष तथा वापसी अदायगी सहित बकाया विदेशी ऋण की क्या स्थिति है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मेरे पास जो आंकड़े है मैं वह मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि निर्यात और सकल अदृश्य प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल ऋण की वापसी कम हुई है। 1987-88 से 1988-89 तक हमारी स्थिति में सुधार हुआ है। 1987-88 में निर्यात और सकल अदृश्य आय की तुलना में ऋण की वापसी का प्रतिशत 23.6 तथा पिछले वर्ष 1988-89 में यह घटकर 22.8 प्रतिशत रह गया। इसलिए इस मोर्चे पर सुधार हुआ है। केवल निर्यात के प्रतिशत के रूप में कुल कर्ज की वापसी का प्रतिशत 1987-88 में 36.2 प्रतिशत था जो 1988-89 में 33.9 प्रतिशत रह गया। इस समय यही आंकड़े उपलब्ध हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मुझे आशा है कि शेष आंकड़े बाद में सप्लाई किए जाएंगे। अब यह आश्वासन माननीय मंत्री महोदय द रहे है। दूसरा सवाल यह है कि यदि स्थिति वही है जो प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई है, तो यदि हम भुगतान शेष के पिछले दस वर्षों के आंकड़े लें तो हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी वह पहले थी। यदि ऐसा है तो क्या आर्थिक कार्यविभाग खुली सामान्य विज्ञप्ति के अन्तर्गत विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के मामले में सख्ती करने जा रहा है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जी हां, (ख) हम इसे सख्त बना रहे हैं, हमने उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के मामले में सख्ती की है, इस पर नियमत रूप से निगरानी रखी जा रही है। हमें भुगतान शेष की स्थिति की चिंता है। इसके साथ ही मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा। हमने विदेशी कर्जों का इस्तेमाल अपना आधारभूत ढांचा तैयार करने में किया है। इस वर्ष हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में सुधार किया है। हमने केवल अपने लक्ष्यों में ही सुधार नहीं किया है बल्कि लगातार और अभूतपूर्व सूखे जैसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्हें कायम रखा है। बहरहाल, हमने लक्ष्य

प्राप्त कर लि० हैं, हमने उनमें सुधार किया है। लक्ष्यों में 5% की वृद्धि हुई है। इस समय हम पहले ही 5.2% वृद्धि दर प्राप्त कर चुके हैं और पिछले दस वर्षों से कुल मिलाकर कुल घरेलू उत्पाद में वृद्धि रही है। 1980 से लेकर आजतक वृद्धि दर 5% रही है जबकि पहले 1950 के बाद कुल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 3.5% थी। हमने इस प्रकार विदेशी सहायता और विदेशी ऋण का इस्तेमाल किया है। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था से परिणाम सामने आए हैं। हमें इस पार से आगे जाना चाहिए और साथ ही आयातों को कम करके भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करना चाहिए, तथा यही कर रहे हैं; हमें और अधिक सुधार करना चाहिए; और हम सभा से वायदा करते हैं कि हम और अधिक सुधार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख एककों को प्रोत्साहन

*174. **श्री हरीश रावत** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने औद्योगिक एकक अपने 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं और इनके द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या उनका मंत्रालय इस राज्य में निर्यातोन्मुख औद्योगिक एककों के संवर्धन और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष योजना बना रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) निर्यात संसाधन क्षेत्रों में स्थित यूनिटों को छोड़कर, अन्य यूनिटों के मामले में किसी भी राज्य के लिए औद्योगिक एकक-वार अथवा राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) निर्यात संवर्धन उपायों का आम पैकेज सभी राज्यों के लिए उपलब्ध है जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बजट में दी गई रियायतों को जनता तक पहुंचाना

*175. **श्री सरफराज अहमद** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने घोषणा की थी कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक सतर्कता विभाग स्थापित किया जाएगा कि बजट में घोषित रियायतों का लाभ जनता तक पहुंचे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विभाग का गठन कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका गठन कब तक किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) 1989 के बजट में विभिन्न वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में दी गई रियायतों का इन वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव की मानीटरिंग करने और सरकार को समय-समय पर रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए राजस्व विभाग में एक दल का गठन किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में न्यायाधीशों की समिति

[हिन्दी]

*176 श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और स्थिति को नियंत्रित रखने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए न्यायाधीशों की कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के कौन-कौन सदस्य हैं और उनके विचारार्थ विषयों का ब्योरा क्या है और क्या उक्त समिति ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है; और

(ग) समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाएगी ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी हां। उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन करने और उपचारी उपाय के बारे में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित हैं :—

1. श्री न्यायमूर्ति वी० एस० मलिमथ,

   मुख्य न्यायमूर्ति, केरल उच्च न्यायालय—अध्यक्ष

2. श्री न्यायमूर्ति पी० डी० देसाई,

   मुख्य न्यायमूर्ति कलकत्ता उच्च न्यायालय—सदस्य

3. श्री न्यायमूर्ति पी० सी० जैन,

   मुख्य न्यायमूर्ति, कर्नाटक उच्च न्यायालय—सदस्य

और इस समिति से सरकार को अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र देने के लिए कहा गया है।

अन्तर-बैंक संचार व्यवस्था

[अनुवाद]

*178. श्री विजय एन० पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने रिजर्व बैंक की प्रस्तावित अन्तर-बैंक संचार व्यवस्था के बारे में अपनी असहमति प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से असहमति प्रकट किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावित व्यवस्था द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी भेजी नहीं जा सकती; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का अन्तर-बैंक संचार व्यवस्था के बारे में पैदा हुए मतभेद को कैसे दूर करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) बैंकों के बीच संचार-व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से बैंकनेट स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव सभी संबंधितों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। इस संचार व्यवस्था के पूरी तरह चालू हो जाने से सदस्य बैंकों के बीच संदेश अंतरण, फाइल अंतरण, इलैक्ट्रोनिक निधि अंतरण और सामान्य आंकड़ा आधार प्राप्त करने में सुविधा होगी।

ब्रिटेन से यात्री डिब्बों का आयात

*179. श्री वाई० एस० महाजन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड अपने नवीनतम निर्मित यात्री डिब्बों के लिए अधिक मूल्य की मांग कर रही है;

(ख) ब्रिटिश रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को मूल्य वृद्धि के कारण कितनी अधिक विदेशी मुद्रा की अदायगी करनी पड़ेगी; और

(ग) क्या समझौते पर हस्ताक्षर करते समय संविदा भंग होने के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु सुरक्षोपायों की व्यवस्था की गई थी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) ब्रिटिश रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा की गयी अधिक मूल्य की मांग बाद में वापिस ले ली गयी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फर्म के साथ कोई करार नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में ओरछा विद्युत और सिंचाई परियोजना के लिए केन्द्रीय मंजूरी

[हिन्दी]

*180. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत ओरछा विद्युत और सिंचाई परियोजना केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु काफी समय से विचाराधीन पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1981 में प्राप्त ओरछा बहु-प्रयोजनी परियोजना की जांच की गई तथा जनवरी, 1982 से सितम्बर, 1984 तक टिप्पणियां भेज दी गई थीं। राज्य सरकार से उत्तर न मिलने के कारण परियोजना प्रस्तावों के संशोधन के वास्ते परियोजना को अक्तूबर, 1985 में लौटा दिया गया था।

नेपाल को पैट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की तस्करी

[अनुवाद]

1628. श्री के० एस० राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेपाल को की जा रही पैट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की तस्करी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो नेपाल को की जा रही पैट्रोलियम उत्पादों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पैट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल जैसे पैट्रोलियम उत्पादों की भारत-नेपाल सीमा के पास से नेपाल को तस्करी की जा रही है। 23 मार्च, 1989 को भारत-नेपाल व्यापार एवं पारगमन सन्धि के समाप्त हो जाने के परिणामस्वरूप नेपाल में पैट्रोलियम उत्पादों की बहुत कमी हो गई है जिसके परिणामत: पैट्रोलियम उत्पादों की भारत से नेपाल में तस्करी की जा रही है।

(ख) भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी-रोधी तन्त्र को सुदृढ़ बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में भारत से नेपाल को पैट्रोलियम उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने हेतु उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों द्वारा समन्वय समितियां गठित कर दी गई हैं।

चाय उद्योग को प्रोत्साहन

1630 **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय उद्योग को दिए जाने वाले प्रोत्साहन के संबंध में अपनी नीति की समीक्षा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त नीति में क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) फिलहाल ऐसी कोई समीक्षा शुरू नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत चलने वाली रेलगाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे

1633. **श्री चिन्तामणि जेना :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में चलने वाली पेसेंजर/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बे कम कर दिये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप इन रेलगाड़ियों में भारी भीड़ हो जाती है;

(ख) क्या जोनल रेलवे तथा जनता से सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों में भीड़ को कम करने के लिए इनमें सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) स्थान का पूरा-पूरा उपयोग न होने के कारण कुछ गाड़ियों के सवारी डिब्बों की संख्या में कमी कर दी गई है। स्थानीय त्यौहारों/मेलों आदि के कारण समय-समय पर यातायात में होने वाली वृद्धि के लिए सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने के अनुरोध पूरे किये जाते है, बशर्ते कि परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक हो।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

1634. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की मांग पर अब ध्यान दिया है जबकि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी सेवा वर्ष 1921 से शुरू कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इनकी मांग पर क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो लम्बे समय से बैंक कर्मचारी यूनियनों के साथ चल रही वार्ता में इस मांग

पर कोई निर्णय न लेने के क्या कारण हैं और इस पर किस तारीख तक निर्णय लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है ।

खाड़ी के देशों को निर्यात

1635. **श्री अमरसिंह राठवा** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन खाड़ी के देशों को प्रतिवर्ष भारतीय माल का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) निर्यात की जा रही मदों के नाम तथा मूल्य क्या हैं;

(ग) क्या खाड़ी के देशों के बाजार में भारतीय माल की भारी मांग होने के बावजूद ऐसे उत्पादों की घटिया किस्म और अधिक मूल्य के कारण उनके निर्यात में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में और खाड़ी से देशों को निर्यात बढ़ाने में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) भारतीय माल का निर्यात खाड़ी क्षेत्र के सभी देशों अर्थात् बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को किया जाता है । निर्यात की प्रमुख मदों में शामिल हैं : इंजीनियरी माल, रसायन, औषध और भेषज, वस्त्र, संसाधित खाद्य, मसाले, चाय आदि । खाड़ी देशों को वर्ष 1987-88 में 848.60 करोड़ रु० (अनन्तिम) के निर्यात हुए थे, जो वर्ष 1988-89 के दौरान बढ़कर 1048.57 करोड़ रु० के हो गए ।

स्वापक औषधों की तस्करी

1636. **श्री कमला प्रसाद रावत** :

श्री कमल चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफीम से हेरोइन तैयार करने और स्वापक औषधों की तस्करी में सक्रिय किन-किन गिरोहों को इस वर्ष पकड़ा गया है;

(ख) उनसे कितनी मात्रा में नशीली औषध पकड़ी गई और उसका मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे तस्करों को सख्त सजा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) प्राप्त हुई रिपोर्टों तथा उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि अपरिष्कृत मारफीन तथा हेरोईन के निर्माण के कुछ इक्का-दुक्का प्रयास किये गये हैं । नशीले द्रव्यों के अवैध व्यापार के खिलाफ चलाये गये अभियान में 30 जून, 1989 तक 614 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था इनमें वे आठ व्यक्ति

भी शामिल हैं जिन्हें मारफीन/हेरोईन के निर्माण में ग्रस्त पायी गई गुप्त रूप से चलाई जाने वाली पांच प्रयोगशालाओं का पता लगाने के दौरान पकड़ा गया था।

इस वर्ष (30 जून तक) के दौरान पकड़े गये विभिन्न नशीले औषध द्रव्यों की कुल मात्रा नीचे दी जाती है :—

नशीले औषध द्रव्य का नाम	मात्रा (किलोग्राम में)
	(अनन्तिम)
1. अफीम	576
2. मारफीन	16
3. हेरोईन	1,262
4. गांजा	23,727
5. हशीश	2,531
6. मैक्सक्यूलोन	283

पकड़े गये नशीले औषध द्रव्यों के सही-सही मूल्य का अनुमान अथवा उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पकड़े गये नशीले औषध द्रव्य की शुद्धता उद्गम स्थान, स्थानीय मांग तथा आपूर्ति की स्थिति आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) स्वापक औषध द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में नशीले औषध द्रव्यों का अवैध व्यापार करने के लिए 10 वर्षों के कठोर कारावास देने और एक लाख रुपये का जुर्माना करने की न्यूनतम अनिवार्य सजा देने की पहले से ही व्यवस्था है जिसे नशीले औषध द्रव्यों का अवैध व्यापार के अपराधों के लिए 20 वर्षों के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है। इस अधिनियम को अब संशोधित कर दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कुछ मामलों मे दूसरी बार अपराध सिद्ध हो जाने पर मृत्युदण्ड की सजा देने तथा नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त किए जाने की भी व्यवस्था है। इन अपराधों को संज्ञेय तथा गैर जमानतीय भी बना दिया गया है। नशीले औषध द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए कतिपय मामलों में 2 वर्ष की अधिकतम अवधि की निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था करने के लिए एक अलग अधिनियम भी लागू किया गया है।

त्रिवेन्द्रम आदर्श रेलवे स्टेशन

1637. **श्री ए० चार्ल्स :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम आदर्श रेलवे के निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तिरुवनन्तपुरम सेन्ट्रल स्टेशन का आदर्श स्टेशन के रूप में विकास करने से सम्बन्धित कार्य शुरू कर दिए गए हैं और जो धन की उपलब्धता के अनुरूप विभिन्न चरणों में किए जा रहे हैं।

राज्यों को वित्तीय सहायता

1639. श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्यों को, विशेषकर, सूखापीड़ित राज्यों को नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में दी गई वित्तीय सहायता पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्यमंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर और सीमा शुल्क की बकाया राशि

1640. डा० बी० एल० शैलेश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) 1 जुलाई, 1989 तक जिन व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के विरुद्ध दस करोड़ रुपए से अधिक का आयकर बकाया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 जुलाई 1989 तक जिन कम्पनियों, औद्योगिक घरानों के विरुद्ध दस करोड़ रुपए से अधिक की सीमा शुल्क बकाया है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) 31-3-89 को 4 व्यक्तियों और 38 कम्पनियों के नाम में 10 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक का आयकर बकाया था।

(ख) 1-7-1989 को सात कम्पनियों के नाम में 10 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बकाया है।

(ग) कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए समय-समय पर कानूनी, प्रशासनिक एवं अन्य यथा आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

केरल में अल्लेप्पी पत्तन में अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो

1643. **श्री पी० ए० एन्टनी :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अल्लेप्पी पत्तन में अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) अल्लेप्पी उन स्थानों में से एक है जहां रेल इंडिया टैक्नीकल एंड इकानामिक सर्विसेज (राइटस) ने "भारत में कंटेनीकरण के विकास हेतु परिप्रेक्ष्य योजना" पर अपनी रिपोर्ट में देश में एक कंटेनर फ्रैट स्टेशन स्थापित करने की सिफारिश की है। चूंकि किसी भी स्थान पर इनलैंड कंटेनर डिपो तथा कंटेनर फ्रैट स्टेशन की स्थापना प्रस्तावित माल, आर्थिक अर्थक्षमता तथा संसाधनों की कुल उपलब्धि पर निर्भर करती है, इसलिए सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को इसका विस्तृत साध्यता अध्ययन करने की सलाह दी गई है।

रेल इंजनों की आवश्यकता

1644. **श्री एम० बी० पाटिल :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले पांच वर्षों में भारतीय रेलवे को इंजनों की ठीक-ठीक कितनी आवश्यकता होगी और सरकार की इस मांग की पूर्ति किस प्रकार करने की योजना है;

(ख) क्या कुछ मांग आयात के जरिए पूरी करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वदेशी इंजनों और आयातित इंजनों के मूल्य/लाभ अनुपात के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) अगले पांच वर्षों के लिए भारतीय रेलों को लगभग 753 बिजली इंजनों तथा 1129 डीजल इंजनों की आवश्यकता होगी। इनकी आवश्यकता को मुख्यत: रेलों की उत्पादन यूनिटों अर्थात चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन और डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी द्वारा पूरा किया जायेगा। कुछ सीमित संख्या में बिजली इंजन आयात के माध्यम से तथा कुछ बिजली इंजन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से खरीदने की भी योजना है।

(ख) जी हां।

(ग) लगभग 60 बिजली रेल इंजन तथा 50/40 डीजल रेल इंजन आयात करने का प्रस्ताव है।

(घ) 1988 में आयात किये गए 6000 अश्व शक्ति वाले तीन प्रकार के 18 प्रोटोटाइप

बिजली रेल इंजनों की लागत/कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

गंगा की बाढ़ का पानी

[हिन्दी]

1645. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :**

क्या जल ससांधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने गंगा नदी के बाढ़ का 12 एम० ए० एफ० जल और जमुना नदी के बाढ़ का एम० ए० एफ० जल उसे उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव से कितने जिले लाभान्वित होंगे; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) राज्य ने भरतपुर, अलवर और जयपुर के जिलों के लाभ के लिए गंगा के अधिशेष बाढ़ जल तथा यमुना के जल को व्यपवर्तित करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग को इस मामले का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्यात विपणन कोष के अन्तर्गत कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से ऋण

[अनुवाद]

1648. **श्री हरिहर सोरन**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से निर्यात विपणन कोष के अन्तर्गत कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए ऋण लिया था;

(ख) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में निर्यात विपणन कोष के अन्तर्गत दूसरे कार्यक्रम को कार्यान्वियन करने हेतु ऋण मंजूर किया है;

(ग) यदि हां, तो पहले और दूसरे कार्यक्रम में क्या अन्तर है;

(घ) यह पहला कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ङ) दूसरा कार्यक्रम कितनी अवधि का होगा ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पहली औद्योगिक निर्यात (इंजीनियरी उत्पाद) परियोजना के लिए 25 करोड़ डालर का विश्व बैंक ऋण भारत सरकार को उसके विनिर्मित उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को,

विशेषकर इंजीनियरी उप-क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के कार्यक्रम में मदद देने के लिए दिया गया था। दूसरी निर्यात विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा हाल ही में अनुमोदित 29.5 करोड़ डालर का ऋण निर्यातोन्मुखी निवेश परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, केनरा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा एवं एक्जिम बैंक की सहायता करने के लिए है।

(घ) 31 दिसम्बर, 1991

(ङ) 6 वर्ष, अर्थात् सितम्बर, 1995 तक।

पंजाब में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक

1649. **श्री कमल चौधरी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कार्यरत शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक कितने हैं और इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके द्वारा देशवार किस-किस उत्पाद का निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान चार एककों द्वारा किए गए निर्यातों का कुल मूल्य 5.1 करोड़ रु० है।

विवरण

क्र० सं०	एकक का नाम	विनिर्माण/निर्यात की मदें
1.	मै० मैग्नेटिक इन्फरमेशन टेक्नोलोजी लि०, एस० ए० एस० नगर	कंप्यूटरों और इसकी सब-असेम्बलियों के लिए मैग्नेटिक हैड्स।
2.	मै० इन्कमनैंट इण्डिया लि०, एस०ए० एस० नगर	माइक्रो कंप्यूटर डिस्पले ग्राफिक डिवाइस कन्ट्रोल।
3.	मै० मैग्नेटिक इन्फरमेशन टेक्नोलोजी लि०, एस० ए० एस०, नगर	फलापी डिस्क ड्राइव।
4.	मै० बखिनघम टैक्सटाइल्स, लुधियाना	सिले सिलाए परिधान।

निर्यातों के देशवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती

1652. **श्री सोडे रमैया :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1986-87, 1987-88

और 1988-89 के दौरान तम्बाकू की कितनी खेती की गई और इसकी उपज में यदि कमी आई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : आन्ध्र प्रदेश में वी०एफ०सी० तम्बाकू का उत्पादन नीचे दिये गये अनुसार रहा :—

उत्पादन (मि० किग्रा०)

वर्ष	लक्ष्य	लक्ष्य-प्राप्ति
1986-87	92.00	97.06
1987-88	65.00	47.47
1988-89	82.00	105.6 ?

वर्ष 1987-88 के दौरान उत्पादन में गिरावट आने के कारण थे : तम्बाकू की खेती में कम क्षेत्र का होना, सूखा और ऐसे कीटों का लगना जिससे कम पैदावार होती है।

चांदी का जब्त किया जाना

1654. **श्री पी० एम० सईद** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान के एक जलपोत से भारी मात्रा में चांदी जब्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जब्त की गई चांदी की मात्रा और इसका मूल्य कितना है और यह कहां से लाई गई थी तथा इसे किस स्थान पर ले जाना था; और

(ग) इस मामले में शामिल व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) 2-6-1989 को, तट रक्षकों ने यू० ए० ई० पंजीकृत एक जलपोत (ट्रालर) 'अलरेधा' को बीच में रोका था। इस जलपोत को पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया था और इसकी तलाशी लेने के फलस्वरूप 10 करोड़ रुपये (लगभग) के मूल्य की 14 मीटरी टन वजन की निषिद्ध चांदी बरामद की गई थी और अभिगृहीत की गई थी। जांच-पड़ताल से पता चला है कि अभिगृहीत चांदी जलपोत में सिंगापुर से लादी गई थी और आन्ध्र प्रदेश तट पर मासूलीपटनम के निकट उतारी जानी थी।

(ग) कर्मीदल के 10 पाकिस्तानी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है।

सौर किस्टल पर आयात शुल्क में घाटा होना

1655. **श्री भद्रेश्वर तांती** :

श्री अब्दुल हमीद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास सौर क्रिस्टल और गैर-सौर क्रिस्टल को पृथक-पृथक पहचानने की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सौर क्रिस्टल सौर-विहीन क्रिस्टल के नाम से आयात किए जा रहे हैं जिसके कारण आय शुल्क का घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) सीमा शुल्क गृहों में सौर क्रिस्टलों और गैर-सौर क्रिस्टलों को अलग-अलग पहचानने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 'सौर क्रिस्टल' और गैर-सौर क्रिस्टल' शब्दों का उल्लेख उपलब्ध तकनीकी साहित्य में नहीं है। क्रिस्टल प्राकृतिक सिंथेटिक पाइजो-इलेक्ट्रिक अथवा सेमी-कन्डक्टर सामग्री है। पाइजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल/सेसी कन्डक्टर का प्रयोग इलेक्ट्रानिक्स या सौर सैलों में किया जाता है परन्तु सौर क्रिस्टल या गैर-सौर क्रिस्टल के रूप में इनका अलग-अलग कोई वर्गीकरण नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सौर क्रिस्टल और गैर-सौर क्रिस्टल के रूप में वर्गीकरण के आधार पर आयात शुल्क में कोई अन्तर नहीं है।

मुख्य चुनाव अधिकारियों का सम्मेलन

1656. **श्री शरद दिघे :**

श्री पी० एम० सईद :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1989 में तिरुपति में मुख्य चुनाव अधिकारियों का एक दो-दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) क्या उक्त सम्मेलन में मतदाता-सूचियों को अन्तिम रूप देने, मतदान के लिए इलेक्ट्रोनिक मशीनों का प्रयोग करने, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ चुनाव कराए जाने और मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने के मसलों पर चर्चा हुई थी;

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) निर्वाचन आयोग ने मुख्यतया सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 18 से 21 वर्ष की आयु के मतदाताओं को सम्मिलित किए जाने के लिए निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण किए जाने के संबंध में किए गए कार्य का और इस वर्ष होने वाले साधारण निर्वाचन की तैयारी के लिए किए जाने वाले अन्य उपायों का पुनर्विलोकन करने के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसरों का एक सम्मेलन तिरुपति में आयोजित किया था। सम्मेलन में मतदान केन्द्रों की स्थापना, बहुउद्देशीय पहचान पत्रों के जारी किए जाने की गुंजाइश और अन्य व्यवस्थाओं, इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों के प्रयोग के विषय में मतदाताओं को शिक्षित किये जाने संबंधी उपायों और निर्वाचन क्षेत्रों का पता लगाना आदि जैसी अन्य व्यवस्थाओं

पर विचार किया गया। सम्मेलन में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन साथ-साथ कराए जाने के प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं हुई।

निर्वाचन आयोग ने आगे कार्रवाई किए जाने के लिए सिफारिशों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है। अत: सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

सबसे अधिक आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति

1657. **श्री शान्ता राम नायक :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सबसे अधिक आयकर का भुगतान करने वाले दस व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) देश में सबसे अधिक आयकर का भुगतान करने वाली दस संस्थाओं आदि के नाम क्या हैं;

(ग) अधिकतम आयकर अदा करने वाले दस अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, चलचित्र निर्माताओं तथा चलचित्र वितरकों के नाम क्या हैं;

(घ) आय कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत किन-किन सिने अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, फिल्म-निर्माताओं और वितरकों के विरुद्ध दण्डनीय अपराधों के मुकदमें लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) ये मुकदमें किस प्रकार के हैं और इनमें कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ङ) संगत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जिन दस व्यक्तियों ने देश में सबसे अधिक आय घोषित की है, उनके नाम नीचे दिये गये हैं :—

(1) अश्वनी खुराना, नई दिल्ली।

(2) श्री इन्द्र कुमार चावला, नई दिल्ली।

(3) श्री बी० रघुनाथ प्रभु, मैसूर।

(4) श्रीमती एम० पुष्पलता, मैसूर।

(5) श्री आर० कुमार वेलु, कोयम्बटूर।

(6) श्री एम० ए० सी० मोन्नल, देहरादून।

(7) श्री एम० सुरेश राव, मैसूर।

(8) श्रीमती एम० आरती शिनॉय, मैसूर।

(9) जनार्धन राव, मैसूर।

(10) श्रीमती एम० वत्सला शिनॉय, मैसूर।

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जिन दस कम्पनियों ने देश में सबसे अधिक आय घोषित की है, उनके नाम नीचे दिये गये हैं :—

(1) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग।

(2) भारतीय जीवन बीमा निगम।

(3) कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम।

(4) भारतीय तेल निगम लिमिटेड।

(5) एयर इंडिया।

(6) भारतीय हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड।

(7) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड।

(8) एम० एम० टी० सी० ऑफ इंडिया लिमिटेड।

(9) ए० ई० जी० फ्रैंकफर्ट।

(10) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण।

(ग) बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता और मद्रास के मुख्य आयकर आयुक्तों द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को दी गई सूचना के अनुसार जिन दस फिल्म अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों ने सबसे अधिक आय घोषित की है उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

(1) श्री धर्मेन्द्र देओल।

(2) श्री जितेन्द्र कपूर।

(3) श्री मिथुन चक्रवर्ती।

(4) श्री अमिताभ बच्चन।

(5) श्री विनोद खन्ना।

(6) श्री अनिल कपूर।

(7) श्री चिरंजीवी।

(8) श्री संजय दत्त।

(9) श्रीमती हेमामालिनी।

(10) श्री अमरीश पुरी।

(घ) और (ङ) विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अध्यधीन जिन मामलों में अभियोजन की कार्यवाही शुरू की गई है, उनके संबंध में संगत सूचना नीचे दी जा गई है :—

क्र० सं०	व्यक्ति का नाम	धारा जिसके अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही शुरू की गई	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4
1.	सुश्री आर० जयप्रदा	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग (i), 277 तथा 278	उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमा स्थगित कर दिया गया है।
2.	श्री राजेश खन्ना	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग, 277 धनकर अधिनियम कीधारा 35-क व 35-घ	उच्चतम न्यायालय द्वारा मुकदमा स्थगित कर दिया गया है।
3.	श्री अमजद खान	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग, 277 भारतीय दंड संहिता की धारा 192, 193 तथा 191	सुनवाई चल रही है।
4.	शालीमार एक्सहीक्टिर्स	आयकर अधिनियम की धारा 276-ख	अब तक कोई कारगर सुनवाई नहीं हुई।
5.	श्री कादर खान	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग, ग	- यथोक्त -

1	2	3	4
6.	सुश्री टीना मुनीम	आयकर अधिनियम की धारा-276-ग भारतीय दंड संहिता की धारा 191, 192 तथा 193	अब तक कोई कारगर सुनवाई नहीं हुई है।
7.	सुश्री रेखा गणेशन	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग तथा 277 धनकर अधिनियम की धारा-35-क तथा 35-घ भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के साथ पठित धारा 193	विचारण न्यायालय में मामला विचाराधीन है।
8.	श्रीमती हेमामालिनी	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग तथा 277	उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमा स्थगित कर दिया गया है।
9.	श्री धर्मेन्द्र देओल	—यथोक्त—	विशेष न्यायालय में मामला विचाराधीन है।
10.	श्री एन० एन० सिप्पी	—यथोक्त—	विचारण न्यायालय में मामला विचाराधीन है।
11.	श्री प्रकाश मेहरा संयुक्त	—यथोक्त—	—यथोक्त—
12.	श्री मोहम्मद युसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार	आयकर अधिनियम की धारा 277	सुनवाई चल रही है।
13.	श्रीमती आशा पारेख	आयकर अधिनियम की धारा 277	—यथोक्त—
14.	पद्मालय फिल्म्स	आयकर अधिनियम की धारा 276-ख/278-ख	उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमा स्थगित कर दिया गया है।
15.	शिवाजी फिल्म्स (प्रा०) लि०	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग ग/278-ख	—यथोक्त—

1	2	3	4
16.	श्री एस० पी० बालसुब्रह्मण्य	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग तथा 277/278-ख तथा भारतीय दंड संहिता के अध्यधीन भी	उच्च न्यायालयद्वारा मुकदमा स्थगित कर दिया गया है।
17.	श्री मनमोहन देसाई	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग तथा 277	विचारण न्यायालय में मामला विचाराधीन है।
18.	श्री जी०एस०आर० कृष्णमूर्ति	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग तथा 277	—यथोक्त—
19.	श्री ओ० पी० रल्हन	धनकर अधिनियम की धारा 36 (2)	—यथोक्त—
20.	बम्बई पिक्चर सर्किट	आयकर अधिनियम की धारा 277	कारगर सुनवाई शुरू होनी है।
21.	श्री नरिन्दर कुमार बेदी	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग	विचारण न्यायालय में मामला विचाराधीन है।
22.	श्री के० के० मुरलीधरन	भारतीय दंड संहिता की धारा 465, 468, 471 तथा आयकर अधिनियम की धारा 277/278	—यथोक्त—
23.	श्री एन० टी० रामाराव (हि० अ० प०)	धनकर अधिनियम की धारा 35-ख	—यथोक्त—
24.	श्री एन० टी० रामाराव (व्यक्तिगत)	—यथोक्त—	—यथोक्त—
25.	श्री एन० जयकृष्णन (हि०अ०प०)	—यथोक्त—	—यथोक्त—
26.	श्री एन० जयकृष्णन (व्यक्तिगत)	—यथोक्त—	—यथोक्त—
27.	श्री एन० साई कृष्ण	—यथोक्त—	—यथोक्त—

1	2	3	4
28.	श्रीमती विजय ललिता	भारती दंड संहिता की धारा 193 तथा आयकर अधिनियम की धारा 277, 276-ग	मुकदमा चल रहा है।
29.	सुश्री ए० वी० शान्ति	आयकर अधिनियम की धारा 276-घ घ	उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमा स्थगित कर दिया गया है।
30.	श्री लालू प्रसाद धमानी	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग ग	विचारण न्यायालय में मामला विचाराधीन है।
31.	श्री सतिन्दर पाल चौधरी	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग/277	न्यायालय के समक्ष मामला विचाराधीन है।
32.	मै० रोहिणी कम्बाइन्स, बंगलौर	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 278-ख के साथ पठित 276-ग/277	—यथोक्त—
33.	श्री एम० एच० अमरनाथ, मैसूर	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 276-ग ग तथा 276-घ	—यथोक्त—
34.	दसारी नारायण राव, मद्रास	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग ग	—यथोक्त—
35.	जगदीश सिंह सचदेवा, बम्बई	भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 277	सुनवाई चल रही है।
36.	राम बी० सी०, बम्बई	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग ग	न्यायालय के समक्ष मामला विचाराधीन है।

1	2	3	4
37.	तिलक मूवीज, बम्बई	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग	न्यायालय के समक्ष मामला विचाराधीन है।
38.	श्रीमती विद्या सिन्हा, बम्बई	आयकर अधिनियम की धारा 276-ग	—यथोक्त—
39.	मैं० नडियाडवाला संस, बम्बई	आयकर अधिनियम की धारा 276-ख	—यथोक्त—
40.	मैं० सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेन्ज, बम्बई	आयकर अधिनियम की धारा 276-(ख) तथा 276 ख,	—यथोक्त—
41.	मैं० चांदीवाला आउटडोर लोकेशन, बम्बई	आयकर अधिनियम की धारा 276-ख तथा 277	सुनवाई चल रही है।
42.	निर्माता-फर्म मैसर्स सनलाइट फिल्म्स तथा इसके भागीदार श्री तपन कुमार गुहा	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1873 की धारा 8 (3) के अतिक्रमण में	न्यायालय के समक्ष मामला विचाराधीन है।

संयुक्त सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड

1658. **श्री जी० एस० बासवराजू :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में संयुक्त सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड ने 300 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं में कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं शामिल हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की संयुक्त सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए विश्व बैंक का ऋण

1659. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कुछ राज्य वित्तीय निगमों के माध्यम से ऋण देने के बारे में विश्व बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बीच बातचीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का परिणाम क्या रहा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) और (ख) एक प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना के बारे में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ कुछ प्रारम्भिक विचार-विमर्श किया गया है ।

विदेशी सहायता का उपयोग न किया जाना

1661. **श्री बृजमोहन महन्ती :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के विभिन्न देशों से विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त की गई 2,800 करोड़ रुपये की धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय पर खर्च नहीं की गई है, यदि हां, तो इसके क्या

कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को पहले से ही प्राप्त की गई सहायता धनराशि को खर्च न करने के कारण पुनः वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कोई कठिनाई होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने विदेशी सहायता को निर्धारित समय सारणी के अनुसार खर्च करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) अधिकांश विदेशी सहायता विशिष्ट परियोजनाओं से संबद्ध होती है और इसलिए संवितरण परियोजना की कार्यान्वयन अनुसूची से जुड़ी होती हैं। वास्तविक कार्यान्वयन की प्रगति प्रत्येक परियोजना के बारे में अलग-अलग होती है। तथापि, किसी वित्तीय वर्ष विशेष के दौरान उपयोग न की गई ऋण की राशि आमतौर पर व्यपगत नहीं होती है और इस राशि को आगामी वर्षों में उपयोग के लिए आगे रखा जाता है। सरकार ने विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के कार्यान्वयन तथा विदेशी सहायता के उपयोग में तेजी लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

रेलवे बोर्ड तथा नई दिल्ली स्टेशन से रेलवे आरक्षण के लिए संदेश

1663. **श्री कमला प्रसाद सिंह :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मई और 1 जुलाई, 1989 की अवधि के दौरान रेलवे बोर्ड तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रेल गाड़ियों में जाने और लौटने की यात्रा के लिए आरक्षण के संबंध में कितने संदेश/वायरलैस संदेश जारी किये गये;

(ख) इनमें से प्रेषितियों द्वारा कितने संदेश प्राप्त किए गए और शेष संदेशों के गन्तव्य स्थानों तक न पहुंचने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रेषितियों द्वारा संदेशों/वायरलैस संदेशों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पहली मई, 1989 और पहली जुलाई, 1989 की अवधि के दौरान रेलवे बोर्ड तथा आई०आर०सी०ए० आरक्षण कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न गाड़ियों में आगे यात्रा के लिए तथा वापसी यात्रा के लिए रेल आरक्षणों की व्यवस्था करने के लिए 92,013 संदेश जारी किए गए थे।

(ख) और (ग) लगभग सभी संदेश प्रेषितियों को उपलब्ध करा दिए गये थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई चूक न होने पाये संदेश टेलीप्रिंटरों/टेलेक्स/मोर्स/कोरियर सेवा के माध्यम से भेजे जाते हैं तथा जब तक उत्तर प्राप्त नहीं हो जाते तब तक नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

बांगलादेश से इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं की तस्करी

1664. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांगलादेश से भारत में वीडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैसेट प्लेयर तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं की तस्करी में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान ऐसी वस्तुओं की तस्करी के कितने मामलों का पता ल गाया गया है; और

(ग) देश में ऐसी वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से पता चलता है कि वी०सी०आर०, वी०सी०पी० आदि जैसी इलैक्ट्रानिकी वस्तुएं बंगलादेश से इस देश में तस्करी द्वारा लाए जाने के लिए आकर्षण की वस्तु बनी हुई है। तथापि, तस्करी चोरी छिपे किए जाने वाला एक धन्धा है इसलिए किसी निश्चित समय पर तस्करी द्वारा देश में आने वाले ऐसे माल की मात्रा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

वर्ष 1988 और 1989 (जून तक) के दौरान पश्चिम बंगाल सीमाशुल्क निवारक समाहर्तालय द्वारा अभिगृहीत किए गए वी०सी०आर० और वी०सी०पी० और अन्य इलैक्ट्रानिक मदों का मूल्य निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

		अभिगृहीत माल का मूल्य (लाख रुपयों में)
वर्ष	वी०सी०आर० और वी०सी०पी०	अन्य इलैक्ट्रानिक वस्तुएं
1988	47.68	17.53
1989 (जून तक)	201.51	95.27

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ग) तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है और भू-सीमाओं के सुगम्य क्षेत्रों में तस्करी रोधी तंत्र को सुदृढ़ बना दिया गया है। इलैक्ट्रानिकी वस्तुओं जैसी मदों सहित माल की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने से संबंधित सभी एजेंसियों में घनिष्ठ तालमेल रखा जाता है।

सकरी – हसनपुर और दरभंगा—समस्तीपुर रेल लाइनें

[हिन्दी]

1666. श्री राम भगत पासवान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सकरी-हसनपुर रेल लाइन और दरभंगा—समस्तीपुर बड़ी रेल लाइन का सर्वेक्षण-कार्य

कब पूरा हुआ था तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी;

(ख) क्या सरकार का बिहार में सकरी-हसनपुर रेल लाइन बिछाने का काम आरम्भ करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) हसनपुर रोड से सकरी जंक्शन तक मीटर लाइन रेल सम्पर्क के लिए सर्वेक्षण 1974 में पूरा हुआ था जिस पर 1.28 लाख रुपये की लागत आई थी। समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए सर्वेक्षण 1977 में पूरा हुआ था जिस पर 2.20 लाख रुपये की लागत आई थी। समस्तीपुर से दरभंगा तक समानान्तर बड़ी लाइन के लिए भी 1988 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिस पर 7.07 लाख रुपये की लागत आई थी।

(ख) से (घ) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण हसनपुर रोड से सकरी जंक्शन तक मीटर लाइन रेल सम्पर्क का निर्माण शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

बम्बई उपनगरीय रेलवे को रैकों की सप्लाई

[अनुवाद]

1667. **श्री एस० जो० घोलप** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान बम्बई उपनगरीय रेलवे को कितने रैकों की सप्लाई की जानी थी;

(ख) वास्तव में कितने रैकों की सप्लाई की गई और आवश्यकता के अनुसार सप्लाई न किए जाने के क्या कारणहैं; और

(ग) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान कितने रैकों की सप्लाई करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान बम्बई उपनगरीय रेलवे को 22 रेकों की सप्लाई किए जाने की योजना थी।

(ख) इन दो वर्षों के दौरान 16 रेक सप्लाई किए गए थे। कर्षण मोटरों के देशी निर्माण में अनुभव की गई प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण उत्पादन कार्यक्रम पिछड़ जाने से यह कमी हुई।

(ग) 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान 16 रेकों की सप्लाई किए जाने की योजना है।

विदेशी पूंजी निवेश

1668. **श्रीमती किशोरी सिंह :**

श्री जी० एस० बासवराजू :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीधे विदेशी पूंजी निवेश हेतु अनुरोध किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों मे छूट दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) से (ग) हमारी निवेश नीति के बुनियादी ढांचे का औद्योगिक नीति संकल्प सहित विभिन्न दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है। यद्यपि यह एक खुली नीति नहीं है तथापि इसमें पर्याप्त मात्रा में लचीलापन है। इस नीति के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रियाकलापों में तकनीकी और वित्तीय सहयोग की अनुमति है। सरकार का इरादा इस नीति के विस्तृत ढांचे के अन्दर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और अधिक प्रोत्साहित करने का है।

बैंकों के कार्यकरण में जन प्रतिनिधियों को शामिल करना

1669. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ऐसे निदेश जारी किये हैं कि जनता के चुने गये प्रति-निधियों को जिला-स्तर पर बैंकों के कार्यकरण, समीक्षा बैठकों आदि में शामिल किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल में प्रमुख बैंकों द्वारा इस निदेश का उल्लंघन करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त निदेशों का सख्ती से पालन कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1989 में यह निर्णय लिया था कि हर वर्ष जून और दिसम्बर के महीने में जिला ऋण योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रगति का जायजा लेने के लिए प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंकों द्वारा बुलाई जाने वाली जिला स्तरीय पुनरीक्षण समितियों की बैठकों में सभी स्थानीय संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाए।

(ख) और (ग) चूंकि समस्त स्थानीय संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों को जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक में आमंत्रित करने के निर्णय को बैंकों को अप्रैल 1989 में ही सूचित

किया गया था, अत: इन अनुदेशों के उल्लंघन के बारे में इतनी जल्दी कुछ कहना अभी सम्भव नहीं है।

विदेशों के साथ व्यापार

1670. **डा० वसा सामन्त :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

वर्ष 1989 के दौरान भारतीय मुद्रा में विदेशों के साथ कुल कितनी धनराशि का व्यापार होने की सम्भावना है ; और [प्रत्येक देश के साथ कितने-कितने मूल्य का व्यापार होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : आशा है कि पिछले तीन वर्षों में निर्यात दर में हुई वृद्धि चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 में भी बनी रहेगी। परन्तु इस समय 1989-90 के दौरान कुल व्यापार कारोबार का देश-वार और मूल्यगत ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहींहै ।

अल्लेप्पी—कायमकुलम (तटवर्ती) रेल लाइन

1672. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में तटवर्ती रेलवे के अल्लेप्पी—कायमकुलम खण्ड में किए जाने वाले शेष कार्य का ब्योरा क्या है ;

(ख) इस कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 2 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, 40 प्रतिशत मिट्टी का कार्य, 6 बड़े और 53 छोटे पुल, 2 ऊपरी सड़क पुल और 45.6 कि० मी० रेलपथ बिछाना शेष है।

(ख) 1989-90 के बाद 17.91 करोड़ रुपये।

(ग) आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

लघु तथा बड़े उद्योगों द्वारा निर्यात

1673. **श्री मोहन भाई पटेल :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु तथा बड़े क्षेत्र के उद्योगों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान, किये गये निर्यात का वर्षवार ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या निर्यात में, विशेष रूप से लघु क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले निर्यात में कोई गिरावट आयी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रोत्साहन देकर अथवा निर्यात प्रतिबन्धों को उदार बनाकर लघु क्षेत्र द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) निर्यात आंकड़े वस्तु समूह-वार संकलित किये जाते हैं न कि लघु क्षेत्र और बड़े क्षेत्र-वार। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कुल निर्यात नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रु०)

1986-87	1987-88	1988-89
12451.94	15741.12 (आंशिक रूप से संशोधित)	20280.92 (अनन्तिम)

(ख) जी नहीं। विकास आयुक्त, लघु क्षेत्रों से निर्यात के आंकड़े केवल 1986-87 तक उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र से 1984-85 में 2553 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे, जो कि बढ़कर 1985-86 में 2769 करोड़ रु० और 1986-87 में 3648 करोड़ रु० के हो गये।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

देशों द्वारा सुरक्षावादी उपाय करना

1674. डा० गौरी शंकर राजहंस :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न देशों द्वारा विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में अपनाये गये सुरक्षा वादी उपायों और इसके कारण देश पर पड़ने वाले कुप्रभावों के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) क्या इस मामले को टैरिफ और व्यापार का सामान्य करार जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में उठाया गया है और यदि हां, तो इसकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) निर्यात के नये क्षेत्रों का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने सम्बन्धी क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या विदेशों के साथ व्यापार बढ़ाने मे कोई सफलता मिली है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) हमारे निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अलग-अलग संरक्षणात्मक उपायों की सरकार निरन्तर जांच करती रहती है। इन उपायों में से अधिक महत्वपूर्ण हैं—बहु-रेशा व्यवस्था के अन्तर्गत संयुक्त राज्य

अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, कनाडा, नार्डिक देशों और आस्ट्रिया को वस्त्र निर्यातों के सम्बन्ध में कोटे और संयुक्त राज्य अमरीका में इंजीनियरी उत्पादों पर प्रतिपादन और प्रतिकारी शुल्क।

यह मामला समय समय पर गाट और अंकटाड जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में उठाया गया है। इन निकायों में जब भी यह मामला उठाया गया तो अधिकतर सभी विश्व व्यापार में संरक्षणात्मक प्रवृत्तियों के विरुद्ध व्यापक राय व्यक्त हुई। वस्त्रों में प्रतिबन्धित व्यापार व्यवस्था समाप्त कराने और प्रतिकारी और प्रतिपादन शुल्कों के सम्बन्ध में स्थिति को सुधारने के लिए हम विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं।

सरकार ने श्रेष्ट क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में निर्यात संवर्धन के लिए उपायों की एक श्रृंखला प्रारम्भ की है। इन उपायों का उद्देश्य है निर्यात उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों या करीब-करीब उतनी कीमतों पर पूंजीगत माल और कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा निर्यात क्षेत्र को अधिक प्रतियोगी बनाने हेतु प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना तथा निर्यातों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कराना। निर्यात संवर्धन के लिए प्रारम्भ किये गये उपायों का प्रभाव, निर्यात में वृद्धि के रूप में दिखने लगा है। डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1988-89 के दौरान भारत से 2028। करोड़ रु० का निर्यात हुआ था। जबकि 1987-88 में 15741 करोड़ रु० का निर्यात हुआ था। इस प्रकार 29.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

औद्योगिक रुग्णता

1675. **डा० वी० वेंकटेश :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को समय पर आर्थिक सहायता न दिए जाने के कारण इस क्षेत्र में रुग्णता आ गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का ऋण मंजूर करने तथा उसे दिए जाने की विद्यमान प्रणाली की समीक्षा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) यह देखा गया है कि लघु एककों में रुग्णता, कार्यशील पूंजी की कमी, विपणन की समस्या, कच्चे माल की अनुपलब्धता, बिजली की कमी, श्रमिक समस्या, दोषपूर्ण/पुरानी टेक्नालाजी आदि सहित कई कारणों से हो सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस आशय के मार्ग निर्देश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि समय पर और पर्याप्त कार्यशील पूंजी सीमाएं मंजूर की जा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ शाखा प्रबन्धकों को पर्याप्त विवेकाधिकार प्रदान करना, शाखा और क्षेत्रीय कार्यालय स्तरों पर वर्तमान शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा करना, उन क्षेत्रों में, जहां लघु उद्योग के विकास की संभावना हो, अपेक्षित जानकारी रखने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करना, उचित निगरानी तंत्र शुरू करना आदि शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य-स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों से कहा गया है कि वे उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अपनी तिमाही बैठकों में

राज्य वित्त निगम से सहायता प्राप्त लघु उद्योग एककों के मामलों पर भी चर्चा करें, जिन्हें बैंकों से कार्यशील पूंजी वित्त प्राप्त नहीं हो रहा है।

उड़ीसा और बिहार में बैंक आफ महाराष्ट्र की शाखाएं

1677. **श्री राधाकांत डिगाल :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और बिहार में बैंक आफ महाराष्ट्र की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या इन राज्यों में बैंक आफ महाराष्ट्र की और अधिक शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा और बिहार में बैंक आफ महाराष्ट्र की कितनी शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों की पहचान किये गये केन्द्रों का आबंटन सामान्य तौर पर जिले/क्षेत्रों में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। इसका आशय यह है कि बैंकों पर उनकी दूरस्थ शाखाओं पर प्रभावी नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण रखने में पृथक/अलग-थलग पड़ी शाखाओं से होने वाली कठिनाइयों का बोझ न पड़े। चूंकि बैंक आफ महाराष्ट्र की उड़ीसा और बिहार के ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कोई शाखा नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन राज्यों में बैंक आफ महाराष्ट्र को कोई केन्द्र आबंटित नहीं किया है। बैंक आफ महाराष्ट्र की बिहार में केवल एक शहरी केन्द्र में शाखा है।

बजट घाटा

1678. **श्री पी० कुलनदेईवेलु :**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 का बजट घाटा 7940 करोड़ रुपए से घटाकर 5,800 करोड़ रुपए दिखाया गया है;

(ख) वर्ष 1989 के दौरान राजस्व प्राप्ति संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अप्रत्यक्ष कर-वसूली लक्ष्य से अधिक हुई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि यदि बजट घाटा और कम किया गया तो देश की भुगतान संतुलन स्थिति में सुधार होगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकारी व्यय आदि में कटौती करने जैसे क्या सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) भारतीय रिजर्व

बैंक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1988-89 में बजटीय घाटा, 7940 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 5809 करोड़ रुपए हुआ।

(ख) और (ग) करों और शुल्कों के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व वसूली इस प्रकार थी :

(करोड़ रुपए)

	संशोधित अनुमान	अनन्तिम वास्तविक आंकड़े	संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि
प्रत्यक्ष कर :			
निगम कर और आयकर	7930	8502	+572
अप्रत्यक्ष कर :	34267	34323	+ 56
सीमा शुल्क	15812	15656	—156
संघ उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद और सीमा) शुल्क बोर्ड द्वारा प्रशासित)	18455	18667	+212

(घ) देश की भुगतान शेष की स्थिति कई कारणों से प्रभावित होती है। कम बजटीय घाटा कतिपय सीमा तक सहायता करता है।

(ङ) बजटीय घाटे को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में मंत्रालयों को व्यय को बजट व्यवस्थाओं के अन्तर्गत रखने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा, साज-सजा ईंधन संबंधी व्यय, मनोरंजन आदि पर मितव्ययिता बरतने संबंधी हिदायतें इस वर्ष भी जारी हैं। मंत्रालयों को अपनी सभी योजनाओं की समीक्षा करने की सलाह भी दी गई है ताकि कम प्राथमिकता वाली और अनावश्यक योजनाओं में कटौती की जा सके।

दिल्ली-हरियाणा सीमा पर सोने के बिस्कुटों का जब्त किया जाना

1679. **श्री कृष्ण सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने जून, 1989 में दिल्ली-हरियाणा सीमा पर एक मारुति कार से 24 किलोग्राम से भी अधिक वजन के विदेशी मार्क वाले लगभग 206 सोने के बिस्कुट जब्त किये थे;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर चलाये जा रहे अभियोग की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां। राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने 8 जून, 1989 को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर एक मारुति कार से लगभग 76.88 लाख रुपये के मूल्य के 24 किलोग्राम से भी अधिक वजन के विदेशी मार्के वाले 206 सोने के बिस्कुट अभिगृहीत किए थे।

(ख) और (ग) तीन व्यक्तियों, नामश: सर्वश्री महेश चौहान, विजय कुमार धारमे और संजीव कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में शिकायत अभी न्यायालय में दायर नहीं की गई है।

बेलडांगा स्टेशन पर रेलवे अस्पताल

1680. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदाह-लालगोला सेक्शन में स्थित बेलडांगा स्टेशन पर स्थापित रेलवे अस्पताल ने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (ग) बेलडांगा में स्वास्थ्य यूनिट की इमारत का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कर्मचारी स्वीकृत किये जाने तथा उन्हें तैनात किये जाने पर, जिसके लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है, यह स्वास्थ्य यूनिट कार्य करना शुरू कर देगी।

उड़ीसा में "एडवांस फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क" कार्यक्रम का विस्तार

1682. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

डा० फूलरेणु गुहा :

डा० कृपासिंधु भोई :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में बाढ़ की पूर्व सूचना देने वाले कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) ये केन्द्र किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान "एडवांस फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क" का विस्तार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तैयार की गई योजना का विशेष रूप से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम०जैकब) : (क) और (ख) कुल मिलाकर 149 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र स्थापित किये गये

हैं जिसमें आंध्र प्रदेश में 10, असम में 20, बिहार में 36, दादर और नागर हवेली 2, दिल्ली में 2, गुजरात में 9, कर्नाटक में 4, मध्य प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 7, उड़ीसा में 11, उत्तर प्रदेश में 31 और पश्चिम बंगाल में 14 हैं।

(ग) और (घ) जी हां। प्रस्तावित 8 केन्द्रों में से आंध्र प्रदेश में 4, गुजरात में 1 और उड़ीसा में 3 हैं।

असम को बाढ़ राहत

1683. **श्री संफुद्दोन अहमद :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को मंजूर की गई बाढ़ राहत राशि में से खर्च की गई राशि का ब्यौरा प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	बाढ़ राहत के लिए स्वीकृत अधिकतम सीमाएं	राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय
	(करोड़ रुपये में)	
1988-89	85.36*	80.15
1989-90	—	5.11

*इसमें 6.88 करोड़ रुपए की व्यय की वे अधिकतम सीमाएं भी शामिल हैं जिनका उपयोग किए जाने के लिए 31-5-89 तक समय बढ़ाया गया था।

सीमा-शुल्क बिक्री केन्द्रों के सभी काउंटर खोलना

1684. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा-शुल्क खुदरा बिक्री केन्द्रों के सभी काउंटरों को सभी कार्य दिवसों को खुला न रखने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या पकड़े गये सामान की बिक्री के लिए कोई मापदंड निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पकड़े गये सामान के मूल्यांकन और मूल्य-निर्धारण में यदि किन्हीं दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) जब्तशुदा उपभोक्ता माल को सुपर बाजारों और सहकारी भंडारों आदि के माध्यम से खुदरा रूप में बेचने के लिए मुख्यतया इसे एक मुश्त में पंजीकृत सहकारी समितियों और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ को बेचा जाता है। सैनिक/पुलिस/अर्ध-सैनिक कैन्टीनों को भी ऐसे माल की बिक्री करने की पेशकश की जाती है। थोड़ी-थोड़ी मात्रा के उपभोक्ता माल को सीमा शुल्क की खुदरा दुकानों के जरिए भी बेचा जाता है। उपलब्ध रिपोर्टों से ये संकेत मिलते हैं कि अधिकांश समाहर्तालियों में सीमा शुल्क की खुदरा दुकानों के बिक्री काउंटर सभी कार्य दिवसों पर आम लोगों के लिए खुले रहते हैं। तथापि, चूंकि अधिकांश जब्तशुदा उपभोक्ता माल को एक मुश्त रूप में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ तथा अन्य पंजीकृत सहकारी समितियों को बेचा जाता है ताकि ऐसे माल का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए खुदरा दुकानों पर बेचे जाने के लिए उपलब्ध माल की मात्रा सीमित ही होती है और अतः इस कारण सभी कार्य दिवसों को ऐसे बिक्री काउन्टर खोलना आवश्यक नहीं होता है।

(घ) जब्तशुदा उपभोक्ता माल का मूल्यांकन संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति द्वारा माल के बाजार-मूल्य के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ और अन्य सहकारी समितियों जैसे माल के एक मुश्त खरीददारों को सामान्य-व्यापार-छूटें दी जाती हैं।

कायकुलम में सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए रेलवे "साइडिंग" सुविधाएं

1685. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कायकुलम में प्रस्तावित सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए रेलवे साइडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह किस स्तर पर विचाराधीन है और इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की आशा है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एन०टी०पी०सी०, केरल राज्य बिजली बोर्ड और योजना आयोग के परामर्श से प्रस्ताव की जांच की जा रही है। प्रस्ताव प्रारम्भिक चरण में है अतः पार्टी द्वारा साइडिंग सुविधाओं के लिए सर्वेक्षण प्रभार का भुगतान अभी किया जाना है।

राज्यों को तट सुरक्षा के लिए स्वीकृत की गई धनराशि

1686. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न राज्यों को, तट सुरक्षा कार्यों के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ख) पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने सातवीं योजना के दौरान कर्नाटक में समुद्र से होने वाले भूक्षरण को रोकने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) राज्य योजना आवंटन के अलावा, केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता के अन्तर्गत 12.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ;

(ख) अन्यों के साथ-साथ सुरक्षात्मक उपायों में ये शामिल हैं : समुद्री दीवार का निर्माण, वर्तमान समुद्री दीवार का पलस्तर करना और सुदृढ़ करना ।

(ग) यद्यपि, केन्द्र तट कटाव बोर्ड के माध्यम से तकनीकी सलाह प्रदान करता है, फिर भी तट सुरक्षा कार्यों के प्रतिपादन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण का कार्य राज्य सरकार का है ।

इण्डोनेशिया को निर्यात

1687. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया को और अधिक निर्यात करने की सम्भावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन सम्भावनाओं का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो निर्यात के लिए प्रस्तावित मदों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अगस्त, 1988 में भारत और इण्डोनेशिया के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों पर वरिष्ठ अधिकारियों की दूसरी बैठक में तथा नवम्बर, 1988 में भारत-इण्डोनेशिया संयुक्त व्यापार परिषद की दूसरी बैठक में भी भारत से इण्डोनेशिया को निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात की सम्भावनाओं पर बल दिया गया था—वस्त्र मशीनरी, गैर-विद्युत बिजली उत्पादन मशीनरी पम्प और कम्प्रेशर, रेल-उपस्कर, खाद्य संसाधन मशीनरी, आटोमेटिक पार्ट्स और कम्पोनेन्ट्स, मूल रसायन, रंजक और रंजक सामग्री, एल्यूमिना, लोह-अयस्क गोलियां, यार्न, सूती वस्त्र आदि ।

द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बों में वाटर कूलर लगाया जाना

[हिन्दी]

1689. श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों के द्वितीय श्रेणी के सभी सवारी डिब्बों में शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए वाटर कूलर लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा किन-किन रेलगाड़ियों में उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा उन अन्य रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं जिनमें यह सुविधा 31 अगस्त, 1989 तक उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) इसके लिए चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि व्यय करने का अनुमान है;

(घ) इन कूलरों को किन-किन कम्पनियों से खरीदा गया है तथा प्रत्येक कूलर का औसत मूल्य कितना है; और

(ङ) अब तक कितने कूलर खरीदे जा चुके हैं तथा इनका जोनवार मूल्य क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय तमिलनाडु एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे के तीन सवारी डिब्बों में विद्युत चालित जल शीतक और शाने-पंजाब एक्सप्रेस के दो सवारी डिब्बों में कोच के धुरे से सीधे चलने वाले जल शीतक लगाकर परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) लगभग 24 लाख रुपये।

(घ) (1) मैसर्स श्रीराम रेफरीजरेशन/हैदराबाद से खरीदे गए विद्युत चालित जल शीतकों की लागत, प्रति जल शीतक 25,500 रुपये है जिसमें कर शामिल नहीं है।

(2) मैसर्स ग्रेशम एण्ड कम्पनी/दिल्ली से खरीदे गये कोच धुरा से सीधे चलने वाले जल शीतकों की लागत, प्रति जल शीतक 28,500 रुपये है जिसमें कर शामिल नहीं है।

(ङ) दक्षिण रेलवे के लिए विद्युत चालित 6 जल शीतक लागत लगभग 25,500 रुपये प्रति जल शीतक जिसमें कर शामिल नहीं है और उत्तर रेलवे के लिए धुरा से चलने वाले 60 जल शीतक लागत, लगभग 28,500 रुपये प्रति जल शीतक जिसमें कर शामिल नहीं है।

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का वेतन

1690. श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान पंजाब सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के बराबर हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का वेतन उसी अनुपात में बढ़ाया जाता है जिस अनुपात में पंजाब सरकार के कर्मचारियों का बढ़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने बढ़े हुए वेतनों की अदायगी के लिए केन्द्रीय सरकार से धन मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गड़वी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) वेतनों के पुनरीक्षण तथा सम्बद्ध मदों के अतिरिक्त भार के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार

ने वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के लिए क्रमशः 53 करोड़ रुपये और 26 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी।

गुजरात में आयकर के छापे

1691. श्री सी० डी० गामित :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 से जून, 1989 तक गुजरात में आयकर विभाग द्वारा कितने छापे मारे गये और इनमें कितनी बेनामी धनराशि पकड़ी गई;

(ख) उन व्यापारियों, कम्पनियों, ठेकेदारों और भवन-निर्माताओं के नाम क्या हैं, जिनके पास बेनामी धनराशि पाई गई और उन्होंने कितनी बेनामी धनराशि छिपाई थी; और

(ग) इन कर अपवंचकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) आयकर विभाग ने दिनांक 1-4-1987 से 30-6-1989 तक की अवधि में गुजरात में 2140 तलाशियां लीं। इन तलाशियों के दौरान प्रथम दृष्ट्या लगभग 37.96 करोड़ रुपये की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गईं।

(ख) चूंकि मामलों की संख्या अधिक है, इसलिए मांगी गई सूचना दे पाना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित सभी मामलों में प्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के अधीन यथापेक्षित उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही की गई है।

केरल में रोक बांधों का निर्माण

[अनुवाद]

1692. प्रो० के० वी० थांमस :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को केरल में रोक बांधों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता हेतु एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) केरल सरकार ने 100 करोड़ रुपये की लागत पर चालू लघु सिंचाई स्कीमों एवं नई स्कीमों के निर्माण के लिए परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें चैक बांधों का निर्माण सम्मिलित है। यह परियोजना डच सरकार से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत की गई थी, किंतु डच सरकार के तकनीकी मूल्यांकन मिशन ने चैक बांधों के निर्माण सहित इस योजना को आरम्भ करने की सहमति नहीं दी।

वेतन निर्धारण के लम्बित मामले

1693. **श्री हकमाई मेहता :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उनके मन्त्रालय को, कर्मचारियों के वेतन निर्धारण अथवा वेतन आदि के निर्धारण में विभिन्न असंगतियां दूर किए जाने संबंधी भेजे गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने मामले छह महीने से भी अधिक समय से निर्णय हेतु लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन मामलों पर निर्णय लिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं और इन मामलों पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालय/विभाग वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय को वेतन नियतन में कथित विसंगतियों तथा उन्हें दूर किए जाने के बारे में लिखते रहते हैं तथा वेतन नियतन संबंधी नियम-विनियमों को लागू करने एवं उनकी व्याख्या के मामले में स्पष्टीकरण भी मांगते रहते हैं। वित्त मन्त्रालय/कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय संगत नियमों अथवा विनियमों के दायरे के अन्तर्गत संबंधित संदर्भकर्ता मन्त्रालयों/विभागों को सलाह देते रहते हैं। ऐसे मामलों में जिनमें विसंगतियां होती हैं, उन्हें दूर भी किया जाता है। कुछ मामलों पर अलग-अलग प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों द्वारा भी कार्यवाही की जाती है। ऐसे सभी मामलों के आंकड़े रखना संभव नहीं है।

न्हावा-शेवा बन्दरगाह पर सीमा शुल्क सम्बन्धी सुविधाएं

1694. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्हावा-शेवा बन्दरगाह पर सीमा शुल्क सुविधा उपलब्ध न होने के कारण निर्यातकर्त्ताओं और आयातकर्त्ताओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार "न्हावा-शेवा बन्दरगाह पर एक पूर्ण दर्जे का सीमा शुल्क कार्यालय स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सीमा-शुल्क विभाग से निकासी अनुमति के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) नावा-शिवा बन्दरगाह पर सीमा-शुल्क संबंधी समुचित सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। सीमा-शुल्क सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव में निर्यातकर्ताओं तथा आयातकर्ताओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

(ख) नावा-शिवा बन्दरगाह पर एक पूर्ण सम्पन्न सीमाशुल्क गृह पहले से ही कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय उत्पादों के निर्यात में भारत-सोवियत संघ वाणिज्यिक मण्डल की भूमिका

1696. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उत्पादों को विदेशों में निर्यात करने के सम्बन्ध मे भारत-सोवियत संघ वाणिज्यिक मण्डल ने क्या भूमिका निभाई है;

(ख) मण्डल द्वारा कितनी वस्तुओं को निर्यात हेतु सूचीबद्ध किया गया है और कितनी मात्रा का निर्यात किया जा चुका है;

(ग) क्या बिहार राज्य की कुछ हस्तकारियों और खनिज उत्पादों के निर्यात पर भी विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) से (घ) भारत-सोवियत संघ वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल एक व्यापारिक संघ है जिसका कार्य भारत-सोवियत व्यापार को बढ़ाना है । यह मंडल एक व्यापारिक संगठन नहीं है बल्कि एक व्यापार संवर्धन निकाय है ।

दोनों देशों के बीच में भारत-सोवियत व्यापार योजना पर सरकारों के स्तर पर कैलेण्डर वर्ष आधार पर वार्ता होती है तथा निर्णय लिया जाता है । व्यापार योजना पूरे देश के आधार पर बनाई जाती है तथा किसी राज्यवार उप-योजना का प्रावधान नहीं है । हस्तशिल्प तथा खनिज और अयस्क वे मदें हैं जो पहले ही व्यापार योजना में निर्यातों की सूची में शामिल हैं ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार

[हिन्दी]

1697. **श्री जगदीश अवस्थी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ भारत का कुल कितना व्यापार हुआ है; और

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के किस देश के साथ भारत ने सर्वाधिक व्यापार किया और उस देश से किन किन वस्तुओं का आयात किया गया और भारत से उस देश को वर्ष में कितना निर्यात किया गया और किन-किन प्रमुख वस्तुओं का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ भारत का कुल व्यापार कारोबार इस प्रकार रहा है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल व्यापार कारोबार
1986-87	9277.15
1987-88 (अ)	11416.41
1988-89 (अ)	13643.05

अ : अनन्तिम (स्रोत : डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०)

(ख) वर्ष 1988-89 में भारत का व्यापार यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में जर्मन संघीय गणराज्य के साथ सर्वाधिक रहा। डी०जी०सी०आई० एण्ड एस० से उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार उस वर्ष भारत ने जर्मन संघीय गणराज्य को 1235.21 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात किए। भारत से जर्मन संघीय गणराज्य को निर्यात की प्रमुख मदें हैं : वस्त्र तथा परिधान, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, कालीन, मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान पत्थर, चाय तथा काफी आदि। जर्मन संघीय गणराज्य से भारत को आयात की प्रमुख मदें हैं इलेक्ट्रो सामान, लोह तथा इस्पात शीट्स, रोलिंग मिल निर्माण मशीनरी गठित मशीन औजार, वस्त्र, चमड़ा तथा चमड़ा सामान उद्योग के लिए मशीनरी आदि।

केरल की सिंचाई योजनाएं

[अनुवाद]

1698. श्री टी० बशीर :

श्री के० मोहनदास :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1988-89 के दौरान कुल कितनी सिंचाई योजनाएं मंजूर की गई हैं;

(ख) केरल की कौन सी सिंचाई योजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास अभी तक विचाराधीन पड़ी हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान किसी सिंचाई स्कीम को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

(ख) चिमोनी सिंचाई परियोजना नामक केवल एक बृहद् सिंचाई परियोजना।

(ग) राज्य सरकार को अनुमानों को अंतिम रूप देने के साथ-साथ केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करना अपेक्षित होता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को जापान से ऋण

1699. डा० कृपासिंधु भोई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम विदेशों से ऋण प्राप्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा जापान से गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितना ऋण लिया गया है; और

(ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा जापान से किस प्रयोजन हेतु ऋण लिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को जापानी येन मुद्रा में स्वीकृत किए गए विदेशी मुद्रा उधार की कुल राशि इस प्रकार है :—

1986-87	—	कुछ नहीं
1987-88	—	जापानी येन 14 अरब (अमेरिकी डालर में 9 अरब जापानी येन और शेष जापानी येन में)
1988-89	—	20 अरब जापानी येन

(ग) उधार की प्राप्तियों का उपयोग उद्योगों की स्थापना के लिए ऋणकर्ताओं की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देने के लिए किया जा रहा है।

सोवियत संघ के साथ व्यापार

1700. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत-सोवियत व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने हेतु कुछ नये क्षेत्रों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) से (घ) दोनों सरकारों के बीच 1986 में हुए इस पारस्परिक समझौते को ध्यान में रखते हुए कि भारत-सोवियत व्यापार

पांच वर्षों में $2\frac{1}{2}$ गुना बढ़ना चाहिए, द्विपक्षीय व्यापार के ढांचे को विस्तृत तथा विविधीकृत करने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। निर्यात सूची में इन मदों के लिए प्रावधान बढ़ा दिया गया है। चाय, इंस्टैंट काफी, काफी, सोयाबीन निस्सारण, सिले सिलाए परिधान, शू अपर, रसायन, औषधियां तथा भेषजीय पदार्थ, रंजन तथा मध्यवर्ती पदार्थ, कीटनाशी और शाकनाशी पेंट और वार्निश, टूथपेस्ट, लिनोलियम, चमकदार टाइल, खनिज मदें, स्टोरेज बैटरियां, पोलीग्राफ उपकरण, लोहा एवं स्टील कास्टिंग, खाद्य संसाधन एवं डेयरी उपकरण आदि। नई मदें बढ़ाई गई हैं, जैसे गैर-फैरस ढली वस्तुएं और गढ़ी वस्तुएं, रेलवे के लिए कास्टिंग, अपघर्षक वस्तुएं, कृषि उत्पादों के क्वालिटी, नियंत्रण के लिए विश्लेषक, वस्त्र उद्योग तथा सिलाई और चमड़ा उद्योग के लिए मशीनरी एवं उपकरण, खेल के जूते, रेजर ब्लेड, शिप रिपेयर, ट्रेक्टर के कल पुर्जे, प्रक्षालक, सजावट के प्लास्टिक आदि।

इसी प्रकार आयात सूची में भी मदों की व्यवस्था अधिक की गई है जैसे कच्चा तेल, तेल उत्पाद, धातु स्क्रैप, गैर-फैरस धातुएं, कोककर कोयला, लकड़ी की लुगदी, कृषिगत मशीनरी, बन्दरगाह के उपकरण, नागरिक उड्डयन औजार आदि। नई मदों को भी शामिल किया गया है, जैसे बेंजीन, पिग लोहा, भारतीय रेलवे के लिए उपकरण तथा सामग्री आदि। परम्परागत व्यापार के अतिरिक्त नई तरह के आर्थिक सहयोग जैसे उत्पादन, संयुक्त उद्यम, सेवा क्षेत्र में सहयोग आदि को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाएं

1701. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग ने हाल ही में यात्रियों के और अधिक सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या सभी रेलगाड़ियों में शीतल पेय जल की सुविधा भी प्रदान की गई है;

(घ) क्या रेलगाड़ियों में उपलब्ध कराया जा रहा पीने का पानी साधारणतया: ठण्डा नहीं होता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें सुविधाओं में हुए महत्वपूर्ण सुधारों का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) और (ङ) परीक्षण के तौर पर सवारी डिब्बों में पीने के ठण्डे पानी के लिए जल शीतल लगाने की सुविधा शुरू की जा रही है।

(घ) शयनयानों में पानी के कन्टेनरों की व्यवस्था की गई है जिनमें प्रारम्भिक स्टेशनों तथा मार्गवर्ती महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पीने का ठण्डा पानी भरा जाता है।

विवरण :

1. स्नानागारों की सफाई में सुधार लाने के लिए टर्मिनलों तथा मार्ग में हाई प्रेसर वाटर जेटों की व्यवस्था की गई है।

2. बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों में प्रत्येक शौचालय के जल टंकी की क्षमता 1272 लीटर से बढ़ाकर 1820 लीटर तथा मीटर लाइन पर यह प्रति सवारी डिब्बा 960 लीटर से बढ़ाकर 1206 लीटर कर दी गई है।

3. अगले वित्त वर्ष के अन्त तक लम्बी दूरी की गाड़ियों में दूसरे दर्जे के सभी लकड़ी की सीटों को गद्दीदार सीटों में बदल दिया जाएगा।

4. लम्बी दूरी की गाड़ियों तथा स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था कर दी गई है।

5. दिन की यात्रा के दौरान लम्बी दूरी की कुछ गाड़ियों में चल गाड़ी सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है।

6. भीड़-भाड़ कम करने तथा बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए पहले दर्जे के सवारी डिब्बों के स्थान पर दूसरा दर्जे के वातानुकूलित शयनयान लगाए जा रहे है।

7. यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण गाड़ियो में गलियारेदार सवारी डिब्बों की उत्तरोत्तर व्यवस्था की जा रही है।

8. लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में वाटर कूलरों को प्रयोग तौर पर लगाया जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की वसूली के बारे में निर्णय करने के लिए राज्यों द्वारा विशेष/पृथक न्यायालय न्यायाधिकरण गठित करना

1702. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की जाने वाली ऋण राशि की वसूली से संबंधित मामलों की सुनवाई करने और उन पर निर्णय देने के लिए विशेष/पृथक न्यायालय/न्यायाधिकरण गठित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं और इस हेतु गठित किए गये न्यायाधिकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन न्यायालयों ने कितने समय में कितने मामले निपटाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे ऐसे किसी भी राज्य की जानकारी नहीं है जिसने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किए गए ऋणों की वसूली से संबंधित मामलों की सुनवाई और निर्णय करने के लिए विशेष/अलग अदालतें/न्यायाधिकरण स्थापित किए हों।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

चाय को खेप-कर से छूट

1703. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य और अन्य राज्यों को चाय को खेप-कर से छूट देने के बारे में कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) अभी परेषण-कर लागू नहीं किया गया है। अतः, चाय को इस प्रकार के किसी कर से छूट देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

रेलवे द्वारा मलेशिया में प्रारम्भ की गई परियोजनाएं

1704. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मलेशिया में रेलवे के कुछ सेक्शनों पर सिगनलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण और रेल लाइन को दोहरा करने तथा रेल मार्गों के नवीकरण करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर मलेशिया सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी नहीं, सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं किया है लेकिन इंडियन रेलवे कंसट्रक्शन कम्पनी (इरकान), जो पहले ही मलायन रेलों पर रेलपथ नवीकरण का 100 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य कर रही है, ने उनकी सिगनल तथा दूर-संचार प्रणाली के सुधार तथा अपग्रेडेशन के लिए प्रस्ताव किया है जिसकी लागत लगभग 80 करोड़ रुपए है।

नीलांचल एक्सप्रेस और पुरी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का देर से चलाया जाना

1705. **श्री चिन्तामणि जेना :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 175 अप/176 डाउन नीलांचल एक्सप्रेस और 915 अप/916 डाउन पुरी-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस/नई दिल्ली-पुरी नीलांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियां पिछली समय-सारणी के पुनः लागू किये जाने के बाद भी देर से चलायी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) शरारती तत्वों की गतिविधियां, जिसमें खतरे की जंजीर खींचना, आन्दोलन और कतिपय उपस्कर की खराबियां शामिल है, के कारण पुरी-नीलांचल एक्सप्रेस गाड़ियों का समयपालन सन्तोषजनक नहीं रहा।

(ग) गाड़ियों के विलम्ब से चलने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) परिहार्य समय-नुकसान पर नियंत्रण करने के लिए और कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में बैंक शाखायें खोलना

1706. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा हिमाचल प्रदेश में औसतन कितने ग्रामीण क्षेत्र को सेवा प्रदान की जाती है और पंजाब और हरियाणा की तुलना में यह क्षेत्र कम है या अधिक; और

(ख) क्या इन आंकड़ों में नगर पालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों के अन्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों में खोली गई शाखाएं शामिल नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय-कृत बैंकों की और अधिक शाखायें खोली जायेंगी जिससे कि निर्दिष्ट सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण योजना के अन्तर्गत बेहतर बैंक सेवा उपलब्ध कराई जा सके, क्योंकि कठिन भौगोलिक स्थितियों और पहाड़ियों, वनों और झरनों स्रोतों की अधिकता के कारण हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के दूरस्थ स्थानों को किसी शाखा द्वारा बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए विश्वसनीय मानदण्ड नहीं है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से, ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा के अन्तर्गत आने वाले औसत क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के तीन राज्यों के कुल क्षेत्र, दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार, बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या और इन राज्यों में बैंक शाखा के अन्तर्गत आने वाले औसत क्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य का नाम	कुल क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में	31-12-88 तक की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या	शाखा के अंतर्गत अपने वाला औसत क्षेत्र
हिमाचल प्रदेश	55673	651	85.51 वर्ग किलोमीटर
पंजाब	50362	2072	24.20 वर्ग किलोमीटर
हरियाणा	44222	1239	35.69 वर्ग किलोमीटर

पंजाब और हरियाणा के सम्बन्ध में उक्त आंकड़ों में शहरी/म्यूनिसिपल/अधिसूचित क्षेत्र शामिल कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में, शाखा बैंकिंग आंकड़ों के प्रयोजन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार, कोई भी शहरी बैंक क्षेत्र नहीं है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के साथ समाप्त होने वाली वर्ष 1985—90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग-अलग बैंकों को, हिमाचल प्रदेश में अपनी शाखाएं खोलने के वास्ते 163 केन्द्र आबंटित किए हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने, ग्रामीण ऋणों के संदर्भ में सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश में बैंकों को 36 और केन्द्र आबंटित किए हैं। बैंकों को केन्द्र आबंटित करते समय, भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के लिए, प्रति बैंक कार्यालय के पीछे 10,000 की जनसंख्या का मानदण्ड अपनाया है जबकि अन्य राज्यों के लिए 17,000 की जनसंख्या का मानदण्ड रखा गया है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सामान्यतया प्रत्येक गांव से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर एक बैंक शाखा उपलब्ध हो।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

1707. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार किन-किन जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गये हैं ?

(ख) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यक्षेत्र का निकटवर्ती और शेष जिलों तक विस्तार करके अथवा नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोल कर, बाकी जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का भी कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक राज्य के बाकी जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के लिए किस तारीख तक उपाय किये जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में गठित केलकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर बनाई गई नई नीति में इस बात की परिकल्पना की गई है कि नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के बजाय वर्तमान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने पर बल दिया जाना चाहिए।

अतः नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के लिए चयनात्मक आधार पर विचार किया जाता है। उन जिलों में, जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की अधिक जनसंख्या है वहां, नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के वास्ते तरजीह दी जाती है। ऐसे क्षेत्रों में भी नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के लिए उस क्षेत्र में शाखाओं की संख्या तथा और अधिक शाखा विस्तार की गुंजाइश, लक्ष्य समूहों की बहुलता, ऋण अन्तराल, क्षेत्र में कारबार के अवसर के संदर्भ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संभावित अर्थ-

क्षमता और उस क्षेत्र में वर्तमान सहकारी ऋण ढांचे की क्षमता को ध्यान में रख कर विचार किया जाएगा। नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संभाव्यता या वर्तमान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विस्तार सुनिश्चित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में संबद्ध राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक द्वारा एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अविलम्ब प्रमाण-पत्र

1708. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने सातवीं योजना के दौरान 31 मार्च, 1989 तक नई रेल लाइनें बिछानें/रेल लाइन बदलने सम्बन्धी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु जोन-वार कोई अविलम्ब प्रमाण पत्र जारी किए हैं तथा ये परियोजनायें कौन-कौन सी हैं और इनके लिए ये प्रमाणपत्र कब जारी किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना के निर्माण में अब तक हुई प्रगति तथा खर्च का ब्योरा क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) क्या अविलम्ब प्रमाण पत्रों को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं के निर्माण को कोई प्राथमिकता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो किस तरह की प्राथमिकता दी जा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाना

1709. **श्री अमर सिंह राठवा :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चाय को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ख) विदेशों में कितने प्रचार केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा ये किन देशों में स्थापित किये गये हैं; और

(ग) विदेशी बाजार में भारतीय चाय की मांग बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) बोर्ड ने विदेशों में चाय के प्रचार-प्रसार कार्य पर वर्ष 1987-88 के दौरान 5.48 करोड़ रुपए और वर्ष 1988-89 के दौरान

5.23 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(ख) विदेशों में 6 चाय संवर्धन कार्यालय हैं। यह कार्यालय लन्दन (यू० के०), ब्रूसेल्स (बेल्जियम), न्यूयार्क (यू० एस० ए०) काहिरा (मिस्र) सिडनी (आस्ट्रेलिया) तथा कुवैत में स्थित हैं।

(ग) विदेशों में भारतीय चाय की मांग को बढ़ाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) ब्रान्ड संवर्धन के लिए निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में ऋण सहायता;

(2) प्रजातिगत संवर्धन के स्थान पर मूल्यवर्धित चाय के लिए एक जातीय अभियान चलाना;

(3) चाय बैगों, पैकेट चाय/चाय कैंडियों, इंस्टैन्ट चाय तथा शीघ्रता से तैयार होने वाली काली चाय पर नकद मुआवजा सहायता की अनुमति दी गयी है;

(4) अन्य किस्मों की चाय को दार्जिलिंग चाय कहकर गलत प्रस्तुति रोकने के उद्देश्य से दार्जिलिंग चाय के लिए एक लोगों या प्रतीक-चिन्ह शुरू किया गया है;

(5) चाय बैगों को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया गया है;

(6) चाय बैगों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर कागज पर सीमा-शुल्क समाप्त कर दिया गया है;

(7) पैकेट चाय निर्यात पर उत्पादन शुल्क में छूट;

(8) अलग-अलग कम्पनियों द्वारा विदेश में प्रचार और संवर्धन के लिए एफ० ओ० बी० वसूली की 10% राशि लेने की स्वीकृति दी गई है;

(9) उन छोटे पैकेट निर्माताओं को उत्पादन शुल्क से मुक्त रखा गया है जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है।

(10) ब्रान्ड के अन्तर्गत चाय निर्यात की अनुमति दी गई है।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास ऋणों का पुनर्वित्तपोषण

1710. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक/संस्थावार राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास ऋणों के लिये वर्ष 1988-89 के दौरान कितने पुनर्वित्तपोषण की सुविधाएं दी हैं और वर्ष 1989-90 के लिए क्या सुविधाएं देने का विचार किया गया है;

(ख) क्या प्रत्येक बैंक/संस्थान द्वारा, आवास ऋणों के उपयोग पर प्रत्येक राज्य में नियंत्रण रखा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास ऋणों की कुल कितनी

धनराशि का पुनर्वित्तपोषण किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि निम्नलिखित द्वारा मंजूर किए गए प्रत्यक्ष आवास ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त योजनाएं अभी हाल में ही शुरू की गयी हैं :—

(1) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(2) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक

(3) अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

(4) राज्य स्तरीय शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त समितियां

(5) आवास वित्त कम्पनियां और

(6) कर्नाटक राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

इन संस्थाओं द्वारा 1 जनवरी, 1989 को अथवा उसके बाद मंजूर किए गए विशिष्ट आवास ऋण पुनर्वित्त के पात्र हैं। प्रति उधारकर्ता मंजूर किए गए 50,000 रुपये तक के आवास ऋण (40 वर्ग मीटर से अनधिक निर्मित क्षेत्र के लिए (शत-प्रतिशत पुनर्वित्त के पात्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम क्षेत्र सीमा में छूट दी जा सकती है बशर्ते आवास एकक की लागत 6:000 रुपये से अधिक न हो। शहरी क्षेत्रों में 40 वर्ग मीटर से अनधिक निर्मित क्षेत्र के लिए प्रति उधारकर्ता 50,000 रुपए से अधिक लेकिन 1 लाख रुपये से कम केआवास ऋण भी पुनर्वित्त के पात्र हैं लेकिन इसे केवल 50,000 रुपये तक सीमित कर दिया गया है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्मित क्षेत्र चाहे जितना हो, बढ़ोतरी के लिए, जिसमें भारी मरम्मत भी शामिल है, प्रति उधारकर्तामंजूर किए गए 30,000 रुपए तक के ऋण शतप्रतिशत पुनर्वित्त के पात्र हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों से हाल ही में 31 मार्च, 1989 से आवास वित्त के राज्य के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि जून 1989 तक, एक अनुसूचित गैर सरकारी बैंक को 40,000 रुपए तथा दो आवास वित्त कम्पनियों को 95.98 लाख रुपए तक का पुनर्वित्त मंवितरित किया गया है।

आप्टिक फाइबर संचार प्रणाली

1711. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे में विद्युतीकृत रास्तों के साथ-साथ "आप्टिक फाइबर" संचार प्रणाली स्थापित करने की परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां। मध्य

रेलवे के नागपुर-इटारसी तथा इटारसी-भुसावल खण्डों और दक्षिण पूर्व रेलवे के नागपुर-दुर्ग खण्ड के लिए आप्टिक फाइबर केबुल की दूर-संचार प्रणाली अपनायी जा रही है ।

लघु उद्योग के निर्यात ग्रहों को प्रोत्साहन

1712. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात ग्रहों/व्यापारिक ग्रहों और अन्य निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए एक "फास्ट ट्रेक स्कीम" शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) जी हां ।

(ख) योजना का मुख्य उद्देश्य प्रमुख (स्टार) निर्यातकों के आवेदनों का निपटान अधिक तत्परता से करना है ताकि वे अपने निर्यात निष्पादन में सुधार कर सकें ।

मूल्य वर्धित कर लागू करना

1713. **श्री पी० एम० सईद** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मूल्य वर्धित कर लागू करने के बारे में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ के विचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या प्रस्तावित कराधान प्रणाली से अन्तिम उत्पादों पर कर निर्धारण आसान हो जाएगा; और

(घ) मूल्य वर्धित कर लागू करने से अन्य क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) देश में सभी अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक व्यापक मूल्य-वर्धित कर (वी० ए० टी०) लागू करने का सुझाव हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल महासंघ (एफ० आई० सी० सी० आई०) द्वारा आयोजित एक कार्यशाला के संबंध में इस महासंघ द्वारा तैयार किए गए एक पृष्ठभूमि-पत्र में दिया गया था। हालांकि वी० ए० टी० में कुछ खूबियां हो सकती हैं, क्योंकि विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक ही कर में बदल कर कराधान के सोपानी प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है फिर भी इस योजना को देश के विकास की मौजूदा स्थिति में लागू करना कठिन होगा । इसके अलावा संविधान के विद्यमान ढांचे में ऐसे कर को लागू करना सम्भव नहीं होगा।

चाय का उत्पादन

[हिन्दी]

1714. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चाय का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो चाय के उत्पादन में कितनी कमी आई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उत्पादन में और कमी को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) जनवरी—मई, 1989 के दौरान देश में विशेषकर दक्षिण भारत में प्रतिकूल मौसम के कारण चाय का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में कम रहा। जनवरी—मई, 1989 के दौरान, चाय के उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन से 21.9 मि० कि० ग्रा० की कमी होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) चाय मुख्यतः वर्षा से सींची जाने वाली फसल है। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से चाय बोर्ड और व्यावसायिक बैंक चाय एस्टेट को ऋण दे रहे हैं ताकि वे चाय बागानों में सिंचाई सुविधाएं बना सकें। वर्षा प्रारम्भ होने पर, वर्ष के बाकी हिस्से में चाय के उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है।

एल्कोहल और शीरे का निर्यात

[अनुवाद]

1715. श्री पी० आर० कुमारमंगलम :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्कोहल और शीरे का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उनमें कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों के लिए इथाइल एल्कोहल और शीरे के निर्यात आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	इथाइल एल्कोहल		शीरा	
	मात्रा (लाख मी० टन)	मूल्य (लाख रुपये)	मात्रा (लाख मी० टन)	मूल्य (लाख रुपये)
1986-87	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1987-88	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1988-89	0.18	799	1.15	726

(स्रोत : स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया)

राज-सहायता संबंधी नीति

[हिन्दी]

1723. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज सहायता के बढ़ते हुए भार को देखते हुए सरकार का विचार राज सहायता संबंधी अपनी नीति की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वी० के० गड़वी) : (क) और (ख) वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में पहले ही यह बताया है आठवीं आयोजना में राज सहायता (सब्सिडि) सहित चालू कार्यक्रमों को शामिल करने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए इनका इस दृष्टि से मूल्यांकन करना होगा कि क्या रुपये का मूल्य प्राप्त किया जा रहा है और क्या बेहतर लक्ष्य निर्धारित करके, बहुमुखी कार्यक्रमों का समेकन करके और स्थानीय संसाधनों के संग्रहण से सम्बद्ध बृहत्तर विकेन्द्रीकरण करके न्यूनतम लागत पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार

[अनुवाद]

1728. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1987, 1988 और 1989 की स्थिति के अनुसार रुपयों और एस० डी० आर० के रूप में पृथक विदेशी मुद्रा का कितना भंडार था;

(ख) वित्तीय वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान रुपयों और एस० डी० आर० के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार की न्यूनतम मात्रा कितनी थी; और

(ग) वित्तीय वर्ष के अन्त में विदेशी मुद्रा भंडार उस दिन कुल विदेशी ऋण का तथा अप्रैल, 1987, 1988 और 1989 के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात से कुल अर्जित की गई धनराशि का कितना प्रतिशत था ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) 1 अप्रैल, 1987, 1988 और 1989 तक की स्थिति के अनुसार, सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर, विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति नीचे दी गई है :—

	करोड़ रुपये	करोड़ एस० डी० आर०
1 अप्रैल, 1987	7645	460.8
1 अप्रैल, 1988	7287	405.0
1 अप्रैल, 1989	6605	326.9

(ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का माह के अन्त का न्यूनतम स्तर इस प्रकार था :—

	करोड़ रुपये	करोड़ एस० डी० आर०
1987-88	6813	401.1
	(31-1-1988 तक की स्थिति के अनुसार)	
1988-89	5708	318.0
	(28-2-1989 तक की स्थिति के अनुसार)	

(ग) पिछले तीन वर्षों के अन्त में कुल बकाया विदेशी ऋण की प्रतिशतता के रूप में और कुल निर्यात आय के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर निम्न प्रकार था :—

	बकाया विदेशी ऋण	निर्यात आय
31-3-1987	16.86 प्रतिशत	64.85 प्रतिशत
31-3-1988	14.13 प्रतिशत	48.62 प्रतिशत
31-3-1989	10.23 प्रतिशत	34.71 प्रतिशत

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित/जनजातियों के लोगों को बैंकों द्वारा सहायता

1729. श्री सोमनाथ रथ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन वाणिज्यिक बैंकों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने सरकार द्वारा विभिन्न बैंकों को जारी किए गए निवेशों के अनुसार 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित/जनजातियों के लोगों को कुछ प्रतिशत ऋण मंजूर किए हैं; और

(ख) क्या कुछ बैंक इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में असफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में असफल रहने वाले बैंकों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि "नये 20-सूत्री कार्यक्रम" के अन्तर्गत आने वाली अलग-अलग किस्म की गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए और प्रत्येक सूत्र के संबंध में ठोस योजनाएं न होने के कारण, बैंकों के लिए समग्र रूप से 20-सूत्री कार्यक्रम अथवा उसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक सूत्र के लिए, कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं रखे गए हैं। इसके अलावा, वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती।

अलबत्ता, जून, 1988 के अन्त तक उड़ीसा राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए अग्रिमों और "अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों

को न्याय" सूत्र के अन्तर्गत आने वाले संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(रकम करोड़ रुपये में)

	बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रकम	"अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को न्याय" सूत्र के अन्तर्गत
	बकाया रकम	बकाया रकम
उड़ीसा	267.35	68.57

"अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को न्याय" सूत्र के अन्तर्गत दिए गए ऋण 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए कुल अग्रिमों का 25.6 प्रतिशत बैठते हैं। उड़ीसा में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों कार्य-निष्पादन संतोषजनक समझा गया है।

उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा सहायता

[हिन्दी]

1730. **श्री हरीश रावत :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने विभागों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, निकायों और वित्तीय संस्थाओं ने गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम से विकास कार्यों के लिए ऋण हेतु अनुरोध किया है;

(ख) क्या इन अनुरोधों को स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जीवन बीमा निगम, सामाजिक आवास योजनाओं, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जल आपूर्ति और मल निकासी योजना हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को तथा उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष सहकारी आवास वित्त समिति के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को कई वर्षों से ऋण देता आ रहा है।

(ख) और (ग) शीर्ष सहकारी आवास वित्त समिति को दिए गए ऋण को छोड़कर, उधार लेने वाली ऊपरलिखित एजेंसियों को दिए जाने वाले सभी ऋण योजना आयोग द्वारा किये गये वार्षिक आवंटनों के आधार पर दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश शीर्ष सहकारी आवास वित्त समिति के ऋण संबंधी आवेदनपत्र पर जीवन बीमा निगम द्वारा गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है क्योंकि यह मद योजना भिन्न क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

रामनगर-मरूचला-भिकिया सैंग-चौखुटिया रेल मार्ग

1731. **श्री हरीश रावत :**

क्या रेल मन्त्री रामनगर—मरूचला—भिकिया सैंग-चौखुटिया रेल मार्ग के बारे में

3 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1405 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सर्वेक्षण कार्य के पूरा होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके किस तारीख तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) सर्वेक्षण के मार्च, 1992, तक पूरा होने की आशा है।

हल्द्वानी, उत्तर प्रदेश में हीरा तराशने का केन्द्र

1732. **श्री हरीश रावत** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हल्द्वानी, नैनीताल स्थित हीरा तराशने के केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों में असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) डायमंड ऐंड जैम डेवलपमेंट कार्पोरेशन (डी०जी०डी०सी०) भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित एक कम्पनी है। इस कम्पनी ने सूचित किया है कि वह हल्द्वानी, उ० प्र० में जेम पार्क विकसित कर रही है। डी०जी०डी०सी के अध्यक्ष ने सूचित किया है कि आरंभ में कुछ असन्तुष्ट प्रशिक्षणर्थियों ने आन्दोलन किया था, जो उनके हस्तक्षेप करने पर शीघ्र ही बन्द कर दिया गया। बताया गया है कि इन प्रशिक्षणार्थियों ने वजीफे, छात्रावास, रोजगार गारंटी, एक कर्मचारी का स्थानान्तरण आदि की मांग की थी।

लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना

1733. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के लिए केन्द्रीय बजट में एक लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो यह बैंक कहां पर स्थापित किया जाएगा तथा इस बैंक की स्थापना में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बैंक के कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना करने के लिए लोक सभा में दिनांक 10 मई, 1989 को एक विधेयक प्रस्तुत किया जा चुका है। इस पर विचार-विमर्श शुरू हो गया है। विधेयक में इस आशय का प्रस्ताव है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का प्रधान कार्यालय लखनऊ या किसी ऐसे

दूसरे स्थान पर होगा जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निश्चित कर सकती है।

बासमती चावल का निर्यात

1734. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक वर्षों से बासमती चावलों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष कितने और किस मूल्य पर बासमती चावल का निर्यात किया गया;

(ग) बासमती चावल के कुल निर्यात में पंजाब का हिस्सा कितना था;

(घ) क्या सरकार ने बुनियादी (प्राइमरी) निर्यातकों को कुछ छूट दी है;

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो छूट न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार का इस मामले पर पुनर्विचार करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान बासमती चावल के निर्यात की मात्रा 3,49.68 मी० टन का अनुमान लगाया गया है जिसका मूल्य 333.53 करोड़ रु० है।

(ग) निर्यात में राज्यवार अंश का ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(घ) और (ङ) वसूली के लिए लेवी प्रावधानों से बासमती चावल को छूट प्राप्त है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

वित्तीय घाटा

[अनुवाद]

1735. **श्री एच० वी० पाटिल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के भारत सहायता संघ ने भारत को वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सचेत किया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, देश के वित्तीय घाटे की क्या स्थिति रही है; और

(ग) वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने तथा भुगतान संतुलन पर दबाव को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जून, 1989 को पेरिस में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में सदस्यों ने भारत सरकार के बजटीय

घाटे में हुई कमी की प्रशंसा की। तथापि, उनमें से कुछ सदस्यों ने कहा कि वे इस दिशा में आगे और सुधार होने की आशा करते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार का बजटीय घाटा 1986-87 में 8261 करोड़ रुपए और 1987-88 में 5816 करोड़ रुपए था तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह घाटा 1988-89 में 5800 करोड़ रुपए था।

(ग) सरकार ने बजटीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें कर राजस्व संग्रह में वृद्धि की प्रवृत्ति को बनाए रखना, कर-अपवंचन को रोकना, और निम्न प्राथमिकता तथा गैर-विकासात्मक व्यय में वृद्धि पर नियंत्रण रखना जैसे उपाय शामिल हैं। राजकोषीय असंतुलन के वर्तमान स्तर की कमी अर्थव्यवस्था के वचत निवेश के अंतर में कमी लाने से भुगतान-शेष में सुधार हो सकेगा।

ललितपुर-खजुराहो रेल लाइन

[हिन्दी]

1736. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीकमगढ़, छत्तरपुर खजुराहो हो कर जाने वाली ललितपुर-खैरादा रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) छत्तरपुर खजुराहो—सिद्धी के रास्ते ललितपुर—सिंगरौली रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण 1988-89 में अनुमोदित किया गया है। इस वर्ष मानसून के तुरन्त वाद सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा।

जम्मू—राजकोट साप्ताहिक रेलगाड़ी की वारम्वारता

[अनुवाद]

1737. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग को लम्बी दूरी वाली जम्मू --राजकोट साप्ताहिक रेलगाड़ी में यात्रियों के आवागमन में भारी वृद्धि होने के कारण, इसे दैनिक रेलगाड़ी बनाने में बदलने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) इस गाड़ी के फेरे बढ़ाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, सप्ताह में दो बार चलने वाली 181/182 सर्वोदय

एक्सप्रेस, साप्ताहिक 997/998 हापा-जम्मू तवी एक्सप्रेस तथा सप्ताह में 4 दिन चलने वाली 171/172 बम्बई—जम्मू तवी एक्सप्रेस बड़ोदरा—जम्मूतवी के मिश्रित मार्ग पर चलती है। अतः इस गाड़ी के फेरे बढ़ाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

राजकोट जंक्शन पर रेल-शायिका के कोटे में वृद्धि

1738. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजकोट जंक्शन पर विभिन्न रेलगाड़ियों में शायिका के कोटे में वृद्धि करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) 151 राजधानी एक्सप्रेस, 25 डीलक्स एक्सप्रेस, 28 मारवाड़—रणकपुर एक्सप्रेस, 8 अहमदाबाद—बम्बई जनता एक्सप्रेस, 506 आश्रम एक्सप्रेस, 903 राजकोट—त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस, 931 राजकोट—हैदराबाद एक्सप्रेस तथा 171 बंबई—जम्मूतवी एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षण कोटा आबंटित करने/बढ़ाने के लिए तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) सीमित स्थान उपलब्ध होने तथा अन्य मध्यवर्ती स्टेशनों पर कोटे के भारी उपयोग के कारण उपर्युक्त गाड़ियों में राजकोट के लिए कोई कोटा आबंटित करने/बढ़ाने के उद्देश्य से कोटे में कोई कमी-बेशी करना कठिन है।

बम्बई—राजकोट मार्ग पर अतिरिक्त गाड़ियां

1739. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट—बम्बई मार्ग पर इस समय चल रही गाड़ियां इस मार्ग पर बढ़ते यातायात को सम्भालने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ और गाड़ियां चलाने तथा साप्ताहिक गाड़ियों को दैनिक गाड़ियों में परिवर्तित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पेरम्बुर रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में रेलवे सुरक्षा आयोग की रिपोर्ट

1740. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा आयोग ने 8 जुलाई, 1988 को पेरूमन (केरल) के निकट हुई रेल-दुर्घटना के संबंध में अपनी अन्तिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारणों के संबंध में आयोग की जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण क्षेत्र, जिन्होंने जांच की थी, के अनुसार यह दुर्घटना पुल से गाड़ी के गुजरते समय एक बवण्डर के परिणामस्वरूप हुई।

(ग) रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण क्षेत्र की अन्तिम रिपोर्ट की जांच करने के लिए सरकार ने एक विशेष विशेषज्ञ समिति गठित करने का विनिश्चय किया है।

राज्यों को जल के समान वितरण के लिए राष्ट्रीय जल ग्रिड

1741. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्री पी० कुलनदईवेलु :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार जल के समान वितरण के लिए एक राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकारों से भी विचार विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सिद्धमुख और नोहार परियोजनाओं को मंजूरी देना

[हिन्दी]

1742. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने सिद्धमुख और नोहार परियोजनाओं को अभी तक मंजूरी नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक मंजूरी दी जायेगी ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दोनों सिद्धमुख एवं नोहार सिंचाई परियोजनाएं तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाई गई हैं । राजस्थान सरकार को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करने की सलाह दी गई है ।

खनिजों का निर्यात

[अनुवाद]

1745. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिजों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई नई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितने मूल्य के खनिजों का निर्यात किया गया तथा किन देशों को निर्यात किया गया; और

(घ) नई योजना के आरंभ के पश्चात् निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) खनिजों के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो कुछ उपाय किए गए है, उनमें शामिल हैं, बाजार का विविधीकरण, बेहतर इकाई मूल्य अधिप्राप्ति, निर्यातों के लिए मूल्यवर्धन और दीर्घावधि संविदाएं प्राप्त करना ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खनिज एवं अयस्क के निर्यातों का मूल्य नीचे दिए अनुसार था :—

वर्ष	(मूल्य करोड़ रु० में)
1986-87	723.33
1987-88	793.41 (अ)
1988-89	1027.13 (अ)

अ : अनन्तिम

(घ) ग्रेनाइट एल्यूमीना और एल्यूमिनियम आदि तथा अन्य परिष्कृत खनिजों सहित खनिज एवं अयस्क का निर्यात वर्ष 1989-90 के दौरान बढ़कर 1600 करोड़ रु० होने की आशा है ।

साधारण बीमा निगम की चिकित्सा बीमा योजना

1750. **श्री महेश्वर तांती :**

श्री अब्दुल हमीद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम ने "हास्पिटलाइजेशन एण्ड डोमिसिलियरी हास्पिटलाइजेशन योजना" के नाम से एक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है;

(ख) क्या चिकित्सीय उपचार की वर्तमान लागत को देखते हुए बीमाधारियों को और अधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस योजना पर पुनर्विचार करके इसे संशोधित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां। भारतीय साधारण बीमा निगम ने 3, नवम्बर, 1986 से अस्पताल में भर्ती और आवासीय चिकित्सा लाभ पालिसी प्रारम्भ की है, जिसे "मेडीक्लेम" के नाम से जाना जाता है।

(ख) और (ग) इस पालिसी के अधीन मिलने वाले लाभों में से आकस्मिक रूप से होने वाले अधिकांश चिकित्सा संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। ये सीमाएं बम्बई तथा अन्य महानगरों में प्रचलित चिकित्सा संबंधी लागतों के आधार पर निर्धारित की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों की पुनरीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब इस योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा कर ली जाए तथा कुछ समयावधि के दौरान इसका अनुभव प्राप्त हो जाए।

विदेशी मुद्रा में भुगतान

1751. **श्री महेश्वर तांती :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न बातों को दर्शाते हुए विदेशी मुद्रा में दिए गए अंशदान, योगदान और सहायता का ब्यौरा क्या है;

(i) उस मंत्रालय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम, जिसने उपयुक्त विदेशी मुद्रा संबंधी प्रत्येक मामले पर कार्यवाही की;

(ii) उस देश का नाम जिसे यह धनराशि दी गई;

(iii) सहायता आदि देने के कारण;

(ख) क्या ऐसे भी मामले है जिनमें इस प्रकार का योगदान देना बन्द कर दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भूमिहीन आदिवासियों की सहायतार्थ कानूनी-सहायता समिति

1752. श्री महेश्वर तांती :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के निर्धन वर्गों और भूमिहीन आदिवासियों को कानूनी सहायता देने के लिए राज्य स्तर पर कोई कानूनी-सहायता समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) स्थिति स्पष्ट करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा बनाई गई स्कीम के अनुसार लगभग सभी राज्यों में विधिक सहायता और सलाह बोर्डों की स्थापना कर दी गई है।

मुख्य मंत्री या विधि और न्यायिक मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, किन्तु उच्च न्यायालय का पदासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका कार्यपालक अध्यक्ष है। बोर्ड के अन्य सदस्य बार, पदाधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं।

इन बोर्डों के अधीन, उच्च न्यायालयों और जिलों/तालुकों में विधिक सहायता समितियां स्थापित कर दी गई हैं। ये समितियां मुकदमा लड़ने वाले निर्धन व्यक्तियों को, जिनके अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्ति, भूमिहीन आदिवासी हैं, नि:शुल्क विधिक सहायता देती है, किन्तु निर्धन वर्ग के व्यक्तियों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है और विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति उनके कार्यपालक अध्यक्ष के माध्यम से इसे मानीटर करती है और सुनिश्चित करती है। कई राज्य बोर्डों के विशेष सेल, विशिष्टतया, अनुसूचित जिलों में कार्यरत हैं।

राज्य विधिक सहायता बोर्ड, समय-समय पर पक्षकारों के बीच समझौते के माध्यम से विवादों के निपटारे के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर लोक अदालतें भी आयोजित करते हैं।

विभिन्न बोर्डों और उनके द्वारा आयोजित लोक अदालतों द्वारा दी जाने वाली विधिक सहायता के बारे में जानकारी, जो 20-7-1989 को विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के पास उपलब्ध थी, निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	राज्य बोर्ड का नाम	विधिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	आयोजित लोक अदालतों की संख्या	निपटाए गए मामले
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	13,303	80	1,36,263
2.	अरुणाचल प्रदेश	508	—	—

1	2	3	4	5
3.	असम	1,005	19	1,661
4.	बिहार	1,809	14	15,773
5.	गोवा	192	5	513
6.	गुजरात	14,077	225	34,597
7.	हरियाणा	2,496	144	57,607
8.	हिमाचल प्रदेश	474	—	—
9.	जम्मू-कश्मीर	2,827	—	—
10.	कर्नाटक	45,085	272	17,599
11.	केरल	446	—	—
12.	मध्य प्रदेश	2,71,773	100	3,12,804
13.	महाराष्ट्र	34,866	553	19,245
14.	मणिपुर	92	3	203
15.	मेघालय	80	—	—
16.	मिजोरम	2,824	—	—
17.	नागालैंड	2	—	—
18.	उड़ीसा	62,541	398	97,017
19.	पंजाब	5,313	—	—
20.	राजस्थान	14,122	252	3,45,154
21.	सिक्किम	150	3	10
22.	तमिलनाडु	4,45,072	8	1,119
23.	त्रिपुरा	1,650	1	156
24.	उत्तर प्रदेश	43,259	694	6,20,430
25.	पश्चिम बंगाल	4,517	9	599
26.	चण्डीगढ़	—	2	98
27.	दिल्ली	21,502	10	5,629
28.	पांडिचेरी	5,901	10	310

मुद्रा की विनिमय दर में उतार चढ़ाव का विदेशी सहायता पर प्रभाव

1755. **श्रीमती किशोरी सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रा की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण, विश्व बैंक और सहायता देने वाले अन्य देशों द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सहायता देने वाले देशों से इस अतिरिक्त राशि का नई परियोजनाओं के लिए प्रयोग करने के बारे में बातचीत कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस अतिरिक्त राशि का किन परियोजनाओं के लिए प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) विश्व बैंक सहित दाता देशों से मिलने वाली सहायता विशिष्ट मुद्राओं में वचनबद्ध होती है। मूल्यवर्ग से सम्बद्ध मुद्राओं में की गई इस वचनबद्धता में मुद्रा में होने वाले उतार-चढ़ाव से कोई परिवर्तन नहीं आता है और इसलिए इसके मूल्य वर्गों की करेंसियों में अधिशेष होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

निर्यात के लिए दी जाने वाली राजसहायता

1756. **श्रीमती किशोरी सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यात के लिए दी जाने वाली राजसहायता को कम करने तथा धीरे-धीरे बिल्कुल समाप्त करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारतीय निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चे माल की सप्लाई करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव चंद्रन दास मुखी) : (क) से (ग) भारतीय अर्थव्यवस्था में निहित कुछ अलाभकारिताओं की प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से समय समय पर पुनरीक्षित विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत चयनात्मक आधार पर निर्यातकों को नकद मुआवजा सहायता शुल्क वापसी कुछ कच्चे मालों आदि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति के रूप में मुआवजा प्रदान किया जाता है।

बैंक लिपिकों एवं अधिकारियों की भर्ती

1757. **श्रीमती किशोरी सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण क्षेत्रों से और अधिक व्यक्तियों की भर्ती करने के लिए बैंक लिपिकों और अधिकारियों की भर्ती हेतु नीतियों में

परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बैंकों द्वारा मौजूदा भर्ती नीतियों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक बैंक कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में भर्ती करने की अपेक्षा करती है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) वर्तमान भर्ती नीति के अन्तर्गत, पात्र उम्मीदवारों को उनकी शहरी/ग्रामीण पृष्ठ भूमि पर ध्यान दिए बिना सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लिपिकीय/अधिकारी संवर्ग में भर्ती करने के लिए विचार किया जाता है। परन्तु सरकार ने जूनियर मैनेजमेंट स्केल-एक से मिडिल मैनेजमेंट स्केल-दो में तथा मिडिल मैनेजमेंट स्केल-दो से मिडिल मैनेजमेन्ट स्केल-तीन में पदोन्नति के लिए ग्रामीण सेवा को एक पूर्व-शर्त बनाने के लिए मार्गनिदेश जारी किए है ।

पत्रकारों को विदेशों से इलैक्ट्रानिक टंकण मशीन लाने की अनुमति

1758. **श्रीमती किशोरी सिंह** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता प्राप्त पत्रकारों को विदेशों से इलेक्ट्रोनिक टंकण मशीन अथवा वीडियो राईटिंग मशीन लाने की अनुमति उस प्रकार है जिस प्रकार यात्री सामान लाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) दि० 6-12-1985 की यथा संशोधित अधिसूचना सं० 355/85-सी शु० के अनुसार, इसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर, किसी विदेशी प्रसारण और टेलीविजन संगठन अथवा किसी विदेशी समाचार एजेंसी अथवा किसी विदेशी समाचार पत्र के मान्यता प्राप्त संवाददाता द्वारा 85% के रिआयती सीमा-शुल्क (40 प्रतिशत मूल सीमाशुल्क+45 प्रतिशत उपचंगी सीमाशुल्क) की अदायगी कर के वीडियो राईटिंग मशीनों (वर्ड प्रोसेसर्स) का यात्रियों द्वारा अपने साथ लाए जाने वाले असबाब के रूप में आयात किया जा सकता है ।

असबाब नियमावली, 1978, पर्यटक असबाब नियमावली, 1978 तथा आवास अंतरण नियमावली, 1978 के तहत भी किसी यात्री के वास्तविक असबाब के रूप में ऐसे माल का आयात भी किया जा सकता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

टिकट आरक्षण के लिए टोकन प्रणाली

1759. **श्री पी० एम० सईद** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में टिकट आरक्षण के लिए नई टोकन प्रणाली लागू की गई है;

(ख) क्या यह प्रणाली दोषरहित है और संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह प्रणाली दूसरे रेलवे स्टेशनों पर भी लागू की जाएगी और यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) नई दिल्ली स्थित आई०आर० सी०ए० आरक्षण कार्यालय में हाल ही में टिकट आरक्षण के लिए टोकन प्रणाली शुरू की गई है।

(ख) सामान्यत: यात्रियों द्वारा इस प्रणाली की सराहना की गई है।

(ग) आई०आर०सी०ए० आरक्षण कार्यालय में इस आशय की कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस प्रणाली से कार्य मन्द गति से होगा तथा दलालों को लाभ मिलेगा।

(घ) यह प्रणाली विभिन्न रेलों पर 23 अन्य स्टेशनों पर प्रचलित है।

दिल्ली तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर भीड़

1760. **डा० गौरी शंकर राजहंस:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर दिन प्रति-प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) (i) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाले आगन्तुकों से इस बात के लिए आग्रह किया जा रहा है कि वे प्लेटफार्म पर तब तक प्रवेश न करें जब तक अत्यन्त आवश्यक न हो और प्लेटफार्म टिकटों का जारी करना भी नियंत्रित किया जा रहा है।

(ii) बुक स्टालों/बेंडिंग स्टालों /अन्य संरचनाओं के आकार को कम करने का प्रस्ताव है ताकि और अधिक स्थान उपलब्ध हो सके।

(iii) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपरी पैदल पुल पर आवागमन के सम्बंध में कुछ सुधार किये जा रहे हैं।

(iv) दिल्ली क्षेत्र में अन्य स्थानों पर टर्मिनल सुविधाओं का विकास करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है ताकि मौजूदा स्टेशनों पर भीड़-भाड़ को कम किया जा सके।

कपड़ा मिलों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता

1761. **डा० वी० वेंकटेश :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा चलाई गई टैक्सटाइल माडर्नाईजेशन फंड स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1987 से जून, 1989 तक कितनी कपड़ा मिलों को ऋण दिया गया;

(ख) दिए गए ऐसे ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी धनराशि की वसूली की गई तथा शेष कितनी राशि बकाया है;

(घ) क्या उपर्युक्त ऋणों को देने में कोई अनियमितता पाई गई; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) अगस्त 1986 में वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के आरंभ से लेकर मई 1989 के अंत तक, इस योजना के अंतर्गत 191 परियोजनाओं को ऋण मंजूर किए गए हैं। 31 मई, 1989 को मंजूरियों एवं संवितरणों की कुल रकमें क्रमश:754.40 करोड़ रुपए और 374.96 करोड़ रुपए थी।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि चूंकि वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना अभी हाल ही में आरंभ की गई है, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत प्राय : सभी मामलों में अभी तक सावधि ऋणों की वापसी अदायगी शुरू नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उपर्युक्त ऋण प्रदान किए जाने के संबंध में अभी तक अनियमितता के किसी भी मामले का पता नहीं चला है ।

मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा दिया गया कृषि ऋण

1762. **डा० बी० बेंकटेश** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार मध्य प्रदेश स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा राज्यवार कितना कृषि ऋण स्वीकृत किया गया;

(ख) क्या इससे कृषकों द्वारा की गई मांग पूरी हो जाती है, और यदि नहीं, तो हर वर्ष कितनी धनराशि के ऋण की कमी रह जाती है;

(ग) क्या सरकार ने ऋण की वसूली-अवधि पुन: निर्धारित करने के अलावा इस बात का पता लगाने के लिए भी कोई सर्वेक्षण किया है कि क्या बारम्बार सूखा पड़ने के कारण किसानों की ऋण लौटाने की क्षमता पूर्णत: समाप्त हो गई है, और यदि हां, तो मध्य प्रदेश में ऐसे कितने किसान हैं; और

(घ) इन किसानों की सहायता के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों अर्थात् 1986, 1987 और 1988 के दौरान मध्य प्रदेश में उसके द्वारा संवितरित कृषि ऋणों की राशि क्रमश: 985 लाख रुपये, 1075 लाख रुपये और 4032 लाख रुपये थी। बैंक ने आगे सूचित किया है कि प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को उसने पहले ही प्राप्त कर लिया है।

(ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर से प्राप्त सूचना के अनुसार सूखे से प्रभावित किसानों की ऋण वापस करने की क्षमता का पता लगाने के वास्ते कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूखे से प्रभावित किसानों को अल्पावधिक ऋणों को सावधि ऋणों में परिवर्तित करने, नये फसल ऋण प्रदान करने, सावधि ऋणों का पुनर्निर्धारण करने, वसूली आस्थगित करने, उपभोग ऋण मंजूर करने आदि जैसी कई रियायतें दी हैं।

बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष (सेल)

1763. **डा० बी० वेंकटेश :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निदेश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष की स्थापना करें और उपरोक्त कक्षों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जनसम्पर्क अधिकारी, नियुक्त करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह भी निदेश दिए हैं कि इन कक्षों का व्यापक प्रचार किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं, जिन्होंने उपरोक्त निदेशों का पालन नहीं किया और सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध, यदि कोई कार्यवाही की है, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से उनके प्रधान कार्यालयों और अंचल/क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष खोलने और प्रधान कार्यालय के स्तर पर सहायक महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक के पद का अधिकारी (यह अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होना आवश्यक नहीं है) तथा अंचल/क्षेत्रीय स्तर पर अन्य किसी उपयुक्त अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी को नियुक्त करने को कहा गया है। बैंकों से उनके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष के बारे में तथा सम्पर्क अधिकारी के बारे में प्रचार करने को भी कहा गया है। सभी बैंकों ने उनके प्रधान कार्यालय में अनुसूचित/जाति अनुसूचित जनजाति कक्ष की स्थापना एवं सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की पुष्टि कर दी है।

उड़ीसा में बैंकों की शाखाएं खोलना

1767. **श्री श्रीकांत जिनाल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इलाहाबाद बैंक तथा सिंडीकेट बैंक की पृथक-पृथक कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान उड़ीसा में इन बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में प्रत्येक बैंक की शाखाएं खोलने के लिए किन-किन स्थानों का,

बैंकवार चयन किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1988 की अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में इलाहाबाद बैंक की 41 शाखाएं तथा सिंडिकेट बैंक की 21 शाखाएं कार्य कर रही थीं। 1985—90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने उड़ीसा में शाखाएं खोलने के लिए इलाहाबाद बैंक को नौ केन्द्र तथा सिंडीकेट बैंक को दो केन्द्र आवंटित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवंटित केन्द्रों में से इलाहाबाद बैंक ने आठ केन्द्रों में तथा सिंडिकेट बैंक ने एक केन्द्र में शाखाएं खोली हैं। इलाहाबाद बैंक को कोरापुट जिले के चारमा में तथा सिंडिकेट बैंक को मयूरभंज जिले के कालनगाडिया में अपनी-अपनी शाखा अभी खोलनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आवंटित केन्द्रों में शीघ्रता से इन शाखाओं को खोलने को कहा है।

इलेक्ट्रोनिक उद्योग को विकसित करने के लिए विश्व बैंक से ऋण

1768. श्री राधाकांत डिगाल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में इलेक्ट्रोनिक उद्योग के विकास के लिए ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक द्वारा कुल कितनी राशि का ऋण मंजूर किया गया है; और

(ग) इलेक्ट्रोनिक उद्योग के विकास के लिए ऋण का उपयोग करने के संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) विश्व बैंक ने इलेक्ट्रोनिकी विकास उद्योग परियोजना के लिए 21 करोड़ डालर का ऋण अनुमोदित किया है जिसमें से भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई०सी०आई० सी० आई०) और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) प्रत्येक को 10.1 करोड़ डालर तथा भारत सरकार को 80 लाख डालर दिए जाएंगे। इस ऋण राशि का उपयोग सात वर्षों की अवधि में किया जाना है।

आई० सी० आई० सी० आई० तथा आई० डी० बी० आई० को दिए गए ऋणों से निवेश उद्यमों का वित्त पोषण किया जाएगा जो इलेक्ट्रोनिकी उद्योग क्षेत्र का विस्तार और उसका प्रोन्नयन कार्य में लगे हैं। भारत सरकार को दिए गए ऋण से इस क्षेत्र में जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण के लिए उपस्कर की खरीद का वित्त पोषण किया जाएगा।

तस्करी का सोना जब्त किया जाना

1769. श्री कृष्ण सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न एजेंसियों द्वारा छः महीनों की अवधि जनवरी से जून, 1989 के दौरान तस्करी का कितना सोना जब्त किया गया;

(ख) वर्ष 1988 की दोनों छमाहियों में जब्त किए गए सोने की मात्रा की तुलना में इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) इस सोने का निपटान कैसे किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा विगत छः महीनों (जनवरी से जून, 1989) में तथा वर्ष 1988 की दो छमाहियों में से प्रत्येक छमाही के दौरान पकड़े गए उस सोने की मात्रा एवं मूल्य नीचे दिया गया है जो तस्करी द्वारा लाया गया था :—

वर्ष	पकड़े गए सोने की मात्रा (कि० ग्रा० में)	पकड़े गए सोने की मात्रा (करोड़ रुपयों में)
जनवरी से जून, 1988 तक	2319.531	75.41
जुलाई से दिसम्बर, 1988 तक	3774.254	125.12
*जनवर से जून, 1989 तक	4494.402	143.53

*आंकड़े अनन्तिम हैं

(ग) पकड़े गए सोने को भारत सरकार के टकसाल में जमा करवा दिया जाता है।

कान्दी-खागराघाट/सालार (पश्चिम बंगाल) के मध्य रेल सम्पर्क

1770. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कांन्डी-खागराघाट/सालार के मध्य बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने के आदेश दे दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यह कार्य कब तक होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) नवम्बर, 1989।

(ग) जून, 1991 में।

लीड बैंक योजना

1773. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** :

क्या वित्त मन्त्री लीड बैंक योजना के बारे में 6 मई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या

10002 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लीड बैंक योजना के विकेन्द्रीकरण के लिए "विकास ब्लाक" को उपयुक्त इकाई माने जाने की सिफारिश सहित लीड बैंक योजना पर कार्यकारी दल की पांच सिफारिशों को स्वीकार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या निर्णय है और इसका क्रियान्वयन कब से प्रारम्भ किया गया है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि "लीड बैंकों" को संबंधित जिले के प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय में अपनी कम से कम एक शाखा खोलने का लाइसेंस दिया जाए ताकि वे इस संबंध में अपने जिलों के विभिन्न ब्लाकों में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकें; और

(घ) इस कार्य को कब तक कर लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) अग्रणी बैंक योजना पर कार्यकारी दल द्वारा, खण्ड स्तर पर विकेन्द्रीकृत योजना तैयार करने सहित की गई अधिकांश सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डा० पी० डी० ओझा, उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में नियुक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों से मिलती-जुलती थीं। डा० ओझा समिति द्वारा की गई सिफारिशें मान ली गई थीं और सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत ग्रामीण ऋणों के संदर्भ में एक नई कार्य नीति लागू की गई थी। इस कार्य नीति में ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक बैंक शाखा को 15 से 25 गांवों वाले विशेष सेवा क्षेत्र का आवंटन, प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा अपने-अपने सेवा क्षेत्र के लिए ऋण आयोजनाएं तैयार करना, शाखा ऋण आयोजनाओं में का खण्ड तथा बाद में वार्षिक जिला ऋण आयोजनाओं में एकत्रीकरण आदि जैसी बातें शामिल हैं। हम ऋण आयोजनाओं के अन्तर्गत होने वाली प्रगति पर जिला तथा राज्य स्तर पर समितियों के अलावा, खण्ड स्तर पर, खण्ड स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा नजर रखी जाएगी। सेवा क्षेत्र योजना 1 अप्रैल, 1989 से लागू कर दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अधिकांश खण्ड मुख्यालय छोटे-छोटे ग्रामीण केन्द्र हैं जो बैंक शाखाओं के अन्तर्गत आते हैं। और वहां पर अतिरिक्त शाखा खोलना आवश्यक नहीं होगा। अग्रणी बैंकों को सभी खण्ड मुख्यालयों में शाखाएं खोलने की अनुमति देने से बैंक शाखाओं की प्रचुर संख्या हो जाएगी और यह शाखाओं के समेकन के लिए बनाई गई समिति शाखा लाइसेंसिंग नीति के उद्देश्य के विरुद्ध होगा। अतः अग्रणी बैंकों को खण्ड मुख्यालयों में शाखाएं खोलने की अनुमति देने का मतलब किए गए कार्य को दोहराना होगा। अलबत्ता, सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत यह निर्णय किया गया है कि बैंकों (जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के बीच समन्वय रखने के लिए खण्ड स्तरीय बैंकर्स समिति गठित की जाए।

खण्ड स्तरीय अधिकारी और अग्रणी बैंक अधिकारी बैठक/समिति का अध्यक्ष तथा संयोजक होगा। किसी खण्ड में अग्रणी बैंक की शाखा न होने की स्थिति में, उस खण्ड में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला बैंक संयोजक होगा।

पशुओं के चारे का निर्यात

1774. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन ने नये बूचड़खाने खोलने के प्रस्ताव को रद्द करने एवं पशुओं के चारे के निर्यात पर रोक लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या पशुओं के चारे के निर्यात के कारण पशुओं को सस्ते आहार नहीं मिल पाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वदेशी मांग को ध्यान में रखते हुए ही पशुओं के चारे के अवयव के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

प्याज, मिर्च, अंगूर और सब्जियों का निर्यात

1775. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 और 1989 के दौरान प्रति वर्ष महाराष्ट्र से कितनी मात्रा में और किस किस्म की प्याज, मिर्च, अंगूर और सब्जियों का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार ने इन मदों के निर्यात के लिए नये बाजारों का पता लगाने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) राज्यवार निर्यात आंकड़े नीचे रखे जा रहे हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने नये बाजारों का पता लगाने के लिए जो उपाय किए हैं, उनमें शामिल हैं : क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना संभावित बाजारों में प्रदर्शनियां आयोजित करना, नकद मुआवजा सहायता तथा अन्य निर्यात लाभ देना आदि।

बम्बई में स्थानीय रेलगाड़ियां

1776. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बम्बई में स्थानीय रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव

है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) यह एक सतत प्रक्रिया है जो चल स्टाक तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

कम्प्यूटर से वापसी का आरक्षण

1777. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सारे देश में कम्प्यूटर से वापसी की आरक्षण प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) फिलहाल दिल्ली तथा बम्बई और दिल्ली तथा मद्रास के बीच कम्प्यूटर से वापसी यात्रा के आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव है । यह सुविधा दिल्ली तथा कलकत्ता के बीच पहले ही मुहैया करा दी गई है ।

(ख) यह सुविधा मार्च, 1990 तक उपलब्ध हो जाने की आशा है ।

(ग) इस सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत कर दिये गये हैं ।

सीमाशुल्क विभाग की खुदरा दुकानों पर बेची गई वस्तुओं के लिए नकद रसीद जारी करना

1779. **श्री कमला प्रसाद सिंह :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर दिल्ली में सीमाशुल्क विभाग की खुदरा दुकानों पर जनता को बेची गई वस्तुओं के लिए कोई नगद रसीद जारी नहीं की जाती ;

(ख) यदि हां, तो बिक्री का सही हिसाब किस प्रकार लगाया जाता है;

(ग) क्या सीमाशुल्क विभाग की खुदरा दुकानों पर इनके द्वारा रखे गए सामान का स्टाक और उसकी बिक्री दर को प्रदर्शित करने वाला कोई बोर्ड नहीं लगा होता;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन दुकानों पर हो रहे कदाचार के यदि कोई मामले जानकारी में आए हैं तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांडा) : (क) और (ख) मौजूदा अनुदेशों में यह अपेक्षित है कि सीमाशुल्क की खुदरा दुकानों से जनता को बेचे गए माल के लिए नगद रसीद जारी की जाए और देश मे सीमा शुल्क की सभी खुदरा दुकानों से ऐसी रसीदें जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि ऐसे सीमाशुल्क समाहर्तालय, जिनमें खुदरा बिक्री के लिए सीमित मदें हैं, वे ऐसी मदों की सूची को बोर्ड पर लगाते हैं। तथापि, जहां पर मदें विविध किस्म की, भिन्न-भिन्न ब्रान्डों, माडलों, परिणामों और कोटि की होती हैं, वहां पर बोर्ड पर ऐसी मदों की सूची लगाना व्यवहार्य नहीं है, अत: खुदरा दुकानों के काउन्टरों पर ही माल प्रदर्शित किया जाता है।

(ङ) उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इन खुदरा दुकानों पर कदाचार का कोई मामला ध्यान में आया हो।

रबड़ बागान लगाने के लिए बीमा योजना

1780. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड के अनुरोध पर रबड़ बागानों के लिए कोई बीमा योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रति हैक्टेयर किस दर से प्रीमियम लिया जाएगा; और

(घ) योजना के अन्तर्गत कितने क्षेत्र का बीमा कराया जा सकता है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मंशी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रारंभ तथा रबड़ बोर्ड के समूचे देश में, लागू योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ आग, चक्रवात, बाढ़ जैसे खतरों के लिए बीमा की व्यवस्था है किन्तु यह बीमा सूखा के लिए नहीं है। बागानों के लिए 1 से 8 वर्ष के आयु ग्रुप में बीमाकर्ता की अधिकतम देयता 40000 रुपए/एच सी तथा 2 से 22 वर्ष के आयु ग्रुप में 60000 रुपए/एच सी है।

विभिन्न आयु ग्रुपों के लिए पैमाना 41 रुपए प्रति वृक्ष से 250 रुपए प्रति वृक्ष है। प्रीमियम की दरें 90 रुपए प्रति हैक्टेयर से 500 रुपए प्रति हैक्टेयर तक हैं जो अपरिपक्व बागान के लिए बागान की आयु पर निर्भर करता है। परिपक्व बागान के मामले में यह 3 वर्षों के लिए 473 रुपए प्रति हैक्टेयर है ?

अब तक यह बीमा 1202 हैक्टेयर के रबड़ बागानों के लिए किया गया है (अपरिपक्व बागान 1182 हैक्टेयर और परिपक्व बागान 20 हैक्टेयर)

कायमकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन को दोहरा करना

1781. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कायमकुलम और त्रिवेन्द्रम के मध्य रेल लाइन को दोहरा करने के लिए मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) (क) जी हां।

(ख) केरल राज्य सरकार, कुछ स्वैच्छिक संगठनों और अलग-अलग व्यक्तियों ने अनुरोध किया है।

(ग) कायमकुलम और तिरुवनन्तपुरम (106 कि० मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता स्वीकार कर ली गयी है। कायमकुलम और कोल्लम (4 कि० मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य 1989-90 के रेलवे बजट में प्रथम चरण के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है। कोल्लम और तिरुवनन्तपुरम के बीच के शेष भाग पर चरण-1 के कार्य पर पर्याप्त प्रगति होने के बाद विचार किया जायेगा।

बिना प्लेटफार्म वाले रेल स्टेशन

1783. डा० फूलरेणु गुहा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेल स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितने बिना प्लेटफार्म वाले रेल स्टेशन हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर 8000 से अधिक नियमित/फ्लैग/हाल्ट स्टेशन हैं। बिना प्लेटफार्म के कोई भी रेलवे स्टेशन यात्री यातायात को नहीं संभाल रहा है।

"बॉब कार्ड" योजना प्रारम्भ किया जाना

1784. श्री सी० एम० नाईक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अनुसूचित बैंक ने जून 1989 से दिल्ली में "बॉब कार्ड" नामक एक बैंक योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस बैंक का नाम क्या है और इस योजना का ब्यौरा क्या है.;

(ग) क्या इस योजना को अन्य शहरों में पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है;

(घ) क्या यह प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक अन्य अनुसूचित बैंकों को भी ऐसी योजना शुरू करने की अनुमति देगा और यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) इलाहाबाद बैंक ने दिल्ली में बैंक आफ बड़ौदा के सहयोग से जून 1989 में "बॉब कार्ड - इलाहाबाद बैंक, नाम से एक क्रेडिट कार्ड योजना आरम्भ की है। इस योजना को नौ अन्य स्थानों पर भी लागू किया गया है।

इलाहाबाद बैंक के ग्राहक जिनकी वार्षिक आय 50,000/-रुपए और इससे अधिक है वे इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। कार्डधारी बैंक के सदस्य संस्थानों से वस्तुएं और सेवाएं उधार खरीद सकता है तथा बाहर जाने पर कार्ड में जिन शाखाओं के नाम दिए गए हैं उनसे एक निर्धारित सीमा तक रुपया ले सकता है।

(घ) इलाहाबाद बैंक के अनुसार यह योजना अब तक संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ङ) कुछ अन्य बैंकों अर्थात केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा, विजया बैंक, आन्ध्रा बैंक और बैंक आफ इंडिया ने अपने बैंकों में क्रेडिट कार्ड योजना पहले से ही आरम्भ की हुई है। बैंक क्रेडिट कार्ड योजना अपने वाणिज्यिक निर्णय और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से आरम्भ कर सकते हैं।

शल्क लाख का निर्यात

1785. डा० फूलरेणु गुहा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस-किस देशों ने भारत से शल्क-लाख के आयात में रुचि दर्शाई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : भारतीय चमड़े के मुख्य आयातक देश हैं, संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मन संघीय गणराज्य, ब्रिटेन, सोवियत संघ इंडोनेशिया मिस्र, हांगकांग, सिंगापुर, मलयेशिया और जापान ।

पश्चिम बंगाल में स्वयंसेवकों को रोजगार पर लगाना

1786. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे में कितने "स्वयंसेवक" अभी भी नैमित्तिक श्रमिक के रूप में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए हैं और उनमें से कितने पश्चिम बंगाल के हैं;

(ख) शेष स्वयंसेवकों को कब तक नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में कार्य पर लगा दिया जायेगा;

(ग) क्या उन "स्वयंसेवकों" का स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव है, जो रेघुकूट सिवान-दह अथवा हावड़ा डिवीजन जैसे दूरस्थ स्थानों से नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में पहले से ही कार्यरत हैं;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब प्रभावी बनाया जाएगा; और

(ङ) पूर्वी रेलवे के प्राधिकारियों को शेष स्वयंसेवकों को कार्य पर लगाने और नैमित्तिक श्रमिकों को पश्चिम बंगाल में स्थानान्तरित करने में, क्या कठिनाइयां हो रही हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ङ) पूर्व रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति

1787. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :**

क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में नोटेरी पब्लिक के पदों के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन आवेदकों में से कितने व्यक्तियों को नोटेरी पब्लिक के पदों पर नियुक्त किया गया; और

(ग) शेष व्यक्तियों की नियुक्ति कब तक की जाएगी ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) केन्द्रीय सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान तीस हजारी न्यायालय- दिल्ली में नोटेरी पब्लिक के पद पर नियुक्ति के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं :—

1. श्री एम० एल० भीरानी, तारीख 5-8-1988
   निवासी-9/8, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-60
2. कुमारी वीणा बक्शी, तारीख 2-5-1989
   निवासी-250/2, महरौली, नई दिल्ली।

(ख) और (ग) उपरोक्त आवेदकों के आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है।

लघु बचत की नई योजना

1788. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु बचत को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही उक्त योजनाओं से लघु बचत को किस सीमा तक प्रोत्साहन मिला है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरम्भ की गई नई बचत योजना राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं ये है :—

(I) इस पत्र में निवेश व्यक्ति द्वारा और विशिष्ट संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकता है।

(II) निवेश की कोई सीमा नहीं है।

(III) ये पत्र 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के मूल्य वर्गों में हैं और इन पर 12 प्रतिशत की दर से छमाही चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा परन्तु यह ब्याज 6 वर्ष की परिपक्वता अवधि की समाप्ति के बाद देय होगा।

(IV) आयकर अधिनियम की धारा 80 ग के अन्तर्गत निवेशों पर कर की कटौती की जाएगी।

सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त केन्द्रीय/राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जमा योजना भी आरम्भ की गई है, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवानिवृत्त लाभों के रूप में प्राप्त राशियों को एक बार में जमा करा सकते हैं।

(ग) वर्ष 1987-88 में हुए संग्रहों की तुलना में वर्ष 1988-89 के दौरान हुए निवल अल्प बचत संग्रह यह दर्शाते हैं कि विभिन्न अल्प बचत योजनाओं ने बचतों को प्रोत्साहित किया है।

भुवनेश्वर स्टाक एक्सचेंज को मान्यता

1789. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या वित्त मन्त्री भुवनेश्वर में स्टाक एक्सचेंज के बारे में 10 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2142 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड ने मान्यता-प्राप्ति के लिए आवश्यक आवेदन-पत्र तथा अन्य संबंधित कागजात प्रस्तुत कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह स्टाक एक्सचेंज कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) : भुवनेश्वर स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० को सरकार द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत 5 जून, 1989, से पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्यता दी गई थी। एक्सचेंज में सदस्यों के प्रवेश के पश्चात प्रतिभूतियों में कारोबार प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

पामोलीन का आयात

1790. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पामोलीन का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पामोलीन का आयात किन-किन देशों से किया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पामोलीन का कितना आयात किया गया;

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम का इस वर्ष भी पामोलीन आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां।

(ख) पामोलीन का आयात मलयेशिया और इन्डोनेशिया से किया जा रहा है।

(ग) पिछले 3 वर्षों में आयातित पामोलीन की कुल मात्रा नीचे दी गई है :

वित्त वर्ष	मात्रा मी० टन
1986-87	6.02 लाख
1987-88	8.85 ,,
1988-89	5.20 ,,

(घ) और (ङ) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एस० टी०सी० (राज्य व्यापार निगम) को सीमित मात्रा में पामोलीन आयात करने का अधिकार दे दिया है ताकि अक्तूबर, 1989 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

अभ्रक का निर्यात

1791. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में भारत के अभ्रक और इस पर आधारित उत्पादों की बहुत मांग है;

(ख) क्या सरकार ने अभ्रक तथा अभ्रक पर आधारित उत्पादों के निर्यात की संभावना का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो इन मदों के निर्यात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) संसाधित अभ्रक की विश्व-मांग में स्थिरता के बावजूद, भारतीय अभ्रक तथा अभ्रक उत्पादों की विदेशी बाजारों में मांग है क्योंकि भारतीय अभ्रक चादर की ऊंची क्वालिटी होती है।

(ख) जी, हां।

(ग) अभ्रक तथा अभ्रक उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं—अभ्रक स्क्रैप को छोड़कर अभ्रक तथा अभ्रक उत्पादों पर निर्यात शुल्क हटाना, अभ्रक खानों के बन्द होने के कारणों का मूल्यांकन करने के लिए खानों का सर्वेक्षण तथा उपचारात्मक उपाय, बिक्री-संवर्धन दौरे तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, मूल्य वर्धित अभ्रक उत्पाद बनाने के लिए एकक स्थापित करना आदि।

विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं

1792. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय बैंकों की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारत के विदेशी मुद्रा संसाधनों में वृद्धि करने के लिए अनिवासी भारतीयों से इन बैंकों में धन जमा करवाने के लिए इन बैंकों को कोई निर्देश दिए थे; और

(ग) यदि हां, तो इन बैंकों की शाखाओं ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर 1988 के अन्त की स्थिति के अनुसार विदेशों में नौ भारतीय बैंकों की 119 शाखाएं कार्यरत थीं।

(ख) और (ग) सरकार ने विदेशी/अनिवासी भारतीयों के निवेशों को आकर्षित करने के लिए एफ० सी० एन० आर०, एन० आर० ई० खातों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा पोर्टफोलियों निवेश जैसी योजनाएं बनाई हैं जो बैंकों द्वारा संचालित की जाती है। अपनी विपणन नीति के भाग के रूप में बैंक अनिवासी भारतीयों की बचतों को भारतीय बैंकों में जुटाने के लिए प्रयास करते हैं।

उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश

[हिन्दी]

1795. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :**

क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उच्च न्यायालयों के क्या नाम हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने यह सुझाव दिया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद पर इन समुदायों के व्यक्ति नियुक्त किए जाएं; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और गत दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, मुम्बई, गुवाहाटी, गुजरात, कर्नाटक, केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भी न्यायाधीश हैं।

(ख) जी हां। मुम्बई, दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 5 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इनमें से 2 मुम्बई उच्च न्यायालय में, 1 गुवाहाटी उच्च न्यायालय में,

1 गुजरात उच्च न्यायालय में और 1 मद्रास उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए हैं।

दिल्ली—होशियारपुर के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाना

[अनुवाद]

1796. **श्री कमल चौधरी :**

क्या रेल मन्त्री दिल्ली/नई दिल्ली और होशियारपुर के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने के बारे में क्रमश: 5 मई, 1988 और 28 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9885 और 7583 के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली और होशियारपुर के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने अथवा 405 सुपरफास्ट एक्सप्रेस को होशियारपुर तक चलाने के प्रयोजनों हेतु होशियारपुर में टर्मिनल/अनुरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सीधी रेलगाड़ी चलाने संबंधी जनता की मांग को पूरा करने के लिए होशियारपुर में उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) संसाधनों की तंगियों के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। होशियारपुर के यात्रियों की सुविधा के लिए 59/60 सुपरफास्ट नई दिल्ली—अमृतसर के साथ उपयुक्त मेल लेने के लिए मई, 1989 से एक गाड़ी चलाई गई है। होशियारपुर—नई दिल्ली के बीच दो थ्रू कोच रात्रि भर की सेवा प्रदान कर रहे हैं तथा 205/206 दिन के समय 197/198 शाने-ए-पंजाब के साथ उपयुक्त मेल लेती है। यातायात के वर्तमान स्तर के लिए ये सेवाएं पर्याप्त हैं।

बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

[हिन्दी]

1797. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक श्रेणी के कितने-कितने आरक्षित पद गत एक वर्ष से रिक्त पड़े हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंचाई योजनाओं हेतु राज्यों की धनराशि का आवंटन

1798. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, राज्यवार सिंचाई सुविधाओं के लिए कितनी धनराशि

आबंटित की गई है; और

(ख) इस समय चल रही बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं को पूरा करने के संबंध में यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तो इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) बृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई के लिए वर्ष 1986-87 से 1988-89 के दौरान किये गये व्यय/दिए गए परिव्यय की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिखाई गई है।

(ख) सातवीं योजना की 181 बृहद् और 433 मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं में से 37 बृहद् और 187 मध्यम परियोजनाएं योजना के दौरान पूरी हो जाने की संभावना है और शेष को अगली योजना में आगे ले जाया जायेगा।

विवरण-1

सिंचाई सुविधाओं के लिए आबंटित निधियां बृहद और मध्यम सिंचाई

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रशासन का नाम	व्यय		परिव्यय
		1986-87 वास्तविक	1987-88 अनन्तिम	1988-89
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	262.14	223.47	257.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.22	0.14	0.18
3.	असम	25.62	26.10	26.79
4.	बिहार	266.88	314.22	322.00
5.	गोवा	10.57	13.15	16.00
6.	गुजरात	163.14	180.20	304.70
7.	हरियाणा	116.12	100.00	69.90
8.	हिमाचल प्रदेश	1.57	1.70	2.25
9.	जम्मू और कश्मीर	14.53	15.49	16.00
10.	कर्नाटक	105.08	93.70	143.70

1	2	3	4	5
11.	केरल	52.75	51.00	55.50
12.	मध्य प्रदेश	236.41	264.61	294.09
13.	महाराष्ट्र	304.25	270.32	343.32
14.	मणिपुर	11.02	15.89	16.50
15.	मेघालय	0.02	0.05	0.30
16.	मिजोरम	0.01	0.05	0.20
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	106.74	152.70	153.03
19.	पंजाब	47.16	53 00	57.47
20.	राजस्थान	101.83	110 54	122.12
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	41.75	39.76	39.27
23.	त्रिपुरा	4.58	4.65	4.80
24.	उत्तर प्रदेश	232.19	234.49	272.54
25.	पश्चिम बंगाल	51.82	54.71	47.55
	संघ शासित क्षेत्र			
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
2.	चण्डीगढ़	—	—	—
3.	दादर और नगर हवेली	0.60	—	0.07
4.	दमन और द्वीव गोवा सहित	—	0.70	0.85
5.	दिल्ली	—	—	—
6.	लक्षद्वीप	—	—	—
7.	पाण्डिचेरी	0.25	0.40	0.37
	कुल	2157.25	2221.04	2566.50
	केन्द्रीय क्षेत्र	11.33	9.52	16 25
	कुल (अखिल भारत)	2168.58	2230.57	2582.75

विवरण-2

लघु सिंचाई के लिए आबंटित निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रशासन का नाम	व्यय		परिव्यय
		1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	31.67	23.95	31.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.46	5.15	4.60
3.	असम	33.32	34.88	36.88
4.	बिहार	50.09	58.00	72.00
5.	गोवा	1.10	1.76	2.00
6.	गुजरात	19.90	17.70	28.00
7.	हरियाणा	1.34	1.90	2.28
8.	हिमाचल प्रदेश	7.69	11.74	14.06
9.	जम्मू तथा काश्मीर	10.08	12.31	12.39
10.	कर्नाटक	36.23	33.10	35.83
11.	केरल	9.17	5.02	13.50
12.	मध्य प्रदेश	16.38	75.09	78.59
13.	महाराष्ट्र	64.64	93.06	117 07
14.	मणिपुर	1.58	1.80	1.87
15.	मेघालय	1.76	12.00	2.30
16.	मिजोरम	1.00	1.12	1 61
17.	नागालैण्ड	2.70	2.51	2.74
18.	उड़ीसा	25.24	47.82	33.10
19.	पंजाब	5.77	6.15	7.85
20.	राजस्थान	9.99	9.52	13.01

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	1.83	1.80	1.90
22.	तमिलनाडु	22.44	23.00	27.11
23.	त्रिपुरा	3.99	4.20	4.51
24.	उत्तर प्रदेश	111.00	113.21	116.99
25.	पश्चिम बंगाल	11.70	17.50	25.80
	संघ शासित क्षेत्र			
1.	अण्डमान एवं निकोबार दीव समूह	0.37	0.42	0.42
2.	चंडीगढ़	0.22	0.26	0.20
3.	दादर एवं नगर हवेली	0.27	0.42	0.35
4.	दमन एवं दीव	—	0.00	0.01
5.	दिल्ली	0.97	1.00	0.93
6.	लक्षद्वीप	—	0.00	0.00
7.	पांडिचेरी	1.02	1.60	1.44
	कुल	554.62	607.99	690.34
	केन्द्रीय सेक्टर	33.40	29.28	41.00
	कुल जोड़	588.02	637.27	781.84

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का रिक्त होना

1799. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए श्रेणी-वार कितने आरक्षित पद पिछले छः महीनों से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इनके रिक्त पड़े रहने के क्या कारण हैं और सभी रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1-1-1989 को विभिन्न कोटियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोटे में जो कमी रह गई है वह इस प्रकार है :

ग्रुप	भर्ती		पदोन्नति	
	अ०जा०/	अ०ज०जा०	अ०जा०/	अ०ज०जा०
ए	2	4	—	—
बी	ग्रुप बी के पद सामान्यतया ग्रुप सी से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं ।			
सी	2353	993	9038	17050
डी (सफाई वालों को छोड़कर)	1564	4487	1974	4698

(ख) (1) कमी होने के कारण नीचे दिये गये हैं :—

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती/पदोन्नति रेलों पर उपलब्ध रिक्त पदों पर की जाती है तथा उपलब्ध रिक्त स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक पद एक साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरे जा सकते ।

2. पदोन्नतियों के मामले में उच्च न्यायालयों/प्रशासनिक अधिकरणों आदि के ऐसे कई अन्तरिम आदेश हैं जिनमें उन कोटियों में जिनमें आरक्षण अनुसूचित जातियों के मामले में संवर्ग के 15 प्रतिशत तक तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में 7½ प्रतिशत तक पहुंच चुका है, रोस्टर प्वांइट को आगे लागू करने से रोक दिया गया है ।

3. चूंकि आरक्षित पदों के पिछला बकाया का हिसाब 40 प्वाइंट रोस्टर के हिसाब से लगाया जाता है, इसलिए अग्रनयन सिद्धांत के कारण बकाया पदों में वृद्धि होती रहती है हालांकि कई कोटियों में अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½ प्रतिशत का कोटा पहले ही पूरा कर लिया गया है ।

4. (i) आरक्षित पदों के पिछला बकाया में वृद्धि अपेक्षित अर्हताएं तथा कुछ तकनीकी और संरक्षा कोटियों में पदे भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनुभवी उम्मीदवार/कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण भी हुई है ।

(ii) तथापि भर्ती ग्रेडों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की कमी को पूरा करने के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा के प्रतिबंध को ध्यान में रखे बिना एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है ।

धूम्रपान न करने वाले यात्रियों के लिए डिब्बे

[अनुवाद]

1800. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष से लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में धूम्रपान न करने वाले यात्रियों के लिये अलग डिब्बे लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उन रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिनमें धूम्रपान न करने वाले यात्रियों हेतु अलग डिब्बे लगाये जाएंगे;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई परीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री श्री (माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) प्रयोगात्मक आधार पर धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ गाड़ियों में दूसरे दर्जे का एक सवारी डिब्बा चिह्नित किया गया है। इन सवारी डिब्बों पर धूम्रपान निषेध है, दर्शाने वाले बोर्ड लगाये गये हैं तथा इस सुविधा की उपलब्धता के बारे में प्रचार किया गया है। इस प्रयोग के परिणामों की समीक्षा करने के बाद इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई की जायेगी।

अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने की मांग

1804. **श्री कमल नाथ :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन ने सरकार से अखिल भारत आधार पर एक न्यायिक सेवा गठित करने हेतु एक कानून बनाने के लिए कार्यवाही करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रमुख रेलवे स्टेशनों के प्रबन्ध को सुव्यवस्थित करना

1805. **श्री सोमनाथ रथ :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में प्रमुख रेलवे स्टेशनों की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कोई उपाय करने का विचार है; और

(ख) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना होने के बाद जिसके कारण लोगों की मृत्यु हुई थी, इस पहलू पर ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) रेलवे स्टेशनों पर प्रबन्ध संबंधी कुशलता में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) रेलवे ने नई दिल्ली स्टेशन पर सीढ़ियों को चौड़ा करने, अतिरिक्त सीढ़ी की व्यवस्था करने तथा एक ऊपरी पैदल पुल का विस्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गाड़ियों के आगमन के लिए निर्धारित प्लेटफार्म, अपरिहार्य स्थिति में ही बदले जाते हैं और यात्रियों को सार्वजनिक सूचना प्रणाली पर इसके बारे में पर्याप्त चेतावनी दी जाती है। यात्रियों को बिदा करने तथा लेने के लिए आने वाले उनके रिश्तेदारों तथा मित्रों का स्टेशनों के प्लेटफार्मों में प्रवेश सीमित किया जा रहा है। पुलिस की निगरानी बढ़ाने के लिए पुलिस की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। बड़े रेलवे स्टेशनों के चारों ओर नये स्थानों पर अतिरिक्त टर्मिनल विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। समय-समय पर स्टेशनों पर यातायात के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सदैव प्रयास किए जाते हैं।

चलती रेलगाड़ियों में अप्राधिकृत खाद्य पदार्थ विक्रेता

[हिन्दी]

1806. **श्री जगदीश अवस्थी** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न स्टेशनों के बीच चलने वाली सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में कुछ अप्राधिकृत खाद्य पदार्थ विक्रेता खान-पान वस्तुओं की बिक्री करते हैं; और

(ख) सरकार ने ऐसे विक्रेताओं और ऐसी पद्धति के लिए उत्तरदायी अन्य एजेंसियों के विरुद्ध अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में क्षेत्रीय रेलें अभियान चलाती हैं। 1988-89 के दौरान 38,057 अनधिकृत वेंडर पकड़े गये थे और 25,470 वेंडरों पर मुकदमा चलाया गया था।

सीटों पर अनाधिकृत कब्जा

1807. **श्री जगदीश अवस्थी** :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि दिल्ली और अन्य बड़े स्टेशनों पर पोर्टरों तथा अन्य स्थानीय शरारती तत्वों द्वारा रेलगाड़ियों में सीटों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया जाता है और बाद में वे इन सीटों को यात्रियों को उनसे पैसा लेकर दे देते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में दिल्ली से कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) अप्रैल, 1988 से जून, 1989 के दौरान दिल्ली में असमाजिक तत्वों के विरुद्ध केवल 6 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस संबंध में अचानक जांच की जाती है। इस कदाचार में लिप्त पाये गये भारिकों तथा शरारती लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है। पकड़े गए लाइसेंसधारी भारिकों के लाइसेंस भी निलंबित अथवा रद्द किए जाते हैं।

सोने और चांदी की तस्करी

1808. **श्री कमला प्रसाद रावत** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समुद्री मार्ग के जरिए विदेशों से सोने और चांदी की भारी पैमाने पर तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान तस्करों से कितने मूल्य का सोना/चांदी जब्त किया गया; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष की 17 जुलाई तक की अवधि के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए सोने और चांदी की मात्रा और उनका मूल्य इस प्रकार है :—

	मात्रा (कि० ग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
सोना	5250	166.47
चांदी	34222	22.84

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ग) तस्करी की गतिविधियों में ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों को, विभागीय कार्रवाई में दण्ड देने के अलावा, गिरफ्तार किया जाता है और उपयुक्त मामलों में उनके खिलाफ न्यायालयों में मुकदमे चलाये जाते हैं। यदि आवश्यक समझा जाता हो तो, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी-निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अन्तर्गत उनको नजरबन्द भी किया जाता है।

इण्टर-बैंक काल मनी मार्किट

[अनुवाद]

1810. **डा० बी० एल० शंकेश** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंक "इण्टर बैंक काल मनी मार्किट में" भारी लाभ कमाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निजी पुनर्वित्तपोषण सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या "काल मनी" के ब्याज की दर में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का "इण्टर-बैंक काल मनी मार्किट" पर तथा अन्यत्र कोई नियन्त्रण है;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार का और किस सीमा तक नियन्त्रण है;

(ङ) यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई नियन्त्रण नहीं रखा जाता है, तो नियन्त्रण न रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(च) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यदि वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्वित्तपोषण सुविधाओं का उपयोग कर रहे है तो उन्हे "मनी मार्केट" मे ऋण देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। यह आदेश "विवेकाधीन और आपाती (स्टेंड बाई) पुनर्वित्तपोषक सुविधा" पर लागू होता है। अलबत्ता, वित्तीय वर्ष के अन्त में कुछ बैंकों द्वारा इन पुनर्वित्तपोषण सुविधाओं का उपयोग करने और साथ ही उनके द्वारा "मनी मार्केट" मे ऋण देने की सूचना प्राप्त हुई थी। ऐसे बैंकों को "मनी मार्केट" में ऋण देने का कार्य बन्द करने की चेतावनी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस शर्त का अब सभी बैंकों द्वारा निष्ठापूर्वक पालन किया जा रहा है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "काल मनी" के लिए निर्धारित की गई 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की अधिकतम सीमा को 1 मई, 1989 से वापस लिए जाने के फलस्वरूप 1 मई, 1989 के तत्काल पश्चात "काल मनी मार्केट" की ब्याज की दरों में तेजी से उछाल आया। यह सूचित किया गया है कि मई, 1989 के अन्तिम सप्ताह में काल मनी मार्केट की ब्याज दरें 30 से 34 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गई। परन्तु इसके पश्चात इन दरों में गिरावट आई। अब बाजार स्थिर हो गया है और ब्याज दरें बाजार में निधियों की मांग तथा आपूर्ति के अनुसार है और ये दरें घटकर 10 से 11 प्रतिशत के सामान्य स्तर पर आ गई हैं बल्कि कुछ दिवसों पर 5 से 6 प्रतिशत की निम्न दर तक घट गई थी।

(ग) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी मार्केट लिखतों को नकदी निधि प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से अप्रैल, 1988 में "दि डिस्काउन्ट एण्ड फाइनेंस हाउस आफ इंडिया लि०" (डी० एफ० एच० आई०) की स्थापना की थी। डी०एफ०एच०आई० काल मनी निधियों की मांग और आपूर्ति में संतुलन स्थापित करके मनी मार्केट में स्थिरता लाने की भूमिका निभा रहा है। डी० एफ० एच० आई० के 182 दिन के राजकोषीय बिलों और वाणिज्यिक बिलों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने उसे पुनर्वित्त पोषण की सुविधा प्रदान की है तथा भारतीय रिजर्व बैंक डी० एफ० एच० आई० के माध्यम से मनी मार्केट को प्रभावित करता है। डी० एफ० एच० आई० के परिचालनों से काल मनी मार्केट की दरें प्रभावित की जा सकती हैं। नये मनी मार्केट लिखतों अर्थात 182 दिन के राजकोषीय बिल शुरू करके अन्त: बैंक सहभागिता, जमा सर्टिफिकेटों तथा वाणिज्यिक कागजातों आदि से और वर्तमान लिखतों अर्थात बिलों की पुनर्भुनाई द्वारा बाजार का विस्तार किए जाने से यह आशा की जाती है कि एक विहित आधार वाले मनी मार्केट का आविर्भाव होगा।

विदेशों में म्युचुअल फण्ड

1811. **डा० बी० एल० शैलेश :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में म्यूचुअल फण्डों को कुछ समय के लिए निजी क्षेत्र में लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा अमरीका में चलाए गए "इंडिया मैग्नम" तथा अगस्त 1988 में अमरीका में ही चलाए गए "इंडिया ग्रोथ फण्ड" के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि एकत्र हुई है;

(घ) क्या इन फण्डों की धनराशि को भारत भेज दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन फण्डों की धनराशि का किस रूप में प्रयोग किया गया है/किया जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एड्आर्डो फैलीरो) : (क) निजी संस्थापन आधार पर एक अपतटीय निधि की स्थापना करने के भारतीय स्टेट बैंक के प्रस्ताव को सरकार ने हाल ही में अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) निजी स्थापन आधार पर अपतटीय निधि की स्थापना के निम्नलिखित लाभ हैं :—

(i) प्रचालन पूर्व कम खर्च और

(ii) निधि की स्थापना कम समय में तथा स्टाक एक्सचेंज मे उनके शेयरों को सूचीबद्ध किए बिना ही की जा सकती है।

(ग) से (ङ) भारतीय स्टेट बैंक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी भारतीय मैग्नम निधि की अभी शुरूआत नहीं की है। इसलिए, प्रत्यावर्तन का अभी प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा विदेशों में शुरू की गई भारत संवर्धन निधि के अन्तर्गत 600 लाख अमरीकी डालर की कुल राशि एकत्रित हुई थी। निधि से भारतीय यूनिट को 440 लाख अमरीकी डालर पहले ही प्रत्यावर्तन कर दिए हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने इस राशि को इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बन्धपत्रों/ऋणपत्रों जैसी विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेशित कर दिया है।

दिल्ली से केरल तक विशेष ग्रीष्मकालीन रेल गाड़ियां चलाना

1816. **श्री पी० ए० एंटनी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग को दिल्ली से केरल तक विशेष ग्रीष्मकालीन रेलगाड़ियां चलाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितनी विशेष ग्रीष्मकालीन रेलगाड़ियां चलाई गईं;

(ग) क्या ये रेलगाड़ियां गर्मियों में अत्यधिक भीड़-भाड़ को देखते हुए पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो और अधिक रेलगाड़ियां प्रारम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विशेष गाड़ियों का कोई औचित्य नहीं पाया गया था और प्राप्त अतिरिक्त यातायात को नियमित गाड़ियों द्वारा सम्हाला गया था।

केरल की एडामलयार परियोजना में पड़ी दरारों की जांच

1817. **श्री पी० ए० एन्टनी** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में एडामलयार सिंचाई परियोजना में दरारें पड़ने की जानकारी है;

(ख) क्या इन दरारों से परियोजना क्षेत्र को कोई खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पोजनान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

1818. **श्री लक्ष्मण मलिक** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गत जून में पोलैंड में आयोजित पोजनान व्यापार मेले में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा हुआ और इस व्यापार मेले में कितनी राशि का व्यापार किया गया तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) मेले पर अनुमानतः लगभग 12.00 लाख रुपये का खर्च आया। मेले में भाग लेने वालों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने 9.47 करोड़ रुपये के व्यापार के लिए बातचीत की। यह जिन मदों के लिए थी वे हैं—पावर सप्लाई, स्टेपर मोटरें, फ्लापी ड्राइव, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक कलपुर्जे, दुपहिए स्कूटर, पावर प्रैस, खाद्य उत्पाद, रसायन/रंजक/सगंध तेल/बूटियां, मसाले, फैब्रिक, सिले-सिलाए परिधान, डेनिम तथा रेशम आदि।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग लेने का प्रस्ताव

1819. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का विदेश में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारत द्वारा भाग लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन व्यापार मेलों में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(घ) इन व्यापार मेलों में कौन-कौन सी मुख्य वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) विदेशों में आयोजित होने वाले व्यापार मेलों में सहभागिता का मुख्य उद्देश्य भारत की औद्योगिक, निर्यात, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षमताओं को दर्शाना, संयुक्त उद्यमों के लिए अवसरों का पता लगाना और नये व्यापार सम्पर्क स्थापित करना है।

(घ) इन मेलों में प्रदर्शित की जाने वाली प्रमुख मदों में शामिल हैं। सभी प्रकार की हल्की, मध्यम और भारी मशीनरी, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, क्लोदिंग/फर्निशिंग वस्त्र, चमड़े का सामान, संसाधित खाद्य, उपभोक्ता सामान, आटो पुर्जे तथा सहायक सामान, ट्रान्समिशन उपस्कर, प्लास्टिक उत्पाद, आफिस तथा दूर संचार उपस्कर, आदि।

विवरण

वर्ष 1989-90 के दौरान विदेशों में होने वाले मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता के लिए ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया का कार्यक्रम

क्र० सं०	मेला आदि का नाम
1	2
1.	पोजनान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, पोलैंड 11—18 जून, 1989
2.	वीलिंग अन्तर्राष्ट्रीय मेला, चीन 14—23 जुलाई, 1989
3.	दार्मश्क अन्तर्राष्ट्रीय मेला, सीरिया 28 अगस्त से 10 सितम्बर, 1989
4.	तेहरान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, इरान 17—27 सितम्बर, 1989
5.	नैरोबी अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी कीनिया, 26—30 सितम्बर, 1989

1	2

6. ओवरसीज आयात मेला, पार्टनर्स फार प्रोग्रेस, बर्लिन (एफ० आर० जी०) 27—30 सितम्बर, 1989

7. बगदाद अन्तर्राष्ट्रीय मेला, ईराक 1—15 नवम्बर, 1989

8. अन्तर्राष्ट्रीय हार्ड वेयर तथा हाउसवेयर प्रदर्शनी, बरमिंघम (यम० के०) 21—24 जनवरी, 1990

9. अन्तर्राष्ट्रीय स्प्रिंग मेला, बरमिंघम 5 से 9 फरवरी, 1990

10. कड़ना अन्तर्राष्ट्रीय मेला, नाइजीरिया, 10—17 फरवरी, 1990

11. अन्तर्राष्ट्रीय स्प्रिंग फेयर दुबई (यू० ए० ई०) 27 फरवरी से 10 मार्च, 1990

12. लेपजिग स्प्रिंग मेला, जी० डी०आर० 11—17 मार्च, 1990

13. केरो अन्तर्राष्ट्रीय मेला, मिस्र, मार्च, 1990

14. वेलेंसिया अन्तर्राष्ट्रीय मेला, वेनेन्जुएला, मार्च, 23—31, 1990

विशेषीकृत वस्त्र मेले

1. क्लोदिंग वस्त्र इन्टरस्टोफ-अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, फ्रेंकफुर्त (एफ० आर० जी०), अप्रैल, 11—13, 1989

2. अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला, हांगकांग, अप्रैल 24—27, 1989

3. आस्ट्रेलिया आटो मैकेनिका प्रदर्शनी, सिडनी, आस्ट्रेलिया, अप्रैल 29, मई 2, 1989

4. स्टार मेला, मिलन, इटली, मई 18—21, 1989

5. आस्ट्रेलिया की अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरी प्रदर्शनी, मेलबोर्न, जुलाई, 31 अगस्त 4, 1989

6. नेशनल शो फेयर आफ अमेरीका, न्यूयार्क, अगस्त 5—8, 1989

7. नेशनल हार्डवेयर शो, शिकागो, यू० एस० ए०, अगस्त, 13—16, 1989

8. प्रेट-ए-पोर्टर डू-फेमिनिन फेयर, पेरिस, फ्रांस, सितम्बर, 2—5, 1989

9. आठवां, ई० एम० ओ० मेला, हेनोवर, एफ० आर० जी०, सितम्बर, 12—20, 1989

1	2
10.	सोमान टू विश्व मेला, पेरिस, फ्रांस, सितम्बर, 16—19, 1989
11.	मशीन एशिया, 89 आठवी एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, सिंगापुर, सितम्बर, 26—29, 1989
12.	इन्टरकामा मेला, डसलड्रोफ, अक्तूबर, 9—14, 1989
13.	अनुगा -विश्व खाद्य बाजार, कालोन, एफ० आर० जी०, अक्तूबर, 16 - 20, 1989
14.	सिस्टम्स, 89 मेला, म्यूनिख, एफ० आर० जी०, अक्तूबर, 16—20, 1989
15.	क्लोथिंग वस्त्रों के लिए इन्टरस्टाफ अन्तर्राष्ट्रीय मेला, फ्रेंकफुट, एफ० आर० जी०, अक्तूबर 31, नवम्बर 2, 1989
16.	के "89" मेला, डसलड्रोफ, एफ० आर० जी०, नवम्बर 2—9, 1989
17	गारमेंट विनिर्माण उद्योग का इन्टरस्टाफ एरिया—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, हांगकांग नवम्बर, 15—17, 1989
18.	विश्व फैशन व्यापार मेला, ओसाका, जापान, नवम्बर, 22—26, 1989
19.	घर एव घरेलू वस्त्रों का होमटेक्सटाइल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, फ्रेंकफुर्त, एफ० आर० जी०, जनवरी, 17—20, 1990
20.	डोमोटेक्स मेला, होनोवर, एफ० आर० जी०, जनवरी, 1990
21.	नशनल वराइटी मर्चेनडाइन शो, न्यूयार्क, यू० एस० ए०, फरवरी 17—20, 1990
22.	प्रेट-ए-पोर्टर ड्यू फेमिनिनन मेला, पेरिस, फ्रांस, फरवरी, 15—19, 1990
23.	अन्तर्राष्ट्रीय हार्डवेयर मेला, कोलोन, एफ० आर० जी०, मार्च 5—8, 1990
24.	सीबिट मेला, होनोवर, एफ० आर० जी०, मार्च, 21 —28, 1990
25.	फूडेक्स फेयर, टोक्यो, जापान, मार्च, 1990
26.	फेबरेक्स फेयर, लंदन, यू० के०, मार्च, 1990

भारतीय प्रदर्शनियां

1.	भारतीय प्रदर्शनी, जोर्डन, सितम्बर, 14—22, 1989
2.	भारतीय प्रदर्शनी, जकार्ता, इण्डोनेशिया, जून, 26, फरवरी 2, 1990
3.	भारतीय इंजीनियरी प्रदर्शनी, मास्को, सोवियत संघ, मार्च, 1990

"मॉडवेट" योजना

1822. **श्री हरिहर सोरन :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संशोधित मूल्य संवर्धित कर (मॉडवेट) योजना एक राजस्व घटाने वाली योजना सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के असफल होने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत वर्ष इस योजना को लागू करने के परिणामस्वरूप सरकार को कितने राजस्व का घाटा हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) (क) से (ग) राजस्व संतुलन को निश्चित करने के उद्देश्य से 1986 के बजट में मॉडवेट योजना लागू करने के साथ-साथ अन्तिम उत्पाद पर शुल्क बढ़ा दिया गया था ताकि शुल्क प्रदत्त विनिर्दिष्टियों पर दिए जा रहे मुजरे को संतुलित किया जा सके। वर्ष 1987 के बजट में कतिपय ऐसी मदों के संबंध में अन्तिम उत्पाद पर शुल्क में कुछ वृद्धि की गयी थी जिनमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मॉडवेट के अधीन दिए गए मुजरे की रकम उस रकम से कहीं अधिक थी जिसके बारे में आरम्भ में अनुमान लगाया गया था। वर्ष 1988 के बजट में भी, मॉडवेट योजना में संस्थाओं के रूप में कुछेक जिन्सों के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क की दरों को युक्ति-युक्त बनाया गया था। अत: इस प्रकार सरकार समय-समय पर सुधारात्मक कदम उठाती रही है, अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि यह स्कीम असफल हो गयी है अथवा राजस्व की हानि हुई है। विगत वित्तीय वर्ष के दौरान 18089 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में कुल 18739 करोड़ रुपए का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वसूल किया गया था।

पंजाब में राजस्व की वसूली

1823. **श्री कमल चौधरी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय कर के अधीन वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान पंजाब से कुल कितना राजस्व वसूल किया गया; और

(ख) इसी अवधि के दौरान प्रत्येक कर की राशि में से पंजाब को कितनी धनराशि लौटाई गई ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) पंजाब से 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान, प्रत्येक केन्द्रीय कर के अन्तर्गत कुल इकट्ठा किया गया राजस्व इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	1986-87	1987-88	1988-89 (अनन्तिम)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क*	369.28	409.52	455.24
सीमा शुल्क*	55.08	66.10	103.23
धन कर	4.83	2.67	3.20**
व्यय कर	—	—	0.05**
सम्पदा शुल्क	0.58	0.30	0.21**
दान कर	0.30	0.30	0.21**
निगम कर	38.62	49.25	45.72**
आयकर	84.79	101.39	165.77**

*चण्डीगढ़ समाहर्तालय की वसूलियों में हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू व कश्मीर भी शामिल हैं।

**इन आंकड़ों में हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ की दिसम्बर, 1988 से मार्च, 1988 तक की वसूलियां भी शामिल हैं।

(ख) 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान पंजाब को, प्रत्येक कर के अन्तर्गत वापस की गई राशि निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	1986-87	1987-88	1988-89
मूल उत्पाद शुल्क	61.18	66.19	75.37
बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	39.28	44.28	47.20
आयकर	37.66	44.97	48.08
सम्पदा शुल्क	0.17	0.01	0.13

विशाखापत्तनम-हैदराबाद मार्ग पर अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाना

1827. **श्री सोडे रमैया :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने पर विशाखापत्तनम-हैदराबाद रेल मार्ग और बोथम और गोदावरी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में और डिब्बे जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यातायात के मौजूदा स्तर के लिए मौजूदा सेवाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

ईराक के साथ व्यापार

1831. **श्री हरिहर सोरन :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक ने भारत के साथ आर्थिक सम्बंध को और आगे बढ़ाने के लिए तीव्र इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो भारत—ईराक व्यापार के विस्तार के लिए किन नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) व्यापार के विस्तार के बारे में वर्ष 1989-90 के लिए दोनों देशों के कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) भारत तथा ईराक दोनों द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। उत्पाद निर्यातों के क्षेत्र में इंजीनियरी सामान, रबड़, उत्पाद, चाय, मसाले, लौह अयस्क पेलेट्स, आदि के निर्यात के लिए निश्चित सम्भावनाओं का पता लगाया गया है। परियोजनाओं के क्षेत्र में, सिविल निर्माण अवस्थापना, विकास, औद्योगिक पुनर्निर्माण तथा विकास, परामर्शी सेवाओं और प्रचालन तथा रख-रखाव संविदाओं की संभावनाएं हैं। ईराक के साथ व्यापार तथा वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत से, निर्दिष्ट सामान के निर्यात को सुकर बनाने के लिए ईराक को वाणिज्यिक ऋण प्रदान किया गया है। इस दिशा में किए गए अन्य उपायों में शामिल हैं—संयुक्त आयोग के मंच पर सरकार से सरकार स्तर पर विचार विमर्श, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में सह-भागिता, संबंधित इराकी संगठनों के साथ संविदाएं करने के लिए भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन, आदि ।

अमृतसर-दिल्ली रेल लाइन का विद्युतीकरण

1832. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने अमृतसर-दिल्ली सेक्शन के बीच रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता के बारे विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां। केवल

दिल्ली —अम्बाला – लुधियाना खण्ड का विद्युतीकरण विचाराधीन है। इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए योजना आयोग को लिखा गया है।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ व्यापार

1834. **डा० कृपासिन्धु भोई :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच व्यापार असंतुलन बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 31 मार्च, 1989 को स्थिति क्या थी; और

(घ) संयुक्त राज्य अमरीका के बीच व्यापार असंतुलन को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) वर्ष 1986-87 से भारत का संयुक्त राज्य अमरीका के साथ व्यापार-संतुलन अनुकूल रहा है। वाणिज्यिक जानकारी एवं अंक संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक की अवधि में संयुक्त राज्य अमरीका को 3735.11 करोड़ रुपए के निर्यात का अनुमान लगाया गया था, जबकि संयुक्त राज्य अमरीका से आयात का अनुमान 3181.37 करोड़ रुपए था, इस प्रकार व्यापार में 553.74 करोड़ रुपए की बेशी प्राप्त हुई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल-तमिलनाडु इलायची उत्पादक ऐसोसिएशन का मसाला बोर्ड से अनुरोध

1835. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल तमिलनाडु इलायची उत्पादक ऐसोसिएशन ने मसाला बोर्ड से इलायची खरीदने और उसका उचित मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है क्योंकि निजी व्यापारियों द्वारा निर्धारित मूल्य ही में उतार-चढ़ाव होता है और कभी-कभी मूल्य बहुत ही कम होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

केरल में कंप्यूटर द्वारा आरक्षण

1836. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में कंप्यूटर द्वारा रेल टिकट आरक्षण सुविधा शुरू की जानी है;

(ख) यदि हां, तो नई प्रणाली को कब से कार्यरूप दिए जाने की आशा है; और

(ग) क्या केरल में कुछ और स्टेशनों पर कंप्यूटर द्वारा आरक्षण प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रणाली की मार्च, 1991 तक कार्य करने की संभावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(ग) केरल में किसी अन्य स्टेशन पर आरक्षण प्रणाली कम्प्यूटरीकृत करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

एर्णाकुलम और त्रिवेन्द्रम में दोहरी रेल लाइन बिछाना

1837. **प्रो० पी० जे० कुरियन** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्णाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) एलेप्पी के रास्ते एर्णाकुलम और कायनकुलम (100 कि० मी०) के बीच वैकल्पिक बड़ी लाइन संरेखण तथा कायनकुलम-तिरूवनन्तपुरम दोहरीकरण (166 कि० मी०) के चरण-1 के रूप में कायनकुलम तथा कोल्लम के बीच दोहरी लाइन बिछाना (41 कि० मी०)।

(ग) एर्णाकुलम—एलेप्पी लाइन (57 कि०मी०) पहले ही पूरी हो गई है तथा इसे यात्री यातायात के लिए सितम्बर, 89 तक खोले जाने की आशा है। एलेप्पी-कायनकुलम नयी लाइन (43 कि०मी०) पर कार्य चालू है तथा 1991-92 तक इसके पूरा हो जाने की आशा है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। कायनकुलम-कोल्लम (41 कि०मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाने का काम 1989-90 के रेलवे बजट में अनुमोदित कर दिया गया है और इस कार्य में पर्याप्त प्रगति होने पर कोल्लम तथा तिरूवनन्तपुरम के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य अनुमोदित किया जायेगा। आठवीं तथा नौवीं योजना अवधियों के दौरान इनके पूरा हो जाने की आशा है।

मसालों के मूल्य गिराना

1838. **प्रो० पी० जे० कुरियन** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में पैदा होने वाले प्रमुख मसालों के मूल्यों में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मूल्यों में गिरावट हो जाने से उत्पादकों ने बड़े पैमाने पर अन्य फसलें उगाना शुरू कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) देश में उगाये जाने वाले प्रमुख मसाले हैं —काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, अदरक तथा धनिया। प्रवृत्ति से पता चलता है कि वर्ष 1987 में मसालों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई और ये कीमतें 1988 के अन्त तक असमान्य रूप से ऊंची रही। परन्तु 1989 के दौरान काली मिर्च को छोड़कर अन्य मसालों का बेहतर उत्पादन होने के कारण कीमतें कुछ कम हुई है।

(घ) और (ङ) ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हाल में प्रमुख मसालों की खेती के बदले अन्य फसलों की खेती प्रारम्भ की गई है।

केरल में रेलवे स्टेशनों का दर्जा घटाया जाना

1830. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन के अन्तर्गत पालघाट जिले में किसी रेलवे स्टेशन का दर्जा घटाकर फ्लैग स्टेशन बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में अब तक ऐसे कितने स्टेशनों का दर्जा घटाया गया है; और

(घ) क्या सरकार पालघाट जिले में रेलवे स्टेशन का दर्जा घटाए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) आर्थिक कारणों से।

(ग) तीन।

(घ) फिलहाल इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है।

पालघाट डिवीजन में रेलवे स्टेशन

1840. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट डिवीजन में रेलवे स्टेशनों को और अधिक विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) स्टेशन भवनों के ढांचे में परिवर्तन सहित स्टेशनों का सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और इसे धन की उपलब्धता के अनुरूप आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है।

पालघाट रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर ऊपरिपुल

1841. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट रेलवे स्टेशन के निकट महत्वपूर्ण रेलवे फाटकों पर ऊपरिपुलों के निर्माण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इन रेलवे फाटकों के कारण यातायात में भारी बाधा पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां। पालघाट स्टेशन के निकट दो समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी नहीं। तथापि गाड़ियों के गुजरने के दौरान समपार पर सड़क यातायात की थोड़ी सी रुकावट से बचा नहीं जा सकता है।

(घ) नियमों के अनुसार विधिवत् रूप से लागत वहन करना स्वीकार करते हुए राज्य सरकार द्वारा इन्हें प्रायोजित किये जाने के बाद इन स्थानों पर ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव पर रेलवे विचार कर सकती है।

बड़े बांधों के कारण भूकम्पों के आने की संभावना

1845. **श्री मोहनभाई पटेल :**

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े बांध भूकम्प की संभावना का कारण हो सकते हैं;

(ख) क्या इस विषय पर गहन विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) ऐसी संभावना से बचाव के उपाय के रूप में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) संसार के हजारों बड़े बांधों में से केवल कुछ में जलाशयों को सीमित करने के बाद भूकम्पीय कार्यकलापों में क्रमिक बढ़ोतरी का पता चलता है। इनमें से अधिकांश मामलों में भूकंप का विस्तार भी रिचटर स्केल पर 5 से कम था। बांधों की सुरक्षा के लिए अभिकल्प स्तर पर ही उपयुक्त डिजाइन पैरामीटर अपनाकर सावधानी बरती जाती है। इसके अतिरिक्त, जलाशय को भरते समय ध्यान से निगरानी की जाती है तथा उसके बाद समय-समय पर उनका निरीक्षण भी किया जाता है। इसके अलावा जलाशय के प्रतिपादन के पहले तथा बाद में अतिसंवेदनशील उपकरणों द्वारा जलाशय के आस-पास के क्षेत्र की भूकम्पीय स्थिति का प्रबोधन किया जाता है।

नर्मदा परियोजना में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

1847. **श्री उत्तम राठौड़ :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मई, 1989 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एन० आर० आईज बीइंग ल्योर्ड टू फंड नर्मदा प्रोजेक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड ने हाल में कंपनी अधिनियम 1961 के अन्तर्गत सार्वजनिक जमा योजना चलाई है। इस योजना के अन्तर्गत अनिवासी भारतीय भी निर्धारित सीमा के भीतर जमा कराने के पात्र हैं।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर "एयर कार्गो कांप्लेक्स"

1851. **श्री टी० बशीर :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर कोई "इंटेग्रेटिड एयर कार्गो कांप्लेक्स" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) मई, 1979 से त्रिवेन्द्रम एयरपोर्ट में एक एयर कार्गो काम्पलेक्स कार्य कर रहा है और इसका प्रबन्ध केरल राज्य औद्योगिक उद्यम द्वारा किया जाता है जो कि राज्य सरकार का एक उपक्रम है।

———

12.00 मध्याह्न

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि दिनांक 25 जुलाई, 1989 को मुझे बिहार के औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह का एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 28 जुलाई, 1989 से स्वीकार कर लिया है।

मुझे आज आन्ध्र प्रदेश के भद्राचलम निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री सोडे रमैया का भी त्यागपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है जो तुरन्त प्रभावी हो गया है।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : त्यागपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि आप निर्धारित कर दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

(व्यवधान)*

श्री जी० एम० बनातवाला : ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स से त्यागपत्र देने की कोई व्यवस्था नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी व्यवस्था है क्या ? हम भी ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : संसदीय प्रजातंत्र में त्यागपत्र नहीं दिया जा सकता। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स से सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह कर्त्तव्य से विमुख होने की बात है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने श्री जंगा रेड्डी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके सामने एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पेश करना है। अर्थात दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ओखला विहार तथा झासुन्ना विहार में मकानों को गिराना एक गंभीर मानवीय त्रासदी है जिसके कारण हजारों लोग बेघर हो गये और यह कार्य भी ईद के सम्य ही किया गया। मकानों को गिराने वाली इस कार्रवाई के दौरान दो व्यक्ति मारे गये। पीड़ितों को मुआवजा देने की किसी योजना के बिना तथा उनके पुनर्वास की कोई योजना बनाये बिना ही अनेक लोग घायल हो गये थे तथा हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दें, मैं जानकारी देने के लिए कहूंगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं पहले ही यह दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानकारी देने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : डी० डी० ए० द्वारा किया गया यह कार्य एक गंभीर मानवीय त्रासदी है। महोदय, दूसरा मुद्दा यह है कि श्रीलंका की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। सरकार को सभा को विश्वास में लेना चाहिए। कल 29 जुलाई अन्तिम दिन है···(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोविचेट्टिपालयम्) : महोदय, इस विषय पर मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है। हमने समझौते के द्वितीय वर्ष को पूरा किया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने श्रीलंका के मसले पर चर्चा करने के लिए पहल की है तथा एक प्रस्ताव पेश किया है। मैंने पहले ही इसे मंजूरी दे दी है। अब इसके लिए तिथि निश्चित करना आपके ऊपर है। कोई भी समय जो आपके अनुकूल हो, आप निश्चित करें।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, आज सरकार द्वारा एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए ··(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : आज कम से कम सरकार द्वारा एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा यह वक्तव्य दिया जायेगा कि भारतीय शान्ति सेना वहां बनी रहेगी···(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : स्थिति चाहे जो भी हो, इसके बारे में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए और हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में सुन चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के सिलसिले में बहुत ही जल्द मुकदमें की दूसरी बार सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में श्री राम जेठमलानी ने एक बयान दिया है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायविदों को बुला कर···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे राज्य सभा के सदस्य हैं।

श्री शांताराम नायक : वे मुकदमें की सुनवाई को देखने तथा पूरे विश्व को यह बताने के लिए

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायविदों को बुला रहे है कि इस देश में मानव अधिकारों का हनन हुआ है तथा यह जो सुनवाई होगी वह एक झूठी सुनवाई होगी। हमारी न्यायिक व्यवस्था में उनका विश्वास नहीं है। हमारे संस्थाओं में उनका विश्वास नहीं है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा इस बात पर विचार करेगी।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : इस मामले में हमें भी ध्यान देना है। वे इस देश के कानून से अलग नहीं हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उचित प्रस्ताव द्वारा इसकी चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : उनके लिए कोई विशेष कानून नहीं है, सबों के लिए एक सा कानून है। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, जहां तक हज तीर्थ यात्रियों को सुविधायें प्रदान करने का संबंध है, मैं नागर विमानन मंत्रालय की सराहना करता हूं। इस वर्ष उनकी कार्यवाही बेहतर थी। इसी प्रकार श्री दलवाई की अध्यक्षता में केन्द्रीय हज समिति के कार्य भी सराहनीय थे। इस बार व्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर थी और यहां तक कि विदेश मन्त्रालय ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अन्तर्गत बोल सकते है। मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, कृपया मेरी बात सुनें। मेरा एक परामर्श है। जब तक आपके समर्थन से श्रीनगर एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बन जाता तबतक आगामी हज तीर्थ यात्रा में जम्मू और कश्मीर के हज तीर्थयात्रियों को एअर इंडिया द्वारा पालम हवाई अड्डा ले जाने के बजाए उन्हें श्रीनगर हवाई अड्डे ले जाया जाना चाहिए। सीमा शुल्क कार्यालय के चार या पांच लोग वहां जा सकते है।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए। मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोज़ साहब, दूसरे की बात भी सुन लिया करें, अच्छा रहता है। 377 दीजिए, आपके रिकार्ड में रहेगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : फिलहाल मेरा सपोर्ट कीजिए। जो सुविधा हुई है वह और ज्यादा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए। कंकरीट सजेशन्स है, तो उनको दें।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो महत्वपूर्ण पाईंट्स रेज करना चाहती हूं। पहला तो यह है कि प्रधान मंत्री जी ने अनाउन्स किया था कि बेज बोर्ड का जो

इम्प्लीमेंटेशन है जर्नलिस्ट्स और नॉन-जर्नलिस्ट्स के लिए, वह इस सत्र में आयेगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। इम्प्लीमेंटेशन न करने से क्या होता है, वह कान्ट्रेक्ट सिस्टम शुरू कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है। जर्नलिस्ट्स और नॉन-जर्नलिस्ट्स के लिए बहुत प्राब्लम हो गई है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी यह बेज बोर्ड इम्प्लीमेंट करे।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा आपको मालूम है, हरियाणा के बारे में ऐसा सवाल पहले भी रेज किया था जब देवीलाल की पौत्र वधू का मर्डर किया गया था। हरियाणा मे किसी महिला या बालिका की कोई रिसपेक्ट नहीं है। उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक 12 वर्ष की बच्ची शीतल का 22 दिन से कोई पता नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले उसकी लाश मिली है। वहां नारी की कोई इज्जत नहीं है, कोई नारी को वहां इज्जत नहीं दे सकता इसलिए मुख्य मंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए,। उनको डिसमिस करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: वह आ रहा है। महिलाओं पर अत्याचार पर डिसकशन आ रहा है।

कुमारी ममता बनर्जी: जो आदमी महिलाओं पर अत्याचार करता है और उस पर ध्यान नहीं देता है, जो आदमी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता उसे मुख्य मंत्री बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसको डिसमिस कर दिया जाये, मैं गृह मंत्री को यह कहती हूं।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, आई० आई० टी० में प्रवेश परीक्षाओं के बारे में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में करने का प्रावधान आपके माध्यम से हम लोगों और मानव संसाधन मंत्री के द्वारा तय हुआ था। उसकी फिर परीक्षा हो रही है और उस विकल्प को नहीं दिया गया है। आज 9 दिन हो गये, कुछ लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी परसों मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि हमारे वर्तमान मानव संसाधन मंत्री श्री शिवशंकर जी ने भी उसको माना और उनकी मांग का समर्थन करते हुए अपना समर्थन घोषित किया पत्र में। परन्तु वह प्रावधान सरकार की ओर से दिया क्यों नहीं जाता और लोगों को अनशन पर क्यों बैठना पड़ रहा है। उनका अनशन तुड़वाया जाये, जबकी सरकार उस धारणा से सहमत है। अत: आप उनको निर्देश दें कि यह काम तुरन्त हो और उनकी समस्या का समाधान हो ताकि भारतीय भाषाओं की रक्षा हो सके।

अध्यक्ष महोदय: सरकार भी राजी, आप भी राजी तो फिर झगड़ा क्या है, मैं सरकार से पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

वे कहां से आते हैं?

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी: मंत्री जी समर्थन कर रहे हैं, फिर पता नहीं होता क्यों नहीं।

अध्यक्ष महोदय: तो फिर बीच में कौन है?

[अनुवाद]

उन्हें हटा देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इसमें निर्देश दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें सरकार से उन लोगों को बर्खास्त कर देने की बात अवश्य कहनी चाहिए जो कि आदेशों का पालन नहीं करने के लिये जिम्मेवार हैं।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) ; महोदय, आपको याद होगा कि हाल ही में स्वतन्त्रता, सेनानियों की पेंशन को 500 रुपए से बढ़ा कर 750 रुपए करने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक इसका भुगतान नहीं किया गया। कब से इसे लागू किया जायेगा ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पूछिये इन से।

[अनुवाद]

श्री आशुतोष लाहा : पेंशन पाने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं। जो कि बिल्कुल मौत के कगार पर खड़े हैं। वे इसका लाभ नहीं उठा पायेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दें।

[अनुवाद

श्री आशुतोष लाहा : गृह मंत्री जी को हमें यह बात बतानी चाहिए कि कब इसे लागू किया जायेगा।

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) सभा में इसकी घोषणा की गयी थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शंकरानन्द जी।

12.08 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1988 में हुए मेघालय तथा त्रिपुरा विधान सभाओं के लिए आम चुनाव— सांख्यिकि संबंधी प्रतिवेदन और 1987 में हुए हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, केरल, मिजोरम, नागालैंड तथा पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं के लिए आम चुनाव सम्बन्धी प्रतिवेदन आदि

विधि और न्याय मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

[श्री बी० शंकरानन्द]

(1) वर्ष 1988 में हुए मेघालय तथा त्रिपुरा विधान सभाओं के आम चुनाव तथा लोक सभा तथा विधान सभाओं के लिए उप-चुनाव—सांख्यिकि-संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—8071/89]

(2) 1987 में हुए हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, केरल, मिजोरम, नागालैंड तथा पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं के लिए आम चुनाव तथा 1986 तथा 1987 में हुए उप-चुनावों के ब्यौरेवार परिणाम-सांख्यिकि-संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—8072/89]

रेल रैड टेरिफ नियम, 1988

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किये गये रेल रैड टेरिफ नियम, 1988, जो 4 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 142 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनका शुद्धिपत्र, जो 6 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 337 में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—8073/89]

बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) नियम, 1989 आदि

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 74 के अन्तर्गत बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) नियम, 1989, जो 25 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 95 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० - 8074/89]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 196 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 456(अ), जो 21 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 71/87-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत छूट के लिए पात्र मशीनरी की सूची में से ओटो कोनर्स को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा०का०नि० 459(अ), जो 21 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 176/88-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि मध्यवर्ती अग्रिम अनुज्ञप्ति योजना की सुविधा का लाभ तब भी उठाया जा सके जब अन्तिम उत्पाद निर्यातकर्ता आयात-निर्यात पास-बुक धारक हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा०का०नि० 488 (अ), जो 27 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 जुलाई, 1988 की अधिसूचना संख्या 271/88-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जिनका आशय संगणन प्रणाली (कम्प्यूटर सिस्टम) के फालतू पुर्जों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा०का०नि० 490(अ), जो 27 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 60/89-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पटसन उद्योग के लिए आधुनिक स्वचालित वृत्ताकार तथा चपटे संस्तर बैड करघों को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा०का०नि० 491(अ), जो 27 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 489/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पटसन उद्योग के लिए आधुनिक स्वचालित चपटे संस्तर करघों पर शुल्क मुक्त रियायत को बहाल किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा०का०नि० 492(अ), जो 27 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पटसन उद्योग के लिए वृत्ताकार करघों पर 35 प्रतिशत मूल्यानुसार मूल सीमा शुल्क की रियायती दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा०का०नि० 493(अ), जो 27 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पटसन नमदे (फेल्ट) के निर्माण के चार विनिर्दिष्ट मशीनरियों पर 35 प्रतिशत मूल्यानुसार मूल सीमा शुल्क

[श्री ए० के० पांजा]

की रियायती दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 494(अ), जो 27 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 108/89-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि वृत्ताकार करघे पर और पटसन नमदे के निर्माण के लिए चार विनिर्दिष्ट मशीनरियों पर 5 प्रतिशत मूल्यानुसार उपसंगी शुल्क विहित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 498(अ), जो 1 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 सितम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या 317/87-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि टैक्सटाइल मशीनरी उद्योग द्वारा आयात किये जाने के लिए अपेक्षित मशीनरी/उपकरणों की सूची को विनिर्दिष्ट किया जा सके और विनिर्दिष्ट मशीनरी की सूची में कतिपय और मदों को जोड़ा जा सके जिनकी ओजार कर्तन उद्योग द्वारा आयात किये जाने की अनुमति दी जाती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 507(अ), जो 5 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 63/88-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि किसी भी अस्पताल में उपयोग के लिए निःशुल्क निकासी की सुविधा दी जा सके।

(ग्यारह) सा०का०नि० 548(अ), जो 16 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 208/81-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि "इण्टरफेराण आल्फा 2बी इन्जेक्शन" को इसमें शामिल किया जा सके, जो कि औषधियों और दवाइयों की छूट प्राप्त श्रेणी में एक जीवन रक्षक औषधि है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 574(अ), जो 29 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में शीर्ष संख्या 98.06 का 1 जून, 1989 से लोप करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 575(अ), जो 29 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 84 अथवा 85 या 86 अथवा 90 के तहत आने वाले विनिर्दिष्ट माल पर मूल्यानुसार 35 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 576(अ), जो 29 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट उपकरणों और औजारों पर मूल्यानुसार 40 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 577 (अ), जो 29 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 280/76-सी०शु०, 341/76-सी०शु० तथा 342/76-सी०शु०, 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 156/86-सी०शु०, 16 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 345/86-सी०शु०, 346/86-सी०शु, 347/86-सी० शु० और 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 60/87-सी०शु० और 29 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना संख्या 181/87-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची से शीर्ष संख्या 98.06 को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा०का०नि० 578(अ), जो 29 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 68/87-सी०शु०, 69/87-सी०शु० और 124/87-सी०शु० तथा 21 सितम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या 257/88-सी०शु० को विखंडित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा०का०नि० 579(अ), जो 29 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 356/86 सी०शु की वैधता 31 मई, 1990 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठारह) सा०का०नि० 595(अ) और सा०का०नि० 596(अ), जो 6 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन एक कास्टिक सोडा संयंत्र के प्रतिस्थापन के लिये आयातित क्षिल्लियों पर 30 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क तथा उपसंगी शुल्क विहित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—8075/89]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 1217(अ), जो 28 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय रिकार्ड की गई वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के विक्रय के संवर्धन के लिये विज्ञापन के साथ रिकार्ड की हुई वीडियो कैसेट टेपों पर, जिन पर 1 मार्च, 1982 को प्रारम्भ होने वाली और 19 मई, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया गया

[श्री ए० के० पांजा]

है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के भुगतान को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 554(अ), जो 17 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 84/87-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 612(अ), जो 12 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अध्याय 48 के अन्तर्गत आने वाली कतिपय विनिर्दिष्ट स्टेशनरी मदों पर 28 फरवरी, 1986 से शुरू होकर 28 फरवरी, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के भुगतान को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 613(अ), जो 12 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 660(अ), जो 30 जून, 1989 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—8076/89]

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, बंबई के 1 जनवरी, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन और सिक्किम राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुए 28 फरवरी, 1989 का करार

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं अपने साथी, श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, बम्बई के 1 जनवरी, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—8077/89]

(2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21क की उपधारा (2) के अन्तर्गत सिक्किम राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुये 28 फरवरी, 1989 के करार की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—8078/89]

12.09 म०प०

याचिका समिति

13वां प्रतिवेदन

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं याचिका समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

12.09½ म०प०

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987 संबंधी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन और साक्ष्य

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मैं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987 संबंधी संयुक्त समिति क प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

मैं भारतीय आयुविज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987 सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति भी सभा पटल पर रखता हूं।

— ——

12.10 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि इस सदन में 31 जुलाई, 1989 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित कर :—

(क) संविधान (64वां संशोधन) विधेयक, 1989

(ख) संविधान (63वां संशोधन) विधेयक, 1989

3. वर्ष 1989-90 के लिये कर्नाटक बजट पर सामान्य चर्चा।

[श्री पी० नामग्याल]

4. वर्ष 1989-90 के लिए कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

5. राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार और पारित करना।

[हिन्दी]

श्री अख्तर हसन (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें :—

"मैं सरकार का ध्यान देश की न्याय-प्रणाली की ओर दिलाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि सिविल अदालतों में दायर मुकदमों की सुनवाई सीरियल नम्बर से नहीं की जाती है जिसके कारण बहुत से मुकदमे काफी समय तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। दूसरे, अपीलों की सुनवाई में वादों से भी अधिक समय लगता है। कई केसों में तो वादी और प्रतिवादीगण मर तक जाते है। तीसरे, प्राय: वकील वादों में तारीख लेते रहते हैं।

मेरा सुझाव है कि अपील को भी वाद के बराबर ही महत्व दिया जाए, तथा अपील का निपटारा भी वाद की तरह मासिक कोटे पर आधारित किया जाए और वाद मे ज्यादा से ज्यादा दो बार विशेष कारणों से ही तारीख दी जाए। इसके लिए कोई नियम लागू किया जाए। इससे वादी तथा प्रतिवादी दोनों को लाभ होगा तथा मुकदमों की कार्यवाही जल्दी पूरी हो सकेगी।"

श्री डाल चन्द जैन (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल करें :—

"मध्य प्रदेश में बीड़ी पत्ते का उत्पादन लगभग 60 प्रतिशत होता है। गत वर्ष 70 लाख बोरे बीड़ी पत्ता इकट्ठा हुआ था। इस वर्ष लगभग 43 लाख बोरे इकट्ठे हुए हैं। मध्यप्रदेश मे सबसे ज्यादा बीड़ी मजदूर लगभग 10 लाख के करीब बीड़ी के काम में कार्यरत है। इनको पूरे साल काम मिलता रहे और बीड़ी पत्ती के अभाव में इनका काम बन्द न हो इस बात की सरकार सावधानी रखे। बीड़ी मजदूरों को काम न मिलने पर इनके परिवार को रोजी रोटी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। भारत शासन उनके काम की सुरक्षा की गारण्टी देने की कृपा करें।"

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :—

"राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कोटा से शिवपुरी (म० प्र०) तक राज्य का हाइवे नंबर 17 स्थित है जो कि शिवपुरी (म० प्र०) में नैशनल हाइवे नंबर 3 दिल्ली-आगरा बम्बई से मिल जाता है और कोण, जयपुर-जबलपुर नेशनल हाइवे नंबर 12 पर स्थित है। कोटा का शिवपुरी से रेल सम्बन्ध नहीं है। इस कारण कोटा व इसके आस-पास के जिले जैसे बूंदी झालावाड़-चित्तौड़-झांसी-ग्वालियर-शिवपुरी आदि से रेल व सड़क से अच्छी तरह जुड़े हुए नहीं हैं।

राज्य के हाइवे नंबर 17 के अपग्रेडेशन से जयपुर से लखनऊ कानपुर वगैरह जुड़ जाएंगे एवं विकास के कई रास्ते खुलेंगे।

मेरा केन्द्र सरकार के जल भूतल मंत्रालय से निवेदन है कि कोटा-शिवपुरी मार्ग को नेशनल हाइवे घोषित करें एवं नेशनल हाइवे नंबर 12 को नेशनल हाइवे नंबर 25 से जोड़ें।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए। केन्द्र सरकार ने देश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से तृतीय चिकित्सा अधिकारी के पद को वापस ले लिया है और ग्राम स्वास्थ्य मार्ग-दर्शक के पद को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। यह देश की सम्पूर्ण जनता के लिए अत्यधिक चिन्ता का विषय बन गया है क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों के निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपायों के रूप में निदान को गंभीर धक्का लगेगा। इसके अतिरिक्त, इससे लाखों शिक्षित लोगों के लिए भी बेरोजगारी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

2. उड़ीसा राज्य के बालासोर और मयूरभंज जिलों में लाखों किसान अपने खेतों में खरीफ की धान की फसल उगाने में अत्यधिक संकट का सामना कर रहे है जो अब बाढ़ और लवणीय जलमग्नता से प्रभावित हुए है, ऐसा तटबन्धों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण न होने से हुआ है जो कि 26 मई, 1989 के अत्यधिक तीव्र गति के तूफान तथा सुवर्ण रेखा नदी में भयंकर बाढ़ के कारण या तो अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गए थे अथवा बह गए थे। यदि इन क्षतिग्रस्त तटबन्धों पर मरम्मत पुनर्निर्माण के कार्य युद्ध स्तर पर शुरू नहीं होते तो लाखों एकड़ उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 1988-89 भारतीय अर्थतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय आय में अनुमानतः 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा खाद्यान्न उत्पादन अनुमानतः 17 प्रतिशत से 20 फीसती तक बढ़ा है, लेकिन एक ओर खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दूसरी ओर कृषि उत्पादन का उचित मूल्य न मिलने के कारण कृषक समुदाय में बढ़ता असंतोष दोनों में काफी विरोधाभाष है। भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान भी लगातार कम होता जा रहा है। 1950 में यह कुल राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत था जबकि 1988-89 में मात्र 31 प्रतिशत रह गया है। समस्या यह है कि कृषि में लगे तथा उस पर आश्रित लोगों का अनुपात लगभग ज्यों का त्यों बना हुआ है।

अतः मैं भारत सरकार के कृषि मन्त्री से यह मांग करता हूं कि कृषकों को बदहाली से बचाने के लिए कोई ऐसी योजना तैयार करने का कष्ट करें ताकि कृषि पर गुजर करने वाले लोगों की संख्या में कमी आए और खेती की खुशहाली के साथ-साथ कृषक भी खुशहाल हो सकें और उनका असंतोष समाप्त हो सके।

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में विशेषकर बस्ती तथा गोंडा आदि जिलों में भारी वर्षा के कारण राप्ती, रोहिण, आमी, गोर्रा आदि नदियों में भीषण बाढ़ आई है, जिसके फलस्वरूप गोरखपुर जिले में लोहगौरा बांध टूट गया है तथा गोरखपुर शहर का सुरक्षा बांध भी क्षतिग्रस्त हुआ है। लाखों एकड़ भूमि की फसलें नष्ट हो गई हैं तथा सैकड़ों गांवो में धन-सम्पत्ति की और जन हानि हुई है। गोरखपुर शहर मे पानी घुस आया था, भारी संख्य

[श्री मदन पांडे]

में घर गिर गए हैं, अत: भारत सरकार तत्काल राहत कार्यों हेतु पर्याप्त धन तथा साधन प्रदान करे।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भारी संख्या में बुनकर हथकरघा उद्योग पर आश्रित हैं तथा विगत कई वर्षों में इस उद्योग में गिरावट के शिकार हैं। सरकार द्वारा घोषित वस्त्र नीति का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण होने के कारण स्थिति और बदतर हो गई। सहकारी समितियां कर्जदार व निष्क्रिय हो गई हैं। तैयार माल की बिक्री में कमी तथा ऊंचे दामों में सूत की उपलब्धि इस समस्या का मूल कारण है। गोरखपुर जैसे स्थानों पर हथकरघा नगर की स्थापना घोषित हो पर भी अब तक उस पर अमल न होना परिस्थितियों को और खराब कर रहा है। अत: केन्द्र सरकार हस्तक्षेप कर इन विसंगतियों को दूर करे।

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए :

दिल्ली प्रशासन जब भी किसानों की जमीन एक्वायर करता है तो किसानों को बहुत कम मुआवजा देता है। मुआवजे का पैसा भी समय पर नहीं दिया जाता। उस पर सूद भी नहीं दिया जाता। इसके अतिरिक्त किसानों को डी० डी० ए० द्वारा पक्षपात होता है कि 400 गज के प्लाट की बजाय उन्हें केवल 150 गज का प्लाट दिया जाता है।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए तथा पूरा भुगतान तुरन्त किया जाए। यदि पेमेन्ट में देरी हो तो उस पर उनको 12 प्रतिशत सूद दिया जाए। उनको 400 गज के प्लाट भी दिए जाएं और हर परिवार में एक को काम दिया जाये। किसान को जमीन के मुआवजे के साथ ही प्लाट का भी सर्टिफिकेट दिया जाये जिससे किसानों को कोर्टों के चक्कर न लगाने पड़ें।

श्री नन्दलाल चौधरी (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का कष्ट करें :

मध्य प्रदेश का सागर जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है। इस जिले के बीना क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना (रिफायनरी) स्थापित किये जाने हेतु भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से सर्वेक्षण करवाया गया है। बीना क्षेत्र देश के मध्य भाग में स्थित है और हर दृष्टि से यह कारखाना बीना क्षेत्र में ही स्थापित किया जाना उपयुक्त है। बीना रेलवे जंक्शन पर भाप के इंजनों की मरम्मत करने का लोको शेड कारखाना था जिसमें कई हजार कर्मचारी कार्यरत रहते थे किन्तु रेलवे में विद्युत के इंजन चलना शुरू हो जाने के कारण लोको शेड कारखाना समाप्त कर दिया गया है। इस कारण हजारों लोग जो इस कारखाने से जुड़े हुए जीविका चलाते थे, वे बेरोजगार हो गए हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति की क्षति पूर्ति के लिए भी तेल शोधक कारखाना खोला जाना अत्यन्त ही आवश्यक हो गया है।

[अनुवाद]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : कृपया निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये :—

(1) विद्यापति मैथिली, हिन्दी तथा बंगला के एक महान कवि थे। उनकी यादगार को मनाने के लिए यह अनुरोध है कि केन्द्र सरकार दिल्ली में एक विद्यापति भवन का निर्माण करे जहां देश के विभिन्न भागों से शिक्षार्थी एकत्र हो सकें और इस महान कवि पर अनुसंधान कर सकें।

(2) उत्तरी बिहार, विशेषकर मिथला क्षेत्र के लोगों को वास्तव में कोई चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं है। जब वे इलाज के लिए दिल्ली आते हैं तो अत्यधिक परेशान होते है। इसलिए अनुरोध है कि उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की पद्धति पर एक आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किया जाए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में चर्चा के लिए सम्मिलित किया जाए :—

(1) देश के धार्मिक, जातीय तथा भाषाई अल्पसंख्यकों में बढ़ता हुआ असंतोष तथा असुरक्षा की भावना राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयोग की वार्षिक रिपोर्टों तथा अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्टों पर इस सभा में अनेक वर्षों से चर्चा नहीं की गई है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मन्त्री के 15-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन और उपलब्धियों पर सरकार द्वारा भी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। अल्पसंख्यकों पर गोपाल सिंह पेनल की रिपोर्ट भी सभा पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है।

(2) एक दशक से विचाराधीन मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर भी कोई प्रगति नहीं हुई है। इस कारण सामाजिक न्याय और लोकतंत्र में भागीदारी की प्रगति में रुकावट उत्पन्न हुई है। अन्य पिछड़े वर्ग प्रशासन तथा उच्च शिक्षा में उचित हिस्से की मांग कर रहे हैं।

श्री पी० नामग्याल : महोदय, मैं माननीय सदस्यों के सुझाव कार्य मंत्रणा समिति की अगली बैठक में रख दूंगा।

12.25 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

73वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 27 जुलाई, 1989 को सभा में प्रस्तुत किये गये तिहत्तरवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 27 जुलाई, 1989 को सभा में प्रस्तुत किये गये तिहत्तरवें प्रतिवेदन से सहमत हूं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.26 म० प०

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक (–जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री एडुआर्डो फैलीरो द्वारा 26 जुलाई, 1989 को पेश किये गये प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी। श्रीमती प्रभावती गुप्त बोलेंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : हम बहुत कम बोलेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य मंत्री फैलीरो साहब ने जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक यहां पेश किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं।

यह ऐतिहासिक विधेयक है और मैं समझती हूं कि इससे अधिक रोजगार का सृजन होगा और गांवों में आर्थिक क्रान्ति भी आएगी क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य गांवों का विकास करना और गांवों में तथा ऐसे पिछड़े इलाकों में, जहां पर पूंजी के अभाव में उद्योग बीमार हैं, रुग्ण हैं या औद्योगिक इकाइयां सिसक रही हैं, उनकी वित्तीय सहायता करना है, उनका संवर्धन करना है, उनको टैक्नीकल नो हाऊ का ज्ञान देना है, उनके लिए बाजार की व्यवस्था करना है, यह बहुत अच्छे उद्देश्य हैं इसीलिए मैं इसका स्वागत करती हूं।

जिस तरह से जवाहर रोजगार योजना एक क्रान्तिकारी योजना है और संविधान संशोधन 64, 65 द्वारा एक क्रान्तिकारी कदम उठाया जा रहा है वैसे ही इस विधेयक के द्वारा भी उठाया जा रहा है। हमारे यहां उद्योगों के सामने मूलभूत समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान इसमें होना चाहिए और मैं समझती हूं कि कुटीर उद्योग को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आपने लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की है, यह ठीक है लेकिन हमारे यहां पूरे देश के अन्दर लाखों कुटीर उद्योग हैं जो कि पूंजी के अभाव में रुग्ण हैं और परेशान हैं, उनको भी इसमें शामिल करिये तो अच्छा होगा।

पश्चिम में 18वीं सदी के प्रारम्भ में इण्डस्ट्रियल रैवोल्यूशन हुआ और विद्युत क्रान्ति हुई जिससे वहां का नक्शा बदल गया और हमारे देश की आजादी के पहले हमने यह हालत देखी कि जो वस्तु देखो मेड इन इंग्लैंड या जर्मनी की थी। हमारे यहां एक छोटी-सी सुई भी विदेश से आती थी लेकिन 1956 में हमारी उद्योग नीति बनी, उसके बाद औद्योगिक क्रान्ति यहां भी हुई और बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, भारी उद्योग हमारे यहां बने, लोहे के स्तर पर भी, हमारे जन-स्तर पर भी उद्योग हमारे यहां बने, उनका भी स्वागत हुआ और जगह-जगह इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स भी बने लेकिन जो काम लघु उद्योगों के विकास के लिए होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा कि पूंजी की बहुत बड़ी समस्या है इसलिए यदि सरकार का ध्यान इस तरफ जाता है तो अच्छी बात है।

हमारे यहां तहखानों में हीरे-जवाहरातों के रूप में अरबों अरब की राशि पड़ी हुई है, हमारी सरकार क्यों नहीं प्रयास करती है कि वह सभी राशि को लाए और लघु उद्योग के अन्दर उसका वितरण करे और एक एनाउंसमेंट करे, घोषणा करे कि यदि ऐसे लोग, जिनके यहां ब्लैकमनी के रूप में तहखानों में अरबों रुपया, खरबों रुपया पड़ा हुआ है, यदि अपने रुपये को लघु उद्योग इकाइयों को देंगे, इस बैंक को देंगे तो हम उनसे कोई पूछताछ नहीं करेंगे। बाद में अपनी पूछताछ करिए तो इससे ज्यादा राशि होगी और आप ज्यादा सहायता करेंगे।

लघु उद्योगों का काफी महत्वपूर्ण योगदान देश की आर्थिक क्रान्ति में है और हमारे यहां जो उत्पाद होते हैं, उनमें से 50 प्रतिशत उत्पादन इससे होता है, निर्यात के मामले में भी 25 प्रतिशत ज्यादा करते हैं। हमारे देश के अन्दर आर्थिक क्रान्ति में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसकी तरफ सरकार का ध्यान गया, हम इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहते हैं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जैसे आई० डी० बी० आई० ने भी बहुत अच्छा काम किया है, हमारे मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में बताया कि 1989 के मार्च तक के नौ महीनों में 1491 करोड़ रुपये की सहायता दी गई जो 1987-88 से 30-31 प्रतिशत ज्यादा है लेकिन मैं आज फिर भी यह कहना चाहती हूं, निःसंकोच होकर और यह कहने का लोभ संवरण नहीं कर सकती। आई० डी० बी० आई० द्वारा काफी उपेक्षा की गई है लघु उद्योगों की इकाइयों की इसलिए आप कभी भी आई० डी० बी० आई० के अध्यक्ष को लघु उद्योग विकास बैंक का अध्यक्ष न बनाइए। आप जब इसको एक पृथक संस्था बनाने जा रहे हैं, तो इसका अध्यक्ष भी एक अलग से विशेषज्ञ बनाइए। एक दयावान व्यक्ति को बनाइए और ऐसे व्यक्ति को बनाइए जिसको कि ग्रामीण क्षेत्रों की और ग्रामीण अंचलों की जानकारी हो और वह इन सभी समस्याओं से अवगत हो।

आपने सभी बातों के संवर्धन के लिए कहा है कि हम टैक्नीकल नो हाऊ देंगे। हम प्रौद्योगिकी रेज करेंगे और पैसे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, अत्यधिक छोटे उद्योगों के क्षेत्रों में, अच्छी क्वालिटी की चीज बनाएं. इसके लिए भी करेंगे। मैं साथ ही साथ यह भी कहूंगी कि आप जब बैंक बनाने जा रहे हैं और लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार का यह कदम बहुत ही अच्छा है। मैं कहना चाहती हूं कि आप इसमें बिजली वाली बात क्यों शामिल नहीं करते हैं। औद्योगिक क्रान्ति के लिए और छोटे उद्योगों के विकास के लिए बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि आपने भी कहा और मैं भी कह रही हूं कि आर्थिक संवर्धन के लिए, इनके विकास के लिए यह बैंक महत्वपूर्ण काम करेगी। इसलिए आप इसमें बिजली की समस्या को भी जोड़िए।

आपने विशेष तौर से कहा है कि इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाएंगे। आप इसका कार्यालय लखनऊ में बनाएं हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन हर प्रान्त में इसकी शाखा जरूर बनें। जब तक आप इसको हर जिले में नहीं बनाएंगे, तब तक इसका कुछ मतलब नहीं होगा क्योंकि जिले के लोगों से ही उद्योगों का विकास होगा। उत्तर बिहार में जहां बिजली की कमी है और पूंजी की कमी की वजह से लाखों-लाख इकाइयां बन्द पड़ी हैं, वहां कम से कम काटो थर्मल पावर को जो आउट आफ दि वे नहीं है, उसको इसमें शामिल करें। काटी का बिजली पावर स्टेशन उत्तर बिहार की इकाइयों के लिए रखें। मैं एक बात और कहना चाहती हूं, विशेषज्ञों की सहायता लोगों को उपलब्ध कराइए, क्योंकि क्वालिटी की कमी की वजह से काम नहीं हो पाता है और बाजार भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। इन सब बातों की ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

जहां तक निदेशक मंडल की बात है और एक निदेशक मंडल की स्थापना करने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो भी हो आप इसमें जन प्रतिनिधि को उसमें जरूर रखें। एक बात और ध्यान दें, आपके बड़े-बड़े बैंक हैं, छोटे ग्रामीण बैंक भी हैं, आपके और भी बैंक हैं, जिला मुख्यालय भी हैं, स्टेट बैंक है, इलाहाबाद बैंक और बड़ौदा बैंक भी है, सभी आपके हैं, लेकिन वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो छोटी इकाइयां पूंजी के अभाव में सिसक रही है, उनको सिसकने से रोका जाए। आप कम से कम लोगों को आश्वस्त करें कि जो बैंक की स्थापना हो रही है, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्योंकि बेचारे वे ही पैसे के लिए बैंक के पास जाएंगे, नहीं तो वही हाल होगा। एण्टी पावर्टी प्रोग्राम में पांच-दस हजार रुपया देना है, लेकिन मिलेगा दो हजार रुपया, इसलिए आप

[श्रीमती प्रभावती गुप्त]

जो संस्था बनाने जा रहे हैं, वह कम से कम पवित्र हो और भ्रष्टाचार से दूर हो, तभी आपके बैंक काम करेंगे और आपका मुख्य उद्देश्य पूरा होगा। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहूंगी कि कम से कम उत्तर बिहार में इसकी एक शाखा जरूर खोलें, क्योंकि उत्तर बिहार में हमारी सम्भावनाएं हैं, छोटे उद्योगों का विकसित करने के लिए। वह शस्यश्यामला धरती है, वहां नदियों की देन है, वहां बिजली उपलब्ध हो जाएगी तो कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाएगा। आपकी कच्चे माल की भी समस्या है। लघु उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार का जो कोटा है, जो लघु उद्योगों के निगम बने हुए हैं, उनके द्वारा बड़े-बड़े लोगों को कोटा मिलता है और वह जाकर बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में बिकता है···(व्यवधान)···इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप जब इन सब बातों पर ध्यान देंगे तभी इसकी जो स्थापना करने जा रहे हैं, आपका जो मकसद है, लक्ष्य है, ध्येय है, वह सार्थक होगा। आप जब उचित कदम बढ़ाएंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मैं पुनः इस बिल का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण (नान्देड): महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इस देश के लघु क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ही इसे मुख्य रूप से पेश किया गया है। आज हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं आज हम इन्दिरा जी को नहीं भुला सकते जिन्होंने उस समय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए पहल की थी क्योंकि आपको याद होगा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले केवल कुछ चुने हुए वर्ग ही बैंकों का लाभ उठाते थे। लेकिन आज इन्दिरा जी की दूरदर्शिता अथवा स्वप्न के कारण हम देख सकते हैं कि धनराशि गरीब आदमी और जरूरतमंद वर्ग को जा रही है।

इन्दिरा जी की संकल्पना और दूरदर्शिता के परिणामस्वरूप ही आज हम यह विधेयक प्रस्तुत होते हुए देख रहे हैं। मैं मंत्री महोदय और प्रधान मंत्री जी को इस सकारात्मक कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं जिन्होंने देश के लघु उद्योग क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया है। लेकिन देश में लघु उद्योग विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। लघु उद्योग के क्षेत्रों को बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से और स्थापित उद्योगों से बड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इसी कारण, लघु क्षेत्रों के उद्योगों को कुछ संरक्षण प्रदान करना और उसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जिससे कि लघु क्षेत्र के उद्योग जल्द से जल्द तरक्की कर सकें। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत इन बीस सालों में हमने देखा है कि लघु क्षेत्र के उद्योगों को बैंक द्वारा दी गई अग्रिम धनराशि 256 करोड़ रुपये से बढ़कर 16,000 करोड़ रुपये हो गई है। इसके साथ ही इसका ध्यान रखना आवश्यक है कि इस धन का कैसे उपयोग किया जाता है — क्या इसे सही तरीके से उपयोग किया जाता है और अगर इसमें कोई त्रुटि है तो इसे लघु क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए दूर किया जाना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर मैं बल देना चाहता हूं, यह कि बैंकों को अपना संचालन महानगरों से हटाकर अपने कार्य क्षेत्रों में ले जाना होगा। हम देखते हैं कि बैंकों के ज्यादातर क्षेत्रीय कार्यालय बड़े शहरों में केन्द्रित हैं जबकि उनका कार्य क्षेत्र, तथा जो लोग इससे लाभान्वित होंगे, वे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अतः इस दिशा में यह कदम उठाना चाहिए ताकि बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय, उनके कार्य संचालन के क्षेत्रों में ही जहां लोगों को इससे लाभ मिल सके। इसके परिणामस्वरूप, उच्चमियों

द्वारा शहरों में जाकर अपने प्रस्तावों को स्वीकृत कराने में लगने वाले अधिकांश समय और धन को बचाया जा सकेगा और इसे जल्द से जल्द लागू भी किया जा सकेगा ।

दूसरा मुद्दा जिसके ऊपर यहां बल देना मैं आवश्यक समझता हूं, यह है कि जब हम आज लघु उद्योग बैंक को स्थापित करने जा रहे हैं तब हमें यह पता लगाना चाहिए कि देश में रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या कितनी है इसके रुग्ण होने के क्या कारण हैं और लघु उद्योग बैंक इन सभी पूर्ववर्ती त्रुटियों को कैसे दूर करेगा वास्तव में, तभी हमें कुछ ऐसा करने का संतोष होगा जो लघु क्षेत्र के लिए आवश्यक है जैसा की आज सभी जानते हैं, इसका कारण मुख्यत: अनेक तथ्यों पर निर्भर करता है । उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण कच्चे माल की अपूर्ति की अनिश्चितता है जिसके बारे में मेरे माननीय मित्र पहले कह चुके हैं और साथ ही कुछ हद तक उद्यमियों के बीच प्रबंधकीय क्षमता की कमी भी इसके लिये उत्तरदायी है । चूंकि बैंक उद्यमों के विकास का उत्तरदायित्व भी उठाने जा रहा है, यह एक मुख्य कार्य है जिसे बैंक के द्वारा किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्या से निपटने के लिए उनमें प्रबन्धकीय क्षमता है ।

अंत में इसका सबसे मुख्य मुद्दा इसके लिए विपणन संबंधी ऐसी आधारभूत संरचना का निर्माण करना है जिसका अभी तक अभाव था क्योंकि लघु उद्योगों द्वारा जो भी सामग्री का निर्माण किया जाता है, उसके लिए उपयुक्त बाजार उपलब्ध नहीं हो पाता है । उनके द्वारा भरसक प्रयासों के बावजूद भी बड़ी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां और बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा लघु क्षेत्र के उद्योगों की प्रगति और विकास में बहुत दिक्कतें उत्पन्न कर दी जाती हैं । अत: मेरे विचार से अगर इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाय तो निश्चिय ही हम लघु उद्योग बैंकों के माध्यम से लघु उद्योगों के लिए सराहनीय कार्य करेंगे ।

एक दूसरा मुद्दा जिसके लिए मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना है, जिला उद्योग केन्द्र अनेक जिलों में कार्यरत हैं । जैसा कि हमने देखा है, ये जिला उद्योग केन्द्र मात्र डाकघर बनकर रह गये हैं । प्रत्येक प्रस्ताव, चाहे वह व्यावहारिक हो या नहीं, एक डाकघर की तरह बैंक को भेजा जाता है और बैंक इन सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर देता है । अगर आप जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा बैंक को भेजे गए प्रस्तावों और बैंक द्वारा ठुकराए गए प्रस्तावों के आंकड़े पर ध्यान दें तो आप इन आंकड़ों को अत्यधिक चिन्ताजनक पायेंगे । जब हम पिछले कई सालों से एक खिड़की प्रणाली व्यवस्था के संबंध में बात कर रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा की जिला उद्योग केन्द्र मात्र एक डाकघर के रूप में कार्य नहीं करें । प्रमुख बैंक का एक प्रतिनिधि वहां होना चाहिए जो इस बात को सुनिश्चित करने में सक्षम हो कि जो भी प्रस्ताव जिला उद्योग केन्द्र को भेजा जाय, उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाये । इसी स्तर पर आप यह निर्णय कर सकते है कि प्रस्ताव बैंक को भेजा जाना चाहिए या नहीं । लेकिन एक बार जब जिला उद्योग स्तर पर प्रस्ताव को व्यावहारिक करार दे दिया जाये तो उसके बाद किसी वित्तीय संस्था द्वारा उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए । इससे आप उद्यमियों का समय बचा सकते हैं जिससे उनके प्रस्ताव समय से स्वीकृत हों और उन्हें अपने प्रस्ताव पर अमल करने की भी प्रेरणा मिल सके ।

लेकिन आज जो भी हो रहा है, वह इसके बिल्कुल ही विपरीत है । जिला उद्योग केन्द्र प्रस्ताव आगे भेजता है, फिर यह बैंक में जाता है और एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने में उनका अत्यधिक समय नष्ट हो जाता है । यह बिलकुल ही इसके विपरीत है जिसे आज हम देश में चाहते हैं । अगर हम एक खिड़की प्रणाली की बात करते हैं तो हमें किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कम से कम समय लेना चाहिए और यह सब कार्य जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर किया जाना चाहिए । मेरे विचार

[श्रीअशोक शंकरराव चव्हाण]

से अगर प्रक्रिया को आसान कर दिया जाय, तो वह समय से काम करेंगे और उनके प्रस्ताव को भी जल्दी से स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी और जरूरी परिणाम हासिल होंगे जिसके लिए बैंक भी आवश्यक उत्तरदायित्व ले सकता है।

एक दूसरा मुद्दा यह है कि प्रत्येक जिले की औद्योगिक क्षमता की जांच की जाय। हम देखते हैं कि जब किसी जिले में एक तेल मिल की स्थापना का प्रस्ताव आता है, तो इसके साथ ही साथ दस और तेल मिलों की स्थापना के प्रस्ताव आते हैं और उन्हें सामान्यत: स्वीकृति दे दी जाती है। अत: प्रत्येक जिले की क्षमता का पता लगाने के लिए वृहत स्तर पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

जैसे कि प्रधान मंत्री ने प्रत्येक क्षेत्र की क्षमता का पता लगाने के लिए टेक्नोलोजी मिशनों की स्थापना की है कि दूर संचार व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाय, किसी क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई है, इत्यादि; इसी प्रकार एक तरह का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक जिले की क्षमता का पता लगाया जा सके और उसके अनुसार ही वहां उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम उस क्षेत्र में सक्षम उद्योगों को ही इन बैंकों द्वारा ऋण दे सकेंगे।

लघु उद्योगों के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या अपने उत्पादों को बेचने की है इन उद्योगों को तब तक संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है जब तक कि वे लिया गया पूरा ऋण वापस नहीं कर देते। जब हम बैंकों से उन्हें धन देते है तो हमारी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्हें सही संरक्षण प्रदान किया जाये और जो धन हमने उन्हें दिया है; वह समय पर वापस कर दिया जाए। इसे किया जाना चाहिए।

हम देखते हैं कि प्रत्येक जिले में सरकारी विभागों द्वारा ही बहुत बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है। अगर महाराष्ट्र का उदाहरण आप लें, तो वहां मध्यम आय वर्ग और गरीब लोगों के लिए मकान बनाकर देने का कार्य, एक बड़े मकान निर्माण संगठन एस० आई० डी० सी० ओ० का है। उन्हें निरन्तर अत्यधिक सामग्री की जरूरत रहती है। अगर वह सामग्री लघु उद्योगों से खरीदी जाय तो इससे विपणन संबंधी उनकी समस्या दूर हो सकती है। दुर्भाग्यवश देश में ऐसा नहीं हो रहा है।

लघु उद्योग द्वारा निर्मित सामग्री अच्छी होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार के कारण उन्हें इसके विपणन का मौका नहीं दिया जाता। अत: इसके लिए समझौते की जरूरत है जिसके द्वारा लघु क्षेत्र के उद्योगों द्वारा निर्मित अच्छी किस्म की सामग्री, सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में खरीदी जा सके ताकि उनकी विपणन संबंधी समस्या को दूर किया जा सके।

इसी प्रकार, परिवहन क्षेत्र में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की अग्रिम राशि ट्रक, टेम्पो, हल्के व्यावसायिक वाहनों, इत्यादि के लिये दी जाती है। आज हालत यह है कि अनेक बैंकों ने इस क्षेत्र को ऋण देना बंद कर दिया है क्योंकि उनके अनुसार इस क्षेत्र से धन वापस प्राप्त करना मुश्किल होता है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस दिशा में पहले यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि धन की वापसी में कठिनाई क्यों होती है। जब लघु क्षेत्र के उद्योगों के लोग बाजार जाते हैं तो उन्हें संगठित क्षेत्र के लोगों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। सरकार प्रतिदिन अनेक निविदाएं जारी करती है। आपने जो भी निर्णय लिया हो, आप क्यों नहीं लघु क्षेत्र के उन लोगों को प्राथमिकता देते हैं जिन्हें हाल ही में आपने धन दिया है? अगर यह समझौता हो जाये, तो निश्चय ही लघु उद्योग के लोग सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर भी धन की अदायगी समय पर करेंगे। इससे उन्हें भी अपने दायित्व से मुक्ति मिलेगी और सरकार को धन की वसूली भी हो सकेगी। सरकारी क्षेत्र तथा निजी उद्यम से कुछ सीमित प्रकार के प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र को भी कुछ अग्रिम राशि दी

जा सके और कुछ मदद पहुंचाई जा सके। हमने राष्ट्रीय ईक्विटी योजना को भी शुरू किया है, जिसके लिये उद्यमकर्त्ताओं को निजी उद्योगों की शुरुआत करने के लिये प्रधान पूंजी दी गई है। लेकिन इसके लिये कुछ प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है और अनेक उद्यमकर्त्ता अभी भी इस प्रकार की योजना के बारे में नहीं जानते हैं। यदि आप इस बात का विश्लेषण करें कि इस ईक्विटी योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई है तो हम पाएंगे कि अधिकांश जगहों में लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई है। यहां कुछ किया जाना चाहिये जिससे कि लघु उद्योग के क्षेत्र में अनेक उद्यमकर्त्ता सामने आएंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा बैंक में जमा की गई धनराशियों से सम्बन्धित है। बरीयता के अनुसार अधिकांश सरकारी जमा अपने आप बड़े बैंकों में हस्तांतरित हो जाती है। मैं यह मशवरा दूंगा कि जमा करने के लिये यदि बैंकों के कार्यनिष्पादन को कसौटी माना जाये तो हम बैंकों के कार्यकलापों में कुछ सुधार कर पाएंगे। अनेक ऐसे बैंक हैं, जहां सरकारी जमा सिर्फ बरीयता के आधार पर हो रहे हैं चाहे वहां काम होता हो अथवा नहीं; चाहे उनका कार्य निष्पादन अच्छा हो या खराब; अथवा चाहे उन्होंने प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान दिया हो या नहीं। सिर्फ बरीयता के कारण उन्हें नियमित रूप से अग्रिम धन-राशि प्राप्त हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने काफी समय ले लिया है। अब कृपया अपना भाषण बन्द करें।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि उन बैंकों को जो अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, यदि अग्रिम राशि दी जाती है तो उन्हें एक प्रकार का प्रोत्साहन मिलेगा और बैंक भी उचित प्रकार से कार्य कर पाएंगे।

अन्त में, हम देखते हैं कि लघु उद्योग के उद्यमकर्त्ता को सरकारी विभागों द्वारा जो भुगतान किया जाता है अक्सर देर से प्राप्त होता है। व्यक्ति बहुत ही कम पूंजी पर कार्य कर रहा होता है और यदि वर्षों तक भुगतान नहीं हो पाता है तो हम कैसे इसकी आशा करते हैं कि वह लिये गये ऋण को चुका पायेगा और हम कैसे यह आशा कर सकते हैं कि वह व्यापार के लिये उसी पूंजी को इधर-उधर लगा पायेगा ? यदि ये सरकारी विभाग समय पर भुगतान कर दें तो अपने व्यवसाय के लिये उसके पास उचित मात्रा में धनराशि होगी। हाल ही में लोक सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो कि अब एक अधिनियम बन गया है जिसके अन्तर्गत जारी किया गया कोई चेक यदि वापस हो जाता है तो चेक जारी करने वाला व्यक्ति दंड का भागी है। क्यों नहीं हम इसी प्रकार के एक संशोधन लाने की बात सोचते हैं कि वह व्यक्ति जो लघु उद्योगकर्त्ताओं को तंग करते हैं तथा वह जो समय पर भुगतान नहीं करते हैं, इन्हें भी दण्ड दिया जाये ? तब लघु उद्योगकर्त्ता लाभान्वित होंगे। अत: इस प्रकार का कोई संशोधन लाना चाहिए जिससे इन लोगों को लाभ पहुंचे।

अन्त में मैं जिला स्तर पर स्टियरिंग समिति में स्थानीय सांसदों और विधायकों को शामिल कर, बहुत ही उचित कदम उठाने के लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। यह कदम जिला स्तर पर छोटे उद्यमकर्त्ताओं को बढ़ावा देने हेतु उचित निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा।

[हिन्दी]

श्री डालचन्द्र जैन (दामोह) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जवाहर रोजगार योजना नामक स्कीम से एक नई जागरूकता आई है। लोगों ने इस पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है।

[श्री डालचन्द्र जैन]

इसके लिए हम अपने प्रधान मंत्री जी को सदन की ओर से बधाई देना चाहते हैं। जवाहर रोजगार योजना से पहले पैसा पूरी तरह गांवों के विकास पर नहीं खर्च हो पाता था, लेकिन अब सीधे पंचायतों को हम पैसा देंगे। हमारे गांवों में विकास के कार्यक्रम होंगे, इससे हमारे गांवों के कार्यकर्त्ताओं में अपने काम की जिम्मेदारी ...।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सम्बन्ध में बोलें।

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा अनुभव है कि जब कोई स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत अपना लघु उद्यम लगाने के लिए बैंकों के पास ऋण लेने के लिए जाता है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूरी फारमैलिटीज कम्पलीट करने के बावजूद बैंक की तरफ से उसे सकारात्मक जवाब नहीं मिलता। उसे पता नहीं चल पाता कि उसका ऋण मंजूर हुआ है या नहीं। उसे बैंक के अनेक चक्कर लगाने पड़ते हैं, कलैक्ट्रेट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अत: इस सम्बन्ध में, मेरा सुझाव यह है कि स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों को जितनी भी एप्लीकेशन्स प्राप्त हों, आप एक समय-सीमा निश्चित कर दीजिए कि दो महीने में उसे हर स्थिति में ऋण मिल जाएगा, उसकी एप्लीकेशन पर क्या कार्यवाही हुई, उसका पता चल जायेगा। आज स्थिति यह है कि स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्षों से अनेकों केस लम्बित पड़े हैं, लोग बैंकों के चक्कर लगाते हैं परन्तु उन्हें सही स्थिति का पता नहीं चल पाता। दूसरी तरफ, बड़े उद्योगों के लिये, बैंकों की ओर से उदारतापूर्वक अनेक ऋण स्वीकृत किये जाते हैं, जब कि छोटे उद्यमियों द्वारा तमाम कागजात प्रस्तुत कर देने के बावजूद, उन्हें फिर वही कागजात पेश करने के लिये लिखा जाता है। जब वे बैंक में आकर बताते हैं कि हमने अमुक कागजात पहले ही प्रस्तुत कर दिये हैं, हमारी एप्लीकेशन के साथ लगे हैं, इसके बावजूद उन्हें समय पर ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता। इस तरह से सारी शासन की योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। वैसे तो शासन की ओर से एक निश्चित मापदण्ड निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन उसके उल्लंघन की हमें समय-समय पर बहुत सी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, कहीं उन मापदण्डों के अनुसार, किसी बैंक में काम नहीं होता। जब किसी उद्योग को समय पर ऋण सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है तो उस पर अन्य ऋणों का भार बढ़ता जाता है और उसके कार्य-संचालन में अनेक तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पहले से उनके पास इतना वर्किंग कैपिटल विद्यमान नहीं होता कि वे अपना काम चला सकें। परिणाम यह होता है कि कोई भी नया उद्योग चालू होने से पहले ही बंद हो जाता है, रुग्ण होने की स्थिति में आ जाता है। इसलिये लघु उद्योग विकास बैंक के लिये आप यह एक मिनिमम टाइम लिमिट अवश्य फिक्स कर दीजिये, आपकी तरफ से इसे स्पेसिफिक गाइडलाइन्स दी जानी चाहिये कि अमुक उद्योग की तरफ से किस तरह की फोरमैलिटीज की जाये और एक टाइम लिमिट में उसे ऋण मिल जाना चाहिये। टाइम लिमिट सरकार की ओर से फिक्स की जाये और प्रत्येक एप्लीकांट को उसी समयावधि में ऋण अनुदान, इन्सैन्टिव, जो भी मिलने वाला हो, मिल जाये। मुझे आशा है कि मेरे सुझाव पर मंत्री जी गम्भीरता से विचार करेंगे जिससे कि कोई नया उद्योग फाइनैंस की कमी के कारण लगने से पहलेही बन्द होने या रुग्ण होने की स्थिति में न आने पाये।

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य : चूंकि बहुत से माननीय सदस्यगण इस बहस में भाग लेना चाहते हैं अत: हमें मध्यान्ह भोजन अवकाश के लिये नहीं जाना चाहिये।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : यदि सभा इस बात से सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यह सहमति है कि भोजन अवकाश रद्द कर दिया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अत: आज कोई भोजन अवकाश नहीं होगा।

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : महोदय, मैं लघु उद्योग क्षेत्र के विकास और इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उन संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करने जो कि लघु उद्योग क्षेत्र के विकास और इन्हें वित्तीय सहायता देने में संलग्न है तथा इससे सम्बन्धित मामलों में प्रधान वित्तीय संस्थान के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना के लिए प्रस्तावित इस विधेयक का स्वागत करती हूं।

वर्ष 1988-89 में बजट पेश करते समय हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा किये गये वायदों के मुताबिक यह विधेयक लाया गया है। आज विभिन्न बैंक कार्य कर रहे हैं। बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना के लिए आई०डी०बी०आई० मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कृषि के विकास को बढ़ाने के लिये 'नाबार्ड' की स्थापना की गई है। हाल ही में मकानों आदि के निर्माण के लिए हमने एक अलग बैंक की स्थापना की है। यह बैंक सही दिशा में कार्य कर रहा है। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवकों और शिक्षित युवकों की दूर-दराज के इलाकों में उद्योग स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान करना है। इससे उद्योग के क्षेत्र में निश्चित रूप से विकेन्द्रीकरण होगा क्योंकि अब हम बिल्कुल सही दिशा में यह विचार कर रहे हैं कि वे सभी शक्तियां जो अभी तक केन्द्रीकृत हैं उनका विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए तथा उन्हें निचले स्तर तक पहुंचाया जाना चाहिए। इस प्रकार से यह विधेयक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है तथा इस बात में सावधानी बरतनी चाहिए कि कैसे हम बेहतर तरीके से जरूरतमन्द लोगों की सहायता कर सकते हैं। दूरवर्ती क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना करते वक्त हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इससे ऐसे लोग लाभान्वित होंगे, जो सबसे अधिक उपेक्षित हों—सकता है कि वे गैर तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हों, हो सकता है कि वे इन उद्योगों का विकास करने में दक्ष न हों, हो सकता है कि उन्हें उचित प्रबन्धकीय अनुभव प्राप्त न हो। अत: इस प्रकार के लोगों के बारे में इन उद्योगों की स्थापना के लिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। आई०डी०बी० आई० आज बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। इन्हीं सब कारणों से औद्योगिक विकास के क्षेत्र में देश बहुत अधिक विकास प्राप्त कर चुका है। हमें इस बात पर गर्व है कि अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में हमारा स्थान 9वां है।

इसके साथ ही साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि इतने लघु उद्योग क्यों रुग्ण हो गये हैं। मेरे मित्र ने इसके एक या दो कारण बताये हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इसके और भी अनेक कारण हैं। सबसे पहला और प्रमुख कारण यह है कि सावधि ऋण देने और उद्योग की स्थापना के लिए जगह के चुनाव में देरी बरती जाती है। कार्यशील पूंजी के अपर्याप्त आबंटन तथा बाजार की उचित सुविधा

[श्रीमती बसव राजेश्वरी]

का अभाव आदि। अन्य कारण भी हैं। राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अक्सर विद्युत शुल्क दर आदि अत्यधिक बढ़ा दी जाती है। बिजली नहीं रहने के कारण भी अधिकांश उद्योग रुग्ण हो जाते हैं। आज लघु उद्योग इस सबसे विकट समस्या का सामना कर रहा है।

दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनेक उद्योगों में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सिफारिश की गयी तकनीकी अच्छी नहीं है। यह उचित नहीं है। मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना करने वाले व्यक्ति मूर्ख बनाये गए हैं। उदाहरण के लिए हमने बहुत से लघु और माइक्रो सिमेन्ट संयंत्रों की स्थापना की है। हमने इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि तीन सौ से लेकर चार सौ से अधिक लघु सिमेंट संयंत्र सिर्फ इस कारण रुग्ण हो गये हैं कि इनमें लगी मशीनरी त्रुटिपूर्ण है। कभी-कभी उद्यमकर्ताओं को घटिया मशीनरी की सप्लाई कर दी जाती है। हम नहीं जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार की मशीनरी की सप्लाई की जाती है। हम उनसे कहते हैं। वे बिल्कुल सुनिश्चित ढंग से आर्डर देते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि उन्हें जिस मशीनरी की सप्लाई की जाती है वह घटिया स्तर की होती है।

1.00 म०प०

इन कारणों से अनेक उद्योग रुग्ण हो गये हैं। उद्यमकर्ताओं के दोष के कारण ऐसा नहीं है, किसी बैंक के दोष के कारण ऐसा नहीं है। कुछ उद्योगपतियों की धोखाधड़ी के कारण ऐसा है जिसके कारण अनेक उद्योग रुग्ण हो गये हैं।

अन्य पहलू जिस पर हमें विचार करना है वह विकास केन्द्र तथा बिना उद्योगों वाले राज्यों से सम्बन्धित है। वैसे जिले बहुत कम हैं जो कि बिना उद्योग वाले जिले घोषित कर दिए गए हैं। वे समरूप नहीं हैं। एक राज्य में वैसे अनेक जिले हैं जो बगैर उद्योग के हैं और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में इस प्रकार का सिर्फ एक जिला है। उद्योगकर्ता यह समझ रहे है कि उन्हें बहुत अधिक सहायता तथा प्रोत्साहन मिलेगा। यद्यपि कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। यद्यपि बाजार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, फिर भी वे इन जगहों और जिलों में सिर्फ सहायता और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अतः लघु उद्योगों की स्थापना में इस प्रकार की रुकावटें नहीं आनी चाहिए। जो सहायता आप लघु उद्योगों को देने जा रहे हैं वह सभी जगह समरूप होनी चाहिए। उदाहरणस्वरूप कुछ जिले ऐसे हैं जहां बहुत ही कम सहायता राशि दी गई है और कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां दी गयी सहायता राशि केन्द्रीय सहायता राशि के बराबर है। उद्यमकर्ताओं के बीच यह भ्रान्ति व्याप्त है। अतः आप जो सहायता देने जा रहे हैं वह समरूप होनी चाहिए। केवल यह बात नहीं बल्कि उन्हें नियमित रूप से सहायता देते रहना चाहिए। मेरे अपने मामले में ही तीन से चार वर्षों का विलंब हो हो गया था तब आपने सहायता दी। परन्तु राज्य सरकार राजसहायता की धनराशि नहीं दे सकी। इसलिए हम चूककर्ता हो गये। चूंकि हम धनराशि का भुगतान न कर सके इसलिए आपने जो धनराशि राजसहायता के रूप में दी वह ब्याज के भुगतान में लेली गयी। कुछ ऐसे मामले हैं जिनकी आपको जांच करनी है। यदि ऐसी स्थिति है, तो मैं नहीं सोचता कि हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद भी छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि प्रक्रिया संबंधी विलंब बहुत अधिक होता है। इसे सरल बनाया जाए। बहुत से लोग प्रक्रिया को ही नहीं जानते हैं। मैं इस सभा में यहकहना चाहता हूं कि परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भी क्षेत्रीय भाषा में छपनी चाहिए। केवल तब ही कोई व्यक्ति जानेगा कि वह क्या कर रहा है। वह ध्यान दिये बिना दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर

सकता। अपना कार्य जानने के लिए इसे क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित किया जाना चाहिए। अनेक बार हम दस्तावेजों पर जानकारी के बिना हस्ताक्षर कर देते हैं। अन्त में जब कार्यान्वयन का समय आता है तो हम भयभीत हो जाते हैं। इस प्रकार कार्य हो रहे हैं। इसलिए प्रक्रिया क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए ताकि व्यक्ति यह जान सके कि उसे किस किस्म की सहायता मिलेगी। इससे प्रक्रिया संबंधी विलंब से बचा जा सकता है।

दूसरा पहलू निरीक्षण स्टाफ के बारे में है। मैं सोचता हूं कि लखपति और बड़े उपक्रम कितने भी निरीक्षक स्टाफ की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि छोटी इकाई के निरीक्षण के लिए 21 या 22 व्यक्ति आते है तो हमारे लिए व्यवस्था करना कैसे सम्भव है? ऐसा सम्भव नहीं है। एक या दो अथवा कुछ व्यक्तियों का समूह निरीक्षण के लिए आ सकता है और हमें सलाह दे सकता है कि क्या किया जाए और किस प्रकार सुधार किया जाए। यदि ऐसी बातों को सरल बना दिया जायेगा तो मैं सोचता हूं कि स्थिति में सुधार होगा। अब मैं विधेयक का उल्लेख करती हूं। जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्रत्येक जिले द्वारा निरीक्षण किया जाए। प्रत्येक स्थान पर संसाधन और दस्तकार भिन्न-भिन्न है। हम इसे एक समान नहीं समझ सकते। प्रत्येक जिले की अपनी क्षमता होती है। मेरे जिले में लौह अयस्क, मैंगनीज और ग्रेनाइट अयस्क, लम्बे रेशे की कपास और तिलहन उपलब्ध है। इसलिए निर्णय लेने से पहले किसी स्थान के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, बारीक निरीक्षण किया जाए। केवल तब ही छोटे पैमाने के उद्योग टिक सकते हैं। हमें उन लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए जो विभिन्न स्थानों पर, जहां कोई बाजार सुविधा तथा कच्चा माल नहीं है, राजसहायता और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्योग लगा रहे हैं। मैं लघु सीमेंट संयंत्रों के बारे में अपना अनुभव बताना चाहती हूं। लघु सीमेंट संयंत्र के लिए कोक मुख्य कच्चा माल है। यह उड़ीसा से मंगाया जा रहा है। कोक की कीमत सीमेंट की एक बोरी जितनी ही है। आपको इन बातों के बारे में सोचना पड़ेगा। कच्चे माल की प्राप्ति में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कार्य-वाहक पूंजी की स्वीकृति दी जाए। संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उद्यमियों को किसी तरह कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए। उसे वह कच्चा माल मिलना चाहिए जो उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय स्पष्ट किया था। अब विधेयक के संबंध में, जहां तक बोर्ड के गठन का संबंध है, मेरा अनुरोध है कि बोर्ड में एक महिला उद्यमी होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे आ रही हैं। हमारी छोटे उद्योगों में बहुत अधिक रुचि है। हमारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में बहुत रुचि है। जब तक किसानों के उत्पादों के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी तब तक उन्हें लाभकारी मूल्य कैसे मिलेंगे? हमारे प्रधान मंत्री इस बात पर बहुत अधिक बल दे रहे हैं कि जनता को किसानों के उत्पादों को मूल्य बढ़े हुए उत्पादों जैसे खाद्य प्रसंस्करण तथा फलों का रस आदि में बदलने के लिए आगे आना चाहिए। महिलाएं ऐसे कार्यों के लिए पूर्ण सक्षम हैं बशर्ते कि उन्हें उचित प्रशिक्षण तथा उचित प्रोत्साहन दिया जाए। इसलिए इस संगठन के बोर्ड में एक महिला की बहुत आवश्यकता है।

आपने कहा है कि इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। हमने अभी तक लखनऊ नहीं देखा है। फिर भी ठीक है।

जैसा कि मैंने कहा कि बोर्ड में एक महिला होनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, मैं स्वयं एक कम्पनी का, जो संतोष जनक ढंग से कार्य कर रही है, प्रबन्ध कर रही हूं। क्या आप सोचते हैं कि हम उद्योग नहीं चला सकते हैं। हम अन्य लोगों से जल्दी ऋण की अदायगी कर

[श्रीमती बसवराजेश्वरी]

सकते हैं। मैं सभा में यह बलपूर्वक कहना चाहती हूं।

बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष के बजाए पांच वर्ष होना चाहिए।

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में गलतफहमी है। विधेयक में छः वर्ष की व्यवस्था नहीं है यह व्यवस्था की गयी है कि कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा एक व्यक्ति को दोबारा केवल एक बार मनोनीत किया जा सकता है। अतः कुल मिलाकर छः वर्ष है। इसलिए कार्यकाल तीन वर्ष भी नहीं है, यह तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : धन्यवाद। खंड 37, 38 और 39 में दंडनीय कार्यवाही की बात कही गयी है। मुझे बड़ा खराब लग रहा है। यदि एक महिला भुगतान नहीं कर पाएगी तो जिला मजिस्ट्रेट इन दंडनीय उपबंधों का प्रयोग करेंगे। उद्यमियों के संबंध में इन दंडनीय उपबंधों का प्रयोग करते समय हमें बड़ा सचेत होना चाहिए।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहती। इन टिप्पणियों के साथ मैं मंत्री महोदय को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती हूं। अंत में मेरा अनुरोध है कि ब्याज, उत्पाद और सीमा शुल्क के संबंध में हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, यह एक समान नहीं होनी चाहिए, मझले तथा अन्य उद्योगों से यह छोटे उद्योगों के लिए कम होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं और एक बार पुनः धन्यवाद देती हूं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला है इससे मैं इस सभा में अपने विचार व्यक्त कर सकूंगा।

1.10 म०प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

मैं मंत्री महोदय को, जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। उनके भरसक प्रयासों तथा ध्यानपूर्वक लोगों की दिक्कतें सुनने के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, इस विधेयक के पीछे बड़ा प्रशंसनीय विचार है। पहले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक थी परन्तु अब हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कर दी है। हमने छोटे उद्योगों के लिए 'एस' शब्द जोड़ दिया है।

सबसे पहले मैं मंत्री महोदय का ध्यान उद्यमियों की उन कठिनाइयों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो अनुसूचित तथा अन्य बैंकों से निपटने में होती है। मैं किसी व्यक्ति का, जो मेरी प्रारम्भिक गलती के कारण कष्ट उठा रहा है, एक विशेष उदाहरण उद्धृत करता हूं। महोदया, 1980 में मैंने कुवैत समेत यूरोपीय देशों को गये संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। जब मैं कुवैत गया तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के तथा अपने जिले के एक युवक से मिला था। उसका नाम लक्ष्मी नारायण गोयल था। यह विगत 19 वर्षों से कुवैत में भारी मुनाफा कमा रहा था। मैंने कहा, "लक्ष्मी नारायण आप एक इंजीनियर हैं। आपके पास पर्याप्त धन है। आप घर वापस जाकर भारत में उद्योग स्थापित क्यों नहीं कर लेते।" उसने कहा कि उसे अनेक कठिनाइयां हो सकती हैं। मैंने उसे सब तरह की

सहायता देने का आश्वासन दिया। वह मेरी बातों में आ गया। उसने भारत आकर ओखला औद्योगिक क्षेत्र में 600 वर्ग गज का एक प्लाट खरीदा और अपनी सारी कमाई अर्थात् 62 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का निवेश किया। उसके पुत्र ने, जो एक इंजीनियर था, अमेरिका से एम०बी०ए० किया। उसे अमेरिका में बहुत अच्छी नौकरियां मिल रही थीं। उसे भी समझाया गया कि वह घर वापस आकर अपने पिता के साथ कार्य करे। उसने ओखला में एक उद्योग स्थापित कर लिया। भारत सरकार ने उद्योग की स्थापना के लिए आशय पत्र दिया। दिल्ली वित्त निगम ने उसे 56 लाख रुपये की धन-राशि स्वीकृति की और इसकी उसे सूचना दी गयी। उसने इमारत का निर्माण कराया, मशीनरी का आयात किया और बिजली के कनेक्शन लिए और जब कारखाना तैयार हो गया तो उसने लाइसेंस के लिए आवेदन किया। भारत सरकार इसमें अनावश्यक रूप से विलंब करती रही। मुझे पुनः हस्तक्षेप करना पड़ा। मैं उद्योग मंत्री श्री वेंगलराव से मिला और उनके साथ तर्क-वितर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि वह कुछ नहीं कर सकते इसलिए मुझे प्रधान मंत्री से मिलना चाहिए। मैंने कहा, "वेंगलराव जी जब मैं संबंधित मंत्री से मिल रहा हूं तो आप मुझे प्रधान मंत्री से भेंट करने की आशा कैसे करते हैं। यदि आप मुझ लाइसेंस देने के लिए मना करेंगे तो मुझे उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और सरकार को नीचा देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं उनका आभारी हूं तथा उन्हें विश्वास हो गया। लाइसेंस दे दिया गया परन्तु जब वह उद्योग शुरू करने जा रहे थे तो दिल्ली प्रशासन ने कहा, "नहीं, हम आपको अनुमति नहीं देंगे हम 56 लाख रुपये का ऋण, जो उसे इस उद्योग की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत किया गया था, नहीं देंगे।" उसे यह औद्योगिक इकाई किसी अन्य क्षेत्र में स्थापित करनी चाहिए। महोदया आप कल्पना कीजिए कि उन योग्य इंजीनियरों की क्या हालत होगी जिन्होंने अपनी कमाई में से 82 लाख रुपये का निवेश किया और कंगाल हो गये। उसके बाद मैं माननीय मंत्री श्री फैलीरो से मिला। मैं उनकी शिष्टता की प्रशंसा करता हूं जो उन्होंने मेरे और उन इंजीनियरों के प्रति दिखायी थी। उन्होंने कुछ बैंकों, सम्भवतः हैदराबाद बैंक के अध्यक्ष से बात की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने निजी सचिव को नियुक्ति किया कि इस व्यक्ति की कठिनाई में सहायता की जाए। मैं उनकी उदारता की प्रशंसा करता हूं। मंत्री जी की सदाशयता में कोई शंका नहीं की जानी चाहिए। परन्तु प्रश्न यह है कि यह सब निरर्थक प्रयास सिद्ध हुआ। मेरे सामने उन्होंने अपने अतिरिक्त सचिव से कहा कि इस व्यक्ति की सहायता की जाए परन्तु कुछ नहीं हुआ। सभापति महोदया, आप बड़ी अच्छी तरह से स्थिति समझ सकती हैं। क्या इन परिस्थितियों में ये योग्यता प्राप्त इंजीनियर आत्महत्या करना अधिक अच्छा नहीं समझेंगे। वे अपनी आजीविका कमाने के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। उनके बहुत प्रयत्नों के बावजूद फैक्टरी को नहीं चलाया जा सका। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के औद्योगिक एककों के लिए बैंक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे अभिकरण जिनके माध्यम से ये ऋण सुविधाएं दी जा रही है। सरकार की नीतियों का पालन नहीं करते। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री फैलीरो का ध्यान इस माह के इंडिया टुडे के पृष्ठ 90 में छपे फोटो की ओर आकर्षित करता हूं, जिसमें पिता एवं पुत्र जोकि दोनों इंजीनियर है, अपनी आंखों में आंसू भरे दिखाए गए हैं। वे मुझे गालियां देते हुए आए और कहने लगे कि शर्मा जी आपने ही हमें एक उद्योग लगाने के लिए कहा, अन्यथा हम कुवैत में अच्छा जीवन बसर कर रहे थे।"

इन बैंकों के पास धन है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। अब उसमें 'एस' भी जोड़ दिया गया है। सरकार ऐसी सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। देश सभी क्षेत्रों में, विशेषकर उद्योगों के क्षेत्र में, बहुत उन्नति कर रहा है। जहां तक उद्योगों का प्रश्न है, अब हम राष्ट्रमंडल में आते हैं।

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

इन सुविधाओं के फलस्वरूप उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। मैं सभा में एक मामले का उल्लेख कर रहा हूं। यह मार्ग एसोसिएट्स लिमिटेड, ओखला, दिल्ली का मामला है। ऐसे व्यक्ति कहां जाएं ?

इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। समस्या को सुलझाने के लिए अपने उपायों में हमारी सरकार बहुत ईमानदार है किंतु जो कर्ता-धर्ता है, जो बैंकों और निगमों के चेयरमैन है वे अपने कपटपूर्ण व्यवहार के कारण दुःखी व्यक्तियों का दुःख नहीं समझते। क्या माननीय मंत्री ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान देंगे ?

महोदया मैं आपका कीमती समय नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूं कि आप बार-बार अपनी घड़ी की ओर देख रही हैं। आप अगले वक्ता को बुलाना चाहती होंगी। मैं इस विषय पर बहुत देर तक बोल सकता था किंतु मेरे दिमाग में एक और मामला है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र करनाल में एक लघु उद्योग सुपर टायर्स है। वे छोटे पैमाने पर टायर बनाते है। वे छोटे पैमाने पर टायरों का निर्यात करते हैं। उस कारखाने की प्रगति से बड़े कारखाना मालिकों को वास्तव में उससे जलन होती है। किंतु कुछ तकनीकी कारणों से वह व्यक्ति परेशान है। मैंने वह मामला श्री पांजा को बताया और उन्होंने उसे कुछ राहत देने की कृपा की। उन सज्जन द्वारा लगभग 30 से 40 लाख रुपए का माल निर्मित किया जाता है। वह माल स्टाक में जमा था और बेचा नहीं जा सका था। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण वह माल बेचा नहीं जा सका था। जब मैंने यह बात मंत्री जी को बताई तो उन्होंने कहा "शर्मा जी, मुझे फाईल देखने दीजिए।" मुझे प्रसन्नता है कि फाईल देखने के पश्चात् उन्होंने एक सप्ताह के भीतर राहत दे दी। उस व्यक्ति ने चैन की सांस ली और महीनों से पड़े माल का निपटारा किया।

इस वर्ष के बजट के पश्चात् नियमों मे कुछ संशोधनों के कारण कुछ समस्यायें उत्पन्न हुई। मैं फिर मंत्री जी श्री पांजा से मिला। यह आसमान से गिरने और खजूर में अटकने वाली बात थी। उन्होंने कहा ;" मैं देखूंगा। किंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ।

मैं माननीय वित्त मंत्री का आदर करता हूं। निःसन्देह वे उद्योगों की सहायता करने के लिए कुछ करना चाहते है। उनकी निष्ठा में मुझे कोई सन्देह नहीं है। किंतु प्रश्न यह है कि जो सरकारी तंत्र इस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन करना होता है क्या वे ईमानदार हैं। यदि नहीं तो इसका क्या इलाज है ? इलाज माननीय मंत्री जी के पास है। हम केवल उनकी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। हम केवल उनकी जानकारी में ऐसे मामले ला सकते हैं जहां व्यक्ति परेशान है। यदि उसके बावजूद भी उन्हें सहायता नहीं मिलती तो इसका कोई अन्त नहीं है।

धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : सभापति महोदय, छोटे एवं लघु उद्योगों की लम्बे समय से मांग है कि एक शीर्ष निकाय होना चाहिए। इस प्रकार के बैंकों को न केवल लघु उद्योगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें रुग्ण होने से बचाना चाहिए अपितु उनके वित का भी हिसाब रखना चाहिए और उनका मार्ग दर्शन करना चाहिए।

व्यक्तिगत रूप से तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर से मैं वित्त मंत्रालय तथा केन्द्रीय सरकार को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं — इसका नाम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक

1989 है —जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि यदि इसे उचित ढंग से कार्यान्वित किया गया तो इससे हमारे देश में एक स्वस्थ औद्योगिक वातावरण तैयार करने में लघु उद्योगों को मदद मिलेगी।

इस विधेयक में कुछ विसंगतियों की बात करने से पहले, जिनका अभी मैं उल्लेख करूंगा और खंडवार उनके बारे में कहूंगा, मेरे विचार में हमें विधेयक की पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए, अर्थात वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण यह विधेयक लाना आवश्यक था। आज आधुनिक विश्व में यह बात सर्वमान्य है कि कोई भी देश उद्योग एवं अर्थव्यवस्था लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिए बिना विकास नहीं कर सकता। यह सिद्धांत आज सर्वमान्य है। हमने ऐसा जापान, कोरिया तथा सब देशों से सीखा है। महोदया, इंग्लैंड में शताब्दियों पूर्व औद्योगिक क्रांति हुई थी और तब से हमने अनेक अनुभव एकत्रित किये हैं। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं और यह भली प्रकार सिद्ध हो चुका है कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिये बिना कोई भी देश विकास नहीं कर सकता और इष्टतम रूप में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं हो सकता। ऐसा हम अपने अनुभव से सीखते हैं। मैं पूर्वी भारत से हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कलकत्ता के निकट है, यह लगभग कलकत्ता में ही है। 200 वर्ष पूर्व जब अंग्रेज भारत आए तो हमारे सभी तथाकथित पारम्परिक उद्योग जैसे पटसन, वस्त्र तथा हैवी इंजीनियरिंग, गंगा के आस-पास स्थापित थे। भारी उद्योग एवं बड़े संयुक्त उद्योग अभी भी वहां पर हैं। आज हम किस स्थिति का सामना कर रहे हैं?

वे या तो रुग्ण हैं अथवा बन्द हैं या किसी प्रकार अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। बड़े उद्योगों के बीच सदैव बहुत अन्तर होता है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् जापान ने इसे महसूस किया। हाल ही में कोरिया ने इसे समझा है। उन्होंने देखा है कि बड़े उद्योग यह समस्या नहीं सुलझा सकते।

जनसंख्या, विशेषकर विश्व के इस भाग में, बढ़ रही है। भारत भी कोई अपवाद नहीं है। इस शताब्दी के अन्त तक हमारी जनसंख्या 100 करोड़ हो जाएगी। मैं जानता हूं और मुझे विश्वास है कि इस बात पर सभी मुझसे सहमत होंगे कि ऐसे देश की बेरोजगारी की समस्या को कोई बड़ी ताकत नहीं सुलझा सकती जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही हो? क्या हम असहाय होकर बैठ जाएं? क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये, देश के निराश युवकों का मनोबल बढ़ाने के लिये हमें क्या करना चाहिए? बड़े उद्योगों के बीच काफी अन्तर है। उसे दूर किया जाना चाहिए। दो बड़े उद्योगों के बीच के इस अन्तर को कौन दूर कर सकता है? केवल लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग ही इस अन्तर को समाप्त कर सकते है। यदि लोगों को बड़े उद्योगों के बीच सहायक उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये तो आज जो अन्तर उत्पन्न हो रहा है उसे दूर किया जा सकता है।

हजारों उद्योग बन्द हो गये है और उनके कर्मचारियों का रोजगार समाप्त हो गया है। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं। अखबार में परसों एक दुखद तथ्य प्रकाशित हुआ है। यह एक अत्यन्त दुखद कहानी है। पति, पत्नी और एक बच्चा, इन तीन व्यक्तियों का एक परिवार था। पत्नी को आशा थी कि उद्योग पुनः चालू हो जाएगा। अन्ततः जब पति को रोजगार मिलना असम्भव हो गया तो पत्नी को अपने बच्चे सहित आत्महत्या करनी पड़ी। इस प्रकार की घटनाएं हर रोज हो रही हैं। हम कब तक सहानुभूति दर्शाते रहेंगे? इसके लिये कौन उत्तरदायी है। इन उद्योगों को चला रहे लोग लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं; हम, चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। यदि हम इन लोगों को इस अधिनियम को लागू करने के लिये बाध्य नहीं करेंगे तो यह व्यर्थ ही रहेगा, यह कागज का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा जिसे व्यर्थ समझ कर फेंक दिया जाएगा।

[श्री आशुतोष लाहा]

मैं एक वकील हूं। अपनी वकालत के दौरान मैंने देखा है कि किस प्रकार उद्योग रुग्ण हो रहे हैं। बैंक यह नहीं जानते कि इन्हें धनराशि कैसे दी जाए। मान लीजिए मुझे अपनी परियोजना के लिए प्रारम्भिक चरण में 50,000 रुपये चाहिए। यदि मुझे यह धनराशि नहीं मिले तो मैं नुकसान उठाने लगूंगा। दो वर्ष के बाद मुझे 2 लाख रुपये मिलते हैं। तब मैं किस मदद की अपेक्षा कर सकता हूं। उस समय तक मैं पूरी धनराशि की अदायगी करने में असमर्थ रहूंगा और मुझे अत्यन्त कठिनाईपूर्वक ब्याज की अदायगी करनी पड़ेगी। एक लघु क्षेत्र के उद्योग के तुलनपत्र में कभी भी कोई लाभ नहीं होगा।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बहुत अच्छा संगठन है और इसका कार्य-क्षेत्र सर्वाधिक है। यदि प्रस्तावित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायक कम्पनी होगी तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उनकी कैसे सहायता कर सकता है। इस बारे में पहले जांच की जाए, केवल तभी हम यह जान सकेंगे कि क्या यह विधेयक लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिये लाभप्रद साबित होगा या नहीं। इसके अतिरिक्त, उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। ये है उद्योगों को बढ़ावा देना, वित्त उपलब्ध कराना तथा उद्योगों का विकास करना। इन उद्देश्यों के साथ-साथ जो विचार हैं, वे बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि एक और संगठन स्थापित नहीं किया गया जो बैंक के साथ परस्पर सम्बन्ध रखेगा और लघु क्षेत्र के उद्योगों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के साथ-साथ निगरानी भी करेगा, तो उनके प्रयास विफल हो जाएंगे।

लघु क्षेत्र के उद्योगों के साथ मुख्य कठिनाई कच्चे माल के बारे में है। उन्हें कच्चा माल कौन सप्लाई करेगा? उन्हें कुछ समय के लिये तो अधिक अदायगी करने के बाद बाजार से अधिक दर पर कच्चा माल खरीदना पड़ेगा। हम प्रचार के युग में रह रहे हैं। लघु क्षेत्र के उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं; वे बड़े उद्योगों के लिए भी छोटे उपकरणों का उत्पादन करते हैं। इस सबके लिए उन्हें प्रचार की आवश्यकता है। हम टी०वी०, रेडियो तथा फिल्मों के युग में रह रहे हैं। वे वित्तीय मजबूरियों के कारण अपने द्वारा उत्पादित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रचार माध्यमों का सहारा नहीं ले सकते। इस प्रकार, उन्हें मुश्किल से ही अपने उत्पाद बेचने के लिये कोई बाजार मिलता है। यदि वे इसमें भाग नहीं ले सकते अथवा प्रचार माध्यमों द्वारा अपने उत्पादन का प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो वे कभी भी बाजार नहीं पा सकेंगे अर्थात उन्हें अपने उत्पाद बेचने का स्थान नहीं मिलेगा और अन्ततः परिणाम यह होगा कि उन्हें हानि होगी।

अगला मुद्दा प्रशिक्षण का है, अधिकांश लघु उद्योगों के उद्यमी रोजगार से वंचित होने तथा दर-दर भटकने के बाद लोक-प्रतिनिधियों के पास आते हैं। वे उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास भेज देते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास स्व-रोजगार करने वालों के लिए अनेक परियोजनाएं तथा कार्यक्रम हैं। इन लोगों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, वे नहीं जानते कि वे किस बाजार में अपना माल बेचेंगे और उद्योग कैसे चलाएंगे। यदि किसी केन्द्रीय संगठन, इस बैंक की किसी सहायक संस्था अथवा किसी अन्य संगठन द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं होगा, तो इस बैंक के साथ समन्वय कौन करेगा। जब भी यह बैंक छोटे उद्यमी को धनराशि देने के लिए निर्णय लेगा, तो इसके साथ-साथ यह संगठन उन्हें इस बारे में मार्गदर्शन करेगा, उन्हें बाजार दिखायेगा और उन्हें व्यवसाय चलाने के लिये प्रशिक्षण देगा।

महोदया, व्यतिक्रम खण्ड बहुत बड़ा है। मैं इस विधेयक को पेश करने वाले माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि खण्ड 38—पृष्ठ-18 को देखें। इसमें कहा गया है :—

"....लघु उद्योग बैंक को लघु उद्योग सेक्टर के उस औद्योगिक समुत्थान का प्रबन्ध ग्रहण करने या उस पर कब्जा करने या दोनों का ग्रहण करने का अधिकार होगा तथा लघु उद्योग बैंक के पास गिरवी, बंधक, अंडमान रखी गई या उसे समनुदेशित संपत्ति को पट्टे या विक्रय के तौर पर अन्तरित करने का अधिकार होगा।"

इस विधेयक में एक बात स्पष्ट नहीं है। मैं मंत्री महोदय से गंभीरतापूर्वक यह पूछ रहा हूं कि क्या प्रस्तावित बैंक उद्योग 'ईक्विटी' में भाग लेगा या नहीं। यह स्पष्ट नहीं है। मैंने अपने सीमित ज्ञान से कम से कम इस विधेयक से यह जानने का प्रयास किया है कि क्या वे 'ईक्विटी' में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं और इसके इच्छुक हैं तथा कोई व्यावसायिक प्रबन्ध उपलब्ध करवाने के लिए भी तैयार और इच्छुक हैं या नहीं।

महोदया, इन सब बातों के होते हुए भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि कुछ तब्दीलियां की जानी चाहिए। यदि उचित समन्वय स्थापित किया जाए और यदि कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा निगरानी की जाए, विशेषकर इस बैंक के माध्यम से लघु उद्योग को अग्रिम धनराशि देने के लिए अवधि का पालन हो तो मैं समझता हूं कि कुछ उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद यादव (चतरा) : सभापति महोदय, मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो को यह स्माल इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बैंक आफ इंडिया बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। क्योंकि लघु उद्योग क्षेत्र में चलने वाली इकाइयों का देश हित में एक विशेष महत्व है। आर्थिक विषमता को दूर करने में उनकी एक विशेष भूमिका है।

हमारे प्रधान मन्त्री जी की दूरदर्शिता के कारण, उनकी व्यावहारिक आर्थिक नीतियों के कारण इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक ने न केवल अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया है बल्कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा करके वह आगे बढ़ गया है। यह परफोरमेंस जो हुई है इसके लिए मंत्री जी और अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं। यह परफारमेंस और प्रगति तब हुई है जबकि देश में लगातार बाढ़ और सूखा जैसी कठिनाइयां रही हैं और उनमें देश के काफी संसाधन लग गए हैं। हमारे घरेलू आर्थिक विकास में जो 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह बहुत ही सराहनीय बात है। इस सराहनीय विषय की वजह से श्री फैलीरो साहब ने कहा है कि मैं कम्पलासेंट नहीं हूं और इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, यह अच्छी बात है। आई० डी० बी० आई० का परफारमेन्स ठीक रहा क्योंकि 1981-82 से 1989 तक 1582 करोड़ से यह राशि चौंतीस हजार चार सौ करोड़ तक बढ़ी है। यह काफी अच्छा काम हुआ है और 152 लाख लोगों को नियोजन भी प्राप्त हुआ है। स्माल इंडस्ट्रीज के बारे में मेरा भी कुछ अनुभव है क्योंकि मैं कुछ इस तरह के लोगों के साथ काम कर चुका हूं। इंडस्ट्रीज के बारे में अपने प्रान्त में जब इस ओर ध्यान दिया तो इसमें बहुत उत्साहवर्धक बातें देखने में आईं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। यह बात सही है कि लघु उद्योगों के लिए इस बैंक को मां की तरह व्यवहार करना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए व मार्किट के तथा सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में मार्गदर्शन भी देना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के स्तर पर इनकी कठिनाई विशेषरूप से दिखाई पड़ती है। फाइनेंशियल कारपोरेशन के स्तर पर भी ये कठिनाइयां देखी जा रही हैं। माननीय मन्त्री जी और उनके अधिकारी विशेषरूप से इस ओर ध्यान दें। फाइनें-

[श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश]

शियल कारपोरेशन में काफी समय से दरख्वास्तें लंबित पड़ी हुई हैं। लेकिन उन पर विचार नहीं हुआ। जो पीछे की दरख्वास्त होती हैं और जो आफिस की दौड़-धूप करते हैं, उनको क्लीयरेंस मिल जाती है और बाकी लोगों को निराशा ही प्राप्त होती है। काफी लोगों ने इस बारे में कहा है। मेरा सुझाव यह है कि उद्योग विभाग के अधिकारियों को विशेषरूप से अभियान चलाना चाहिए। उस अभियान के तहत सारी स्टेट के फाइनेंशियल कारपोरेशन्स को नोटिस देना चाहिए कि आप निर्धारित समय के अन्दर, एक या दो महीने में सारी दरख्वास्तों को जिनको रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट कर दीजिए और जिनको पास करना है, पास कर दीजिए और इतने समय तक पेंडिंग न रखिए। जिन लोगों का नहीं होना है वे अनावश्यक रूप से दफ्तरों के दौड़-धूप न करें। क्योंकि उनके समय और पैसे की बरबादी होती है और यह करना चाहिए कि इतने समय के अन्दर सारी दरख्वास्तों को निपटा देंगे। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के आफिस में भी हम देखते हैं कि वर्षों से ये कागज पड़े रहते हैं। जो लोग अधिकारियों के इर्द-गिर्द घूमते हैं, उनकी पैरवी बैंकों से भी हो जाती है। जहां आप कहते हैं कि मां की तरह प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देगा वहीं विमाता की तरह कठोरता से पेश आने वाले अधिकारियों पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। इसमें कदाचार की सम्भावना दिखाई पड़ती है। इसकी वजह से लघु उद्योगों को जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। मैं जानता हूं आपके पास समय की कमी है इसलिए थोड़े समय के अन्दर ही सारी बातों को बताने की कोशिश करूंगा। मेरा सुझाव यह है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को सरकार को अपने स्तर से भी चलाने की आवश्यकता है। जो परम्परागत उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को स्माल स्केल इंडस्ट्री में बड़ी काया बनाकर रखना चाहिए, जिस तरह से मार्किट और इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात आती है उनके विकल्प की बात आती है तो कुछ इलाकों में लाखों की संख्या में गरीबों को रोजगार दे सकते हैं, इस लघु उद्योग के माध्यम से और आर्टिसन इंडस्ट्री को बड़ी काया बनाकर। बहुत सी कोयला खदानें हैं या दूसरी खदानें है या वैगन लोडिंग के अन्दर केन बास्केट की आवश्यकता होती है। करोड़ों रुपये के केन-बास्केट की प्रति वर्ष जरूरत पड़ती है। इस केन बास्केट को बनाने के लिए विशेषरूप से वही हरिजन और आदिवासी वर्ग के लोग आते हैं। उनको नियोजित करने के लिए एक जगह से सामूहिक रूप से जहां ज्यादा माइन्स हैं वहां सरकार संस्थान खोले और वहां पर केन बास्केट भी बने। दूसरी ओर टूल्स हैंडल्स बनाने के लिए जैसे कुदाल और बेलची बनाने के लिए उनके हैंडल की जरूरत पड़ती है जो कि लकड़ी से बनते हैं। उसके लिए भी बड़े पैमाने पर लोग नियोजित किए जा सकते हैं। दूसरी ओर कोयला खानों में स्टोइंग के लिए बैम्बूज के मैटिंग्स की आवश्यकता होती है, इसके अलावा बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े दफ्तरों में बंदियों सी जाती हैं, वहां पर भी सामूहिक रूप से दर्जी का प्रशिक्षण देकर उनको आप नियोजित कर सकते हैं। कालीन और दरियों की सारे कार्यालयों में हमारी ही मार्केट है जहां हम उनकी खपत कर सकते हैं। उनके लिए भी हम व्यवस्था कर सकते हैं। जो बाल श्रमिकों की समस्या है, सरकार की निगरानी के सामने अगर सरकार विशेषरूप से इनको लाइफ इंशोरेंस देकर उनके विकास के रास्ते को स्पष्ट करे और उनको प्रशिक्षित मजदूर के रूप में निकालने के लिए उनकी सम्भावनाओं को अच्छी तरह से विकसित कर सकती है और नियोजन की सम्भावनाओं को आगे बढ़ा सकती है। इसकी लघु उद्योग में ज्यादा सम्भावनाएं हैं। इसलिए सरकारी सेक्टर में भी लघु उद्योग चलें। आपने दो बार घण्टी बजाई इसलिए मैं विशेष समय न लेते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मैंने इस बिल को पढ़ा है। कल मंत्री जी के भाषण को भी सुना। यदि इसको आई० डी० बी० आई० के अन्दर रखना था

तो फिर अलग करने की क्या जरूरत थी। लोग यह कहते हैं कि 'ओल्ड वाइन इन न्यू बाटल।' और राज्यों में आई० डी० बी० आई० का क्या अनुभव है मैं नहीं कह सकता। लेकिन बिहार में आई० डी० बी० आई० का एक्सपीरिएंस बड़ा दर्दनाक है। यदि बिहार में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का विकास नहीं हो सका तो इसका बहुत बड़ा कारण आई० डी० बी० आई० है। आपने इसमें प्रावधान किया है कि स्माल इंडस्ट्रीज डिवलपमैन्ट बैंक सीधे फाइनेंस भी करेगा और री-फाइनेंसिंग भी करेगा। राज्यों में फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनको री-फाइनेंसिंग करेगा। मेरी गुजारिश है कि जो कुछ करना है सीधे करिये। राज्य में 10 प्रतिशत देना होता है और 10 प्रतिशत देते-देते एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि उसको 80—90 प्रतिशत कमीशन देने में चला जाता है और लोन लेने वालों को दस-बीस प्रतिशत हाथ में आता है। लेकिन सेंटर पर लोगों का अभी भी बहुत विश्वास है। इसलिए यदि आप फाइनेंस करना चाहते हैं तो सीधे करें और री-फाइनेंसिंग न करें। आपने कहा है कि अथोराइज्ड कैपिटल 250 करोड़ रुपये होगी जिसको बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये किया जाएगा तो इससे क्या होगा। देश कितना बड़ा है। इस देश में सबसे बड़ा तो स्माल स्केल सेक्टर है, इसी को आगे बढ़ाना है यदि कृषि को और उद्योग को आगे बढ़ाना है तो उद्योग में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है। इसलिए आप अथोराइज्ड केपिटल को बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये कीजिए। लोगों को उदारता से लोन दीजिए। खानापूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। इसमें प्रोविजन है, जैसा मंत्री जी ने कहा भी है यह बैंक इंटरप्रेनरशिप करेगा, डायरेक्टरशिप करेगा, लीसिंग करेगा और प्रोक्योरमेंट आफ इनपुट करेगा। दूसरे नानफाइनेंसियल सर्विसेज देगा। यदि सब कुछ देगा तो कोई कारण नहीं है कि यह बैंक सफल न हो। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि इस देश में जितने भी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बीमार हुए हैं, सभी से पहले यही कहा गया था कि हम आपके सामान की मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे, हम आपको टैक्निकल नो-हाउ देंगे, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको इन्सैन्टिव देंगे, हम आपको कैपिटल देंगे। इसके बावजूद वे बीमार कैसे हो गए, क्या इसके बारे में कभी सोचा गया। यदि वे ही बातें मैं यहां फिर से दोहराऊं तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। मैं चाहता हूं आप ऐसा करके दिखाइये, 10-20 या 50 ऐसे उदाहरण दीजिए कि एन्टरप्रेन्यौर शिप डैवलपमेंट में आपने यह किया, उसे अखबारों में छापिये। आज कोई भी आदमी स्माल स्केल इंडस्ट्री लगाते हुए घबराता है। यदि बाकी चीजों को छोड़ भी दिया जाए तो भी हजारों नहीं तो सैकड़ों स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हमें अपने देश में डूबते दिखाई देंगे। आप केवल एक छोटी-सी व्यवस्था इस लघु उद्योग विकास बैंक के जरिए करा दीजिए कि लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित सामान की मार्केटिंग का इंतजाम हो जाए। हमें बिजली नहीं मिलेगी तो हम डीजल से उत्पादन करेंगे, रॉ-मैटीरियल हमें चाहे कहीं से लेना पड़े, हम लेंगे, लेकिन जितना इन लघु उद्योगों में सामान बनता है, कृपा करके उसके बिकवाने की व्यवस्था आप करा दीजिए। यदि उनका उत्पादित सामान पड़ा रहेगा तो जो आपने लोन दिया था, वह ब्लाक हो जाएगा। आप फिर उद्यमियों को जेलों में डालने की कोशिश करेंगे तो इंडस्ट्री सिक हो जाएगी। अतः इस बैंक का वन-प्वाइंट प्रोग्राम आप यह निश्चित कर दीजिए कि वह उत्पादित सामान की बिक्री की व्यवस्था करेगा, वैसे आपने कहा है कि आप नॉन-फाइनैन्श्यल सर्विसेज देंगे, लेकिन आप केवल मार्केटिंग की व्यवस्था ही करा दीजिए, इससे ही आपका वह उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा, जिसको लेकर आपने लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक लाया है। मैं जानता हूं कि इस देश में लघु उद्योगों के आगे बढ़ने के ट्रिमैंडस स्कोप है, उतने स्कोप किसी दूसरे देश में आपको नहीं मिलेंगे, हमारे पास रॉ-मैटीरियल प्रचुर मात्रा में है, ऐनर्जी उपलब्ध है, कन्जम्पशन के लिए लोग हैं लेकिन बिल-पावर की आवश्यकता है। जापान का उदाहरण हमारे सामने है जहां हैवी इंडस्ट्रीज की भरमार है··· (व्यवधान)·· लेकिन वहां हैवी इंडस्ट्रीज के साथ-साथ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का जाल बिछा हुआ है। हमारे ट्रांजिस्टर्स, रेडियो, वी० सी० आर० आदि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में ही बनते हैं। सभी चीजों का बहुत अच्छा प्रोडक्शन

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

होता है। वैसे ही हमारे देश में भी क्यों नहीं हो सकता। आपने इस बिल में प्रावधान किया है कि एक्सपोर्ट ओरियेन्टेड इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देंगे, प्रिफरेंस देंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है क्योंकि इस समय हमें फोरेन एक्सचेंज की बहुत आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान समय में हमारे बैंकों की जो कार्यप्रणाली है, उसमें परिवर्तन लाये जाने की बहुत जरूरत है। ऐसा मैं बहुत दुखी होकर कहता हूं क्योंकि इस देश में बैंकों का इतिहास बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं और मैं एक नहीं सैकड़ों ऐसे केसेज जानता हूं जिनमें बैंकों के लोगों ने उससे साफ कहा कि इतना पैसा दो तो तुम्हारा लोन मंजूर हो जाएगा, यदि नहीं दोगे तो हम तुम्हें लोन नहीं देंगे, फिर चाहे तुम किसी भी स्टेज से प्रोटैस्ट करके देख लो। बैंकों में यह मानकर लोग चलते हैं कि रिश्वतखोरी "वे ऑफ लाइफ" है, आपको पैसा देना ही होगा। बैंकों में जितनी धांधली आज है, शायद ही किसी दूसरी जगह होती हो। वहां ओवरठाइम का भी ब्लैकमेल होता है, जितना क्लैरिकल स्टाफ है, सबौर्डिनेट स्टाफ है, फोर्थ क्लास के लोग हैं, चाहे वे काम करें या न करें, एक निश्चित ओवरटाइम उन्हें हर स्थिति में मिलेगा। यह ओवरटाइम का ब्लैकमेल नहीं तो और क्या है? मैं मानता हूं कि स्थिति में पहले से कुछ सुधार आया है लेकिन बहुत ज्यादा स्थिति नहीं सुधरी है। ठीक है, इस देश में बैंकों का नेशनेलाइजेशन किया गया है और इसमें भी कोई शक नहीं कि देश की आर्थिक उन्नति में बैंकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है लेकिन उनमें यदि ईमानदारी से काम होता तो निश्चित तौर से इससे हजार गुना ज्यादा उन्नति हो गई होती। आज बैंकों में जितना करप्शन विद्यमान है, उतना किसी दूसरे सैक्टर में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस लघु उद्योग विकास बैंक को आप दूसरे बैंकों की तरह का मत बनाइए, सही अर्थ में यह बैंक इस देश के इंडस्ट्रियलाईजेशन में मदद करे।

इस विधेयक की क्लाज 6 में आपने यह प्रावधान किया है कि बोर्ड आफ डायरैक्टर्स में किस-किस इंटरैस्ट के लोगों को लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में, मैं आपसे एक ही रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि इसमें आप एक डायरैक्टर ऐसा जरूर रखिए जिसका स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से सीधा सम्बन्ध हो, जिसकी इंडस्ट्री सिक हो गई हो, वह अपने अनुभव के आधार पर आपको बतायेगा कि इंडस्ट्रीज कैसे सिक हो जाती हैं। अतः आप एक ऐसा डायरैक्टर बोर्ड आफ डायरैक्टर्स में अवश्य रखिये और एक जन-प्रतिनिधि रखिये जो लोगों की भावनाओं को समझता हो। सारे यूरोक्रेट्स आप रख देंगे, सारे बैंकिंग डिपार्टमेंट के लोगों को रख देंगे, तो वही पुरानी की पुरानी बातें होंगी और साल भर के बाद हम फिर इसी सदन में आपके खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे कि यह बैंक भी असफल हुआ है। मैं चाहता हूं कि यह बैंक सफल हो। इसलिए पूरी डिटरमिनेशन के साथ, एक नये चैप्टर को जोड़ कर एक नये तरीके से इस काम को कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एन० टोम्बा सिंह (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदया, मैं इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदया, आप जानती है, मैं ऐसे क्षेत्र से हूं जिसे आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं माना जाता है। पूर्वोत्तर के छोटे राज्य—यह एक राज्य नहीं, बल्कि कथित सात बहनें (सात राज्य) हैं — अभी भी इस क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे कारण को देखते हुए एक ही रास्ता है, कि सामान्य आजीविका के स्तर के लिए लघु उद्योगों को अपनाया जाए। महोदया, इसलिए इस पृष्ठभूमि को देखते हुए मैं कहूंगा कि प्रस्तावित विधेयक एक अत्यन्त ऐतिहासिक विधेयक है

और यह इस सरकार द्वारा उठाए गए अच्छे कदमों पर की गई कार्यवाही है जो कि प्रारंभ में पंडित जी तथा इन्दिरा जी जैसे लोगों के नेतृत्व में रही और इस समय राजीव जी का नेतृत्व है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद शुरू से ही हमने देखा है कि प्रारंभ में पंडित जी के समय से ही कांग्रेस नेतृत्व द्वारा यह निष्ठापूर्ण प्रयास किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से कठिनाई वाले क्षेत्रों का पता लगाया जाए और उन्हें इस देश के अखंड भाग के रूप में आगे लाया जाए। महोदया, इस प्रकार मैंने इस क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन में अपने 42 वर्ष बिताए है मैंने देखा है कि एक पृथक प्रक्रिया अभी भी उभरने का प्रयास कर रही है। इस विधेयक का उद्देश्य है कि यह लघु-उद्योग क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने वित्त उपलब्ध करने और उनके विकास के लिए एक मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करेगा। यह कितना अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने इस सभा में बहुत उचित कहा है, यह प्रस्तावित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक केवल एक सहायक बैंक ही नहीं रहना चाहिए। यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की तरह एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए। हम सब कुछ अपेक्षित कर सकते थे। यह अपने चरित्र, उद्देश्यों, कार्यों तथा अन्य कार्य निष्पादन में बैंक की तरह नहीं होना चाहिए। यह एक बैंक जैसा न हो, इसका विशेष उद्देश्य होना चाहिए। फिर इसमें किसी भी कार्य का विशेष स्वरूप होना चाहिए। महोदया, मैं इस उद्देश्य से कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

मैं अन्य राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के बारे में नहीं जानता लेकिन जहां तक मैं पूर्वोत्तर राज्यों, छोटे-छोटे राज्यों के बारे में जानता हूं, हमें वहां पर समस्या का पता लगाना चाहिए और व्यावहारिक उद्योगों की एक अत्यन्त सही सूची के आधार पर परियोजनाओं को स्वीकृति देनी चाहिए और ऐसी स्वीकृत योजनाओं को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। परियोजनाओं को स्वीकृति देने से पूर्व उन्हें पूर्ण रूप से तैयार किया जाए और उनके भविष्य की परिकल्पना की जाए और फिर परियोजना स्वीकृत होने के बाद इसे पूर्ण रूप से वित्त उपलब्ध कराया जाए और महोदया, इस उद्देश्य हेतु लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला समन्वय एक महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। उद्यमी दो समस्याओं का सामना कर रहे हैं—एक तो पूंजी ऋण है और दूसरी सावधि ऋण है। हमने इसमें देखा है कि दो एजेंसियां कार्य कर रही हैं। एक तो राज्य वित्त निगम है। दूसरा बैंक है। लेकिन इन दोनों एजेंसियों के बीच उचित सम्पर्क तथा समन्वय नहीं है जिसके फलस्वरूप उद्यमियों को प्रारम्भिक चरण में विशेष रूप से काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। पूंजी ऋण के नियमित रूप से न आने के कारण उद्यमी न्यूनतम उत्पादन स्तर बनाये नहीं रख सकता और ग्राहकों की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि नया उद्योग नये उत्पन्न हुए ग्राहक बाजार को संतुष्टि दे। मैं समझता हूं कि यह बैंक अथवा वित्त आयोग को ऋण की वापसी नहीं कर सकता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वित्त संस्थाओं के बीच उचित समन्वय होना चाहिए।

जिला औद्योगिक केन्द्रों का कार्य प्रकाश में आता है। मेरे पूर्व वक्ता ने यह उल्लेख किया था कि एक बार एक परियोजना को स्वीकृति देने के बाद जिला औद्योगिक केन्द्रों को कुछ वित्तीय दायित्व तो लेना ही चाहिए और इस उद्देश्य के लिए लघु क्षेत्र का विकास बैंक जहां तक व्यावहारिक हो सके, जिला औद्योगिक केन्द्र के मुख्यालय में अथवा इसके कार्यालयों के निकट स्थित होना चाहिए ताकि जब एक बार एक परियोजना मंजूर हो जाये तो बैंक उसी समय निर्णय ले सकेगा। जिम्मेवारी निर्धारित करने की जरूरत से इन्कार नहीं किया जा सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला औद्योगिक केन्द्र के समीप बैठे बैंक के अधिकारी, उद्यमियों को सहायता देने हेतु उत्तरदायी होने चाहिए तथा उन्हें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वे काफी सक्षम व्यक्ति होने चाहिएं। उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

यदि कोई उद्यमी असफल हुआ है तो वह क्यों असफल हुआ है।

यदि वह अपने स्वयं के कार्यक्रम के अनुरूप सही साबित नहीं हुआ तो ऐसा क्यों हुआ है। वे उद्यमियों की असली कठिनाइयों का पता लगाने में सक्षम होने चाहिएं। यह सुझाव है कि जिला औद्योगिक केन्द्रों को इन बैंकों द्वारा मदद दी जाए जो उनके समीप हों ताकि उद्यमियों को परियोजनाओं के स्वीकृत होने पर वित्त के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक जाना न पड़े। तब जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्थिति एक डाक घर वाली नहीं रहेगी।

जहां तक मुख्यालयों के स्थान का संबंध है, जैसा कि ठीक ही उल्लेख किया गया है, हमें मुख्यालयो को लखनऊ या किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सुविधा को मद्देनजर रखते हुए इसे प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित करना संभव नहीं है। दिल्ली प्रत्येक राज्य से निकटतम स्थान है और यदि दिल्ली नहीं तो इन महानगरों में से कोई एक नगर क्यों नहीं, जहां भारत सरकार तथा बैंकों के अधिकतम क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं ? यदि इसका कोई विशेष कारण नहीं है, तो मैं सरकार द्वारा यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि लखनऊ का चुनाव क्यो किया गया है। मैं समझता हूं कि यह निर्णय पक्का नहीं है क्योंकि जैसाकि विधेयक में उल्लेख किया गया है, लखनऊ या किसी अन्य वैकल्पिक स्थान का प्रावधान है।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा था मैं उस क्षेत्र से हूं जहां आर्थिक व्यावहारिकता उत्पन्न की जानी है। मैं इस बिधेयक को प्रस्तुत कर रहे वित्त मंत्री के माध्यम से उद्योग मंत्री को सुझाव देता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के छोटे राज्यों में लघु उद्योगों का पता लगाएं क्योंकि इस क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित करना संभव नहीं है। मैंने पिछले सत्र तथा उससे पूर्व के सत्र में भी लघु उद्योगों का पता लगाने के लिए बार-बार मांग की थी और कहा था कि एक बिशेष सूची उपलब्ध कराई जाये जिसके आधार पर कुछ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा सके। उद्योग मन्त्री श्री वेंगल राव ने सहर्ष एक प्रश्न के उत्तर में एक बहुत लम्बी सूची उपलब्ध कराई जिसके अन्तर्गत सभी राज्य थे लेकिन इस सूची को बहुत आसानी से लिया गया था। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में आगे विचार करे और सूची संशोधित करे जिसमें केवल व्यावहारिक हो सकने वाले कार्य निहित हों।

2.00 म० प०

इससे पता चलता है कि अभी भी उद्योग मन्त्रालय पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं के प्रति सजग नहीं है। मुझे प्रधानमन्त्री की गंभीरता के प्रति शंका नही है क्योंकि वह बहुत सच्चे व्यक्ति हैं और छोटे राज्यों, पिछड़े राज्यों विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों की मदद करना चाहते हैं। इसलिए, इस दृष्टि-कोण से, मैं इस सुझाव पर जोर देना चाहूंगा कि एक नई सूची बनाई जाये जिसमें प्रत्येक राज्य की अनिवार्यता तथा प्राथमिकता का पता लगाया गया हो और इसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से शुरू किया जाये। हम इस प्राथमिकता के आधार पर कुछ कार्यान्वित कर सकेंगे। बैंकिंग संस्थाओं को इस उद्देश्य को देखते हुए उनकी सहायता करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस सभा के सम्मुख आये इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक का भी समर्थन करता हूं।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदया, शुरू में मैं इस विधेयक को इस सभा के सम्मुख माननीय वित्त मंत्री द्वारा ऐसे समय पेश करने के लिये समर्थन करता हूं जबकि सारा माहौल ऋण माफी के नारे से दूषित हो गया है। आप जानते हैं कि विपक्ष में मुख्य राजनैतिक पार्टियों ने यह खुली

घोषणा की है —यह उनके चुनाव घोषणापत्र का भाग भी है—कि यदि वे सत्ता में आये तो छोटे तथा सीमान्त किसानों के 10,000 रुपये से कम के बकाया ऋण माफ कर दिये जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है। कुछ राज्यों में तो ऋण माफी पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने हरियाणा में यह दावा किया है कि 45 करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिये गये हैं। इसके फलस्वरूप देश में ऋण की स्थिति बहुत खराब हो गई है। देश की ऋण स्थिति को क्या हो रहा है ? इसकी जांच करने की आवश्यकता है।

जहां तक छोटे तथा सीमान्त किसानों पर 10,000 रुपये तक बकाया धनराशि का सम्बन्ध है, यह लगभग 3037 करोड़ रुपये बैठती है। मैं इस सम्बन्ध में आपकी विस्तृत आंकड़े दूंगा। किसानों के पास 2.5 एकड़ तक की भूमि जोत के आकार तक 10,000 रुपये से कम लघु अवधि के ऋण की बकाया राशि 766 करोड़ तथा 76 लाख रुपये है। इसी प्रकार 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक के लिए बकाया ऋण राशि 696 करोड़ तथा 35 लाख रुपये है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, ये लघु अवधि के ऋण हैं। अब मैं किसानों को सीधे दिये गये सावधि ऋण का राज्यवार ब्यौरा प्रस्तुत करता हूं। 2.5 एकड़ तक सावधि के ऋणों की बकाया राशि 759 करोड़ तथा 14 लाख रुपये है; 5 एकड़ तक यह बकाया राशि 786 करोड़ तथा 58 लाख रुपये है; और 5 एकड़ से ऊपर बकाया राशि 2,785 करोड़ तथा 48 लाख रुपये है। ये ब्यौरेवार आंकड़े हैं।

सभापति महोदया : महन्ती जी, आप असली मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे हैं ? आप किसी अन्य विषय पर बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदया, यह इसका एक भाग है क्योंकि देश की ऋण स्थिति दूषित हो गई है। क्या कोई इसका अन्दाजा लगा सकता है कि यह बैंकिंग निगम के लिए कैसे सहायक होगा ? मैं इसी वजह से यह इस सभा के सम्मुख रख रहा हूं। मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं 5 एकड़ जोत भूमि से अधिक भूमि वाले किसानों पर यह बकाया राशि 2785 करोड़ तथा 48 लाख रुपये है। इसी प्रकार लघु अवधि के ऋणों की 5 एकड़ से ऊपर के लिए बकाया राशि 892 करोड़ तथा 30 लाख रुपये है। यह लगभग 7,000 करोड़ रुपये बैठती है। क्या इसे माफ किया जा सकता है ? यह एक मुद्दा है। माननीय वित्त मंत्री यह स्पष्ट करें कि इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसी कारण आज यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है।

अब, मैं इस मामले के अन्य पहलुओं पर आता हूं। हम वित्त मंत्री का समर्थन करते हैं। लेकिन हम देश की बैंकिंग गतिविधियों में असक्षमता अपर्याप्तता का समर्थन नहीं करते। मैं आपके सम्मुख केन्द्रीय सतर्कता आयोग का प्रतिवेदन रखना चाहूंगा। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने वर्ष 1987 के अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है, मैं इसे उद्धृत करता हूं कि :

> "अधिकतर मामलों में लाभार्थियों ने कभी भी कोई व्यवसाय शुरू नहीं किया जैसाकि बैंक के रिकार्ड में दर्शाया गया है, इसका यह अर्थ हुआ कि बिचौलियों की फर्म द्वारा दिये गये इनवॉयस बिल नकली थे।
>
> इस प्रकार, ऋण प्राप्तकताओं के पक्ष में ऋण अंधाधुंध मंजूर किये गये, ऐसा नकली इनवॉयस के आधार पर बिचौलिए के माध्यम से उचित शिनाख्त किये बिना ही किया गया।"

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कहा, मैं उद्धृत करता हूं कि :

> "ऋण राशि का अधिकतम भाग वास्तव में बिचौलिए तथा इसकी पूर्ण संभावना है कि

[श्री बृजमोहन महन्ती]

शाखा प्रबन्धक तथा अन्य ने ले लिया था और कोई भी गरीब आदमी जिसके लिए यह ऋण प्रारम्भ हुए थे, इससे लाभान्वित नहीं हुआ। इस प्रकार उचित रोकथाम तथा नियन्त्रण के अभाव में एक अच्छे कार्यक्रम का दुरुपयोग हुआ और यह निष्फल हो गया।"

मैं वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि वह इन बातों को न भूलें और इन्हें बैंक के कार्यों में दोहराया न जाए। वह इसका ध्यान रखें।

अब मैं अशोध्य ऋणों का उल्लेख करता हूं। दो सौ करोड़ रुपये के अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डाला जा रहा है। इसके विपरीत, जब हम छोटे तथा सीमान्त किसानों और छोटे दस्तकारों के लिए भी चक्रवर्ती ब्याज की इस प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। लेकिन अशोध्य ऋणों के कारण दो सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बट्टे खाते डाले जा रहे हैं। मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा।

2.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल लाभ 775 करोड़ रुपये था जबकि अशोध्य ऋणों तथा अशोध्य ऋणों की आरक्षित निधि के कारण यह कुल लाभ घट कर 250 करोड़ रुपये रह गया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, भाषण समाप्त कीजिए।

श्री बृजमोहन महन्ती : आप नहीं जानते कि मैंने भाषण कब शुरू किया था। आपने मुझे असमंजस में डाल दिया। वित्त मंत्री हंस रहे हैं क्योंकि मैं अन्य मुद्दे नहीं उठा सकूंगा। कृपया मुझे थोड़ा समय और दें। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बैंक कुशलतापूर्वक कार्य करें।

जहां तक राजनैतिक माहौल की बात है—इससे बैंकों का विस्तार नहीं होगा। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो यह देश को समतावादी बनाने तथा कुछ ही हाथों में सम्पत्ति के एकत्र होने को रोकने की तरफ एक ठोस कदम था। लेकिन अब ये ताकतें विभिन्न बहानों से बैंकों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हैं। वे अब लोगों से वायदा कर रहे हैं कि एक बार सत्ता में आ जाने पर वे 10,000 रुपये से नीचे के सभी ऋणों को माफ कर देंगे। यह 7000 करोड़ रुपये बैठता है; जिसकी कि कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस पृष्ठ-भूमि में मेरा निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री को बैंक के कार्यकरण को कुशल बनाना चाहिए तथा साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के प्रयत्न करने चाहिए।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक, 1989 का समर्थन करता हूं। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में बैंकों के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप बैंकों के दरवाजे इस देश में पहली बार गरीब से गरीब आदमी के लिए भी खुल गए। यद्यपि राष्ट्रीयकरण हुए भी 20 वर्ष हो चुके हैं फिर भी राष्ट्रीयकरण का वास्तविक उद्देश्य अभी प्राप्त करना बाकी है हालांकि जो परिणाम अब तक मिले हैं वे भी कम सराहनीय नहीं है।

इस देश में सभी औद्योगिक क्षेत्र और विशेषरूप से छोटे और लघु औद्योगिक क्षेत्र इस देश के औद्योगिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंकड़े यहां पहले ही पेश किये जा चुके हैं। देश में 16 लाख लघु उद्योग हैं। उनका कुल निवेश लगभग 4000 करोड़ रुपये आता है। वे लगभग एक करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध-करती हैं। इससे इस प्रमुख क्षेत्र के महत्व का पता चलता है। साथ ही कुल उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत लघु औद्योगिक क्षेत्र से होता है तथा कुल निर्यात का लगभग 25 प्रतिशत इस क्षेत्र से होता है अतः इस लघु क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने की जरूरत के महत्व की कम नहीं किया जा सकता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक स्वयं इस छोटे और लघु औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को बहुत अच्छी तरह पूरा कर रहा है। लेकिन इकाइयों की संख्या तथा इसके नये कार्य क्षेत्रों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने की वजह से यह मांग जोर पकड़ती जा रही है कि केवल इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शीर्ष बैंक खोला जाये। वर्तमान विधेयक इस मांग को पूरा करने के लिए लाया गया है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उद्योग, विशेषरूप से इस देश में लघु क्षेत्र के उद्योग काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक के खण्ड 13 में उनसे सम्बन्धित कई बातों को लिया गया है। समय पर निधियों का आवश्यकतानुरूप नहीं मिलना, बिजली, कच्चा माल उपलब्ध नहीं होना तथा विपणन की समस्या आदि ये सब काफी हद तक इस उद्योग, विशेष रूप से लघु क्षेत्र के उद्योग की रुग्णता में सहायक हैं।

मैं पहले ही माननीय मंत्री को लिख चुका हूं, उन्हें याद होगा कि उसमें मैंने सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य में उद्योग की रुग्णता के पहलुओं पर एक अध्ययन कराया जाना चाहिए। रुग्ण इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए काफी प्रोत्साहन दिया गया है। लेकिन, इस रुग्णता के बारे में या किन क्षेत्रों में रुग्णता है इस संबंध में वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि उद्योगों की रुग्णता का अध्ययन करने के लिए एक समय बद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए तथा उन उद्योगों को जिन्हें पुनः चालू किया जा सकता है एक निश्चित समयावधि—के अन्दर पुनः चालू किया जाना। चाहिए। जब नया बैंक खोला जाता है तो इसे इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए।

दूसरे मैं धन के वितरण की बात करूंगा। वर्ष 1988-89 के लिए बजट पेश करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने एक खिड़की वाली व्यवस्था शुरू करने का वायदा किया था उन्होंने कहा था। कि सभी औपचारिकताओं पर गौर किया। जायेगा। उद्योग विभाग तथा बैंक क्षेत्र के मध्य कोई समन्वय नहीं है। यह बहुत जरूरी है। इसी तरह ऊर्जा विभाग, विद्युत विभाग तथा वित्त विभाग के मध्य कोई समन्वय नहीं है। ये लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों, की महत्वपूर्ण समस्यायें हैं। जब आप धन देते हैं, जब आप परियोजनाओं को मंजूरी देते हैं और फिर पहली किश्त देते हैं और जब लाइसेंस मिल जाता है—तथा सारी औपचारिकतायें पूरी हो जाती हैं तो बिजली उपलब्ध नहीं होती है। फिर पहली किश्त के भुगतान का समय आता है। यदि इसका तीन महीनों में एक बार भुगतान नहीं किया जाये तब ब्याज के रूप में जुर्माना पड़ेगा और यदि इसी तरह एक वर्ष बीत जाये तो ब्याज के रूप में जुर्माना मूल राशि में जोड़ दिया जायेगा और सारा उद्योग रुग्ण हो जायेगा। इसलिए इसमें समन्वय करने की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस पहलू पर गौर किया जाये। इस पहलू पर गौर करने हेतु, विद्यमान वित्तीय संस्थाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

[श्री ए० चार्ल्स]

तीसरी बात निगरानी की है। आखिर हम 80 प्रतिशत सरकारी पैसा देते हैं—मैं समझता हूं कि पूरा धन देते हैं—तथा वह सारी राशि जो लघु उद्योग क्षेत्र को देते हैं वह राष्ट्र का पैसा है। जैसे ही आप धन दे देते हैं वैसे ही आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आपकी जिम्मेदारी तो दुबारा केवल तभी हो सकती है जब वह धन की अदायगी नहीं करे। और उस समय तक तो उद्योग रुग्ण हो जायेगा। लेकिन उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि वह केवल थोड़े से धन का ही निवेश करता है और शेष वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। इसलिए इसके रुग्ण होने पर भी इसके लाभ नहीं कमाने पर भी 80 प्रतिशत उद्यमी इसके सम्बन्ध में चिन्तित नहीं होते हैं। इसलिए, इस सम्बन्ध में एक उचित निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए। इन लघु औद्योगिक इकाइयों के प्रबन्धन पर निगरानी रखने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिये। जिन-जिन समितियों में मैंने भाग लिया है, मैंने एक सुझाव दिया है। वह यह है कि जब किसी वित्तीय संस्था द्वारा कम से कम 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है तो प्रबन्धक मंडल में इनमें से किसी एक वित्तीय संस्था का प्रतिनिधि होना चाहिये जो कि लघु उद्योग की वित्तीय स्थिति तथा इसके कार्यकरण के सम्बन्ध में तीन महीने में एक बार वित्तीय संस्था को रिपोर्ट देगा। इससे इन इकाइयों को अच्छी तरह चलाने मे निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

जहां तक विधेयक की बात है मुझे बहुत प्रसन्नता है कि खण्ड 13 के अन्तर्गत कई बातें शामिल की गई हैं। मैं विधेयक की सराहना करता हूं तथा मैं उन सबको बधाई देता हूं—जिन्होंने इस विधेयक में इतनी सारी वे सब बातें शामिल करने की जिम्मेदारी निभाई है जो वर्तमान वित्तीय संस्था अधिनियम में नहीं है। खण्ड 13 के उपखण्ड 21 में तकनीकी और वित्तीय परामर्श का प्रावधान है; उपखण्ड 22 में उद्योग को बढावा देने सम्बन्धी कार्यों, उद्यमी विकास संबंधी कार्यक्रम, कच्चे माल की खरीद, विपणन आदि की बात है। ये सब निश्चित रूप से सराहनीय है। अब मैं उस उपखण्ड 23 की बात करता हूं जिसकी मेरे कुछ मित्रों ने नये बैंक को संस्था के कार्यभार को संभालने के अधिकार देने पर आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि यह ठीक नहीं है। परन्तु मैं इस खण्ड का पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि यह उन खण्डों में से एक है जिसके द्वारा हम कुप्रबन्ध पर नियन्त्रण रख पाएंगे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे कई लघु उद्योग हैं जो रुग्ण हैं। उनमें से कुछ को जानबूझ कर रुग्ण किया गया है क्योंकि धन लेने के बाद वे इस धनराशि को कहीं और लगा देते हैं तथा इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उद्योग रुग्ण हो जाएं। इस तरह के प्रबन्धक मण्डलों को पकड़ना चाहिए। इसलिये यह ऐसा खण्ड है जिसके द्वारा आप नियंत्रण रख सकते है। फिर उपखण्ड 25 है जिसमें अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों की व्यवस्था है। उपखण्ड 26 में तकनीकी, कानूनी, विपणन तथा प्रशासनिक कार्यवाहियों की बात है। यहां मेरी चिन्ता केवल यह है कि आप यह कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन खण्डों का उचित ढंग से कार्यान्वयन हो। यह विधेयक सराहनीय है। मैं अनुरोध करूंगा कि अधीनस्थ कानून या नियम बनाते हुए आपको इस बात की बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी कि इन खण्डों का कड़ाई से कार्यान्वयन हो।

एक और बात कार्यालयों के स्थान निर्धारण से सम्बन्धित है। मैं इस बात पर नहीं झगड़ूंगा, चाहे यह लखनऊ में हो या कहीं और हो। लेकिन कुछ क्षेत्रीय कार्यालय होने चाहिए। मुख्यालय बनाने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां इससे सम्पर्क कर सकें। इसी तरह भविष्य में प्रत्येक जिले में एक बैंक होना चाहिए। आपको इस पर इस तरह ध्यान देना चाहिए।

इस विधेयक में अधिकार प्रदान करने वाला एक खण्ड है, यह खण्ड 3 है जिसकी उपधारा 4 में

कहा गया है :

"लघु उद्योग बैंक भारत में या बाहर किसी स्थान पर कार्यालय, शाखाएं या अभिकरण स्थापित करेगा।"

मैं अनुरोध करता हूं कि एक शाखा त्रिवेन्द्रम में भी खोली जाये जहां 80 प्रतिशत उद्योग रुग्ण हैं।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: विधेयक की सराहना करता हूं और इसका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं तथा मैं अनुरोध करता हूं कि यह उसी इच्छाशक्ति के साथ कार्यान्वित किया जाये जिस इच्छाशक्ति से इसे लाया गया है।

[हिन्दी]

श्री बन्दलाल चौधरी (सागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन के समक्ष लाया गया है, मैं उसके समर्थन मे खड़ा हुआ हूं। स्वाभाविक रूप से इसका लाभ भी देश की गरीब जनता तक पहुंचेगा। जब 1969 में इन्दिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो वह भी जनता को लाभ पहुंचाने के लिये किया था। उसका लाभ भी देश के गरीब लोगों को मिल रहा है। यह जो विधेयक पेश हुआ है यह भी समाजवादी समाज की रचना के उद्देश्य से हुआ है।

मैं यह चाहता हूं कि गरीब लोगों को बैंकों से लोन आसानी से मिले। आजकल क्या होता है कि जब कोई बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक कर्मचारी लोगों को बहुत परेशान करते हैं और उनसे बहुत से चक्कर लगवाते है। कर्मचारीगण लोगो को जानबूझ कर परेशान करते हैं और उसके बाद भी गरीब लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। इसके बारे में मेरा सुझाव होगा कि बैंक कर्मचारियों के लिए छोटे लोगों को लोन देने के लिये एक कोटा निर्धारित किया जाए। जो कर्मचारी उस कोटे को पूरा न करें उनके ऊपर पेनल्टी होनी चाहिए, कुछ दण्ड का प्रावधान एक्ट में होना चाहिए।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में महिलाओं और शेड्युल्ड कास्ट्स जो वीकर सेक्शंज है, उनके प्रतिनिधि भी होने चाहिएं।

मेरा यह भी सुझाव है कि कृषि को उद्योग मानते हुए जिस प्रकार की सहायता उद्योगों को दी जाती है, उसी प्रकार की सहायता कृषि को भी बैंकों से मिलनी चाहिये। हमारे देश में पान का उत्पादन होता है। इस पान उत्पादन को भी उद्योग मान कर बैंको से पान उत्पादन को भी सहायता मिलनी चाहिये।

मेरा यह भी कहना कि स्माल इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बैंक मे वीकर सेक्शंज, छोटे और गरीब लोगो के लिए दी जाने वाली सहायता का परसेंटेज मुकर्रर हो। तभी गरीब और वीकर सेक्शंज के लोगों के लिए इसकी सार्थकता बढ़ेगी। इसमें ऐसा न हो कि छोटे लोग तो सहायता से वंचित हो जाएं और बड़े लोग ही सारी सहायता प्राप्त कर ले जाएं।

छोटे उद्योग गांवों में अधिकाधिक खुलें, इसके लिए इस बैंक द्वारा विशेष प्रयास होना चाहिये। यह ऐसे उद्यमों को विशेष सहायता दे जिनसे कि लोगों को अधिक रोजगार मिले।

ऋण देने के लिए जो जमानत ली जाती है, मेरा सुझाव है कि एक लाख रुपये तक कोई जमानत लोगों से न ली जाए।

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, छोटे उद्योगों को पनपने में सहायता देने के लिए यह जो माननीय मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बैंक के द्वारा ऐसे लोगों को जो कि हमारे देश में बेरोजगार हैं और जो कि छोटे-छोटे उद्योग लगा कर या गांवों में या शहरों में अपना धंधा खोल कर अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। तभी हम देश में से बेरोजगारी और बेकारी कम करने में सफल हो पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल की क्लाज 13 (1) (27) में "प्लेनिंग, प्रमोटिंग एण्ड डेवलपिंग इंडस्ट्रीज इन द स्माल स्केल सेक्टर" की बात कही गई है। इसमें प्लेनिंग की बात भी कही गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे उद्योगों को मदद देने के लिए एक योजना बननी चाहिए। देश के अन्दर उद्योगों से प्रदूषण फैलता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र पाली के अन्दर तकरीबन् 750 टैक्सटाइल की स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनसे प्रदूषण फैलता है। जिन उद्योगों से प्रदूषण नहीं फैलता उनको इन बैंकों से ज्यादा से ज्यादा मदद दी जानी चाहिए। जिन लघु उद्योगों के एन्टर पिन्योर प्रदूषण को मिटाने के लिए ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाकर उद्योगों को चलाना चाहते हैं तो उनको प्रदूषण हटाने के लिए भी मदद देनी है। हमारे देश के अन्दर जो प्रदूषण की समस्या है उससे हमारे आई० डी०बी०आई० का ध्यान जुटाकर इसके प्लानिंग की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। यह बात सही है कि इस बिल के अंदर आपने इसका हैडक्वार्टर लखनऊ में रखा है। आप कहीं भी रखें जैसाकि और सदस्यों ने कहा है। मैं उससे पीछे हटकर बात कहना चाहता हूं। जो पिछड़े राज्य हैं जैसे राजस्थान है वहां लघु उद्योगों के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी देने की जरूरत है। ऐसे बैकवर्ड राज्य में इसकी ब्रान्चेज अवश्य खोलें। वैसे हर राज्य के अंदर इसकी ब्रान्चेज खोलें। जवाहर रोजगार योजना और पंचायत राज कानून के तहत जब हम राजीव जी और हमारी पार्टी के सिद्धांत को देखकर बेरोजगारी मिटाने की बात करते हैं तो इस डवलपमेंट बैंक को आपको लघु उद्योगों के लिए जिला स्तर पर भी ले जाना पड़ेगा। जिला स्तर पर जहां हमारी जिला परिषदें जो कि डिस्ट्रीक्ट हैडक्वार्टर के ऊपर काम करती हैं, उनको इससे जोड़ना पड़ेगा ताकि ये पंचायत राज इन लोकल बाड़ीज से जुड़े और वे लोकल बाडीज से मिलकर लघु उद्योगों के बैंक से मिलकर लोगों की समस्याएं हल करने में मदद कर सकें। जहां तक इसके गठन का सवाल है यह बात सही है कि यह एक सब सिडियरी बैंक होगा। डवलपमेंट बैंक का सबसिडियरी बैंक आपने इसको रखा है और इसको आथोराइज़ कैपिटल 250 करोड़ रुपए रखी है। यह बात जरूर कही गई है कि इसकी आथोराइज कैपिटल एक हजार करोड़ तक हो सकती है लेकिन वह डवलपमेंट बैंक की मरजी पर हैं। आप इसका सबसिडियरी बैंक रखें लेकिन इसका कुछ इंडीपेंडेंट अस्तित्व रखें। इसको डवलपमेंट बैंक की ब्रांच बैंक बनाकर रख देंगे तो इसकी कोई सार्थकता नहीं होगी। इसका अलग बिल ला रहे हैं और स्माल इंडस्ट्रीज का अलग बैंक स्थापित करना है तो इसको एक इंडीपेंडेंट एनटायटी हमको देना पड़ेगा और इसकी आथोराइज कैपिटल 250 करोड़ की जगह पांच सौ करोड़ रखनी पड़ेगी। इसके कांस्टीच्युशन का जो सवाल है, उसके अन्दर डवलपमेंट बैंक के चेयरमैन को चेयरमैन रखना या उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को चेयरमैन रखना उचित नहीं होगा। इंडीपेंडेंट बैंक के लिए आपको एक फुल टाइम चेयरमैन रखना पड़ेगा जो बिल्कुल इंडीपेंडेंट हो और जिसका काम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज तथा और बैंकों की ब्रान्चेज खुलें उसको देखने के लिए हो। इसके अन्दर नोमिनेशन की बात कही गई है। नोमिनेशन के अंदर डवलपमेंट बैंक जैसा चाहे वैसे नहीं बल्कि इसके अंदर सरकार से मनोनीत होना चाहिए। हर जगह वैसा ही नोमिनेशन सब बैंकों के द्वारा होगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप विलेज आर्टिसन्स को भी नोमिनेट करें। आज जो गांवों के अन्दर कुम्हार हैं, चाहे खाती हैं, चाहे लुहार हैं जो छोटे-छोटे उद्योग करने वाले हैं जिनके धंधे बड़े-बड़े उद्योग लगने

से खत्म हो गये हैं, उनके प्रतिनिधित्व को लेने के लिए केन्द्र सरकार उसके अन्दर विलेज आर्टिजन्स के प्रतिनिधियों को मनोनीत करें। इस तरह की बात भी इसमें रखनी पड़ेगी। आपने अपने उद्देश्यों के अन्दर यह बात कही कि फारेन एक्सपोर्ट के लिए उसको स्पेशल कंसिडरेशन होगा, यह बात हमारी समझ में नहीं आई। आपने क्लाज 13 के अन्दर (1) 10 में यह लिखा है :

[अनुवाद]

"किसी विदेशी सरकार या किसी वित्तीय संस्था या भारत के बाहर किसी व्यक्ति को निर्यात या आयात के प्रयोजन के लिए बद्ध—प्रत्यर्य अनुदत्त करना;"

[हिन्दी]

तो फारेन एक्सपोर्ट के लिए स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को यह देने की बात समझ में नहीं आई। इसलिए इसको भी मंत्रीजी स्पष्ट करें कि आप एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा ध्यान देंगे या स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के जो रीजन्स हैं उसके लिए ज्यादा ध्यान देंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट करने वाले स्माल स्केल इंडस्ट्रीज जो हमारे यहां पर उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी जो जरूरी चीजें हैं उनका उत्पादन करने के लिए जो काम करते हैं उनके ऊपर आप विशेष ध्यान दें न कि निर्यात करने वाले स्माल स्केल इंडस्ट्रीज पर। वरना यह व्यावसायिक दृष्टिकोण ही बन जायेगा। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डिवलपमेंट बैंक वास्तव में कार्यान्वित हो तो हमारे लिए हितकर होगा।

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दरबार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक का मैं समर्थन करता हूं। मैं इसमें दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक खुलने से हमारे देश का लघु उद्योग बढ़ेगा। मजदूरों को रोजगार मिलेगा। लघु उद्योग हर जिले की हर तहसील मे खुलने चाहिए, ऐसा मेरा मंत्री जी से अनुरोध है। जो बेरोजगार हमारे देश मे बड़ी संख्या में है उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और लघु उद्योगों में वह बड़ी संख्या मे जोड़े जाएं इसके लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बड़ी संख्या में लघु उद्योग मे शामिल करने की व्यवस्था हो। जिससे उनकी दशा में सुधार हो सके। बोर्ड का गठन करते समय अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य इसमें होना जरूरी है। मैं ऐसा समझता हूं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह यह बात ध्यान में रखें और बोर्ड का गठन करते समय अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य उसमें रखें और महिला सदस्यों को भी रखें। इस बैंक की शाखा हर राज्य में होना जरूरी है और जिला स्तर पर भी होना जरूरी है। अभी इसमें भारत सरकार एक मुख्यालय हमारे लखनऊ में बनाने वाली है उसके बावजूद भी राज्य में इसकी और शाखाएं होनी चाहिए इतना ही मैं सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल को लाकर सरकार ने जो मंशा प्रदर्शित की है, सरकार इस देश में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को डैवलप करना चाहती है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इस देश में यह एपैक्स बैंक बनाया जा रहा है जिससे निश्चित तौर पर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की काफी प्रौब्लम्स, काफी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और उनकी स्थिति में सुधार आएगा। इसे मैं विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम मानता हूं। कुछ समय पहले हमने जनता से कुछ वायदे किए थे, हमारी सरकार और हमारे नेता, प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने वायदे किये थे, उन वायदों को पूरा करते हुए,

[श्री शान्ति धारीवाल]

आज जिस तरह का बिल सदन के सामने लाया गया है, उससे निश्चित रूप से लघु उद्योगों की काफी उन्नति होगी, तरक्की होगी। आज तक लघु उद्योगों को जिस तरह बैंकों से मदद मिला करती थी, उनके सामने किसी न किसी तरह से, किसी न किसी बहाने रुकावटें पैदा कर दी जाती थीं, आई० डी० बी० आई० लघु उद्यमियों की एप्लीकेशन की एंटरटेन नहीं करता था, छोटे उद्योगपतियों को हमेशा हैरान किया जाता था, उनकी चिर-प्रतिक्षित मांग थी कि हमारे लिए कोई अलग से व्यवस्था की जाए, हमें मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जाए, जिस किसी प्रकार सम्भव हो, हमारा ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो सके, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में यह बिल निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम सिद्ध होगा। हमारे वर्ष 1988-89 के बजट भाषण में ऐसा उल्लेख आया था और सरकार की ओर से कहा गया था कि हम लघु उद्योगों के विकास के लिए एक बैंक की स्थापना करेंगे, सरकार ने अपने उस वचन को इस बिल के माध्यम से पूरा कर दिखाया है। मैं इसे छोटे उद्यमियों के हित में सुन्दर कदम मानता हूं और तहेदिल से इसका समर्थन करता हूं। इस विकास बैंक विधेयक में जिस तरह की व्यवस्था की जा रही है उससे निश्चित रूप से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, वे प्रोमोट होंगी, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, और उनका विकास होगा। मैं इस बिल के बारे में ज्यादा डिटेल में न जाकर, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे वर्षों पुरानी मांग को आज पूरा कर दिखाया है, लेकिन इसके साथ-साथ एक छोटा-सा सुझाव यह देना चाहूंगा कि दूसरे बैंकों की लोन देने के संबंध में आज जिस तरह की प्रक्रिया है, जब भी लघु उद्यमी लोन लेने के लिए किसी बैंक के पास जाते हैं तो उन्हें पहले एक जटिल प्रक्रिया स होकर गुजरना पड़ता है। बड़े उद्योगों को ऋण देने की प्रक्रिया और छोटे उद्योगों को ऋण दन की प्रक्रिया एक-सी नहीं होनी चाहिए, आप जरा इसका ध्यान रखें। सरकार को यह दखना होगा कि बड़े उद्योगों के पास प्रचुर मात्रा में मैनपावर उपलब्ध होती है, काफी स्टाफ होता है और वे जटिल से जटिल प्रक्रिया को भी उपलब्ध साधनों के जरिए आसान बना लेते हैं जबकि लघु उद्योगों के पास वैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं। लघु उद्योग एक-दो या चार व्यक्ति मिलकर खोलते हैं अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उन्हें उस जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरना न पड़े, जिस प्रक्रिया से बड़े उद्योगपतियों को गुजरना पड़ता है, अन्यथा सरकार को वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, जिनको लेकर यह बिल सदन में लाया गया है। मैं यहां वित्त मंत्री जी से, बिल की अन्य व्यवस्थाओं का स्वागत करते हुए, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आई० डी० बी० आई० द्वारा वित्तीय सहायता देने का जो जटिल प्रासीजर है, लघु उद्योगों के मामले में उसका सरलीकरण किया जाए, उसे सिम्पल बनाया जाए और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को पूरी सहायता मिले। इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक 1989 प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आज से 20 साल पहले सन् 1969 में इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे हमारी तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की इच्छा थी कि बैंकों से सहायता लेकर इस देश के तमाम छोटे-बड़े उद्योग उन्नति करें और साथ-साथ इस देश की गरीबी को भी दूर किया जाए। गरीबी दूर करने के लिए जो प्रयास आज तक किये गये, बैंकों के जरिए, वे अभी उतने सफलीभूत नहीं हुए हैं, जितनी हमें आशा थी।

महोदय, मैं इस विधेयक के बारे में जो सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं वह यह है कि इसमें

डायरेक्टर्स के बारे में जो नामिनेशन्स का प्रस्ताव रखा है, मैं चाहता हूं कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन के दो प्रतिनिधि भी उसमें नामिनेट किए जाएं। अगर ये दो प्रतिनिधि नामिनेट किए जाते हैं, तो वे अपने इंटरेस्ट को भी बचा कर सकेंगे और सही तौर से जो भी निर्णय होंगे, वे निष्पक्ष हो सकेंगे और उनकी भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण रहेगी।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि बैंकों के एकेडेमिक लेचर के जो प्रोफेसर हों, उनको भी डायरेक्टर्स में सम्मिलित किया जाना चाहिए। चेयरमैन के बारे में मेरा यह दृष्टिकोण है क्योंकि यह एपेक्स बैंक है और इसमें अभी जो चेयरमैन का प्राविजन किया गया है, वह यह है कि आई० डी० बी० आई० का चेयरमैन जो होगा, वही अपेक्स बैंक का भी चेयरमैन रहेगा। माननीय मंत्री महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है और इस पर मेरा सुझाव यह है कि ट्रांजीशनल पीरियड के लिए, यानी एक साल तक के लिए तो हम मान सकते हैं कि जो आई० डी० बी० आई० का चेयरमैन है वह रहे, मगर एक साल के बाद इंडिपेंडेंट बॉडी होकर के वह आए। यानी इस स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बैंक का चेयरमैन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ट्रांसीशनल पीरियड के लिए तो अभी फिलहाल एक ही चेयरमैन चल जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले जब आई० डी० बी० आई० की स्थापना हुई थी तब भी रिजर्व बैंक के डिप्टी चेयरमैन को आई० डी० बी० आई० का चेयरमैन (अध्यक्ष) बनाया गया था। तब यह समझा गया कि यह प्रक्रिया ठीक नहीं है और उसमें परिवर्तन किया गया फिर इंडिपेंडेंट अलग से आई० डी० बी० आई० का चेयरमैन बनाया गया। इसलिए ट्रांजीशनल पीरियड के लिए तो चल सकता है, लेकिन परमानेंट ऐसी व्यवस्था करना ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इसका चेयरमैन अलग और स्वतंत्र बनाइए। यदि ऐसा होगा, तो यह बैंक उन्नति और तरक्की कर सकेगा।

महोदय, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि इसका जो हैड आफिस बनाने का सुझाव दिया गया है, यह बिलकुल पक्षपातपूर्ण है। मालूम ऐसा पड़ता है, उस समय वित्त मंत्री यू० पी० से थे, इसलिए उन्होंने लखनऊ हैड आफिस खोलने का सुझाव दे दिया। अब वित्त मंत्री चूंकि गोवा के हैं तो वे गोवा हैड आफिस खोलने का सुझाव दे सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यह बात किसी भी सूरत में बरदाश्त नहीं करेंगे। इस बारे में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के काम को देखना चाहिए कि कहां काम ज्यादा है, उसके अनुसार ही इसके मुख्यालय को खोलने के स्थान का निर्णय लेना चाहिए। मेरे ख्याल से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का काम बम्बई में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इस बैंक का हैडआफिस बम्बई में खोलना चाहिए। यदि आप यह समझते हैं कि बम्बई में पहले से ही बहुत ज्यादा आफिसेस हैं तो आप उसको दिल्ली में खोल दीजिए।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान में खोल दीजिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : इसमें राजस्थान का सवाल नहीं है। इसका लाभ तो पूरा देश लेना चाहता है। लेकिन इसका मुख्यालय लखनऊ में नहीं खोला जाना चाहिए। यदि लखनऊ में खुल गया तो, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। इसमें राजस्थान वालों की भी शक्ति और समय ज्यादा लगेगा। लखनऊ में हैड आफिस खोलने का जो निर्णय लिया गया है यह बहुत गलत है। इसको परिवर्तित किया जाना चाहिए।

महोदय, रिव्यू कमेटीज के बारे में एक निर्णय लिया गया है कि इन कमेटियों में एम० पी० और एल० एल० एज० को शामिल किया जाएगा। महोदय, यह निर्णय स्वागत योग्य है। मैं तो बहुत पहले से यह कहता आ रहा हूं कि इस प्रकार की कमेटीज में एम० पी० और एम० एल० एज० को,

[श्री बुद्धि चन्द्र जैन]

यानी पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्स को लिया जाए। मैं तो समझता हूं कि इतनी देरी के बाद और इतने वर्षों के बाद यह निर्णय लिया गया है कि लीड बैंक के अन्दर एडवायजरी कमेटीज में और रिव्यू कमेटीज में पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्स को लिया गया है, यह स्वागत योग्य कदम है। अगर वास्तव में आप इन बैंकों में हो रहे करप्शन को समाप्त करना चाहते है, खत्म करना चाहते है, तो यही एक ऐसा निर्णय है जिससे इनमें जो करप्शन हो रहा है वह समाप्त हो जाएगा।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितनी भी ब्रांचेज हैं, उन सबकी ऐडवायजरी कमेटी बनानी चाहिए और मैं तो कहता हूं कि अगर पंचायती लैवल पर इस प्रकार की उनसे पास व्यवस्था हो तो वहां पर भी कमेटीज बननी चाहिएं और जिन लोगों को आप ऋण देते हैं, उनकी लिस्ट पब्लिश की जानी चाहिए। इससे यह पता चलेगा कि वाकई में किसी को लोन दिया गया है या नहीं। आपको इस संबंध में पूरी तरह से ऐसे स्टैप्स लेने चाहिए जिससे कि करप्शन को रूट आउट किया जा सके। अनइम्पलायमैंट की कठिनाई को देखते हुए यह स्कीम बिल्कुल सक्सैसफुल नहीं रही है। अगर आप कमेटी बैठाएं तो यह देखें कि जो पक्षपात किया गया है, उसकी जांच की जानी चाहिए और जांच करके, जिन आफिसरों ने इस प्रकार की कार्रवाई की है, उनको दण्डित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए।

जिस परपज के लिये आप लोन देना चाहते हैं, उसके लिए पहले ट्रेनिंग दीजिए ताकि बाद में वह व्यक्ति अच्छा धंधा कर सके तो यह बहुत ही उपयोगी होगा। इस संबंध में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि गरीब लोगों को उसका लाभ मिल सके। जो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट की जो पालिसी है अगर उसे समाप्त कर दिया जाएगा तो इससे बैकवर्ड एरियाज में जो उद्योग हैं जो आगे बढ़ रहे थे, पनप नहीं सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री लेयूर भूषण (रायपुर) : अत्यन्त मन में हर्ष होता है कि अभी-अभी जितने प्रस्ताव यहां पर लाये जा रहे हैं सारे देश का जीवन बदलने के लिये और जो कार्य चाहिए, वे हमारे राजीव गांधी जी, हमारे नेता के मार्गदर्शन पर हो रहा है। मैं अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए इस भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक जो सामने आया है, उसका तहे दिल से समर्थन करते हुए मन से निवेदन करना चाहता हूं कि लघु उद्योग का ही आधार है कि हम उन छोटे वर्गों को उद्योग में आगे लाने के लिये एक बैंक की स्थापना कर रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें उस छोटे वर्ग को जो सुविधा चाहिए और जो आज के बैंक में नहीं मिल पा रही है, जहां कठिनाई हो रही है, मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि इस बैंक का लाभ उस वर्ग को मिल सके। ज्यादातर उद्योग में वही लोग आते हैं जो कुछ उसकी समझ रखते हैं, पढ़े-लिखे भी होते हैं और उन्हें कुछ समझ भी रहती है। मगर उस वर्ग में से जो कमजोर वर्ग हैं, विशेषकर आदिवासी, हरिजन और वे वर्ग जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं या थोड़े से उसके ऊपर हैं, पढ़े-लिखे भी हैं मगर फिर भी फार्म भरने के बाद जब उद्योग लगाने के लिए एक-चौथाई रकम देने की बात आती है तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं रहता है। तो क्या इसमें उन्हें कोई छूट दी जा सकती है। अगर सचमुच में कमजोर वर्ग को आप सहयोग देना चाहते हैं तो वह बंधन उस वर्ग से हटा दिया जाए। उसके स्थान पर आप पूरे तरीके से उसका मापदण्ड कर लें और जैसे गरीबी-रेखा से नीचे वालों के लिए जो नियम लागू किया गया है और योजनाओं के अन्दर, ट्रायसम योजना और दूसरी योजनाओं के अन्दर, उसी तरह से वह रकम या तो शासन अपनी ओर से जमा करे, तभी वह उसका उपयोग कर सकेगा, या उसका परसैंटेज कम-से-कम किया जाए।

दूसरी जो कठिनाई ऋण देने के बाद आती है, जो दूसरी किश्त देनी होती है, पहला किश्त मान लीजिये 10 लाख का आपने दिया और उसमें आप उसे पूरा यंत्र खरीदने के लिये कहते हैं तो और आगे बढ़ने के लिये जो उसको और रकम चाहिए, वह उसे नहीं मिल पाती है, उसमें देर होती है या कई कानूनी अड़ंगे उसमें आते हैं और वह अपने उद्योग को आगे बढ़ा नहीं पाता है। आपके अधिकारी उसका काम देखते हैं और फिर कहते हैं कि अभी उसमें उत्पादन पूरा नहीं हो पाया और उसके पास अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिये राशि चाहिए, वह उसके पास नहीं रहती है और वह उसे आगे नहीं ले जा पाता। आखिर में जिस उद्योग के लिए जिस लालसा से वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, वह पूरा नहीं कर पाता और कर्जे से पूरी तरह दब जाता है और थोड़ी बहुत जो छोटी-मोटी पूंजी उसके पास खेती-बाड़ी से होती है उसे खर्च करके भी वह उसे पूरा नहीं कर पाता है। यह स्थिति बस्तर जैसे इलाके में, जो आदिवासी क्षेत्र का बहुत बड़ा इलाका है, उसमें है। वहां एक पढ़ा-लिखा नौजवान जो शिड्यूल्ड कास्ट का था, उसकी स्थिति यह हुई कि पूंजी लगाकर जो सीमेंट का उद्योग चला रहा था वह पूरे तरीके से नष्ट हो गया और वह आगे कुछ नहीं कर पाया।

मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। एक बहिन उत्तर प्रदेश की थीं, उन्होंने महिला के नाते से एक उद्योग खड़ा किया। मौके पर आपके बैंक से उसे पैसा नहीं मिला इसके कारण आज उसकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो गई और उसका सपना कि उद्योग से आगे बढ़ेंगे, वह भी निराशा में परिणत हो गया।

इन कठिनाइयों की तरफ भी आप ध्यान दें। लघु उद्योग की ओर आपने और हमारे नेता ने ध्यान दिया इसलिए एक ही लाइन दोहराने के बाद में अपनी बात समाप्त करूंगा—

प्रभुता देख बड़ेन की, लघु न दीजिये डार,
जहां काम आवे सुंई, काह करे तरवार।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं; अनेक विधेयक अभी लम्बित पड़े हुए हैं। हमें इनको पूरा करना है। हम अगला विधेयक उठाते हैं; फिर आप चर्चा में भाग ले सकते हैं। अन्यथा मंत्री के उत्तर के पश्चात् यदि आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।

अब, मंत्री जी बोलेंगे।

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : यद्यपि सप्ताह का अन्तिम दिवस होने के कारण और सप्ताह के दौरान ऐसी अन्य घटनाओं के कारण सदन को भली-भांति जानकारी है। सदन खाली खाली सा है। तथापि वाद-विवाद का स्तर अत्यन्त प्रभावशाली रहा है। मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया; मैं उन्हें वाद-विवाद की उत्कर्षता, दिए गए मूल्यवान सुझावों के लिए बधाई देता हूं, और मैं उन्हें हमारी गतिविधियों के खिलाफ हमारे काम, हमारे निगमों के काम, हमारी वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और सरकार की और व्यक्तिगत रूप से मेरी आलोचना करने के लिए बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा; आप उन्हें आपकी आलोचना करने पर भी बधाई देते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम आलोचना का स्वागत करते हैं यद्यपि आलोचना हमारे ही खिलाफ है क्योंकि इससे सदा सुधार की गुन्जाइश रहती है। यद्यपि हम अपनी योग्यतानुसार उत्तम काम करते हैं फिर भी आलोचना का स्वागत है, और हम देखते हैं कि संसद सरकार के कार्यकलापों पर कैसे नजर रखती है और उनका कैसे मूल्यांकन करती है।

मैं अब माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों और मुद्दों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं उठाए गए कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ आंकड़े भी देता हूं। यह उचित ही। कहा गया है कि लघु उद्योग और लघु क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, परन्तु रोजगार उत्पन्न करने में भी बहुत योगदान देते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि गत वर्ष 1987-88, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, की स्थिति के अनुसार लघु उद्योगों से 107 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ। रोजगार के संबंध में यह इनका योगदान है। उन्होंने निर्यात के मामले में भी भारी योगदान दिया जो आजकल हमारे भुगतान शेष के सुधार के लिए और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक क्षेत्र है। निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान 1986-87 के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 3648 करोड़ रुपये हैं जो कुल निर्यात का 29 प्रतिशत है। उद्योग की रुग्णता के संबंध में चिन्ता व्यक्त की गई है। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए रोजगार के अवसरों और इस क्षेत्र के योगदान के संबंध में यह सारी बातें कहते समय हमारे मन में औद्योगिक रुग्णता का प्रश्न सर्वोपरि है। मैं पूरी तरह माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि इसका समाधान केवल बातों से नहीं बल्कि सक्रिय काम से किया जाना चाहिए। अतः मैं इस समय यह कहना चाहूंगा कि आंकड़ों के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गये आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर 1987 की स्थिति के अनुसार रुग्ण इकाइयों की संख्या 264, 259 है। दिसम्बर 1987 को बकाया बैंक ऋण 1797.31 करोड़ रुपये था। इन रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की व्यावहारिकता के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया है कि क्या यह व्यवहार्य है या नहीं और किस प्रकार इन्हें दुबारा चालू किया जा सकता है अथवा किस प्रकार रखा जाये। हमने देखा है कि 12484 इकाइयां व्यवहार्य है; जिनमें से 8470 इकाइयों को व्यवहार्य बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। अव्यवहार्य इकाइयां 1,86,834 हैं; 4941 इकाइयों के मामले में उस समय व्यवहार्यता निर्धारित नहीं की गई। यह संस्थान बनाने से पूर्व अभी तक दी गई आर्थिक सहायता के संबंध में सुझाव दिया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लघु उद्योगों को क्या आर्थिक सहायता दी जा रही है? मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक चालू किया गया था, तो 1964 और 1970 के बीच भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कुल कारबार की तुलना में लघु उद्योगों को बहुत थोड़ी सहायता दी गई। केवल 2.9 प्रतिशत। यही प्रतिशतता जुलाई 1988 और मार्च 1989 की अवधि के दौरान 31.4 तक बढ़ गई। इसी प्रकार 1964 और 1970 की अवधि के दौरान वास्तव में लघु क्षेत्र को 9.4 करोड़ रुपये की सहायता मिली जबकि जुलाई 1988 से मार्च 1989 की अवधि के दौरान 1500 करोड़ रुपए मिले। हमने देखा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लगभग एक तिहाई ऋण उद्योग क्षेत्र को ही प्रदान करता है और इसके विकास और महत्व के लिए इस क्षेत्र की ओर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस संस्थान के निर्माण का प्रयत्न यह करता है उस पर हमने विचार किया है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और नये संस्थान के संबंध में विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक सुझाव दिये गये हैं। आरंभ में हम मुख्यालयों के संबंध में कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम लखनऊ में ही क्यों स्थापित करना चाहते हैं। बम्बई, दिल्ली और मद्रास में क्यों नहीं? मैं गंभीरता-

पूर्वक निवेदन करता हूं कि इस सभा में जो कुछ कहा गया है और पहले जो कुछ कहा गया है उसमें अन्तर है। यह सभा कह चुकी है कि हमें पिछड़े हुए क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। अब सभा कहती है या मैं कहना चाहूंगा अथवा सभा के कुछ सदस्य कहते हैं कि इस संस्था को पिछड़े हुए क्षेत्र में न रखिए, इसे बम्बई में रखिए। हम यह संस्था बम्बई में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वहां स्थान उपलब्ध नहीं है। वे यह भी कह सकते हैं कि यदि बम्बई में जगह नहीं है तो फिर दिल्ली में खोलिए परन्तु पिछड़े हुए क्षेत्र में मत रखिए। हां, यह सभा का विचार नहीं है; मुझे पूरा विश्वास है कि यह सभा की सर्वसम्मति राय नहीं है। सभा की सर्वसम्मत राय है आर्थिक गतिविधियों का कोई केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए और न आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने वाली संस्थाओं का ही केन्द्रीयकरण होना चाहिए।

3.00 म०प०

अर्थात् इसका विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। इसे देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया जाना चाहिए। हमने इसे लखनऊ और उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है क्योंकि यह सबसे बड़ा पिछड़ा राज्य है। तथापि सुझाव दिये गये थे कि अगर आप इसे लखनऊ में स्थापित करते हैं, तो इसकी शाखाएं दूसरी जगह भी खोली जाएं। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि हम प्रत्येक छोटे या बड़े राज्यों में इसकी शाखाएं स्थापित करेंगे जिसके लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

तत्पश्चात् महोदय निदेशक मंडल के संबंध में सुझाव दिये गये हैं। इस सुझाव पर कि इसमें एक महिला प्रतिनिधि और एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति से जरूर होना चाहिए, मैं यह कहूंगा कि हमारे नेता, प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर यह संकेत दिया है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय कार्यशक्ति में सहयोग देना चाहिए, और इसके लिये उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए और निश्चय ही उन्हें अन्य व्यक्तियों की तरह योगदान देना चाहिए जिससे कि राष्ट्र और इसकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके···(व्यवधान)

श्री एन० जी० रंगा (गुंटूर) : ग्रामीण लोगों को भी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इसमें ग्रामीण लोगों को भी सम्मिलित किया जायेगा। अतः अपने नेता के विचारानुसार, निदेशक मंडल में एक महिला प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति से और एक प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों में से नियुक्त करना होगा जिन्हें निचले स्तर पर हो रही घटनाओं के सम्बन्ध में अच्छा अनुभव है।

इसके अतिरिक्त यह प्रश्न उठाया गया था कि, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ऐसी सहायक शाखाएं क्यों खोली गई हैं जिन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं। मैं लोगों का यह संदेह दूर करना चाहूंगा कि हमने जिस भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना का विचार किया है, उसे भुगतान और स्वीकृति संबंधी पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

तत्पश्चात्, एक दूसरा प्रश्न यह उठाया गया था कि हमने नई वित्तीय संस्था और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिये एक ही चेयरमैन क्यों नियुक्त किया है? इस संबंध में, मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि हम एक नई संस्था का गठन कर रहे हैं। यह नई संस्था कोई अन्य जगह से नहीं आ रही है। भारतीय औद्योगिक लघु विकास बैंकों को सहायता देकर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इसकी नींव रखी है, जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। इस संबंध में अनेक कार्य किये जा चुके हैं और इस तरह इसके विकास में सहयोग किया गया है। अतः यह एक नवजात शिशु है जिसे आप

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

ऐसे ही नहीं छोड़ सकते··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : तब तो उन्हें बम्बई से लखनऊ की यात्रा करनी होगी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, आप सहित हम सभी यात्रा करते रहे हैं ·· (व्यवधान)

मैं कहना चाहूंगा कि हमें एक अधिकारी विशेष के बारे में बहुत गर्व है, जो इस देश के एक बहुत उत्कृष्ट अधिकारियों में से एक हैं और जिन्हें सर्वोच्च स्तर पर भारत सरकार द्वारा हाल ही में मान्यता प्रदान की गई है। तो भी मुझे सभा द्वारा कही गई बात का उल्लेख करना है कि हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए। अत: सरकार इस संस्था द्वारा कार्य आरम्भ करने के एक साल के उपरांत इसकी समीक्षा करेगी। महोदय, जब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गठन किया गया था, तो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया था और इस अनुभव के आधार पर एक अलग चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अत: इससे अच्छा कोई अन्य उदाहरण नहीं है। इस बात को हम अपने ध्यान में रखेंगे। इस संस्था द्वारा कार्य शुरू करने के एक साल के उपरांत, सभा के कथनानुसार हम इसकी आवश्यकताओं की प्रारम्भिक समीक्षा करेंगे।

महोदय, दूसरा मुद्दा संसद सदस्यों को इसमें सम्मिलित करने के बारे में उठाया गया है कि ऐसी संस्थाओं की प्रवृत्ति नौकरशाही वाली हो जाती है। नौकरशाही का नौकरशाहों से कोई संबंध नहीं है जो कि बहुत अच्छे लोग हैं और हमारे सभी लोगों में से सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति हैं। नौकरशाही एक व्यवस्था है। नौकरशाही प्रवृत्ति एक प्रवृत्ति है। जैसा कि मैं समझता हूं, यह एक ऐसी व्यवस्था है।जिसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहते, जिसमें हम इसमें कोई ऐसा नया परिवर्तन नहीं करना चाहते, जिसमें बिचले स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए, हमने यह दृष्टिकोण अपनाया है जिसके अन्तर्गत पहली बार ऐसा हुआ है कि बैंकों की पुनरीक्षा समितियों में संसद सदस्यों को भी सम्मिलित किया जायेगा, और फिर इसके कार्य अनुभव के आधार पर हम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सहित अन्य संस्थाओं पर भी इसे लागू करेंगे।

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : इसके निदेशक मंडल में संसद सदस्यों को क्यों नहीं शामिल किया गया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हमें संसद सदस्यों को निदेशक मंडल में सम्मिलित करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी लाभ के पदों संबंधी समिति को इस पर आपत्ति होगी और वे निदेशक बनने वाले संसद सदस्यों की सदस्यता को निरर्ह घोषित कर सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : बिना किसी मानदेय के।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारी संसदीय समितियां और अन्य समितियां इसका ध्यान रखेंगी। आप निदेशक मंडल में संसद सदस्यों को शामिल किये जाने के लिए इतने ज्यादा इच्छुक क्यों हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : पिछड़े क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने की बात उठाई गई थी। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा ही किया जा रहा है। इस समय सरकार की यह नीति है कि ज्यादा बल पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए दिया जाना चाहिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को सन् 1970-71 में दी गई सहायता राशि 21 करोड़ रुपये से बढ़कर सन् 1987-88 में 2336 करोड़

रुपये हो गई जोकि दी गई कुल सहायता के 40 प्रतिशत से अधिक है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जम्मू तथा कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम जम्मू और कश्मीर में भी इसकी व्यवस्था करेंगे। आप मुझसे मिलें और हम इस पर चर्चा करेंगे। मैंने हाल ही में खुद वित्त मंत्री के साथ श्रीनगर का दौरा किया था जहां मुझे अपनी नियमित चर्चा से हटकर, माननीय संसद सदस्य से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पर जो भी निर्णय किया गया था, हम उसका अनुपालन करेंगे और अन्य सुझावों पर भी ध्यान देंगे।

जम्मू तथा कश्मीर के माननीय संसद सदस्य ने कतिपय विशिष्ट मामले का उल्लेख किया था जिसमें सम्बद्ध क्षेत्रीय प्रबंधक ने समुचित कार्यवाही नहीं की थी। जानकारी के अभाव में मैं इस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि मैं सत्र के दौरान बैंक के चेयरमैन को संबंधित अधिकारी के साथ उपस्थित होने को कहूंगा और संसद सदस्य के साथ बैठकर विचार-विमर्श करके यह देखेंगे कि इसके लिए वास्तव में क्या किया जा सकता है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्होंने कहा है कि वह माननीय मंत्री को जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यहां पर एक मुद्दा उठाया गया है, और यह मुद्दा उठाने के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि मात्र धन या वित्तीय सहायता प्रदान करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसके लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि दिये गये धन का सही तरीके से उपयोग किया जाय और विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि धन लेने वाले उद्यमी के पास इसके सही उपयोग के लिए आवश्यक निपुणता हो; अन्यथा वह खुद भी कठिनाई में पड़ेगा और साथ ही साथ वित्तीय संस्था और बैंक के लिए भी समस्या उत्पन्न करेगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उद्यमों के विकास संबंधी कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। हम उन्हें जारी रखेंगे, और उन्हें सबसे ज्यादा महत्व देंगे। उनके माध्यम से न केवल उन्हें तकनीकी जानकारी देंगे अपितु उन्हें व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने आदि का प्रशिक्षण भी देंगे।

मैं विशेष रूप से सी० यू० योजना का जिक्र करना चाहूंगा जिसका माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। सदस्यों ने यह भी कहा है कि सी० यू० योजना का ना तो उचित क्रियान्वयन हो रहा है और ना ही यह कारगर सिद्ध हुई है। समुचित क्रियान्वयन के संबंध में सदस्यों ने कहा है कि जिला उद्योग केन्द्र कभी कुछ नामों की सिफारिश करते हैं किन्तु बैंक उनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं करते हैं। वे इसकी पुनः जांच करना चाहते है और बोर्ड इनका सहयोग नहीं करता। हमने रिजर्व बैंक से कहा है कि वह इसकी जांच करें ताकि इन योजनाओं के लिए एक खिड़की प्रणाली व्यवस्था हो तथा जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा अन्तिम रूप से की गयी सिफारिशों को बैंक द्वारा क्रियान्वित किया जाये। इसे क्रियान्वित करने के पहले बैंकों को इसको जांच करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए एक खिड़की प्रणाली व्यवस्था के तहत इसे अन्तिम मंजूरी दी जाएगी और यह अन्तिम मजूरी बैंक द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। हम ऐसा ही करना चाहते है।

जहां तक महिलाओं का संबंध है, इस चर्चा के दौरान दो महिला योजनाओं के बारे में जिक्र किया गया है। मुझे सभा को यह सूचित करने में हर्ष हो रहा है कि हमने इन दोनों योजनाएं क्रियान्वयन के लिए राज्य की वित्तीय संस्थाओं और निगमों को प्रेषित कर दी हैं—एक व्यक्तिगत महिला उद्यमियों के लिए और दूसरी स्वयंसेवी संगठनों के लिए है जो इस मामले में कार्यवाही करते हैं। ये दोनों ही

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

योजनायें गत जून के अन्त से क्रियान्वित की जा चुकी हैं। मैं आशा करता हूं कि ये ठीक ढंग से कार्य करेंगी।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : लखनऊ में मुख्यालय न होने के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा और राजस्थान में भी उसकी एक शाखा होगी।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : हम नहीं चाहते कि मुख्यालय लखनऊ में हो।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : लखनऊ में मुख्यालय के होने में क्या आपत्ति है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : हम पूरी तरह इसके खिलाफ हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम राजस्थान के लिए भी कुछ करेंगे। हम राजस्थान को इसी प्रकार की सभी सुविधाएं देंगे जिससे इस संबंध में कोई शिकायत न हो··· (व्यवधान)

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : इसकी शाखा भोपाल में भी खोलिये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम भोपाल में भी एक शाखा खोलेंगे। प्रत्येक राज्य में इसकी एक शाखा होगी जिससे कोई शिकायत न हो।

इस विधेयक पर चर्चा करते समय, बैंकों की कार्य-पद्धति का भी काफी उल्लेख किया गया है। हम इस वर्ष बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हम स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का स्मरण करते हैं जिन्होंने यह साहसिक कदम उठाया था जिससे जनता का धन जनता को ही प्राप्त हो तथा जनता के ही विकास में लगे और यह कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित न रहे बल्कि उन सभी को इसका लाभ हो जो इसका ठीक से उपयोग करने में सक्षम हैं। इस अवसर पर हम बैंकिंग उद्योग से भी अनुरोध करते हैं कि वह बैंकों के विकास के लिए, राष्ट्र को समृद्ध बनाने में, तथा समाज के सभी वर्गों को इस अवसर का लाभ उठाने के योग्य बनाने में अपने आप को सामाजिक उद्देश्यों और अपने लक्ष्यों के प्रति पुनः समर्पित हो जिससे बैंकिंग क्षेत्र को भी समृद्ध बनाया जा सके क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र की सक्षमता ही राष्ट्र की सक्षमता है। तथापि, यह कहते समय हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि जहां तक बैंकिंग क्षेत्र को सौंपे गये बड़े और जिम्मेदार कार्यों का सम्बन्ध है, कभी-कभी उसमें विलम्ब हो जाता है तथा कभी-कभी दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया जाता है। मैं एक बहाने के रूप में इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। यह कोई बहाना नहीं है। यह सभी स्तर के हमारे अधिकारियों, चेयरमैन से लेकर नीचे तक के सभी अधिकारियों का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इन दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाये।

विलम्ब के बारे में ये मार्गनिर्देश हैं :—25,000 रु० तक के लिए कर्ज के आवेदनपत्रों को बैंकों द्वारा पन्द्रह दिन में निबटा दिया जाना चाहिए और 25,000 रु० से ऊपर के आवेदन-पत्रों को आठ से नौ सप्ताह के अन्दर निबटा दिया जाना चाहिए। यह अधिकतम समय सीमा है। आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् प्रायः इससे कम समय लगना चाहिए।

बैंकों के निदेशक मंडल को समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने का निदेश दिया गया है। आगे के मार्गनिर्देश इस प्रकार हैं :—बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वह सभी शाखाओं में सभी

बैंक-कर्जों हेतु आवेदनपत्रों की प्राप्ति के बाद उनकी एक प्राप्ति-रसीद भेजे। आवेदनपत्र प्राप्त होने के पश्चात् यदि किसी प्रकार की इस पर चर्चा अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो प्रार्थी को एक निश्चित तिथि देकर सूचित करना चाहिए। इन मामलों का समय से निबटान हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को एक उचित प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय प्रबन्धकों को प्रत्येक महीने ऐसे मामलों की समीक्षा करनी चाहिए। लघु-क्षेत्र की इकाइयों को ऋण देने सम्बन्धी प्रस्तावों को उनके प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के अन्दर ही यदि उन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो ऐसे मामलों की बैंक के निदेशक मंडल को त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए जिससे वह इनकी समीक्षा करे और इन पर प्रभावी कार्रवाई करें। क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा गांवों में स्थित बैंक-शाखाओं का इस प्रकार से दौरा करना चाहिए ताकि प्रत्येक गांव की शाखा का तीन महीने की अवधि में कम से कम एक बार अधिकारी द्वारा दौरा अवश्य किया जाये।

मैं इन मार्गनिर्देशों का उल्लेख कर रहा हूं और माननीय सदस्यों को अन्य मार्गनिर्देशों की एक प्रतिलिपि देते हुए मुझे खुशी होगी। मैं इनका उल्लेख कर रहा हूं और मैं उन्हें इसकी एक प्रतिलिपि भी दूंगा जिससे उन्हें इसकी जानकारी हो सके तथा पुनरीक्षा बैठकों में वे पता लगा सकें कि किस सीमा तक इन मार्गनिर्देशों का पालन किया जा रहा है और यदि इन्हें लागू नहीं किया जा रहा है तो उसके क्या कारण हैं··· (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, क्या मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिला सकता हूं ? यह एक अच्छी व्यवस्था है परन्तु हमारा अनुभव यह है कि जब कोई व्यक्ति कर्ज के लिए बैंक में आवेदन करता है तो उसका आवेदनपत्र अस्वीकृत हो जाता है क्योंकि बैंक में इसके लिए एक अलग से फार्म निर्धारित किया गया है। वे उसके आवेदन को केवल उसी निर्धारित फार्म में ही स्वीकार करते परन्तु साथ ही साथ वे इस फार्म को भी नहीं देते। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि जब कोई व्यक्ति बैंक ऋण हेतु आवेदन पत्र देता है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और फिर उस पर आगे कार्रवाई की जाये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हमें या तो माननीय सदस्य के सुझाव को मान लेना चाहिये अथवा बैंकों को फार्म देने के संबंध में निर्देश जारी करने चाहियें। जो सबसे अच्छा होगा, हम वही करेंगे। परन्तु यदि उस पुरुष अथवा महिला द्वारा, जो बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं, उस निर्धारित फार्म को नहीं भरा जाता हैं तब शाखा अधिकारी को फार्म भरने में उसकी मदद करनी चाहिए··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : समस्या यह नहीं है। बैंक द्वारा निर्धारित उस विशेष फार्म को भरना आवश्यक ही क्यों है ? उस निर्धारित फार्म में जो भी कालम हैं, उन्हें टाइप किया जा सकता है और आवेदनपत्र दिया जा सकता है। बैंक का वह छपा हुआ फार्म ही क्यों आवश्यक है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, आप जानते हैं कि बैंकों की कार्यपद्धति किस प्रकार की है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शिकायत यह है कि आवेदन-पत्र प्राप्त करना ही एक समस्या है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम इस मामले को देखेंगे।

श्री ए० चार्ल्स : मेरा कहना यह है कि ये फार्म बिना किसी कठिनाई के दिये जायें।

डा० गौरी शंकर राजहंस : वे फार्म नहीं देते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यदि फार्म की मांग की जाती है तो उन्हें निश्चित रूप से फार्म दिया जायेगा। यदि इसकी मांग है तो हम यह निर्देश जारी करेंगे कि वास्तविक ऋण प्राप्तकर्ता की मांग पर फार्म दे दिये जायें। एक दूसरी बात जो यहां उठनी है वह यह है कि बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य बिचौलियों और दलालों को समाप्त करना है। बिचौलियों और दलालों को समाप्त करने के लिए ही बैंकिंग व्यापार को राष्ट्रीयकृत किया गया है। अब आप इसे उस परिधि से बाहर कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति बैंक जाये और फार्म मांगें तथा फिर उन्हें कुछेक व्यक्तियों में बांटे और फिर उनसे वापस लेकर फिर बैंकों में पुनः जमा कराये। यह एक अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। ऋण प्राप्तकर्ता को बैंक जाकर स्वयं फार्म लेना चाहिये। तब निश्चित रूप से उसे फार्म दिया जायेगा।

महोदय, एक मद्दा यह भी उठाया गया है कि शहरी क्षेत्रों में बैंक-शाखाएं बहुत अधिक नहीं होनी चाहिये और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया गया है। मैंने स्वयं यह देखा है कि यद्यपि नीति यह है कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंक-शाखाओं को खोला जाना चाहिए क्योंकि शहरी क्षेत्रों में पहले से ही बहुत अधिक बैंक हैं और कभी-कभी आवश्यकता से अधिक बैंक हैं। प्रवृत्ति यह होती है कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बैंक खोले जाएं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक बैंकिंग सुविधाएं भी नहीं होती। हम इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाएंगे जिससे यह ध्यान में रखा जाए और सभी क्षेत्रों में समुचित संख्या में बैंक खोले जाएं जिसके प्रभावस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बैंक खोले जाएं और शहरी क्षेत्रों में कम से कम बैंक खोले जाएं क्योंकि शहरी क्षेत्रों में पहले ही बैंक की काफी शाखाएं मौजूद है।

इसी प्रकार, बैंक में निदेशक मंडल के प्रश्न पर हमने व्यावहारिक तौर पर इस पर अन्तिम निर्णय कर लिया है और सुझाव यह है कि अनुसूचित जातियों, महिलाओं इत्यादि का एक प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिए। यह बहुत अच्छा सुझाव है और जहां तक हो सकेगा हम इस पर अमल करेंगे और देखेंगे कि बैंक के निदेशक मंडल में अनुसूचित जातियों का भी एक प्रतिनिधि हो।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम का क्या हुआ ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं। जब मैं श्रीनगर गया था तो मैंने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से निवेदन किया था कि वह बैंकिंग उद्योग से भी बातचीत करें और उन्होंने उनके साथ बातचीत की और सारी बातें अब सुचारू रूप से होंगी। जैसा मैंने कहा है, ऐसा केवल अल्पसंख्यकों के सन्दर्भ में ही नहीं है बल्कि यह समाज के प्रत्येक वर्ग के सन्दर्भ में है। अतः इस कार्यक्रम को हमें इस भावना के साथ आगे बढ़ाना है कि हम सब एक हैं और हम सब सही दिशा में जा रहे हैं परन्तु देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करना भी हमारा कर्त्तव्य है और यदि अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो इससे हर एक को लाभ होगा। मैं अन्य विभिन्न समस्याओं पर और अधिक नहीं कहना चाहूंगा परन्तु कार्यकारी पूंजी के बारे में एक प्रश्न है जिसे सदन में उठाया गया है। एक अन्य प्रश्न जिसे सदन में उठाया गया है वह है कार्यकारी पूंजी में विलम्ब अर्थात एक बार जब हम किसी विशेष उद्योग के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत कर देते हैं, तो शिकायत यह आती है कि कभी-कभी हम कार्यकारी पूंजी देने में विलम्ब कर देते हैं और यही उद्योग के रुग्ण होने का कारण है और कई बार हम पर्याप्त कार्यकारी पूंजी नहीं देते हैं। उदाहरणार्थ, आवश्यकता अमुक लाख रुपयों की है, हम उसे कम करना शुरू कर देते हैं और उन्हें उस राशि में से अमुक लाख रुपये कम देते हैं। इसमें सौदेबाजी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, यह राशि या तो आवश्यक है, अथवा यह आवश्यक नहीं है। यदि इसकी जरूरत नहीं है तो कुछ भी न दिया जाए। यदि आवश्यक है, तो जितनी आवश्यकता है,

उनको राशि दी जाए। अन्यथा उद्योग रुग्ण हो जाएंगे। हम इससे सहमत हैं। हमें इसे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाएंगे क्योंकि वे इस पर निगरानी रख रहे हैं और मैं उन्हें माननीय संसद सदस्यों की भावनाओं से अवगत करा दूंगा। वे केन्द्रीय बैंक हैं, वे बैंकों का प्रबन्ध करते हैं। सरकार बैंकों के संचालन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करती है। परन्तु आपकी भावनाएं उन्हें बता दी जायेंगी। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस विधेयक पर इतने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : यदि आप एक सर्वेक्षण कराएं तो आप पाएंगे कि बड़े उद्योगों की तुलना में लघु कुटीर उद्योग अधिक रुग्ण हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अथवा अन्य किन्हीं वाणिज्यिक बैंक, जो लघु-कुटीर उद्योगों के वित्तपोषण में रुचि रखते हैं, के द्वारा क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हां, कई लघु-कुटीर उद्योग भी रुग्ण हैं। निश्चित रूप से उनकी संख्या बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक है। अतः यह सही है कि विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र की रुग्णता की प्रतिशतता बड़े क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिशतता से कहीं अधिक है लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि बड़े क्षेत्र में भी सुरक्षा नहीं है। दुर्भाग्य से रुग्णता की व्यापकता बहुत अधिक है।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी (भद्रक) : महोदय, मैं निर्देशक के कार्यकाल के बारे में जानना चाहता हूं। हमने बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया है। संशोधन के बाद, अब यह अधिनियम बन गया है और अधिनियम में पहले से यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी निदेशक लगातार छः वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन एक बैंक का निर्देशक जिसका हवाला पहले ही दिया जा चुका है वह पिछले 13 वर्षों से लगातार निदेशक के पद पर कार्य कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वह लगातार इस पद पर क्यों हैं। यद्यपि हमने अधिनियम में यह संशोधन किया है कि कोई व्यक्ति लगातार छः वर्षों से अधिक समय तक डायरेक्टर नहीं रह सकता। उनके लगातार कार्य करते रहने का क्या कारण है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : साधारणतः मैं कहना चाहूंगा कि हमने संसद में अधिनियम पारित कर दिया है। माननीय सदस्य ने जो कहा है कुछ उपबंधों को लागू नहीं किया गया है जैसे ही उपबंध की प्रारम्भिक शर्तें पूरी कर दी जायेंगी त्यों ही सभी उपबंध लागू हो जाएंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से कुछ जानना चाहता हूं। निस्संदेह, यह एक बहुत स्वागत योग्य कदम है कि सरकार ने केवल लघु उद्योग क्षेत्र के लिए बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इससे लघु उद्योगों को अवश्य ही बढ़ावा मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप प्रश्न पूछिए, जो कुछ स्पष्टीकरण आप चाहते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : सरकार द्वारा किये गये वायदे को भी पूरा किया गया है। वित्त मंत्री जी ने 1989-90 के अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया था।

महोदय, मुद्दा यह है, इस प्रकार के बैंक की स्थापना के बाद, राज्यों में इसकी शाखाओं को स्थापित करने में कुछ समय लगेगा। शायद, जैसा मैं समझता हूं प्रत्येक राज्य में इसकी एक शाखा होगी। क्योंकि प्रारम्भ में यह राज्यों में लघु उद्योगों की समूची आवश्यकता को पूरी करने में समर्थ नहीं होगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या लघु उद्योगों के लिए वर्तमान वित्तीय सहायता जो विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जा रही है। वह सहायता दी जाती रहेगी या इसे तुरन्त रोक दिया जायेगा। अगर इस सहायता को रोक दिया जायेगा तो निस्सन्देह इससे समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जो कुछ हम कर रहे हैं वह लघु क्षेत्र के फायदे के लिए कर रहे हैं। उपलब्ध सुविधाओं में कुछ कमी नहीं की जाएगी। सुविधाएं बढ़ाने के लिए सब कुछ किया जाएगा। इसलिए, वर्तमान में जो सुविधाएं दी जा रही हैं वह भविष्य में भी दी जाती रहेंगी जब तक लघु उद्योगों के फायदे के लिए अच्छे प्रबन्ध नहीं हो जाते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लघु सैक्टर में उद्योग के संप्रवर्तन, वित्तपोषण और विकास के लिये तथा लघु सैक्टर में उद्योग के संप्रवर्तन, वित्तपोषण या विकास में लगी संस्थाओं के कृत्यों का समन्वय करने के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना करने के लिए और उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। अब मैं खंड 2 से 9 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

कि खंड 2 से 9 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 10—प्रबंध निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियां

संशोधन किया गया

पृष्ठ 6, पंक्ति 8—

"जो उसकी नियुक्ति में रिक्ति अन्तर्वलित करती है"

के स्थान पर

"जो उसके पद में रिक्ति अन्तर्वलित नहीं करती है"

प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री एडुआर्डो फैलीरो)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 से 54 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 से 54 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम अनुसूची और दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एदुआर्डो फैलीरो : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.25 म०प०

उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 13 पर चर्चा करेंगे। श्री बी० शंकरानन्द विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

विधि और न्याय मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं* कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

जैसाकि आप जानते हैं, वर्ष 1986 और 1988 के दौरान उच्च न्यायालय और उच्चतम

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री बी० शंकरा नन्द]

न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में महत्वपूर्ण सुधार किये गये थे। न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में और सुधार करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। यह विधेयक न्यायतन्त्र की स्वतन्त्रता को सुरक्षित करने के हमारे लगातार प्रयास को भी दर्शाता है। लोकसभा द्वारा 8-8-1986 और 21-3-1988 को पारित विधेयक में न्यायाधीशों के पेंशन सम्बन्धी लाभों को बढ़ाने, व्यय संबंधी भत्तों को बढ़ाने और वाहन भत्ते में 1-11-1986 से वृद्धि की गई थी।

अब सरकार ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को और अधिक लाभ देने का प्रस्ताव किया है जैसे न्यायाधीशों की छुट्टियों को एक सौ अस्सी दिनों से बढ़ाकर दो सौ चालीस दिन करने, 45 दिन की छुट्टी के बाद छुट्टी भत्ता बढ़ाने और 1-11-86 से न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 375/- रुपये प्रति माह करने और इसमें पारिवारिक पेंशन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट किया गया है।

उपरोक्त उद्देश्यों को देखते हुए वर्तमान विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है मुझे आशा है कि इसे सभा के सभी सदस्यों से समर्थन मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री अजीज कुरेशी।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं "दि हाई कोर्ट एण्ड सुप्रीम कोर्ट जजेज (कण्डीशन्स ऑफ सर्विस) अमैंडमैंट बिल, 1989 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, इस बिल को लाने के तीन मुख्य उद्देश्य हैं : पहला उद्देश्य यह है कि जो जज अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले किसी पेंशनेबल पोस्ट पर थे, दिनांक 1-4-1986 से उनकी वर्तमान अर्न्ड लीव की सीलिंग को बढ़ाकर 180 दिनों से 240 दिन किया जा रहा है। दूसरा उद्देश्य यह है कि वे जज, जो पहले किसी पेंशनेबल पोस्ट पर नहीं थे, यदि वे सात साल से कम अवधि में रिटायर हो जाते थे तो उन्हें सालाना मैक्सिमम पेंशन के रूप में रु० 15,750 दिए जाते थे और उन की मृत्यु के बाद, उनके परिवार को अब तक 328 रु० प्रति माह फैमिली पैंशन के रूप में मिला करते थे। अब जो अमैंडमैंट लायी गयी है, उसके अनुसार वह फैमिली पेंशन बढ़ाकर आपने 375 रुपये कर दी है, जिसका अर्थ हुआ कि अब आपने फैमिली पेंशन की राशि में 47 रुपये महीना की बहुत बड़ी रकम बढ़ा दी।

उपाध्यक्ष जी, जब मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मेरे सामने भारत के संविधान की और संविधान बनाने वाले फाउण्डिंग फादर्स की तसवीर आ जाती है। हमारे फाउंडिंग फादर्स के सामने संविधान बनाते समय यही उद्देश्य था कि "सैपरेशन ऑफ पावर्स" के सिद्धांत पर चलते हुए भारत में प्रजातंत्र की रक्षा की जाये और यहां एक इंडीपेंडेंट ज्यूडीशियरी स्थापित की जाए। उस उद्देश्य का अनुसरण करते हुए उन्होंने भारत में इंडीपेंडेंट ज्यूडीशियरी की स्थापना की और संविधान

में उसकी गारंटी दी। उस समय बहुत से लोगों के दिलों में यह शक पैदा हुआ और उन्होंने यह सवाल उठाया कि हम ज्यूडीशियरी को इतने ज्यादा अधिकार देकर, भारत के प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ा चेम्बर तो स्थापित नहीं कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि पं० नेहरू ने कहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट :

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय को तीसरा चेम्बर बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

लेकिन इसके साथ-साथ भारत की जनता, भारत के नागरिक, भारत के साधारण लोग, उनके मन की आशाएं, उनकी उम्मीदें, उनका विश्वास इस न्यायपालिका पर कायम था और हरेक के मन में यह हमेशा उम्मीद रही, आशा रही कि इस न्यायपालिका द्वारा निष्पक्ष सम्पूर्ण और साफ न्याय मिल सकेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सोमवार को या अगली बार जब इस पर चर्चा की जाये, तब आप बोल सकते हैं।

सभा में अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया जाएगा।

3.31 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

67वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री चन्द्र किशोर पाठक (सहरसा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 26 जुलाई, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए सड़सठवें प्रतिवेदन से, निम्नलिखित संशोधनों के अध्ययधीन सहमत है—

(1) संविधान (संशोधन) विधेयक की जांच से सम्बन्धित पैरा 3 और पैरा 7 का भाग (एक), और

(2) संकल्पों के लिए समय के नियंत्रण से सम्बन्धित पैरा 6 के उप-पैरा (1) और (2) का लोप किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 26 जुलाई, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए सड़सठवें प्रतिवेदन से, निम्नलिखित संशोधनों के अध्ययधीन सहमत है—

(1) संविधान (संशोधन) विधेयक की जांच से संबंधित पैरा 3 और पैरा 7 का भाग (एक) और

(2) संकल्पों के लिए समय के नियतन से संबंधित पैरा 6 के उप-पैरा (1) और (2), का लोप किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.32 म०प०

जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किए जाने के उपायों के बारे में संकल्प [जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा डा० कृपासिंधु भोई द्वारा 31 मार्च, 1989 को प्रस्तुत किए गए संकल्प पर आगे चर्चा करेगी।

श्री शांताराम नायक जी कृपया अपना वक्तव्य जारी करें।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र और सहयोगी डा० कृपासिंधु भोई द्वारा 31 मार्च, 1989 को प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। वास्तव में मैं डा० भोई को इतना विस्तृत संकल्प प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहूंगा जिसमें कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के विभिन्न मुद्दे तथा इससे संबंधित अन्य बातें शामिल हैं। इस संकल्प में उन्होंने जिन मुद्दों पर जोर दिया है वह निम्नलिखित छः विशेषताओं द्वारा देखी जा सकती है :

(i) राष्ट्रीय अनिवार्यता के रूप में परिवार कल्याण कार्यक्रम को मान्यता देना; (ii) लोगों द्वारा एक बच्चा प्रति दम्पति के मानदण्ड को स्वीकार करने हेतु राष्ट्रीय जनमत तैयार करना; (iii) महिलाओं के शिक्षा स्तर में विकास लाना; (iv) महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की ओर पर्याप्त ध्यान देना; (v) सभी नागरिकों के लिए विशेषकर शादी-ब्याह और परिवार कल्याण के संदर्भ में समरूप नागरिक संहिता तैयार करना; और (vi) इस शताब्दी के अन्त तक शून्य प्रतिशत जनसंख्या विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना करना। यही कारण है कि मैंने इसे डा० भोई द्वारा प्रस्तुत किया गया एक बहुत ही विस्तृत संकल्प कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता है कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों से सम्बन्धित हमारे प्रयासों में कहीं कोई त्रुटि है। वास्तव में इस कार्यक्रम के प्रचार हेतु सरकार सभी उपायों को अपना रही है, और विशेषकर दूरदर्शन के आ जाने से देश के कोने-कोने में यह कार्यक्रम पहुंच गया है। रात के समय अथवा अन्य समय, जब लोग दूरदर्शन देखते हैं। इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। परिवार नियोजन की आवश्यकता के सम्बन्ध में लोगों को विश्वास दिलाने के लिए विज्ञापन के रूप में लघु चलचित्र भी दिखाये जाते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगा। गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर दूरदर्शन के सिरियल बनाए गये हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। अनेकों बार दूरदर्शन द्वारा इन निर्माताओं को एक निश्चित विषय के ऊपर कार्यक्रम तैयार करने को कहा जाता है और इन सिरियलों को प्राथमिकता

दी जाती है जैसे कि अशिक्षा या एड्स या नशा आदि पर तैयार किए गए सिरियल। मैं यह सुझाव दूंगा कि मंत्रालय और सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रचार के लिए सिरियलों का निर्माण करने के उद्देश्य से, दूरदर्शन को कुछ निर्माताओं से सम्पर्क स्थापित करने के लिए कहे। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार वृत्त और लघु चित्रों का निर्माण करती है जो कि बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। लेकिन यही पारिवारिक या सामाजिक रूप में दूरदर्शन के सिरियलों का निर्माण हो तो यह संदेश लोगों तक बेहतर और प्रभावकारी ढंग से पहुंचेगा।

द्वितीयत: संकल्प में पहले ही महिलाओं के शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने पर जोर डाला गया है। वास्तव में यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यदि किसी कार्यक्रम को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाना है तो महिलाओं के शिक्षा स्तर को ऊपर उठाना अति आवश्यक है। इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को जो भी अधिकार प्राप्त हैं आज उनकी व्याख्या लोगों और सरकारी तंत्र द्वारा तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर की जाती है जो कि हमारे यहां की ग्रामीण महिलाएं नहीं समझ पाती हैं। अत: इस क्षेत्र से सम्बन्धित लोगों को ये अधिकार या कर्तव्य या समाज के साथ उनके सम्बन्ध अथवा सरकारी कार्यक्रमों को बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझाया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो लोग जागरूक होंगे और विशेष रूप से समाज में अपने अधिकारों के प्रति ग्रामीण महिलाएं जागरूक होंगीं। अब हम इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंचायती राज विधेयक में जो कि इस समय सभा में लम्बित पड़ा है, जब महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव किया गया, विशेषकर गोवा में जब भी किसी राजनीतिक दल की बैठक या कोई सामाजिक समारोह हुआ है तो महिलाएं इस प्रकार की बैठकों और समारोहों में भाग ले रही हैं जब कि उन्हें आमंत्रित करने के लिए विशेष प्रयास नहीं किया गया। यह उस विधान का प्रभाव है जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। यदि देश में महिलाओं को इस प्रकार से प्रेरित किया जाएगा तो वे सामाजिक समस्याओं को समझने में पीछे नहीं रहेंगी।

एक और मुद्दा जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा वह यह है कि हमारे पास देश में महिलाओं के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनेक योजनायें हैं। जहां तक महिलाओं के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, तो अनेक मामलों में ऐसा होता है कि जब तक राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव नहीं आते हैं, तो यह जाहिर है और उचित भी है कि केन्द्र सरकार स्पष्ट रूप से कोई सहायता नहीं देती। लेकिन यदि केन्द्र सरकार इस बात में वास्तव में रुचि लेती है कि राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना चाहिए और यदि कुछ योजनाओं के सन्दर्भ में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव नहीं आते हैं, तो उन्हें यह बात पूछनी चाहिए कि क्यों राज्य सरकारों द्वारा एक विशेष योजना के सम्बन्ध में प्रस्ताव क्यों नहीं भेजे गए। ऐसा हुआ है। मैं राज्यों का नाम नहीं लूंगा। कुछ योजनाओं के संदर्भ में कोई प्रस्ताव नहीं आये हैं। महिलाओं के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसके लिए धनराशि रखी गयी है ताकि इस सम्बन्ध में कुछ किया जा सके। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अत: यदि हम महिलाओं के शिक्षा स्तर को बनाये रखना चाहते हैं अथवा यदि हम उनकी सहायता करना चाहते हैं तो सरकार को प्रभावकारी ढंग से इन योजनाओं को लागू करना चाहिए।

अन्य मुद्दा जिस पर इस संकल्प में जोर दिया गया है वह समरूप नागरिक संहिता के सन्दर्भ में है। मैं समझता हूं कि डा० भोई द्वारा प्रस्तावित इस संकल्प में यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इस संहिता द्वारा देश में महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। हम अभी तक देश के लिए समरूप नागरिक संहिता नहीं

[श्री शांताराम नायक]

बना पाये हैं। जब कि हमारे नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार हमें ऐसा करना चाहिए। वास्तव में, कुछ समय पूर्व हमारे प्रधान मंत्री द्वारा एक प्रयास किया गया था जिसमें शुरुआत करने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर समरूप नागरिक संहिता बनाने का प्रस्ताव था और इस विचार को बहुत पसंद किया गया था। लेकिन इस मामले में चाहे यह ऐच्छिक हो अथवा अनिवार्य, एक आम सहमति की आवश्यकता होती है क्योंकि शुरूआत करने के लिए ऐच्छिक होने पर भी सत्तारूढ़ दल अकेले इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं ला सकता है। जब तक कि पूरा देश इस समरूप नागरिक संहिता को स्वीकार न कर लें, अनेक क्षेत्रों में समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी और कुछ धार्मिक संस्थायें अपने धार्मिक अधिकारों आदि का त्याग करना पसंद नहीं करेंगी।

लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग यह जानते हैं कि समरूप नागरिक संहिता अनेक वर्षों से इस देश के एक भाग में लागू है और वह राज्य गोवा है। अनेक वर्षों से गोवा में समरूप नागरिक संहिता को प्रभावकारी रूप से लागू किया जा रहा है। यह संहिता पुर्तगाली सरकार द्वारा लागू की गई थी जिसके अन्तर्गत महिलाओं और पुरुषों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। जैसे ही एक व्यक्ति का विवाह होता है उसकी पत्नी बिना किसी कागजी कार्रवाई और दस्तावेज भरे अपने आप उसकी सम्पत्ति के आधे हिस्से की अधिकारी बन जाती है। शादी के बाद पति यदि सम्पत्ति बेचना चाहता है अथवा बैंक में कोई दस्तावेज बन्धक रखना चाहता है तो पत्नी की सहमति के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता।

अत: यह कानून गोवा में समान रूप से हिन्दू, ईसाई और मुसलमानों पर लागू होता है कहीं कोई विशेष कानून नहीं है। यह समरूप नागरिक संहिता वर्षों से इस क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रही है। यदि हम महिलाओं को पुरुषों की बराबरी पर रखना चाहते है और जीवन मे, परिवार में उन्हें सही स्थिति प्रदान करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ यही एक समाधान है भविष्य में आम सहमति से इस समरूप नागरिक सहिता का लागू किया जाना आवश्यक है। हम आम सहमति के बिना इसे लागू नहीं कर सकते। सिर्फ यही एक समाधान है जो हमें प्राप्त होगा।

अत: एक बार फिर मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए डा० भोई को बधाई देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि सरकार इस संकल्प की भावना से अवश्य ही सहमत होगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : उपाध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम मैं इस संकल्प द्वारा सभा में चर्चा किये जाने के लिये देश में जनसंख्या की वृद्धि से सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिये डा० भोई को बधाई देता हूं इह सभा के अनेक माननीय सदस्यों ने इस संकल्प के सम्बन्ध में अपने वक्तव्य दिये हैं। मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इस संकल्प पर होने वाले बहस में भाग लिया है और देश में जनसंख्या संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के संबंध में अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया है।

सभी सदस्यों ने, जिन्होंने इस संकल्प के सम्बन्ध में बोला है, बिना अपवाद के बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उपलब्ध होने वाली गंभीर स्थिति के सम्बन्ध में बताया है। हमारी जनसंख्या 80 करोड़ से अधिक है और वर्तमान स्थिति यह बता रही है कि सन् 2000 ई० तक देश की जनसंख्या 95 करोड़ और 100 करोड़ के बीच हो सकती है। जैसा कि कुमारी ममता बनर्जी ने कहा है कि हम प्रत्येक वर्ष अपने देश मे एक और आस्ट्रेलिया जोड़ रहे हैं,यह बात बिल्कुल सत्य है सन् 2020 ई०के लिए प्रक्षेपित आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या 1 :0 से 150 करोड़ के बीच होगी और यह आने वाले 4 से 5

वर्षों में हमारे जनसंख्या सम्बन्धित कार्यक्रमों की सफलता पर निर्भर करता है। इस बात की पूरी संभावना है कि सन् 2025 ई० तक हम विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देंगे और यदि हमने इस सन्दर्भ में तत्परता पूर्वक काम नहीं किया तो श्री बल्लभ पाणिग्रही की आशंका सच हो सकती है।

जनसंख्या में भयानक रूप से इस प्रकार हुई वृद्धि से देश के सम्पूर्ण सामाजिक-आर्थिक ढांचे में गम्भीर रूप से गड़बड़ हो सकती है। खाद्य उत्पादन को बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाये रखा जा सकता है। बिगड़ते वातावरण, वनों की कटाई से बार-बार और राष्ट्रीय विपत्तियां अर्थात् सूखा और बाढ़ आ सकते हैं। पानी एक समस्या बन सकती है और इसी तरह सफाई की समस्या बन सकती है। शहरों और कस्बों के गैर-नियोजित विकास से अधिक संख्या में गन्दी बस्तियां स्थापित हो सकती है, इस शताब्दी की समाप्ति पर विश्व में अनपढ़ों की सबसे अधिक संख्या हमारे यहां होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या से बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और इससे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी लाने में बाधा आ सकती है, जिनके लिए हमारे सभी विकासात्मक प्रयास किये जा रहे हैं।

इस तरह, काफी समय पहले वर्ष 1952 में, इस देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था जो कि विश्व में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था। परिवार नियोजन पर व्यय, जो कि प्रथम योजना में केवल 15 लाख रुपये था, सातवीं योजना में बढ़कर लगभग 3,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है, दम्पति संरक्षण दर जो कि 1971 में लगभग 10 प्रतिशत थी, वह बढ़कर अब 40 प्रतिशत से ऊपर हो गई है। इस कार्यक्रम से 95 मिलियन से अधिक बच्चों के जन्म को रोका जा सका है, परिवार नियोजन के प्रति व्यापक जागरूकता है यद्यपि इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। कुल मिलाकर इस देश के अधिकतर क्षेत्रों में परिवार नियोजन और एस० पी० एच सेवाएं उपलब्ध हैं।

दुर्भाग्यवश दम्पति द्वारा परिवार नियोजन को स्वीकार करना केवल टैक्नोलोजी की उपलब्धता का मामला नहीं है। यह अत्यधिक रूप से व्यक्तिगत निर्णय है जो कि सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और दम्पति के आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। अत: स्थिति के इस तरह के स्वरूप के देखते हुए कार्यकर्ताओं और सरकारी तंत्र की भूमिका सीमित है। यहां मैं श्री वृद्धि चन्द्र जैन से इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत हूं कि सबसे निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक लोगों के प्रतिनिधियों, पंचायत के नेताओं से संसद सदस्यों तक सबको इसमें निर्णायक भूमिका निभानी होगी। जिस बात का प्रचार और प्रसार किए जाने की आवश्यकता है वह यह है कि परिवार नियोजन, माता और बच्चे के स्वास्थ्य का आवश्यक अंग है और इससे परिवार नियोजन सुरक्षित है। इस सभा में माननीय सदस्यों ने अत्यधिक रूप से यह स्वीकार किया था कि चुने गए प्रतिनिधियों में यह नेतृत्व आगे नहीं आ रहा है अथवा जैसा कि श्री टोम्बी सिंह ने बताया था कि हर व्यक्ति बिल्ली को घंटी बांधने की बात करता है लेकिन कोई भी बिल्ली को घंटी नहीं बांधता। हमें ऐसा वातावरण और जागरूकता पैदा करनी चाहिए और हमें परिवार नियोजन से संबंधित इस विषय को सभी संबंधित दलों और विचारधाराओं से अलग रखना चाहिए और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इसके लिए सभा के सभी वर्गों से समर्थन मिल रहा है।

श्री व्यास जी और डा० मनोज पांडे सहित इस सभा के अनेक सदस्यों ने उपयुक्त दम्पतियों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए राजी करने के लिए आकर्षित प्रोत्साहन देने की दलील दी है। सरकार इस समय सरकारी कर्मचारियों को कुछ प्रोत्साहन दे रही है और आम लोगों को उनकी मज-

[श्री रफीक आलम]

दूरी के नुकसान के बराबर क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। तथापि इस राशि में केवल भारत सरकार का अंशदान आता है। वास्तव में, परिवार नियोजन को अपनाने वालों को विभिन्न राज्यों, विभिन्न व्यापारिक गुटों अथवा कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों की राशि का हिसाब लगाना लगभग असम्भव है। जहां प्रोत्साहन दिये जाने के पक्ष में जोरदार दलीलें दी गई हैं वहां प्रोत्साहन देने के विरुद्ध भी उतने ही जोरदार विचार व्यक्त किए गए हैं। इसीलिए प्रोत्साहनों के सम्पूर्ण प्रश्न कर—नीति के मामले के रूप में तथा योजना के रूप में इसमें गुणावगुण के आधार पर और आगे चर्चा होनी चाहिए।

जिन सदस्यों ने देश के बहुत से भागों में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर पर जो रोष, चिन्ता और वेदना व्यक्त की है मैंने उसे नोट कर लिया है और इस बारे में मैं उनसे सहमत हूं। अपनी योजनाओं के माध्यम से हम आधारभूत सुविधाओं और उपकरणों को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे है।

अब, हम स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवता में सुधार करने की आवश्यकता को महसूस करते हैं और इस प्रयोजन के लिए विशेषरूप से अपेक्षाकृत घटिया कार्यनिष्पादन वाले राज्यों में सघन परीक्षण पर आधारित परियोजनाएं तैयार कर रहे हैं और अपने कार्यक्रम में प्रबन्ध व्यवस्था और निरीक्षण में सुधार कर रहे हैं। इस दिशा की ओर हम इस पर दृढ़ हैं और मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि सम्पूर्ण देश में माताओं और बच्चों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवता में सुधार लाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे।

3.51 म० प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

परिवार नियोजन कार्यक्रम पूरी तरह से स्वैच्छिक अभियान रहा है और आगे भी यह इसी प्रकार रहेगा। हमारे विचार पूर्ण रूप से स्पष्ट हैं कि हमारे कार्यक्रम में किसी तरीके की अथवा किसी तरह की कोई जबरदस्ती करने का कोई स्थान नहीं है। परिवार नियोजन अपनाने का अनुरोध स्वयं से आना चाहिए और यह उसको राजी करने और प्रेरित करने पर आधारित होना चाहिए। हम इस संबंध में किसी कानूनी अथवा सांविधिक कदम के पक्ष में नहीं हैं। परिवार के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, हमने एक परिवार में दो बच्चे के सिद्धांत को अपनाने की वकालत की है और यह हमारे देश की रीतियों और परम्पराओं के अनुरूप है। श्रीमती ममता बनर्जी ने ठीक ही टिप्पणी की है कि कानून सब-कुछ नहीं कर सकता।

शिक्षित महिलाओं ने जनन क्षमता में कमी लाने के बारे में जो भूमिका निभाई है, हम उनकी भूमिका को पूरी तरह से जानते हैं। श्रीमती फूलरेणु गुहा, श्री अजय मुशरान और श्री मनोज पांडे सहित इस सभा के अनेक सदस्यों ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला है। केरल में परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता का मुख्य कारण यह है कि वहां पढ़ी-लिखी महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है और अधिकांश महिलाओं को रोजगार मिल जाता है। 'यूनिवर्सल लिटरेसी मिशन' चलाने से यूनिवर्सल लिटरेसी के बारे में हमारी जागरूकता और वचनबद्धता का पता चलता है और यह न केवल परिवार नियोजन की खातिर शुरू किया जा रहा है बल्कि महिलाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए शुरू किया जा रहा है। यह केवल साक्षरता ही नहीं बल्कि महिलाओं का सर्वोपरि दर्जा है जिससे छोटे परिवार के सिद्धान्त को अपनाने के बारे में पता चल सकता है।

माननीय सदस्यों ने जन्म दर को कम करने के लिए एक बच्चे के सिद्धान्त को अपनाने की सफलता का उल्लेख किया है। मेरे पास किसी पड़ौसी देश से इस प्रकार की नीति की सफलता का ब्यौरा नहीं है जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने संकेत किया है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि यह नीति हमारी स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से योग्य दम्पतियों द्वारा एक परिवार में दो बच्चे के छोटा परिवार सिद्धान्त को स्वैच्छा से अपनाने को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए हमें शिशु मृत्यु दर को कम करने के हर सम्भव प्रयास करने होंगे। हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी की याद को ताजा रखने के रूप में वर्ष 1985 में 'यूनिवर्सल इम्यूनाईजेशन प्रोग्राम' शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य यह था कि वर्ष 1990 तक प्रत्येक बच्चे को टीके लगाए जाएं। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है और सदस्यों को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि सातवीं योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के सभी जिलों के सभी बच्चों को टीके लगा दिए जाएंगे। हमारा यह दृढ विश्वास है कि हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लि: बच्चे को जीवित रखने की हमारी नीतियां हमारी एक पूर्व शर्त है। मैं श्री शाहबुद्दीन के साथ इस बात पर सहमत हूं कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे की अकाल मृत्यु न होने पाए। आई० एम० आर० में अवश्य कमी आनी चाहिए।

कुछ सदस्यों, विशेषकर डा० भोई और श्रीमती फूलरेणु गुहा ने देशी औषध प्रणाली में उपलब्ध, जन्म पर रोक लगाने वाले तरीकों को अपनाने की बात कही है। हम इस क्षेत्र में खोज कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसमें सफल नहीं हुए हैं। गर्भ निरोध की रोकथाम के लिए पता लगाए गए लगभग 400 फार्मूलेशनों में से लगभग 20 को छांटा गया और 4 फार्मूलेशनों के संबंध में प्रयोग किए जा रहे हैं जिनसे सफलता की आशा दिखाई दी है। देशी औषध प्रणाली में जो आशा दिखती है उसके बारे में हम जानते हैं और हम उनका पता लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक हम गर्भावस्था की रोकथाम को बढ़ावा देने के कार्यक्रम में देशी औषध प्रणाली से किसी चीज को शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं।

डा० भोई ने अपना प्रस्ताव रखते समय एक दम्पति एक बच्चा सिद्धान्त के लिए सर्वसम्मति तैयार करने हेतु उपाय शुरू करने, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना करने और सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड अथवा कानून बनाने की बात की वकालत की थी।

हम परिवार नियोजन कार्यक्रम में एक परिवार में दो बच्चे के सिद्धान्त को बढ़ावा देते हैं। इस सिद्धान्त का प्रस्ताव स्थानीय स्थिति की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। हमारे अध्ययन से यह पता चलता है कि अधिकतर राज्यों में विशेषकर उत्तरी भारत में, लोग अपने परिवार के आकार को पूरा करने के लिए लगभग चार बच्चे चाहते हैं। हमारे देश के बहुत से हिस्सों में लड़के की प्राथमिकता की जो एक मजबूत भावना मौजूद है हम उसका भी परित्याग नहीं कर सकते। हमारा कार्यक्रम स्वैच्छिक स्वरूप का है और हमारे कार्यक्रम में किसी तरह की भी जबरदस्ती के लिए कोई स्थान नहीं है। हम यह महसूस करते है कि निकट भविष्य में हमारे लोगों द्वारा एक बच्चे के सिद्धान्त को अपनाने की तुलना में एक परिवार में दो बच्चों का सिद्धान्त आसान है और इसके अपनाए जाने की सम्भावना अधिक है। हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि हमारी शिशु मृत्यु दर हालांकि यह कम हुई है, फिर भी यह अधिक हुई है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हम इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नीति के रूप में एक परिवार एक बच्चे के सिद्धान्त को बढ़ावा नहीं देना चाहते। फिर भी यदि शिक्षित और अच्छी तरह से प्रेरित दम्पति एक परिवार एक बच्चे के सिद्धान्त को अपनाना चाहते हैं तो उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

[श्री रफीक आलम]

इस शताब्दी के अन्त तक जनसंख्या वृद्धि की शून्य दर प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आयोग जैसी संस्था स्थापित करने के मामले में, मुझे यह बताना है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जैसी संस्थाएं हमारे लक्ष्य के लिए केवल साधन है और स्वयं में लक्ष्य नहीं है। हमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं। हमारे पास अपने परिवार कल्याण कार्यक्रमों और नीतियों के सम्पूर्ण रेंज के बारे में राज्यों के साथ आमने-सामने बैठकर चर्चा करने और उनसे परामर्श करने का तंत्र मौजूद है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत की गई है, जो कि समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करती है और उन प्रस्तावों और मार्गनिर्देशों को अपनाती है जो कि हमें जनसंख्या को स्थिर रखने में हमारे लक्ष्यों की ओर प्रेरित करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कम से कम इस समय किसी संस्था अथवा आयोग की स्थापना की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है।

इस बात को देखते हुए, श्री शंकरलाल द्वारा इस प्रस्ताव के प्रति रखा गया संशोधन हमारी नीति के अनुरूप है। माननीय सदस्य ने संकल्प में यह भी जोड़ने की मांग की है कि दो बच्चे प्रति दम्पति की सीमा निर्धारित करके परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के लिये सभी नागरिकों के लिए समान सिविल कानून बनाया जाना चाहिए।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि शादी, तलाक आदि के लिए समान कानून की व्यवस्था हेतु समान सिविल संहिता सभी समुदायों पर लागू करने का प्रस्ताव कुछ दिनों से विधि और न्याय मंत्रालय के विचाराधीन है। समान सिविल संहिता लाने के लिए देश में वांछित वातावरण आवश्यक है इसलिए यह महसूस किया गया है कि जब तक देश में ऐसा कानून बनाने के लिये अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी तब तक समान सिविल संहिता के प्रस्ताव पर अमल नहीं किया जायेगा।

मैंने माननीय सदस्य को बता दिया है कि परिवार कल्याण और जनसंख्या स्थिर करने के बारे में हम क्या कर रहे हैं। इन मुद्दों के संबंध में हम बड़े चिंतित हैं और इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इस दृष्टि से मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह यह संकल्प वापस ले लें क्योंकि हम उनके उद्देश्य से, जो उनके दिमाग में है, पूर्णतः सहमत हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य और सभा के अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं तथा चिन्ता को अत्यधिक महत्व देता हूं और उन्हें आश्वासन देता हूं कि परिवार योजना और मां-बच्चे की सेवाओं के समन्वित आधार पर हम परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस अवसर का लाभ माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करने के लिए उठाना चाहता हूं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का वास्तव में जन-आन्दोलन बनाने के लिए दलगत विचारधारा और अन्य विचारधाराओं से ऊपर उठकर हमें अपना समर्थन और सहयोग दें।

4.00 म० प०

सभापति महोदय : डा० भोई, अब आपको जवाब देना है। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : सभापति महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि आप पीठासीन हैं। मैं अपने संकल्प में महिलाओं का दर्जा ऊंचा करने तथा जनसंख्या नियन्त्रण करने पर बल दिया है। मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और उन्हें एक श्लोक सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद वे इस पर विचार करेंगे कि क्या मैं अपना संकल्प वापस लूं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

परोपकाराय फलन्ति वृक्षा:
परोपकाराय वहन्ति नद्य:
परोपकाराय दुहन्ति गाव:
परोपकारार्थ मिदम् शरीरम्

जो हमारे वृक्ष हैं, वे सब परोपकार करने के लिए फल देते है, नदी और नाले जितने रहते हैं वे सब परोपकार करने के लिए पानी बहाते हैं। हमारी गाएं भी परोपकार करने के लिए दूध देती हैं। इसीलिए परोपकार करने के लिए शरीर भी है। मैंने मंत्री जी के स्टार देखे हैं। वे ऐसे ही परोपकार करने के लिए समर्थ हैं।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय का जवाब किसी अधिकारी ने लिखा है। इसके बारे में किसी तकनीशियन या किसी डाक्टर अथवा किसी प्रसिद्ध पत्रकार या किसी उद्योगपति जैसे जे० आर० डी० टाटा से सलाह नहीं ली गई। अधिकारी ने उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी के उद्धरणों, जिनकी पुनरावृत्ति श्री राजीव गांधी ने की, के बारे में उचित परामर्श नहीं दिया। मैं उन सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने मेरे संकल्प का समर्थन किया और श्री पीयूष तिरकी, जो आलोचक थे, 31 सदस्यों में से प्रत्येक ने यद्यपि मेरी सभी छ: बातों का समर्थन नहीं किया परन्तु किसी प्रकार उन्होंने मेरा समर्थन किया। मैं उनके नामों का उल्लेख करना चाहता हूं। अन्यथा मैं अपने कर्तव्य पालन में असफल रहूंगा। वे हैं श्री बुद्धि चन्द्र जैन, डा० जी० विजय रामाराव, डा० फूलरेणु गुहा, श्री सैयद शाहबुद्दीन, श्री एन० टोम्बी सिंह, कुमारी ममता बनर्जी, श्री गिरधारी लाल व्यास, श्री अजीज कुरेशी, श्री कमोदो लाल जाटव, श्री अजय मुशरान, श्री हेतराम, श्री चिन्तामणि जेना, श्री ई० अय्यपू रेड्डी, श्री पीयूष तिरकी, श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही, श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव, श्री राजकुमार राय, श्री हरीश रावत, श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री के० डी० सुल्तानपुरी, प्रो० सैफुद्दीन सोज, श्री नित्यानन्द मिश्र, श्री उत्तम राठौड़, श्री मानकूराम सोढी, श्री के० पी० सिंह देव और श्री मनोज पांडेय। मंत्रियों ने व्यापक रूप से इन बातों को जांच करने के बजाए उन्हें कोई महत्व नही दिया। मैं मंत्री महोदय से बेहतर जवाब की आशा कर रहा था। परन्तु दुर्भाग्यवश यदि मुझे अपना संकल्प वापस लेना पड़ता है तो कम से कम मुझे इतना संतोष तो मिलना चाहिए कि वह परिवार नियोजन कार्यक्रम की, जैसा कि मैंने कहा है, राष्ट्रीय अनिवार्यता के रूप में सिफारिश करें। उन्हें सन् 2010 तक एक बच्चे का सिद्धान्त अपनाकर शून्य वृद्धि दर करने का प्रयास करना चाहिए।

मेरी जानकारी के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या 80 करोड़ के बजाय 82 करोड़ से अधिक है। बी० बी० सी० ने करीब तीस दिन पहले घोषणा की थी कि इस वृद्धि दर से सन् 2015 तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक होगी। इस दृष्टि से मैंने सुझाव दिया कि दो चरणों में व्यापक कानून बनाया जाए। पहले दो बच्चों का सिद्धान्त अपनाया जाए उसके बाद स्त्री या पुरुष का बन्ध्य-करण और यदि आवश्यकता हो तो उन्हें पुन. बच्चे पैदा करने योग्य कर दिया जाए। भारत में बंध्यीकरण के पश्चात् दम्पति को पुन: बच्चे पैदा करने योग्य बनाने के लिए होने वाले आप्रेशनों में मात्र 30 प्रतिशत सफलता मिलती है। जबकि पश्चिमी देशों में यह 80 प्रतिशत है। क्या आप सोचते हैं कि हमारे डाक्टर यह 80 प्रतिशत की दर पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं? वे बहुत अधिक सक्षम हैं परन्तु आपको उनके लिए सभी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में लैप्रोस्कोपों की आपूर्ति करनी है।

[डा० कृपा सिन्धु भोई]

परिवार नियोजन के लिए 3,000 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है जो कम नहीं है। हम कॉपरटी खरीद रहे हैं तथा दूसरे देशों से लूप का आयात कर रहे हैं। जब भारत मध्यवर्ती मिसाइलें, मध्यम दूरी की मिसाइलें और अन्तर्द्वीपीय मिसाइलें बना सकता है तो इनका उत्पादन क्यों नहीं कर सकता ? जब श्री राजीव गांधी सन् 2000 तक अन्तरिक्ष युद्ध रोकने के लिए ध्रुवीय मिसाइलें नहीं बना रहे हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते ?

"गंगा सतुडी यमुना दिनद्यो: यस्य प्रसूतिप परिपालयन्ति
श्रीराम सीता चरण: प्रपूत:, समे प्रियो भारत भव्य देश:।"

[अनुवाद]

जैसाकि मैंने कहा, मैं एक बार पुन: सुझाव देता हूं कि व्यापक कानून बनाया जाए। यदि "लो ट्यूब" का आयात करके लैप्रोस्कोप की सहायता से आप्टिक फाइबर को वैसीडिफरेंस और फैलोपियन में अंत:स्थापित किया जा सकता है और फिर स्त्री अथवा पुरुष की क्रमश: नलबन्दी ब नसबन्दी करें तो ट्यूब प्रजतन योग्य रह सकती है। यदि दुर्भाग्यवश एक बच्चा मर जाये और दम्पति की पुन: बच्चे पैदा करने की आयु हो तो इसे रि-कैनेलाइज करके 80 प्रतिशत सफलता प्राप्त की जा सकती है।

हम आम जड़ी की भी जांच कर रहे हैं जिसकी सफलता की शत प्रतिशत उम्मीद है। परन्तु इसके लिए जैव-अनुसंधान की आवश्यकता है। ऐसा कौन करेगा ? मैंने सुझाव दिया था कि आयुर्वेद कालेज और अनुसंधान संस्था में एक अच्छे औषध-विक्रेता, अखिल भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान के श्री सिद्दीकी तरह जैव-रसायनज्ञ और जननीय विज्ञान के व्यक्ति की सहायता से औषधि तैयार की जा सकती है। यदि ये तीनों व्यक्ति इकट्ठे हो जायें तो हमें तीन वर्षों में सफलता मिल सकती है। इससे भारत को बहुत सहायता मिलेगी तथा यह भारत की महान उपलब्धि होगी। ये दुर्लभ जड़ी कोरापुट जिले में मेरे निवास स्थान गंधमर्दन और बस्तर में उपलब्ध है। जैसा कि हमें बताया गया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी अनुसंधान कर रही है परन्तु मैं उनके परिणाम नहीं बता सकता। यह दुर्लभ जड़ी मेरे बगीचे में भी है।

जैसा कि मैंने कहा कि जब तक औषध-विक्रेता, जैव-रसायनज्ञ और जननीय जीववैज्ञानिक इस अनुसंधान में इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती।

एक जड़ी की एक खुराक खाने के बाद गर्भाधान तीन वर्ष के लिए रुक जाता है। यदि दुर्भाग्यवश दम्पति का बच्चा मर जाता है तो दूसरी जड़ की दूसरी खुराक देने से महिला गर्भधारण के योग्य हो जाती है। इसलिए इसकी जांच की जानी चाहिए। हम भारतीय चिकित्सा प्रणाली को आधुनिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली में बदल सकते हैं। हमने एलोपैथी प्रणाली पश्चिमी देशों से उधार ली है। नेपाल से हमने होम्योपैथी प्रणाली ली है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली हमारी भारतीय चिकित्सा प्रणाली है। इसलिये हम इस पर विचार क्यों न करें ? सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि ये 300 करोड़ रुपये कहां गये ? 1975-76 में हमने 80 लाख दम्पतियों की नसबन्दी/नलबन्दी की थी तो इस वर्ष के लिए 50 लाख का लक्ष्य क्यों है जबकि हम 3000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। केवल 3-4 मामलों को जो न्यायालय में लाये गये, उचित ठहराया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें स्वास्थ्य विभाग को भूल जाना चाहिए। पिछले दिनों महोदया सरोज खापर्डे कह रही थीं कि हैजा

प्रभावित क्षेत्र में टीका की को कोई भूमिका नहीं है। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब ये टीके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंचते हैं तब तक उनकी 17 प्रतिशत क्षमता रह जाती है। मुझे अधिकारियों से कोई ईर्ष्या नहीं है। वे इस देश के पुत्र हैं परन्तु उन्हें पश्चिमी तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है। यदि भारतीय चिकित्सा सेवा अथवा भारतीय इंजीनियरिंग सेवा होगी तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, मैं अधिकारियों की भावनाओं के बारे में संदेह नहीं कर रहा हूं। अधिकारियों की भावनाओं को कम किये बिना मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन संस्थाओं या चिकित्सा विभाग का अध्यक्ष कोई श्रेष्ठ और योग्य व्यक्ति होना चाहिए तथा अकेले योग्यता पर विचार किया जाना चाहिए। एक बच्चे का लक्ष्य रखने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस संबंध में हम एक कानून बना सकते हैं। मलेशिया में इसके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। महाराष्ट्र में इसके लिए एक कानून बनाया गया था लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। अत: इस सम्बन्ध में, सर्वप्रथम, मलेशिया जैसा एक जनसंख्या नियंत्रण आयोग बनाया जाना चाहिए। इस आयोग के अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं। यदि मंत्री महोदय चाहेंगे तो मैं वादविवाद से उद्धृत कर सकता हूं पर मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष नियुक्त किये जाने चाहिए; मन्त्री महोदय को संयोजक और एक प्रतिष्ठित पत्रकार या प्रतिष्ठित उद्योगपति जैसे श्री जे०आर०डी० टाटा, जिन्हें इस विषय की जानकारी है, को भी इस आयोग में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि संसार में इसकी सफलता की दर 80 प्रतिशत है तो हमारे देश में भी इसके अपनाने से सफलता की दर 80 प्रतिशत हो सकती है। श्री नायक ने अभी-अभी इसके प्रचार के बारे में बतलाया है। आपको डाक्टरों को यहां आने या इसके प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्र खोलने के लिए कहना नहीं होगा। दूरदर्शन के माध्यम से आप प्रशिक्षण दे सकते हैं। हम उन दंपतियों को, जिन्हें एक बच्चा है, प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैंने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया है विशेषकर उन्हें जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग स्कूल नहीं आते, विशेषकर लड़कियां घर पर कुछ काम कर धन अर्जन करती हैं। इसलिए यदि वे अपनी लड़कियों को स्कूल भेजते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 50 रुपये दिये जाने चाहिए। इन बच्चों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा और मुफ्त किताबें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चाहे व्यक्ति धनी या हो गरीब, उसे यह सुविधा दी जानी चाहिए। मेरे विचार से इंजीनियरिंग कॉलिज, मेडिकल कॉलिज और अन्य जगहों में सभी वर्ग की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाने चाहिए जैसाकि श्री राजीव जी ने पंचायत, पंचायत समिति, जिला-परिषद और नगर पालिकाओं के लिये किया है। शिक्षा के बिना महिलाओं का स्तर नहीं उठाया जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में इसका उल्लेख किया गया है। क्योंकि भारत में, यदि आप किसी अनुच्छेद को रद्द करते हैं तो आप विशेषाधिकार का हनन नहीं करते। इसके लिए संसद का कानून है नियम हैं। यदि कोई व्यक्ति इसका निरसन अथवा उल्लंघन करता है तो वह विशेषाधिकार का हनन होगा और उसे दंड दिया जा सकता है।

श्री शांताराम नायक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका उल्लेख निदेशक सिद्धांतों के अन्तर्गत किया गया है। अत: कोई व्यक्ति इसे रोक नहीं सकता। लंदन में जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है तो उनके साथ नियुक्ति के समय और अवकाश प्राप्त करने के समय भेदभाव किया जाता है। बहुत सी अन्य बातें भी हैं। मैं एक संसद सदस्य हूं और डाक्टरी व्यवसाय से आया हूं। यदि मेरी पत्नी मैट्रिक पास है तो वह मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है। तीन-चार बच्चे के बाद वह मुझ से कह सकती है। आप क्या कर सकते हैं? अत: यदि एक महिला समान रूप से शिक्षित है, तो वह अपने पति से, अपने माता-पिता से, अपने देवर से कह सकती है। अर्थात् सभी से कह सकती है कि "कृपया ऐसी गलती न करें।" एक कानून के अनुसार हमने लड़कियों का 18 साल से पहले विवाह करने पर पाबन्दी लगाई

[डा० कृपा सिन्धु मोई]

है। लेकिन अभी भी उस उम्र में 48 प्रतिशत लड़कियों की शादी हो रही है। जब तक भारतीय लोगों के ऊपर कुछ दबाव नहीं डाला जाता तब तक वे इसका अनुसरण नहीं करते। मात्र भाषण देने से थियेटर में फिल्म दिखाने से और इसी तरह कुछ अन्य कार्यों से कोई लाभ नहीं मिल सकता। जब तक की महिलाओं की दशा में सुधार नहीं होता है—मैं इसे और भी ज्यादा विस्तारपूर्वक कह सकता था, परन्तु मंत्री महोदय मेरी भावनाओं से अवगत हैं—तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। इसके लिए समान सिविल संहिता होनी चाहिए। मुझे श्री भंडारे द्वारा प्रस्तुत एक संकल्प के उत्तर में नूरजहां द्वारा राज्य सभा में 13 अगस्त 1985 को दिया गया एक भाषण याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून किसी भी मुसलमान को अपनी इच्छानुसार पत्नियां रखने की आज्ञा देता है। जब किसी मुसलमान को दूसरी पत्नी लाने की आज्ञा दी जाती है तो इस सम्बन्ध में कानून स्पष्ट रूप से यह कहता है कि उसे दूसरी पत्नी के लिए पहली पत्नी की स्वीकृति लेनी जरूरी है और साथ ही उसके पास दोनों पत्नियों के निर्वाह के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी हो। श्री शांताराम नायक, डा० मनोज पांडे और अन्य लोग भी, जिन्होंने मुझसे पहले यहां बोलते हुए अनेक मुस्लिम देशों के कानून का जिक्र किया है। मिश्र में क्या हो रहा है? बंगलादेश में क्या हो रहा है? बंगला देश में तो बहु-विवाह प्रथा पर भी रोक लगा दी गयी है। पाकिस्तान में इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। हम उनके मूल व्यक्तिगत कानून पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं 3-4 इमामों के उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूं जो संसार की कुल मुस्लिम जनसंख्या के 27 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः विश्व में मुसलमानों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 27 प्रतिशत है। मैंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उन पर उनका क्या विचार है। यह नूरजहां ने कहा था। उस समय श्री हिदायतुल्लाजी सभापति थे। वह एक बहुत अच्छे मनुष्य थे। उन्होंने कहा था कि "कृपया एक समिति गठित करें और भारत में विद्यमान मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम स्वीय विधि) को बदलें।" अनेक महान व्यक्तियों ने ऐसा कहा है। अतः मेरे विचार से इस आयोग में इमाम, मुल्ला, शंकराचार्य और सिखों—सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

मैं एक छोटा आदमी हूं; मैंने कोई व्यापक मुद्दे नहीं उठाए। लेकिन मेरे पास इस संबंध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। लेकिन उन्हें मेरे विचारों पर सोचने दें और इस सम्बन्ध में एक नीति निर्धारित करने दें कि क्या एक कानून बनाये जाने की आवश्यकता है या नहीं या समान सिविल संहिता बनाये जाने की आवश्यकता है या नहीं या एक परिवार—एक बच्चे का सिद्धांत निश्चित करने की आवश्यकता है या नहीं।

मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे जैव-चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र के स्थापना की स्वीकृति दी जाए। मुझे शत प्रतिशत विश्वास है कि इन अहानिकारक जड़ी-बूटियों में से दो श्रेणी की जड़ी-बूटी अत्याधिक प्रभावशाली है। जैसा कि रुलफिया सरपेनटिना की जड़ से हमें सरपैंट्रिल प्राप्त होता है, इसके पत्ते और छाल से हमें 17 प्रकार के ऐल्केलाइड और इसके फल से हमें ओरटिजोन प्राप्त होता है, हमें एक प्रक्रिया अपनाकर यह देखना होगा कि इसमें क्या-क्या अवयव हैं। तभी हम यह जान पाएंगे कि किस वक्त डिंब से गर्भधारण नहीं हो पाता है और किस समय तक हम इसकी पुनः गर्भधारण क्षमता को पुनःसक्रिय बना सकते हैं।

3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान कम नहीं है। प्रारम्भ में धन का आवंटन बहुत ही कम था। लेकिन वर्तमान राशि काफी है। परन्तु हम उन चीजों का आयात क्यों करते हैं जो यहां उपलब्ध है?

मैं पहले ही कह चुका हूं कि अधिकारियों को इस विषय की तकनीकी जानकारी नहीं होती

है। मैं उन पर कीचड़ उछालना नहीं चाहता। किन्तु अधिकारियों का सही दृष्टिकोण होना चाहिए। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण काम हमें एजेंटों की नियुक्ति का करना है। प्रत्येक 2,000 योग्य दम्पतियों के लिए चार एजेन्ट होने चाहिए। इन एजेन्टों की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक होनी चाहिए। ये लोग सम्बन्धित गांवों से ही नियुक्त किये जाने चाहिए, जिससे कि महिलाएं सामाजिक प्रतिबंधों को जान सकें और यह पता लगा सके कि वास्तविक समस्या क्या है। यदि तीन सालों के दौरान वह अपनी योग्यता दिखलाती है तो उसे तुरन्त परिवार नियोजन विभाग में भर्ती कर लिया जाना चाहिए।

जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची के अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची के क्रमांक 20 पर अंकित है। वित्त मन्त्री इतना ज्यादा धन विभिन्न राज्यों को दे रहे हैं लेकिन वे धन को अपने इच्छानुसार खर्च कर रहे हैं और अपने इच्छानुसार प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह सभी चीज रिकार्ड में है। मेरे विचार से आप इसे संघ-सूची के अन्तर्गत ला सकते हैं। मैं उत्तर भारत के राज्यों पर बल दूंगा। अर्थात हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिये 14 से 25 साल की उम्र गर्भधारण के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है। इस अवधि के दौरान, पिता के नाम के सम्बन्ध में पूछे बिना ही चिकित्सीय गर्भ समापन तत्काल कर दिया जाना चाहिए (व्यवधान)

महोदया, मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में कह रहा हूं। यदि आप मुझे समय प्रदान करें तो मैं इस विषय पर 10 घंटे तक बोल सकता हूं।

"ऐमनोसिसटोसिस सोनोनी लिली" परीक्षण करने के लिए गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम (एम०टी०पी०) अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। मादा भ्रूण को नष्ट करने के उद्देश्य से किये जाने वाले इस परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। इसकी स्वीकृति तभी दी जानी चाहिए जब बच्चा गर्भ में विकृत स्थिति में हो जैसे हाइड्रोसिलास या स्पाइनाविफाईड, विकृत जुड़वां बच्चे होने की स्थिति में।

दूसरा मुद्दा अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में है जिसे महिला कर्मचारी मौखिक रूप से बतला सकती हैं। एम०टी०पी० अधिनियम को और अधिक उदार बनाया जाना चाहिए ताकि तत्काल गर्भपात की सुविधा उपलब्ध हो सके जैसा कि जापान में है। बच्चों को जीवित रखने के संबंध में भी सुधार किया जाना चाहिए जिससे बच्चों की मृत्यु-दर को भी कम किया जा सकेगा, इसके लिए बच्चों को जीवन रक्षक घोल, माता का दूध स्वास्थ्य शिक्षा और पोषक पदार्थ दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय को इसके लिये ठोस सुझाव दे रहा हूं। रोगाणु रहित 'गामा रे' की सुविधाएं बम्बई, तथा बंगलोर में हैं। तथा दिल्ली के श्री राम इंस्टीट्यूट में भी यह सुविधा उपलब्ध की जाने वाली है। भारत में 160 मिलियन योग्य दम्पति हैं। आस्ट्रेलिया में प्रत्येक गर्भवती महिला को यह रोगाणु रहित गाम रे किट' मुफ्त में दिया जाता है जिससे बच्चा होने के समय इस किट का उपयोग किया जा सके; इस किट का प्रभाव एक साल तक बना रहता है चाहे जो भी तापमान में आप इसे रखें। अतः इस किट का उपयोग बच्चा होने के समय में किया जा सकता है क्योंकि मैलमकोइल संक्रमण के लिये ज्यादा संवेदनशील होता है। इससे बच्चों की मृत्यु दर को जो अभी प्रति हजार 95 बच्चों का है वह घटकर प्रति हजार 30 रह जाएगा। बशर्ते हम आस्ट्रेलिया के सिद्धान्त का अनुसरण करें।

हमारे प्रधान मंत्री जी कुछ कदम ऐसे उठा रहे हैं जो कांग्रेसी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वह हर व्यक्ति को न्याय दिलाना चाहते हैं। इसी कारणवश उन्होंने पंजाब और असम समझौते पर हस्ताक्षर किया। जब तक हम एक परिवार एक बच्चे का सिद्धान्त नहीं अपनाते हैं, जिसके लिये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं और जो सम्भव भी है—तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अतः मेरे

[डा० कृपासिन्धु भोई]

दिये गये उपरोक्त सुझावों के आधार पर एक व्यापक विधान लाया जाना चाहिए। अब यदि माननीय मंत्री महोदय इस विषय में मुझे कुछ कहते हैं तो मैं अपना विधेयक वापस ले लूंगा।

[हिन्दी]

पारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचै:

पारभ्य विघ्नविहता विरमन्तिमध्या:

विघ्नै पुन: पुनरापि प्रतिहन्यमाना:

पारब्ध मुत्तम जना न परित्यनन्ति :

अर्थात हमारी पृथ्वी पर तीन प्रकार के लोग रहते हैं—अधम, मध्यम और उत्तम। जो आदमी किसी विघ्न के डर से कोई कार्य नहीं करते हैं वे अधम प्रकार के होते हैं। मध्यम कोटि के आदमी वे होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन कोई बाधा पड़ जाने से कार्य को बन्द कर देते हैं उस और उत्तम कोटि के आदमी वे होते हैं जो किसी भी काम को आरम्भ करते हैं तो उसे खत्म करके ही छोड़ते हैं और वही उनका विश्राम होता है।

उस टाइम 1977-78 में फैमिली प्लानिंग का नाम बदलकर फैमिली वैलफेयर कर दिया गया। तो श्री राजीव गांधी पंडित जी के ही ग्रांडसन हैं, उनको तो कोई हटा नहीं सकता है अभी जैसे—

पुस्पेषु मल्ली, नगरेषु दिल्ली बसवराजेश्वरी, नरेपुरफीके आलम जी,

नृपवरेक राजीव गांधी, काव्येषु माघ: कवि कालिदास:

[अनुवाद]

जिन डिक्सन ने एक होटल में घोषणा की थी कि कैनेडी की हत्या की जा रही है और कुछ क्षण बाद टी० वी० और रेडियो पर यह घोषणा की गई थी कि कैनेडी की हत्या कर दी गई है। उन्होंने 'क्रिस्टल बाल्स' नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि श्री राजीव गांधी इस अंतरिक्ष युद्ध को समाप्त करेंगे और 20वीं सदी तक संयुक्त राष्ट्र संघ भारत में स्थानांतरित किया जायेगा। हो सकता है, हम न देख पाएं लेकिन हमारे बच्चे देखेंगे, राहुल गांधी को नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में।

अब मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए तत्पश्चात् मैं अपना संकल्प वापिस लूंगा।

श्री रफीक आलम : महोदया, मैं डा० भोई को अपने मूल्यवान सुझाव देने पर धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनकी टिप्पणियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

डा० भोई द्वारा उठाये गये मुद्दों को मैं पहले ही अपने उत्तर में शामिल कर चुका हूं अब मैं डा० भोई को अपना संकल्प वापिस लेने का अनुरोध करूंगा।

हम शिक्षा और प्रेरणा के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम और इसकी सफलता के प्रति वचनबद्ध है।

सभापति महोदय : यहां पर दो संशोधन हैं जिन्हें श्री शंकरलाल और श्री सईद शाहबुद्दीन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अब मैं उन्हें सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : डा० भोई, क्या आप अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं ?

डा० कृपासिंधु भोई : बड़े दुःख और वेदना से मैं अपना संकल्प वापिस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या डा० कृपासिंधु ने अपना संकल्प वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति ली है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

4.34 म०प०

प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के बारे में संकल्प

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को उपयुक्त रोजगार उपलब्ध करे।"

[हिन्दी]

मैडम चेयरपर्सन, मैं बहुत दुःखी होकर यह रैज्यूलूशन लाया हूं। पिछले साढ़े 4 सालों का मेरा अनुभव रहा है कि इस देश में यदि कोई समस्या सबसे बड़ी है तो वह एम्प्लायमैंट की, रोजगार की है। इतिहास श्री राजीव गांधी को हमेशा याद रखेगा, जिन्होंने एम्प्लायमैंट को सबसे ज्यादा महत्व दिया।

जवाहर रोजगार योजना जब उन्होंने इस सदन में इंट्रोड्यूस की थी और उस दिन जो भाषण किया था, उसी दिन उन्होंने कहा था कि एम्प्लायमैंट आफ अंडर-एम्प्लायमैंट, उससे बढ़कर हमारे सामने कोई दूसरी समस्या नहीं है।

कोई दूसरी प्राब्लम नहीं है। जो लोग ग्रासरूट लैवल पर काम करते हैं, शहर जाते हैं, लोगों के बीच उठते-बैठते हैं और लोगों की समस्याओं से जूझते हैं वही समझते हैं कि बेकारी क्या है ?

जवाहर रोजगार योजना के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के परिवारों में से एक आदमी को रोजगार देने की योजना बनायी गई है, लेकिन देश में अभी भी करोड़ों ऐसे परिवार हैं जिनको कि रोजगार नहीं मिल पाता है। मैंने अपने रैजोल्यूशन में कहा है कि सूटेबल इम्प्लायमैंट नहीं

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

मिल पाता है। मेरे कहने का अर्थ है कि आप देहातों में चले जायें आपको अकेले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख पढ़े-लिखे बेरोजगार लोग मिल जायेंगे और आसपास के क्षेत्रों में तो और ज्यादा देखने को मिल जायेंगे। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं और इन बेरोजगार लोगों की फौज को देखता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं। मैं सोचता हूं कि इनका भविष्य क्या होगा और ये आखिर कहां जायेंगे। जिस तरह पानी अपना रास्ता खोज लेता है उसी तरह से ये पढ़े-लिखे बेरोजगार युवक गलत रास्ते पर जाकर अपना रास्ता खोजते हैं और खोज भी रहे हैं। आज सेंट्रल बिहार में जो कुछ हो रहा है या झारखंड मूवमेंट जो हो रहा है या फिर देश के दूसरे भागों में जो आन्दोलन हो रहे हैं उसमें ज्यादातर ऐसे युवक हैं जो पढ़े-लिखे हैं और जिनको जीवन-यापन का कोई साधन नहीं मिलता। अपने देश की शिक्षा प्रणाली खास कर मैं अपने राज्य बिहार की बात कहूंगा। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई पालिटिशन होता है तो पहला काम करता है कि उसके नाम से 2-4 कालेज बन जाये और उसमें वह पैसे लेकर लेक्चरार बहाल करता है और पैसे लेकर स्टूडेंट्स की एडमिशन करता है। जब उस कालेज से इंटरमीडिएट या बी० ए० पास करके लड़का आता है तो फिर वह समाज के लिए बोझ बन जाता है क्योंकि उसे कोई रोजगार मिल नहीं पाता है। इसी बीच में परिवार के लोग उसकी शादी करा देते हैं। फिर उसका अपना परिवार उस पर ताने कसता है कि भई, मैंने तो जो जगह जमीन थी उसको बेच कर तुम्हें पढ़ा-लिखा दिया लेकिन तुम ऐसे अभागे निकले कि तुम्हें कहीं नौकरी ही नहीं मिलती है। उसकी पत्नी उस पर ताने कसती है कि मेरे मां-बाप ने कसाई के गले मुझे बांध दिया, ऐसे आदमी के गले बांध दिया जिसे कहीं नौकरी नहीं मिलती है। ससुराल के लोग उस पर ताने कसते हैं कि यह तो बेकार आदमी है। हमने तो बहुत सोच कर अपनी लड़की की शादी इसके साथ की थी, कि वह दो पैसे कमायेगा, लेकिन यह तो बिल्कुल निकम्मा निकला। समाज ताने देता है कि भई, उसकी तो पहुंच थी, पैरवी थी और उसको नौकरी मिल गई क्या तुम्हारी कहीं कोई पैरवी नहीं है, कहीं पहुंच नहीं है, क्या तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकती है। वह आदमी भटकता हुआ गांव से शहर आता है नौकरी की तलाश में, फिर शहर में दर-दर ठोकरें खाता है। उसे नौकरी नहीं मिल पाती है, लौटकर फिर गांव जाता है। गांव में फिर ताने सुनता है, उसके मन में प्रतिक्रिया होती है, वह उग्रवादियों के साथ मिल जाता है और हथियार उठा लेता है। आज बिहार के बहुत बड़े भाग में यही हो रहा है, पढ़े लिखे नौजवान, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं और एक पैरलल गवर्नमेंट बिहार के कुछ भागों में कायम हो गई है। डर इस बात का है कि यह बीमारी बिहार के दूसरे भागों में भी फैल जायेगी या देश के दूसरे भागों में भी फैल सकती है इसलिए यह बीमारी बहुत ज्यादा भयानक है। इतनी भयानक है जितनी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक वक्त ऐसा आयेगा जब पढ़े लिखों की फौज, पढ़े लिखे नौजवानों की बहुत बड़ी कतार देश में कायम हो जायेगी तब हम असहाय महसूस करेंगे, हम उन्हें कोई रोजगार नहीं दे सकेंगे। अभी भी वक्त है कि हम इस समस्या पर गम्भीरता से सोचें। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स आफ स्टेट पालिसी में 41वें आर्टीकल में लिखा गया है कि :—

[अनुवाद]

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबन्ध करेगा।

[हिन्दी]

आवश्यकता इस बात की है कि डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स आफ स्टेट पालिसी को कानून बनाकर राइट टू वर्क में हम परिवर्तित करें। कम से कम परिवार का एक सदस्य भी एम्पलायड हो जाय। मैंने तो देखा है, जैसा कि मैंने कहा, हजारों लोग, पढ़े लिखे लोग बेकार हैं, अनपढ़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। दिल्ली जैसे शहर में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में पास किया हुआ आदमी, इतिहास में प्रथम श्रेणी में पास किया हुआ, एम० ए० पास किया हुआ आदमी होटल में प्लेट धोता है, बरतन धोता है। क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उनको एक उचित काम उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, योग्यता के अनुसार एक उचित एम्प्लायमैंट दिलावे ? घर के लोग इतने गरीब हैं कि दोनों वक्त का खाना नहीं मिल पाता है, वह व्यक्ति घर या गांव लौटकर करेगा क्या। यहां किसी को बताता नहीं है कि उसकी योग्यता क्या है और चाहे मजदूरी मिल जाय या होटल में, छोटे से घटिया होटल में बैरे का काम मिल जाय, जीवन-यापन करने के लिए, उसे भी वह स्वीकार कर लेता है। वह सोचता है कि यदि मैं इतना पैसा नहीं बचा पाऊंगा कि घर भेज सकूं तो कम से कम मैं तो घर वालों पर बोझ नहीं होऊंगा और यदि महीने में सौ रुपए बचाकर भी घर भेज देता हूं तो शायद कुछ भूख हमारे परिवार के लोगों की मिट सके। वह यह कहता है कि हमारे गांव में कौन जानता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में या कलकत्ता जैसे बड़े शहर में मैं क्या कर रहा हूं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आज की युवा पीढ़ी में खास कर पढ़ लिखे युवकों में एक आक्रोश बहुत बुरी तरह फैल रहा है और आवश्यकता है उस आक्रोश को समाप्त करने की। होता क्या है, मैं आपको बताऊं, कि इस पूरे समाज में एक वेस्टेड इण्टरैस्ट है जिस घर का पांचवां सदस्य नौकरी में है, उसी घर के छठे सदस्य को भी नौकरी मिलती है। इस प्रकार जिस परिवार से किसी को नौकरी नहीं मिली है,वह वैसे ही रह जाता है। उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। यदि मेरे परिवार से चार आदमियों को नौकरी मिली है तो मैं कोशिश करूंगा कि पांचवें सदस्य को यदि नौकरी के लिए जगह है, तो वह मेरे परिवार के लोगों को ही मिले। यही नहीं, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का काम प्रापर वेकैंसी डिसप्ले करना है। लोगों को बतायें, कार्ड भेजें जो उनके यहां रजिस्टर हैं और उनको नौकरी दिलायें। लेकिन यह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज नहीं करता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं और मुझे इसका तजुर्बा है कि इस देश में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज और खास कर दिल्ली के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में स्कैंडल है। पहले तो नाम दर्ज नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई बिहार से या उत्तर प्रदेश से कोई आता है, तो कहते हैं कि आपका सर्टिफिकेट हिन्दी में है। इससे ऐसा लगता है कि वे हिन्दी पढ़ना नहीं जानते हैं, जैसे कि वे इंग्लैंड से आए हों। फिर वे अपने जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं और हमारे जैसा आदमी जब टेलीफोन करता है कि आप हिन्दी क्यों नहीं पढ़ सकते हैं ? तो वे कहते हैं कि साहब भेजिए, उनको देखेंगे। वह फिर दोबारा एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में जाता है, तो वे कहते हैं कि इसका क्या सबूत है कि यह सर्टिफिकेट जाली नहीं है। वह फिर कहता है कि अभी तो आपको एम० पी० साहब ने टेलीफोन किया है, आपको कैसे भरोसा दिलायें कि यह सर्टिफिकेट जाली नहीं है। यदि जाली है तो आप जेल करवाइए। सर्टिफिकेट सही है। वह व्यक्ति कहता है—आप ऐसा करिए कि आप वापिस बिहार जाइए और वहां के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से लिखवा कर लाइए कि यह सर्टिफिकेट सही है। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज तो पूरे देश में एक ही तरह का है। जब वह वहां जाता है, तो वहां के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज वाले कहते हैं कि सौ रुपए दो, तब लिखेंगे कि यह सर्टिफिकेट सही है। इस काम को कराकर वह फिर यहां आता है, तो दिल्ली वाले कहते हैं कि यह तुमने क्या किया, तुम्हारा नाम तो वहां एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में आलरैडी रजिस्टर्ड है, तो तुम्हें दिल्ली में कैसे नौकरी मिल सकती है। आप फिर वापिस

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

बिहार जाइए और वहां एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से इस सर्टिफिकेट के पीछे लिखवा कर लाइए कि यहां पर रजिस्टर्ड नहीं है और फिर दिल्ली आइए तब हम आपका नाम रजिस्टर्ड करें। वह दुखी बेचारा फिर बिहार के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के लोगों के हाथ-पैर जोड़ता है कि भाई मेरा नाम यहां से काट दीजिए, क्योंकि दिल्ली के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज ने कहा है कि जब तुम मेरा नाम यहां के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नहीं काटोगे, दिल्ली के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा और मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। वहां के एक्सचेंज वाले इस पर कहते हैं कि तुम पांच सौ रुपया दो, तब तुम्हारा नाम काटेंगे, और नहीं दोगे तो नहीं काटेंगे। जरूरत का मारा बेचारा इस उम्मीद में कि दिल्ली में नौकरी मिल जाए, दो सौ रुपए देकर और अपने घर का अनाज बेचकर, उससे पीछा छुड़ाता है और अपना नाम वहां के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से कटवाता है और दिल्ली आता है। जब वह यहां आकर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में जाता है, तो कहते हैं कि दूसरे दिन आना, हम तुम्हारा नाम रजिस्टर करेंगे। दो-चार चक्कर काटने के बाद वह फिर कहता है कि तुम्हारे पास तो यहां का राशन कार्ड ही नहीं है, हम तुम्हारा नाम यहां कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। इस स्थिति में वह फिर भाग कर मेरे पास आता है। मैं उसे टेलीफोन करता हूं, कहता हूं कि आपके कहने पर बिहार जाकर वह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम कटवाकर आया है, इसका मैं सर्टिफिकेट देता हूं कि यह दिल्ली में रहता है। इसके पास राशन कार्ड नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि रखिए। आपके कहने से क्या होगा जब तक राशन कार्ड नहीं होगा, तब तक इनका काम नहीं होगा। अब बताइये यह अंधेरगर्दी नहीं है तो क्या है। अपने लोगों के लिए वहां कोई कायदा कानून नहीं है। वे रजिस्टर कर लिये जाते है और उनके नौकरी के कार्ड बन जाते है। आप कहते है कि वे बहुत अच्छा कर रहे है लेकिन मैं कहता हूं कि वे सोसायटी की जड़ें काट रहे है और इसका प्रतिरोध हम सब को भुगतना होगा। अगर लोगों में आक्रोश फैलता है तो उसका फल क्या निकलेगा। एक आदमी बीस बार एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के चक्कर लगाता है और उसका नाम नहीं लिखा जाता है तो क्या वह हमें माफ कर देगा? वह हताश होकर नक्सलाइटिस में भर्ती हो जाएगा और वह हमारे जैसे आदमी को तबाह कर देगा। आप इस समस्या का समाधान करने की बात सोचिये।

तरीका तो यह है कि जितनी भी प्राइवेट कम्पनियां हैं उनके यहां की नौकरियां भी एम्पलाएमेंट एक्सचेंजिज में नोटिफाई की जानी चाहिएं। उनमें भी लोग एम्पलाएमेंट एक्सचेंजिज से रखे जाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पांच परसेंट ऐसी कम्पनियां नहीं है जिनमें एम्पलाएमेंट एक्सचेंजिज से लोग रखे जाते हों। मैं दिल्ली और फरीदाबाद की हजारों कम्पनियों को जानता हूं। वे लोग कह देते हैं कि हमने डाक से चिट्ठी भेजी थी, आपको नहीं मिली होगी। ऐसी खानापूर्ति कर लेते हैं और कह देते हैं कि हम क्या करें। अब हमने आदमी को रख लिया है। इससे क्या लोगों में, चाहे वह पंजाब का हो, हरियाणा का हो, बिहार का हो, रोष होगा वह यह सोचेंगे कि जो नौकरी उन्हें मिलनी चाहिए थी उनसे कम योग्य आदमी को मिल गई है और यह बेईमानी है।

इन तरह से उनके मन में जो रोष और गुस्सा होगा वह क्या रूप लेगा यह कहना कठिन है। दूसरे देशों में ऐसे उदाहरण हैं 'जहां अन्याय के प्रति विद्रोह हुआ है। इसलिए मैं बहुत करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के अन्याय को बन्द कराइये। होता क्या है कि प्राइवेट कम्पनियां लोगों को केजुअल या डेलीवेजिज के रूप में रख लेती हैं। फिर बाद में कह दिया जाता है कि हमारे यहां जगह नहीं है। फिर बाद में नीचे से ऊपर नोट चला जाता है कि यह केजुअल वर्कर के रूप में दो साल से काम कर रहा है,

इसलिए इसे परमानेंट कर दिया जाए।

ट्रेड यूनियन के मेरे दोस्त मुझे माफ करेंगे। क्या होता है कि ट्रेड यूनियन वाले मेनेजमेंट पर प्रेशर डालते हैं कि हमारे आदमी को रखो, कोई कम्पीटीशन नहीं होने दो। नतीजा यह होता है कि ट्रेड यूनियन के जो पदाधिकारी होते हैं उनके रिश्तेदार वगैरह: बहाल कर लिये जाते हैं। जो आदमी बिहार, पंजाब या हरियाणा से नौकरी की खोज में आया था वह वहीं का वहीं रह जाता है, चाहे वह मेरिट में नौकरी पर लगे आदमी से लाखों गुना योग्य हो। यह एक रेकिट है। अगर हम इस रेकिट को खत्म नहीं करेंगे तो सचमुच में हम बहुत बुरे दिन की तरफ जाएंगे।

मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन मेरा मन भरा हुआ है। आप यहां पर बार-बार कहते हैं कि सब को नौकरी थोड़े ही मिल जाएगी, सेल्फ एम्पलाएमेंट कराइये। बैंकों से फाइनेंस कराइये। पहले मैंने अपने भाषण में भी कहा था, आज मैंने फैलीरो जी से भी कहा कि आप एक बैंक बता दीजिए जहां से ऐसे किसी आदमी को पैसा मिलता हो। सेल्फ एम्पलाएमेंट के लिए वह कहां से पैसा लाएगा ? किसी के पास बिल है, वह आई० टी० आई० से मिकेनिक की, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग ले कर के अपना काम करना चाहता है। उसे थोड़ा सा पैसा बैंक से नहीं मिलता जिससे कि वह रोजगार कर सके। बैंक एक हजार चक्कर लगाने पर भी उसको पैसा नहीं देता। मेरे जैसे आदमी मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते हैं तो उसका एक घिसा—पिटा जवाब आ जाता है—"आई एम लुकिंग इनटू द मेटर, द मेटर इज बीइंग लुक्ड इनटू"। मैं कहता हूं कि आप इस देश के सरकार की स्टेशनरी क्यों बरबाद करते हैं। आप पी० ए० से टेलीफोन करा दीजिए "द मेटर इज बीइंग लुक्ड इनटू" या एक पोस्ट कार्ड छपा लीजिए। अगर सौ बार लैटर आए तो सौ बार लिख दीजिए। मिनिस्टर यह भूल जाते हैं कि मिनिस्ट्री से हटने के बाद हमारे जैसे एम० पी० भी उनसे बात नहीं करते हैं। लोगों की समस्याओं के लिए दर्द कितने आदमियों को है कोई आदमी ड्राइवरी जानता है तो उसको स्कूटर कैसे मिलेगा। मेरे साथ चलिए और दिलवा दीजिए। भाषण देना तो बहुत आसान है। लेकिन लोगों की समस्याओं के साथ मिलना बहुत कठिन है। जब तक आप लोगों की समस्याओं के साथ एक नहीं होंगे तब तक इस देश में आप सही अर्थ में सोशल जस्टिस नहीं ला सकेंगे। एम्पलायमेंट का केक बहुत छोटा है। हम लाख भाषण करें कि इस देश में सभी लोगों को नौकरी दी जायेगी। केक छोटा है और उस केक में लोगों का शेयर इक्वीटेबल आफ जस्ट हो, वह अन्याय नहीं हो। देश के किसी भाग में कोई नौकरी खाली हो तो यह कंसीडरेशन नहीं रहना चाहिए कि यह मालिक का आदमी है, ट्रेड यूनियन के लीडर का आदमी है या पोलिटिशियन का भतीजा है या ब्यूरोक्रेट का भाई है। यह होना चाहिए कि ओपन और रिटन कम्पीटीशन हो और उसके बाद इंटरव्यु हो तब उसकी बहाली हो। उसके बाद देखिए कि एफीशिएंसी आती है या नहीं। कहीं भी प्राईवेट कंपनी में हो या देश के किसी कोने में उसके लिए किसी एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम भेजने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए कि लोगों में रोष कम होता है या नहीं। लोग समझ जायेंगे कि उतनी योग्यता नहीं थी इसलिए कम्पीट नहीं कर सके। यह नहीं सोचेंगे कि पच्चीस हजार रुपया नहीं था जिसकी वजह से नौकरी नहीं मिली। वे यह सोचेंगे कि योग्यता बढ़ाने से ही नौकरी मिलेगी। जो लोग अनप्रोडक्टीव काम में लगे हैं, वे प्रोडक्टिव काम में लगेंगे क्योंकि उनके मन मे विश्वास होगा कि हमें इस तरह की नौकरी मिल सकती है मेरे क्षेत्र के छह-सात लाख लोग दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ आदि क्षेत्रों में काम करते हैं। कम से कम तीन-चार सौ आदमी रोज मिलते हैं। मैं रोज उन्हें इन्डोविजुअल लैटर दे देता हूं। हजार पत्र लिखने पर एक आदमी मेहरबानी करके रख लेता है। लोगों के मन में यह भावना हो गई है कि अगर एप्रोच नहीं है तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। लोगों के मन में यह

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

भावना होनी चाहिए कि योग्यता के मुताबिक नौकरी मिलेगी और मेरे साथ न्याय होगा ही। इसके लिए सरकार को संविधान में परिवर्तन करना पड़े तो वह भी करे। कड़वे घूंट पीने पड़े तो वह भी पिएं और यह देखे कि सभी के साथ न्याय होता है। नौकरी में प्राथमिकता उनलोगों को देनी चाहिए जिनके परिवार के लोग इन्कम टैक्स पेयर नहीं हैं। जिन परिवारों की एग्रीकल्चर इन्कम है और इन्कम टैक्स देते हैं और चार-पांच आदमी नौकरी कर रहे हैं तो वे थोड़ा इंतजार कर सकते हैं।

5.00 म०प०

जिनकी पहली जेनरेशन पढ़ी-लिखी है और नौकरी खोज रही है तो पहले उसे प्रेफरेंस दें। प्राथमिकता नहीं दे सकते तो अवसर ही दें कि वह औरों के साथ कम्पीट कर सके। ट्रेड और बिजनेस में आप उसे प्राथमिकता दें जिसकी पहली जेनरेशन पढ़ी-लिखी है और जो एक भावना लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है जो यह सोचे कि हमारे साथ न्याय होगा। बिहार के किसी भाग में आप चले जाइए, आप देखेंगे कि बसों की छतों पर लोग ऐसे लदे हुए हैं जिसकी तरह से मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां होती हैं। क्यों ? सरकार नई बस चलाने के लिए परमिट नहीं देती है। क्या घोर अन्याय है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको बैंक से फाइनेंस दिलवा कर लोन दिलायें, बेरोजगारों की सोसाइटी बनाई जाये और उन्हें परमिट दिलाएं इससे यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। आवश्यकता है कि लोगों के साथ आप जुड़िए। आप लिब्रेलाइज कर दीजिए कि कोई रिस्ट्रक्शन नहीं है जितने आदमी चाहें बस चलायें और बैंक उन्हें फाइनेंस करे। आर्थिक गतिविधि भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कैंस ने कहा था कि इम्प्लायमेंट स्पाइरल होता है, जिसका अर्थ है मान लीजिए किसी ने डबल रोटी की कम्पनी बनाई तो उसको जो मजदूरी मिली उस पैसे से वह घर जाकर दूध खरीदेगा तो ज्यादा डेयरी फार्मिंग होने लगेगा, उस पैसे से कपड़ा खरीदेगा तो ज्यादा कपड़े की मिलें खुलेंगी, फिर कपड़े के कारखाने में मजदूरी मिलेगी तो वह जाकर फर्नीचर खरीदेगा और फर्नीचर इण्डस्ट्री बढ़ने लगेगी। इसका मल्टी प्लाइर इफेक्ट है। आप रोजगार के एवेन्यू दें आपका इम्प्लायमेंट मल्टी प्लाइर इफेक्ट अपने आप काम करना शुरू करेगा। कैंस ने कहा था, जब इंग्लैंड में मन्दी आई थी, कि कुछ न करो। दिन में गड्ढे खोदो और रात में भरो, इससे जो पैसा मिलेगा वह पैसा जब मार्केट में सर्कूलेट होगा, लोगों के दुख-दर्द दूर होंगे। यदि रोजगार दिलाने के उपाय सोचे जायें तो जरूरी नहीं है कि सरकार पर निर्भर होना पड़े। सरकार केवल गाइड करे कि न्याय हो। मेरे और दूसरे साथी इस अवसर पर बोलना चाहते हैं। यह विषय ऐसा है जो सभी से सम्बन्धित है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस समस्या पर गंभीरता से सोचे चाहे रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, प्रयास यह करें कि कम से कम एक परिवार के एक आदमी को उसकी योग्यता के अनुसार कोई न कोई रोजगार मिले।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदया, मैं अपने मित्र डा० गौरी शंकर राजहंस द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। वास्तव में पिछले चार वर्षों से मैं देख रहा हूं कि सभी गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों या गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को जिन पर यहां चर्चा की गई है, सरकार की इच्छानुसार यासरकार द्वारा दिए गए कुछ सौम्य आश्वासनों के कारण वापिस लिया गया है और हम ऐसा मान लेते हैं। वास्तव में,विपक्षी दलों के सदस्यों ने ऐसा किया है। यदि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों

अथवा संकल्पों के संबंध में सरकार से एक छोटा सा आश्वासन मिलता है और यदि यह संकल्प स्वीकृत हो जाता है तो सरकार को उस संकल्प को लागू करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं और कई बार जब तक बजट में किए गए प्रावधान उपलब्ध नहीं हो जाते तो सरकार उस संकल्प या विधेयक को कार्यान्वित नहीं कर सकती। मैं इस बात को समझ सकता हूं। लेकिन यहां मैं कुछ कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में डा० राजहंस काफी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि इन नीति को सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और सरकार ने इसे कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि इस विशेष संकल्प पर चर्चा के अन्त में क्या किया जाए ? आप सभा को भली प्रकार बता सकते हैं और निर्देश दे सकते हैं कि इस संकल्प को सभा द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए और यदि ऐसा किया जाता है तो इस विशेष संकल्प के बारे में हम सरकार से सहमत होंगे। आप डा० राजहंस से इस संकल्प को डा० भोई के संकल्प की तरह इस कारण से वापिस लेने के लिए नहीं कह सकते कि आप इसे सिद्धांत रूप में पहले ही स्वीकार कर चुके हैं अत: जब तक यह अनावश्यक नहीं हो जाता आप कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है यदि आप चर्चा के अन्त मे इस संकल्प को स्वीकार करते हैं और इसे कार्यान्वित करना शुरू कर देते हैं तो इससे सरकार के संकल्प को बल ही मिलेगा।

दूसरे, मैं सभापति महोदया को सूचित करना चाहता हूं कि गोवा पहला ऐसा राज्य है जिसने लगभग दो वर्ष पूर्व 'प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को रोजगार' योजना शुरू की थी। छोटा राज्य होने के कारण हम ऐसा कर पाये हैं। बड़े राज्य के लिए यह एक समस्या है। लेकिन छोटा राज्य होने के कारण गोवा सरकार ने यह योजना लागू की है और योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। इसलिए सरकार द्वारा स्वीकृत यह योजना नि:सन्देह प्रशंसनीय है यह रोजगार योजना रोजगार कार्यालयों से जुड़ी है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। डा० राजहंस ने रोजगार कार्यालयों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताया है आपको स्वीकार करना होगा कि रोजगार केन्द्रों में बहुत भ्रष्टाचार है। वास्तव में, मुझे प्रामाणिक जानकारी मिली है कि केन्द्रीय सरकार रोजगार केन्द्रों के बारे में सोच रही है कि इन रोजगार केन्द्रों के सम्बन्ध में क्या किया जाये। वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम इसे रोक नहीं सकते। लेकिन क्या मुझे कोई राज्य स्तर अथवा केन्द्र स्तर पर कि रोजगार केन्द्रों में सरकारी कर्मचारियों की ओर से होने वाली अनुशासनहीनता या भ्रष्टाचार का कोई जवाब दे सकता है ? क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के तहत कोई मामला दायर किया गया है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने ऐसे मामले दायर किए गए हैं ? मान लीजिए राज्य में अगर आप ऐसे पांच या दस मामले दायर करते हैं जो लोगों को नौकरी दिलाने या रोजगार केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दायर किये गये हों, तो स्वत: ही ये बातें कम हो जाएगी। लेकिन मशीनरी होने के बावजूद हम मामले दायर नहीं करते हम उनके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाते जो लोगों को तंग करते हैं। यदि हम इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दायर करें तो समय आने पर उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो मेरे विचार से रोजगार कार्यालयों में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा।

इसके अलावा, रोजगार केन्द्रों के सम्बन्ध में आज ऐसा किए जाने की आवश्यकता है। अगर मनमानी को दूर करना है तो देश के सभी रोजगार केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण किया जाए। हो सकता है कि ये रोजगार कार्यालय अब राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हों परन्तु उन पर कोई नियन्त्रण होना चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि इस विषय में राज्य सरकारों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार ने एक योजना बनायी है। यदि ऐसा है यह योजना लागू की जानी चाहिए तथा दो-तीन वर्ष की अवधि में देश के सभी रोजगार कार्यालय कंप्यूटरीकृत कर दिये जाने चाहिए ताकि न्यूनतम मानव विवेक प्रयोग किया जा सके। मैं यह नहीं कहता कि यदि कंप्यूटरीकरण कर दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार,

[श्री शांताराम नायक]

पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि रोजगार कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण कर दिया जायेगा तो 50 प्रतिशत तक भ्रष्टाचार कम हो जायेगा।

जनता के प्रतिनिधि होने के नाते लोग हमारे पास आकर अनुरोध करते हैं कि कृपया किसी अधिकारी से कह दीजिए कि किसी विभाग के लिए मेरा नाम भेज दें। यदि हम उनसे कहते हैं कि वर्ष वार सूची बनी हुई है और हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो वे हम पर हंसेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि कोई सूची पर गौर नहीं करता है तथा किसी को वर्षवार दर्ज नाम से नहीं बुलाया जाता है। मैं उनसे यह नहीं कह सकता कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि मैं भी जानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति हर तरफ से हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए कि प्रतिनिधि यह कह सकें कि नहीं, मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा क्योंकि प्रत्येक कार्य क्रमबद्ध ढंग से हो रहा है, जब आपकी बारी आयेगी तो आपको बुला लिया जाएगा। उसे जनता से इस तरह कहने की स्थिति में होना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश अब यह सुनिश्चित करने के लिए हमें कुछ लोगों को टेलीफोन करना पड़ता है कि अमुक मामले का क्या हुआ। क्या रोजगार की सूचना भेज दी गई है या नहीं।

कुछ लोग सोचते हैं कि हमें उच्च शिक्षा को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि हमारे सामने रोजगार की समस्या है। यह एक नीतिगत मामला है। मैं इस विचार के पूरी तरह खिलाफ हूं। मैं इस विचार से कतई सहमत नहीं हूं कि हमारे पास पर्याप्त इन्जीनियर हैं इसलिए इन्जीनियरिंग कालेज खोलना बंद कर दिया जाए तथा हमारे पास पर्याप्त विधिवक्ता हैं इसलिए हमें विधि कालेज खोलना बंद कर देना चाहिए। हमें अन्ततः शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करनी है चाहे यह निचले या मध्यम स्तर की शिक्षा हो, और शिक्षित लोगों का भाग्य कुछ भी हो। जैसाकि मैंने पहले कहा कि पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। सम्भवतः रोजगार के मामले में भी ये युवक अपना रास्ता स्वयं बना लेंगे।

मैं दूसरे इस पहलू पर बल देना चाहता हूं कि हम विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोल रहे हैं। उनमें लोगों को इसलिए भर्ती कराते हैं ताकि अन्ततः उन्हें तकनीकी प्रकृति का कोई रोजगार मिल जाए। उस दिन गोवा में मैंने देखा कि आई०टी०आई० में कुछ प्रवेश दिये गए तथा किसी ने इन दिए गए प्रवेशों को चुनौती दी। न्यायालय ने निर्णय किया कि सामान्य साक्षात्कार के आधार पर किसी को आई०टी०आई० में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि योग्यता परीक्षा ली जानी चाहिए। अन्ततः योग्यता परीक्षा आयोजित हुई और यह देखा गया कि सैकड़ों लड़के, जो इस परीक्षा में बैठे थे, अनुत्तीर्ण हुए। प्रश्न यह है कि ऐसे मामलों में यह निर्णय करना सरकार या न्यायालय की जिम्मेदारी है कि आई०टी०आई० में प्रवेश किस प्रकार दिया जाए। यदि न्यायालय ने यह निर्णय किया था कि आई०टी०आई० में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षा ली जाए तो सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि लड़कों को आई०टी०आई० में किस प्रकार प्रवेश दिया जाए। हमें ये कार्य न्यायालय पर नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि यह नीतिगत मामला है। ये कार्य सरकार को करने चाहिए तथा इस आशय के कानून या नियम बनाये जाने चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि रोजगार के अवसर प्रदान करना हमारा दायित्व है, यदि देश में एक विशेष श्रेणी के रोजगार उपलब्ध नहीं हों तो विभिन्न श्रेणियों के रोजगार, चाहे वे छोटी श्रेणी के हों, पैदा किए जाने चाहिए। परन्तु कुछ अच्छे शिक्षित लोग छोटी श्रेणी के रोजगार स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। उसके लिए हमें कार्य करने की इच्छा पैदा करनी चाहिए। यदि कार्य करने

की इच्छा होगी तो लोगों को किसी भी प्रकार का कार्य स्वीकार्य होगा। आज लोग केवल सफेदपोश रोजगार चाहते हैं। यदि उन्हें शारीरिक श्रम वाला रोजगार मिलता है तो वे अनुभव करते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई। उन्हें प्रत्येक किस्म के श्रम की प्रतिष्ठा को मान्यता देनी चाहिए। शिक्षित व्यक्ति सफेदपोश रोजगार को प्राथमिकता देता है। इसलिए रोजगार समस्या इस हद तक हल की जानी चाहिए।

अन्त में, मैं डा० राजहंस को ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने के लिए एक बार पुनः बधाई देता हूं। मैं उन्हें भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे सरकार माननीय सदस्य से संकल्प लेने के लिए कहेगी। इसे स्वीकार किया जाएगा। विगत चार वर्षों से कोई गैर-सरकारी संकल्प स्वीकार नहीं किया गया है। संभवतः वह इतने भाग्यशाली हों कि उनका संकल्प पारित हो जाए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस संकल्प के प्रस्तावक अपने साथी डा० राजहंस को सभा के समक्ष यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं इससे सभा में इस महत्व-पूर्ण समस्या के सम्बन्ध में चर्चा करने का अवसर मिला है।

महोदया, आज देश के सामने अनेक समस्यायें हैं। हम एक के बाद एक समस्याओं का मुकाबला करते आ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या सबसे गम्भीर समस्या है। सत्तारूढ़ दल—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—ने अपने अधिवेशन में जो विगत मई में आयोजित हुआ था, इस समस्या पर चर्चा की। इसकी चर्चा हुई थी तथा संकल्प की भावना को—प्रत्येक परिवार के कम से कम व्यक्ति को किसी प्रकार रोजगार दिया जाना चाहिए--सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दी गई। जैसाकि आप जानती है कि उसी के अनुपालन में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई है। निस्संदेह इस सभा में जवाहर रोजगार योजना की भी चर्चा हो रही है। यह अब भी जारी है। इसकी बजट सत्र में चर्चा चल रही है। कल भी हमने चर्चा की थी। आज भी हम इस समस्या स सम्बन्धित बातों पर चर्चा कर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या बड़ी गम्भीर प्रकृति की समस्या है। इससे पहले हम जनसंख्या वृद्धि से संबंधित मामले पर चर्चा कर रहे थे। जिस पर चर्चा हो रही थी वह गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प था। वह भी इसी समस्या से सम्बन्धित है। इससे पहले आज सरकारी कार्य लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना से सम्बन्धित बातों से शुरू हुआ। वह भी एक तरह से बेरोजगारी की इस समस्या से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार आज हमने सभा में इस सभा में जो चर्चा की वह इस समस्या से सम्बन्धित है। जवाहर रोजगार योजना से, जिसके लिए 2613 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों तथा जरूरतमंद लोगों को काफी सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य अशिक्षित श्रमिकों को लाभान्वित करना है परन्तु महोदया, हमारी बेरोजगारी की समस्या उसके कार्यक्षेत्र में नहीं है। यह दो प्रकार की है। यह शिक्षित बेरोजगार, अशिक्षित बेरोजगार तथा अल्प रोजगार की समस्या है, इसका प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सरकार को एक नीति बनानी है। इसने भयावह रूप ले लिया है। मैं आंकड़े उद्धृत नहीं करूंगा। यह समस्या नाजुक हो गई है। सदस्य इन आंकड़ों से परिचित हैं। मैं भी कह सकता हूं कि हमारे रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों के आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बेरोजगार व्यक्तियों के वास्तविक आंकड़े सरकार के रिकार्ड में दर्ज आंकड़ों से, जो रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में हैं, अधिक हैं। यह जो कुछ भी है परन्तु मैं जनता के 1944, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के अनुभव बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता के बाद भी वह स्थिति कुछ क्षेत्रों

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

में कुछ समय तक रही। उनका कहना है कि युवा लड़के-लड़कियों को, उनके अवकाश के दौरान, परिणाम प्रकाशित होने से पहले, प्राध्यापकों के रूप में नियुक्ति हो जाया करती थी। मेरे एक प्रोफेसर थे जो हमें बताया करते थे कि उनका एम०ए० का परिणाम आने से पहले ही अवकाश के दौरान उन्हें रोजगार मिल गया। उनसे कार्यभार ग्रहण करने का अनुरोध किया गया तथा नियुक्ति परिणाम आने पर पास होने की शर्त पर स्थायी कर दी गयी।

अब स्थिति पर ध्यान दीजिए। आज पी०एच०डी० डिग्री धारियों को भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक पद के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। मैंने स्वयं आधे दर्जन ऐसे पी०एच०डी० डिग्री धारियों को देखा है। मैं उनके नाम बता सकता हूं। यह अत्यन्त करुणाजनक बात है। मैं एक घटना बताना चाहता हूं। मैं उड़ीसा के सम्पूर्ण कोयला क्षेत्र का, जो दो जिलों अर्थात सम्बलपुर और ढेंकानाल तक फैला हुआ है, प्रतिनिधित्व करता हूं। वे मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। कोयला उद्योग का विकास हो रहा है। हम नई कोयला खानें खोल रहे हैं। इससे लोगों को रोजगार मिलता है तथा ब्रिटिश काल से कोयला भरने वाले—एक कुली के लिए क्या अर्हता है जो भूमिगत खान में कोयला तोड़ता है। इसके लिए आवश्यक योग्यता निरक्षरता है। मैं ब्रिटेन के प्रशासकों की भी सराहना करता हूं जो गुफा जैसी भूमिगत खदानों में भी जा सकते है। जब तक कोई व्यक्ति निरक्षर नहीं है, या जब तक वह अपनी प्रतिष्ठा, इत्यादि को ताक पर नहीं रखता, तब तक वहां जाकर काम नहीं कर सकता। वहां किसी भी तरह की प्रकाश या हवा की गुंजाइश नहीं होती। इसके लिए हमें कृत्रिम व्यवस्था करनी होती है। देश में ऐसे पदों के लिए, विशेषकर रोजगार के क्षेत्र में स्थिति बहुत ही खराब है। मैंने अनेक ऐसे नवयुवकों को देखा है जो कि अच्छे परिवार के सदस्य होने तथा स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करने के बावजूद भी शपथ लेकर साक्षात्कार में उपस्थित होने पर अपने आप को निरक्षर घोषित करते हैं। वे स्नातक होने के बावजूद भी सरकारी रिकार्ड में अपने आप को निरक्षर दर्शाते हैं। किस कारण वे ऐसा शपथ पत्र देते हैं? मात्र रोजगार पाने के लिए। इस समय ऐसी स्थिति है।

जैसाकि आप जानते हैं कि आज मैट्रिक तथा स्नातक पास व्यक्ति रिक्शा चलाते हैं। उनका यह काम करना मैं बुरा नहीं समझता क्योंकि श्रम का महत्व है। श्री शांताराम नायक ने कहा है कि वह शिक्षा के प्रसार का विरोध नहीं करते। शिक्षा के प्रसार का कौन विरोध करता है? प्रत्येक परिवार में स्नातक और स्नातकोत्तर व्यक्ति होना चाहिए। साथ ही साथ उनमें अनावश्यक गर्व नहीं होना चाहिए जोकि दुर्भाग्यवश हमारे देश में विश्वविद्यालय की डिग्री से सम्बन्धित है। विश्वविद्यालय शिक्षा हासिल करने के पश्चात भी हरेक व्यक्ति को शारीरिक श्रम करने के लिये तैयार रहना चाहिए। हर किसी को वित्तीय सहायता उपलब्ध होने पर 'पान' की दुकान या किराने की दुकान खोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप साम्यवादी समाज की ओर देखें। आज चीन में क्या हो रहा है? सोवियत रूस में क्या हुआ? वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत उस देश में कोई हड़ताल नहीं हुई है। लेकिन हाल ही में बहुत बड़ी संख्या में सोवियत रूस के कोयला श्रमिक हड़ताल पर चले गये। अतः सभी जगह स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। एक प्रकार का विक्षोभ हर जगह फैल रहा है। लेकिन साथ ही हम इस बात से अपने आपको तसल्ली नहीं दे सकते की ऐसा हर जगह हो रहा है। नवयुवक, जो कि देश के भविष्य हैं, योग्य लोग हैं। उन में सामर्थ्य है। उनमें उत्साह और शारीरिक शक्ति भरपूर है। उनके इस उत्साह और शारीरिक शक्ति को हम कैसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं? स्कूल और कॉलेज

खुल रहे हैं। यह एक अच्छा संकेत है। हमारे नवयुवक शिक्षित हो रहे हैं। अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरांत जब उन्हें उपयुक्त रोजगार नहीं मिल पाता। तब वे हतोत्साहित हो जाते है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब कुछ बच्चे जो कि अच्छे परिवार से या उच्च अधिकारियों के बच्चे होते हैं, चोरी करने लग जाते हैं। समाचार पत्र की रिपोर्ट ऐसा कहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पैसा खर्च करने की आदत पड़ जाती है। वे मात्र जेब खर्च से अपना खर्च नहीं चला सकते। भारत जैसे देश में प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य रहन-सहन के तरीके को अपनाना चाहिए। अत: उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है। यह समस्या यहां व्याप्त है। ऐसे क्षेत्रों में जहां अशिक्षित मजदूर रहते हैं, वहां अगर हम उन्हें शुरू में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराए तो उस समस्या का समाधान हो सकता है। सिंचित और आयकर क्षेत्रों में वर्ष भर कुछ न कुछ कृषि कार्य होता रहता है। वहां प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध होता है। वे अपने आपको कृषि मे व्यस्त रखते है लेकिन ऐसे लोगों की कौन सहायता कर सकता जो खाली बैठे रहते है? मूलत: हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि प्रधान है। यहां ज्यादातर लोग कृषि कार्यों में सम्मिलित रहते है। सरकार के पास अनेक विकास कार्यक्रम हैं। हम इन कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे है। ऐसे कार्यक्रम लोगों को व्यस्त रखते हैं। लेकिन जहा तक शिक्षित बेरोजगारों का प्रश्न है, तो यह एक गम्भीर और खतरनाक स्थिति होती जा रही है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि नवयुवकों और नवयुवतियों के दृष्टि-कोण में परिवर्तन आए। हमारी शिक्षा व्यवस्था में श्रम के महत्व का उल्लेख किया जाना चाहिए। हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार किए है। हमने नयी शिक्षा नीति भी अपनायी है। प्रारम्भ में तो हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे लेकिन इसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं हो पाया जितनी हमने आशा की थी। पिछली शिक्षा व्यवस्था या नीति मे सुधार किया गया है। लेकिन सम्पूर्ण व्यवस्था को इस नीति से नहीं बदला जा सकता है। इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे नव-युवकों के दिमाग में क्रांति उत्पन्न करनी होगी। मेरे विचार से उन्हें बैंक ऋण और स्व-रोजगार का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। बैंक लगभग 25,000 रुपये का ऋण प्रदान करते है। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे है। वे हम पर यह दबाव भी डालते हैं कि अमुक को फोन करें या अमुक व्यक्ति से सम्पर्क करें। हर चीज की एक सीमा होती है। जो भी हो उन्हें आत्म-निर्भर बनाने के लिए बैंकिंग व्यवस्था का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, नवयुवक, नवयुवतियों को अपने स्कूल, विश्वविद्यालय या फिर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात और अपनी वास्तविक जिन्दगी में प्रवेश करने से पहले उनसे ग्रामीण क्षेत्रों के कैम्पों मे काम कराया जाना चाहिए। उनका पूर्ण खर्चा जैसे—जेब खर्च, भोजन इत्यादि का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए। उन्हें ग्रामीण आबोहवा में रहकर तालाब की सफाई, सड़क निर्माण इत्यादि का कार्य करना चाहिए। हम निरक्षरता उन्मूलन के लिए बहुत धन खर्च कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वित करने के लिए हमारी कुछ अपनी शर्तें हैं। हमारी कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं है उनमें से कुछ अच्छा काम कर रही है। लेकिन ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जोकि इस काम के बहाने धन लूट रही हैं। नवयुवकों और नवयुवतियों को इस कार्य में लगाया जा सकता है। वे गांव में ठहर सकते हैं। वे बड़े पैमाने पर पेड़ लगा सकते हैं, सामाजिक वानिकी, निरक्षरता उन्मूलन, गांव की सफाई इत्यादि कामों में योगदान दे सकते हैं। मैं अनुभव करता हूं कि इससे हमारे नवयुवकों में कुछ परिवर्तन आयेगा। यह बदलाव सभी स्तर पर जरूरी है जैसे -- नेता, विधायक, संसद सदस्य और शिक्षक। इसके लिए हमें स्कूल और कॉलेज से आये नवयुवक-युवतियों को ही उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहिए। हमें उन पर यह दोष नहीं लगाना चाहिए कि वे आत्मनिर्भर होने योग्य नहीं हैं और वे पराश्रमी बनकर रह गये है। मात्र उनको दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। अत: स्थिति बहुत ही गम्भीर है इसलिए हमारे समाज के सभी तन्त्रों और प्रशासन में परिवर्तन लाना

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

आवश्यक है। हम इस समस्या का समाधान इस तरह से कर सकते हैं। इस दिशा में लगातार अभियान का मैं समर्थन करता हूं। मैं यह नहीं जानता कि यह पूरा हुआ है या नहीं। हमारे गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री चिदम्बरम देश के विभिन्न भागों, राज्य की राजधानियों और अन्य जगहों का एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित पदों के सम्बन्ध में जायजा ले रहे हैं। यह एक अच्छा काम है। लेकिन साथ ही हम यह भूल रहे हैं कि सामान्य वर्ग की अनेक रिक्तियां भी बहुत दिनों से खाली पड़ी हैं जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। यह सच है कि जो पद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं उसमें सामान्य उम्मीदवार भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन यह स्थान रिक्त है। इन सभी पदों को न भरने के कारणों का मुझे पता नहीं चल पा रहा है।

मैं आपको दूसरा उदाहरण दे सकता हूं। कोल इन्डिया कोयला उद्योग में भर्ती पर पाबन्दी होने के कारण अनेक रिक्तियां हैं। कोयला उद्योग और खानों का विस्तार हो रहा है और उन्हें लोगों की जरूरत है। आप देखते हैं कि एक पद के लिए आप सैकड़ों योग्य उम्मीदवार पाते हैं, फिर भी आपने भर्ती पर पाबन्दी क्यों लगाई है ? यह बिल्कुल ही प्रतिकूल है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पर ध्यान देने और उच्चतम स्तर पर इस पर निर्णय लेने का आग्रह करूंगा। यह समस्या काफी गम्भीर है। यहां बेरोजगार लोगों की संख्या काफी है। सभी पदों को भरा जाना चाहिए।

कुछ लोग कम्प्यूटर लाने का सुझाव दे रहे थे। जहां तक गुणवत्ता में सुधार का प्रश्न है तब तक इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन हर चीज के लिए नहीं। हमें आधुनिकीकरण करना चाहिए परन्तु ज्यादा आधुनिकीकरण का मतलब है शारीरिक श्रम की कमी। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में जब यह समस्या गम्भीर रुख अपना रही है और जब यहां शिक्षित बेरोजगारी की समस्या है वहां हर क्षेत्र में आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता। जहां यह जरूरी है वहां ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हमें इसको अपनाना जरूरी है। लेकिन साथ ही, अपने यहां व्याप्त स्थिति और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कम्प्यूटर को जितना कम व्यवहार में लाया जाये उतना ही अच्छा होगा।

बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने रोजगार केन्द्रों में अपना नाम दर्ज करवा रखा है। अगर किसी व्यक्ति का नाम पांच साल तक रोजगार केन्द्र में दर्ज रहता है और उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है फिर भी अगर वह इसके लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे कुछ साल और इंतजार करना पड़ता है और उस समय तक उम्मीदवार आयु सीमा पार कर चुका होता है। जब पदों की संख्या कम होगी और उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा तो इसके अन्तत. क्या परिणाम होंगे ? यह भ्रष्टाचार है। इस टिप्पणी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। केन्द्र और राज्य के अनेक कार्यालयों के सम्बन्ध में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी की वहां रोजगार की नीलामी की जा रही है। पिछले चार सालों में, मैं किसी भी व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने में असमर्थ रहा हूं। अनेकों लोग मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं किसी भी प्राधिकारी को सम्पर्क करता हूं तो वे कहते हैं कि, सभी काम ईमानदारी के साथ किया जा रहा है; वे इसके लिए प्रतियोगिता करवाते हैं, लिखित परीक्षा लेते हैं, साक्षात्कार और अन्य कार्य करते है और यह सभी कार्य जिलाधीश की देखरेख या अन्य उच्च अधिकारियों की देखरेख में किया जाता है। एक-दो लड़कों ने मेरे पास आकर मुझे बताया कि उन्हें यह नौकरी कैसे मिली।

उन्होंने मुझे बताया कि वे इतना पैसा खर्च करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अत: यह सब हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि सभी मामलों में ऐसा हो रहा है लेकिन कई स्थानों पर ऐसा होता है। अत: भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कठोर उपाय किये जाने आवश्यक हैं। जब ऐसे लड़कों और लड़कियों को नौकरी मिल जाती है तो योग्य लड़कों और लड़कियों को नौकरी नहीं मिल पाती और उन्हें बहुत दु:ख होता है। अगर पैसा देकर 'भ्रष्ट तरीकों से लोग सरकारी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं तो योग्य युवा पुरुष व महिलाओं पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? आप कृपया इस बात को महसूस कीजिए।

ऐसी और बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरे बहुत से विद्वान मित्र इस वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिए इन्तजार कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करने पर जोर देना पड़ेगा। हम चाहे जितनी भी विकास दर प्राप्त करने में असमर्थ हो जाये, हम युवा पुरुषों व महिलाओं को अशिक्षित नहीं रख सकते; उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा। स्कूल और कालेज हैं और शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए ही नहीं है बल्कि शिक्षा का उद्देश्य उससे अधिक है। इससे लड़के या लड़की में अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इससे युवा बच्चों में क्षमताएं उत्पन्न होती हैं जिससे वह अंतत: माता-पिता पर निर्भर रहने के बजाय अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं। अगर उसे अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो उसे दु:खी नहीं होना चाहिए। अत: हमने इस क्षेत्र में काफी कुछ करना है। यहां हमने न्यूनतम योग्यता निर्धारित की हुई है लेकिन जापान में उन्होंने किसी नौकरी के लिए अधिकतम योग्यता निर्धारित की हुई है अत: होता यह है कि बहुत से लोग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते। अत: यह एक गम्भीर समस्या है। यह राष्ट्रीय समस्या है और हम सबको मिलकर इस समस्या को गम्भीरतापूर्वक दूर करने पर विचार करना चाहिए। नि:संदेह किसी व्यक्ति को दु:खी होने की आवश्यकता नहीं हैं। हमें अपने युवाओं को उसी के अनुसार प्रशिक्षण देना चाहिए। हमें अपनी जीवनपद्धति में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें अपने आस-पास होने वाले वैज्ञानिक विकासों को देखना पड़ेगा। हमारा देश गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू का देश है। अत: हमें अपने पुराने गांधीवादी सिद्धान्तों का वैज्ञानिक विकासों से समन्वय करना होगा और हमें इस समस्या को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना होगा। जब ईमानदारी होगी तो कोई भी समस्या चाहे वह बड़ी हो या छोटी, बिना सुलझे नहीं रहेगी। हमारा दृढ़ निश्चय, ईमानदारी और एक दृष्टिकोण से यह समस्या सुलझ जाएगी; चाहे यह समस्या कितनी भी बड़ी हो।

श्री महाबीर प्रसाद यादव (माधीपुरा) : पीठासीन महोदया, पहले मैं इस महत्वपूर्ण विषय को लाने के लिए डा० राजहंस को धन्यवाद देता हूं।

यह विषय संविधान में है और राज्य की नीति के मुख्य नीतिनिर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आता है और मूल अधिकारों की तरह यह वाद योग्य नहीं है। लेकिन संविधान की प्रस्तावना में यह अर्थात, समाजवाद संविधान का एक हिस्सा है और समाजवाद की दृष्टि से इस विषय का इतना अधिक महत्व है कि सरकार को इस विषय पर एक विधेयक लाना चाहिए था।

मैं डा० राजहंस को धन्यवाद देता हूं कि वह इसे संकल्प के रूप में लाये हैं लेकिन यह विषय इतना ज्वलन्त और महत्वपूर्ण है कि इसे विधेयक के रूप में लाये जाने की आवश्यकता है। यह बहुत ज्वलन्त समस्या है।

समाज सहयोग और सह-अस्तित्व का सहचरी अंग है। जहां तक व्यापक समाज के विकास का

[श्री महावीर प्रसाद यादव]

सम्बन्ध है, "सह-अस्तित्व और सहयोग के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। मेरा विनम्र विचार है कि आजकल सरकार निम्न वर्ग के हितों, उच्च वर्ग के हितों पर विचार कर रही है लेकिन मध्यम वर्ग के हितों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत में अधिकतर लोग कृषक हैं। जब भारत स्वतन्त्र हुआ था, कृषक वर्ग के परिवारों के युवा लोग शिक्षा ले रहे थे। उन्हें शिक्षित किया जा रहा था। उदाहरण के लिए, श्री पाणिग्रही जी बता रहे थे कि पढ़े-लिखे युवाओं को अपनी स्थिति और ओहदे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरी अपनी समझ के अनुसार, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उनका बेटा एम० ए० पास करने के बाद एक पान की दुकान खोलता है तो क्या पाणिग्रही इस बात को सहन कर सकते हैं ? क्या वह और उनका बेटा इस स्थिति को सहन कर सकते है ? मेरे विचार से यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है।

भारत की औसत साक्षरता 45 प्रतिशत से अधिक नहीं है। निःसंदेह केरल राज्य इसमें आगे है। बिहार में 18 प्रतिशत साक्षरता है। फिर भी, युवा लोग इधर-उधर घूम रहे हैं। युवा लोग 200 रुपये की नौकरी के लिए भी इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं। मैं आपको एक पढ़े-लिखे युवा का उदाहरण दे सकता हूं जो इस समस्या का सामना कर रहा है अर्थात उसे 200 रुपये की नौकरी भी नहीं मिल रही है। उसके दिल को कितना दुःख पहुंचेगा, जब बैंक के मैट्रिक परीक्षा भी पास नहीं करने वाले चपरासी को 3000/- रुपये से अधिक वेतन मिलता है और एक एम०ए० या एम० एस० सी० को कहीं नौकरी भी नहीं मिलती। उस पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा उसे आप भली प्रकार समझ सकते हैं।

मैं बिहार से आता हूं जो सबसे समृद्ध राज्य है, जहां निर्धनतम लोग रहते हैं। मैं कारण जानता हूं : मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि इसके पीछे क्या कारण है। बिहार में सब कुछ है, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर बाहर के लोग आसीन है। वे महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर रहे हैं। जो बिहारी नहीं है, वे ग्रेड III और ग्रेड IV के ओहदे प्राप्त कर रहे हैं। बिहारियों को वह ग्रेड नहीं मिल रहे हैं। बहरहाल, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है", सरकार को एक नीति बनानी चाहिए और उन्हें थोड़ा अनुदान देना चाहिए।

महोदया, मैं नहीं जानता कि आप ग्रामीण क्षेत्र की हैं या शहरी क्षेत्र से है। लेकिन कृपया ग्रामीण क्षेत्रों में जाइये। डा० राजहंस ग्रामीण क्षेत्र से हैं। वह समाज मे वर्तमान स्थिति से वाकिफ हैं। अधिक से अधिक युवा व्यक्ति हमारे पास किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए हमारे पास सहायता हेतु आते हैं। मेरे निवास स्थल पर एक बी० एस० सी० पास युवक है जो 500/- रुपये तक की नौकरी ढूंढ़ रहा है। उसे यह नौकरी भी नहीं मिल रही है।

इतिहास का अर्थ केवल निरन्तरता नहीं है, बल्कि प्रगति भी है। समाज स्थायी नहीं है, यह गतिशील है। अगर यह गतिशील नहीं है तो इसे गतिशील बनाया जाये। मैं जानता हूं सरकार की अपनी सीमा है, मैं जानता हूं प्रधान मंत्री जी की अपनी सीमा है लेकिन समाज या सरकार सबकी है। यह सरकार लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई गई है और इसे सभी वर्गों के लोगों के लिए काम करना है। न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से, मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर विचार करें कि उनकी स्थिति क्या है और उन्हें क्या मिल रहा है ?

हमें समाचार माध्यमों से पता चला है कि आजकल 45,000 पदों पर अनुसूचित जातियों के लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं। मुझे उनसे ईर्ष्या नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें यह पद क्यों दिये जा रहे हैं। उन्हें यह पद मिलने चाहिए। लेकिन सरकार मध्यम वर्ग के और कृषक वर्ग के युवकों के लिए क्या सोच रही है ? यह काफी महत्वपूर्ण विषय है।

मेरी यह भी भावना है कि प्रधान मंत्री और सरकार की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मानवता का मुख्य बल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है और व्यक्ति अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति लगा देता है। अगर युवा लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, माता-पिता की आशाओं पर पानी फिर जाता है जब उनके पढ़े-लिखे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। हमने देखा है कि वे बिना नौकरी के निराश और असहाय हो जाते हैं। इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।

डा० राजहंस की तरह मुझे भी दुःख होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे युवा लोग बिना कोई नौकरी प्राप्त किये बूढ़े हो जाते हैं। आप इस बात को समझेंगे कि वर्ष 1981 से बिहार में सम्बद्ध कालेजों में कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है।

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो युवा लोग प्रथम श्रेणी में पास होते हैं या स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं, उन लोगों के भाग्य का क्या होगा ? उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उन्हें किस रूप में नौकरियां मिलती हैं ? वे अपने निजी कालेज खोलकर और 20,000 रुपये या 15,000 रुपये का दान देकर नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। नौकरियां प्राप्त करने के बाद, उन्हें कई वर्षों तक वेतन नहीं मिलता। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय पर विचार करने का अनुरोध कर रहा हूं। इस विषय को सभा के समक्ष विधेयक के रूप में लाया जाये जिससे कि इसे पर्याप्त महत्व दिया जा सके।

नौकरी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, नौकरी से व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, इससे व्यक्ति को आत्म-संतुष्टि भी मिलती है। अतः युवा लड़कों से यह कहना बेकार है कि वे स्वयं को शिक्षित बनाएं जिससे कि वे समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें। जी नहीं। यदि समाजवादी प्रणाली को ध्यान में रखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार नौकरी मिलनी चाहिए।

बैंक विज्ञापन में इस बात का उल्लेख नहीं करते कि उन्हें स्नातक चाहिए, वे विज्ञापन में यह उल्लेख करते हैं कि केवल मैट्रिक पास होना ही आवश्यक है। मैट्रिक पास को बैंक में या जीवन बीमा निगम में 2000/- रुपये से अधिक वेतन मिलता है। दूसरा व्यक्ति जो एम० ए० या एम० एस० सी० है, उन्हें 200/- रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए, उन युवाओं को समाज में आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। उन्हें समाज में स्थान मिलना चाहिए, उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के लिए नौकरी भी दी जानी चाहिए। यह देखना सरकार का काम है—यह पुलिस राज नहीं है, अब यह ऐसा कल्याणकारी समाज है जिसे युवाओं और मध्यम वर्ग के लड़कों के कल्याण की दिशा में कार्य करना चाहिए।

प्रत्येक देश का इतिहास और भूगोल होता है। भारत में 80 करोड़ लोग हैं। इसका $12\frac{1}{2}$ लाख वर्ग मील का भू-क्षेत्र है। केवल भारत जैसे देश में ही इतनी अधिक जनसंख्या है। उसके बावजूद, भारत आगे बढ़ता जा रहा है, इसके बावजूद, भारत को बाह्य विरोधी ताकतों ने घेरा हुआ है, भारत

[श्री महाबीर प्रसाद यादव]

की आन्तरिक समस्याएं भी हैं, इतनी कठिनाइयों के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है।

समापति महोदय : छः बज चुके हैं। मुझे एक छोटी-सी घोषणा करनी है। अतः आप अगली बार इस विषय पर बोल सकते हैं। अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

6.00 म० प०

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र (–जारी)

समापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि आज अध्यक्ष महोदय को एक और सदस्य, श्री सी० जंगा रेड्डी से, जो आन्ध्र प्रदेश के हनमकोंडा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, त्याग-पत्र प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है जो तुरन्त प्रभावी हो गया है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 31 जुलाई, 1989/9 श्रावण, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिज़, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53